लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[पाँचवां सत्र
Fifth Session]

[खंड 17 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol.XVII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

विषय सूची/CONTENTS

अंक 5—शुक्रवार, 4 अगस्त 1972/13 श्रावण 1894 (शक)

No. 5—Friday August 4, 1972/Sravana 13, 1894 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
83	रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों द्वारा हडताल Strike by Employees of Reserve Bank of India	1–5
85	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से संबंधित मालवीय समिति के प्रतिवेदन की प्राप्ति Submission of Malaviya Committee Report on Oil and Natural Gas Commission	5–6
87	भारतीय तेल निगम द्वारा भारत-बर्मा पेट्रोलियम के कार्य पर नियंत्रण Control being exercised by IOC over the functioning of Indo-Burma Petroleum	6–11
88	पाकिस्तान में भारतीय युद्धबंदियों को सुविधायें Amenities to Indian P. O. Ws. in Pakistan . .	11–12
89	एक पर्यटन बोर्ड की स्थापना Setting up of a Tourism Board	13–14
91	मैसूर को अतिरिक्त ऋण देना Grant of Additional loan to Mysore . . .	14–16

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
81	विदेशी तेल कंपनियों के साथ हुए समझौते का पुनरिक्षण Revision of Agreement with Foreign Oil Companies	17
82	मथुरा (उत्तर प्रदेश) में तेल शोधक कारखाना स्थापित करना Location of Oil Refinery at Mathura (U. P.) . .	17–18
84	भारतीय रुपये के मूल्य में ह्रास Reduction in value of Indian Rupee	18–19
86	जीवन बीमा निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश Investment of LIC in Uttar Pradesh . . .	20

---

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign+ marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र०संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
90	खराब नोटों के जलाये जाने के बारे में रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों द्वारा हडताल	Strike by RBI Employees in regard to burning of defective notes . .	20–21
92	दि हिन्दुस्थान टाइम्स नई दिल्ली को इमारत बनाने के लिए जोवन बीमा निगम द्वारा मंजूर किया गया ऋण	Loan sanctioned by LIC to the Hindustan Times, New Delhi for Construction of a Building . . .	21
93	आई० एन० एस० नीलगिरी	I N S Nilgiri . . .	21–22
94	भारत बंगला देश सीमा पर तस्करी	Smuggling on Indian Bangladesh Border .	22
95	नंगल उर्वरक कारखाने का विस्तार, सिन्दरी उर्वरक कारखाने का आधुनिकीकरण तथा पंजाब और हरियाणा में नये उर्वरक कारखानों की स्थापना	Expansion of Nangal Fertiliser Factory, Modernisation of Sindri Fertiliser Factory and Establishment of New Fertiliser Factories in Punjab and Haryana .	23–23
96	एयर इंडिया के विमान चालकों द्वारा विमान अपहरण के विरुद्ध विश्वव्यापी हडताल में भाग लिया जाना	Participation of Air India Pilots in World Wide Strike against Skyjacking	23–24
97	बरौनी में पेट्रो रसायन उद्योग समुह स्थापित करने की माग	Demand for Setting up of a Petrochemical Compiex at Barauni . . .	24
98	प्रत्यक्ष कर के बारे में वांचू समिति की सिफारिशें	Recommendations of Wanchoo Committee on Direct Taxes	24
99	पाकिस्तानी युद्धबंदियों पर व्यय	Eexpenditure on Pak. P. O. Ws.	24–25
100	विदेशी विमान कंपनियों को कलकत्ता हवाई अड्डा होकर अपनी विमान सेवाएं बंद करने से रोकने के लिए कार्यवाही	Steps to stop Foreign Airlines from Discontinuing their Services through Calcutta Airport . .	25

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
801	राष्ट्रीय व्यावहारिक, आर्थिक अनुसंधान परिषद	National Council of Applied Economic Research	25–26
802	गत तीन वर्षों में विभिन्न फर्मों को दिये आयात लाइसेंसों का मूल्य	Value of Import Licences given to various Firms during the last three years	26
803	संशोधित समाज एकता कमेटी से प्राप्त अभ्यावेदन	Representation received from Shoshit Samaj Ekta Committee	26
804	चाय उद्योग को औद्योगिक विकास बैंक और औद्योगिक वित्त विगम की सुविधाएं उपलब्ध कराना	Extension of Facilities of Industrial Development Bank and IFC to Tea Industry	26–27

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
805	घटिया किस्म की रम की सप्लाई के बारे में जांच	Investigation into Supply of Substandard Rum . .	27
806	सी० एस० डी (प्रथम) में पदोन्नतियां	Promotion in CSD (i) .	27–28
807	लापता सैनिकों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to missing Defence Personnel .	28
808	जलहाली स्थित वायु सेना के मैस से ग्रामवासियों को बेचा गया गंद	Garbage from Air Force Mess in Jalahalli sold to Villagers . . .	28–29
809	राजस्थान में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना	Setting up of a Petrochemical Complex in Rajasthan .	29
810	मथुरा तेल शोधक कारखाने में विदेशी तकनीकी जानकारी	Foreign Know-how at Mathura Refinery . .	29
811	बैंकों द्वारा खनन उद्योगों को मंजूर किये गये ऋण	Loans sanctioned by Banks to Mining Enterprises .	29–31
812	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा खानों को सीधे दिये गये ऋण	Direct Loans sanctioned to Mines by I.D.B.I. . .	32
813	आर्थिक दृष्टि से पिछडे क्षेत्रों में सैनिक प्रशिक्षण स्कुल	Military Training Schools in Economically Backward Areas	32
814	विदेशों से प्राप्त सहायता	Assistance received from Foreign Countries . .	32
815	स्टेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकारियों की एसोसिएशनें	Officers' Associations in the State Bank and Nationalised Banks .	33
816	गुजरात के राष्ट्रीयकृत बैंकों में भर्ती	Recruitment in Nationalised Banks of Gujarat .	33
817	बैंक आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations made by the Banking Commission .	33
818	15 जुलाई, 1972 को नई दिल्ली में हुई पुष्पक विमान की दुर्घटना की जांच	Enquiry into the Accident involving a Puspak Aircraft in New Delhi on 15-7-1972	33–34
819	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के अधीन संगठन द्वारा बेरोजगार स्नातक इंजीनियरों और भूतपूर्व सैनिकों को सहायता दिया जाना	Help to Unemployed Graduates Engineers and Ex-Servicemen by Organisations under the Ministry	34
820	लिन्च में तेल का पता लगना	Oil discovered at Linch .	34
821	उर्वरकों के ऊंचे मूल्यों के लिये उत्तरदायी कारण	Factors responsible for high price of Fertilisers .	34–35

तारांकित प्रश्न संख्या
U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
822	राज्यों में कमी की स्थिति में राहत कार्यों पर व्यय	Expenditure on Scarcity relief work in States .	35
823	बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के लिये अध्ययन दल	Study Team for visiting drought affected areas in Bihar	36
825	एन० सी० सी० केडिटों को छाते की सहायता से छलांग लगाने का प्रशिक्षण	Para jumping training to NCC cadets . . .	36
826	सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए पश्चिम बंगाल को सहायता	Assistance to West Bengal for drought affected areas .	36–37
827	केन्द्रीय दल का सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा	Visit by Central Team to drought affected areas .	37
828	भारत में तस्करी से लाये गये जापानी कपडे का पकडा जाना	Seizure of Japanese cloth being smuggled into India .	37–38
829	पौंड के खुला छोडे जाने के फलस्वरुप भारतीय व्यापार पर प्रभाव	Impact on India's Trade due to pound floatation . .	38
830	राजस्थान में केन्द्रीय सरकार के उपक्रम	Central Government undertakings in Rajasthan .	38–39
831	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्देश्य निर्धारित करने के लिये समिति	Panel to define objectives of public Sector . .	39–40
832	भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा लघु वाकीटाकी ट्रांस्मिटर का निर्माण	Production of portable Walkie Talkie Transmitter by Bharat Electronics Ltd.	40
833	केरल में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना	Location of a Petro Chemical Complex in Kerala . .	40
834	भारतीय भूभाग के ऊपर से अमरीकी विमान की उडान	US Aircraft flying over Indian territory . .	41
835	नीमच (मध्य प्रदेश) में एलकलाईड कारखाने की स्थापना	Setting up of Alkaloid Factory at Neemuch (Madhya Pradesh)	41–42
836	इलाहाबाद के युद्धबंदी शिबिर में सुरंग	Tunnel at P.O.W.'s Camp Allahabad . . .	42
837	बिडला कंपनियों के प्रधान कार्यालयों को पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानांतरित करना	Shifting of head offices of Birla concerns out of West Bengal . . .	42–43
838	जनेवा सम्मेलन के उपबंधों का भारतीय सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों पर लागू होना	Applicability of provisions of Geneva convention to BSF personnel . .	43
839	सिडनी में भारतीय उप उच्चायुक्त के पुत्र द्वारा हशीश की तस्करी	Smuggling of Hashish by son of Indian Deputy High Commissioner in Sydney .	43–44

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
840	भारत और पाकिस्तान में युद्ध बंदियों के साथ व्यवहार के बारे में अंतराष्ट्रीय रेडक्रॉस समिति के विचार	Views of IRCC regarding the treatment of POW's in India and Pakistan .	44
841	छावणी बोर्ड के प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के बीच समझौते के ज्ञापन को लागू न करने के बारे में शिकायतें	Complaints regarding non-Implementation of Memorandum of Settlement between Management and Workers of Cantonment Board	44
842	पाकिस्तान में भारतीय युद्ध बंदियों को मार दिया जाना	Killing of Indian POW's in Pakistan . . .	45
843	तस्करी के आरोप में विदेशियों की गिरफ्तारियां	Arrest of Foreigners on charges of smuggling .	45
844	आयकर अधिकारियों द्वारा दिल्ली में छापे	Raids by Income Tax authorities in Delhi . .	45–46
845	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकारण के बारे में मालवीय समिति	Malaviya Committee on the working of Oil and Natural Gas Commission . .	46–47
846	ईराक से अशोधित तेल का आयात	Import of crude oil from Iraq	47
847	जीवन बीमा निगम के पूंजी निवेश में विषमताएं	Disparities in LIC's Investments	47
848	ईराक से शोधन के लिए अशोधित तेल	Crude Oil from Iraq for refining	47–48
849	भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध-बन्दियों की अदला बदली	Repatriation of POW's between India and Pakistan	48
850	इण्डियन आयल कर्मचारी संघ पूर्वी शाखा का ज्ञापन	Memorandum by Indian Oil Employees Union Eastern Branch	48
851	काले धन को बाहर निकालने के लिये उपाय	Measures to unearth Black Money	49
852	सवाई माधोपूर (राजस्थान) में तेल शोधक कारखाना खोलना	Setting up of an oil Refinery at Sawai Madhopur (Rajasthan) . . .	49
853	नौसेना के लिए बनाए जाने वाले कर मुक्त सिग्रेट	Duty free Cigarettes made for the Navy . .	49
854	राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं की स्थापना	Setting up of Branches of Nationalised Banks .	50
855	विश्व बैंक द्वारा गंगा पारयोजना को प्राथमिकता दिया जाना	Priority accorded to Ganga Project by World Bank .	50
856	मिट्टी के तेल और डीजल का उत्पादन बढाना	Increasing the Production of Kerosene Oil and Diesel .	50–51

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
857	राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों की भर्ती	Recruitment of S.C. and S.T. in Nationalised Banks	51
858	विदेशी मुद्रा के घोटाले का पता चलना	Unearthing of Foreign Exchange Racket . .	51
859	इंडो बर्मा पेट्रोलियम कंपनी द्वारा बालमेर लारी के शेयरों का अर्जित कर लेना	Acquisition of shares of Balmer Lawrie by Indo-Burma Petroleum Co. .	52
860	पकड़ी गई प्रतिरक्षा सामग्री बंगला देश को सौंपना	Handing over of Captured Defence Materials to Bangladesh . . .	52
861	भारतीय तेल निगम से भारत बर्मा पेट्रोलियम कंपनी को अलग करना	Separation of India Burmah Petroleum Company from IOC	52–53
862	एस्सो और बर्मा शेल द्वारा अपनी भारतीय कंपनीयों को संयुक्त उद्यमों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव	Offer to convert their Indian Companies into Joint ventures by Esso and Burmah Shell	53
863	कंपनियों द्वारा कंपनी अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन	Violation of Provision of Companies Act by Companies	53
864	कंपनी अधिनियम का संशोधन	Amendment to Companies Act	54
865	सीमा सड़क विकास बोर्ड के सैनिक	Boarder Road Development Board Pioneers . .	54
866	रक्षा पूर्ति विभाग द्वारा भारतीय उद्यमकर्ताओं को आकर्षित करने के प्रयास	Efforts to attract Indian enterpreneurs by Department of Defence Supplies . .	54–55
867	भविष्य निधि बचत पर व्याज की दर	Rate of interest on Provident Fund Savings . .	55–56
868	एयर इंडिया के एक विमान में एक बालक को मृत्यू	Death of a child in an Air India Plane . . .	56
869	सुपरसॉनिक कनकोर्ड विमान की खरीद के लिये एयर इंडिया और ब्रिटिश विमान निगम के बीच करार	Agreement between Air India and British Aircraft Corpration for the purchase of Supersonic Concorde Aircraft	56–57
870	कोचीन (केरल) के निकट एदक्कत्तुवायल में हवाई अड्डे का निर्माण	Construction of an Aerodrome at Edakkattuvayal near Cochin (Kerala) .	57
871	भारत के विदेशी मुद्रा रिजर्व पर स्टर्लिंग संकट का प्रभाव	Impact of Sterling Crisis on India's Eoconomy .	57–58
878	भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में विश्व बैंक का प्रतिवेदन	World Bank's Rep[illegible] India's Econor[illegible] of	58

अता० प्र० संख्या० U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
873	पेट्रोलियम उत्पादों संबंधी मूल्य निर्धारण नीति का मद्रास तेल शोधक कारखाने पर प्रतिकूल प्रभाव Adverse Effects of pricing policy for petroleum products on Madras Refinery	58–59
874	पाकिस्तानी सेना द्वारा सीमा उल्लंघन Boarder violation by Pakistani Forces . . .	59
875	देश के हवाई अड्डों पर स्थित शुल्क मुक्त दुकानों का नवीकरण करने का प्रस्ताव Proposal to Renovate Duty Free Shops at Airports in the country . . .	59–60
876	स्वर्णकारों को फिर से बसाना Rehabilitation of Goldsmiths	60
877	गैर-सरकारी क्षेत्र में जीवन बीमा निगम का पूंजी निवेश LIC's Investment to private Sector	61–62
878	सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के बारें में योजनावित्त प्रभाग के सुझाव Suggestion by Plan Finance Division regarding public Sector projects . .	63
879	ऋणों को बट्टे खाते डालने के लिए बिहार सरकार से अनुरोध Request from Bihar Government for Writing off loans	63–64
880	राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का अनुरोध Request of Rajasthan Government for locating of an oil Refinery in the State .	64
881	संयुक्त राष्ट्र में विकास कार्यक्रम में भारत का योगदान Indian's contribution to United Nation Development Programme . . .	64
882	आय में असमानता Disparities in Income . .	64–65
883	बाजोरिया और जालान एकाधिकार गृहों द्वारा किये गये करापवंचन के बारे में जांच Enquiry into tax evasion by Bajorias and Jalans Monopoly Houses . .	65
884	नई दिल्ली स्थित अशोका होटल में कमरों के नवीकरण पर खर्च की गई राशि Amount spent on renovation of room in Ashoka Hotel, New Delhi. . . .	65
885	पश्चिम बंगाल में ऋणों के लिए अनिर्णित पड़े आवेदनपत्र Loan applications pending in West Bengal . .	66
886	तेल की खोज तथा उत्पादन के लिए पांच वर्षीय योजना Five Year Plan for the Exploration and Production of Oil	66
887	पाकिस्तानी को चीनी हथियार Chinese Arms to Pakistan .	66–67
888	कंपनियों को ऋण देने पर नियंत्रण Control over advancement of loans to Companies .	67
889	लेखापरीक्षा कार्य का जमाव Concentration of Audit work	67

अता० प्र० संख्या० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
890	राज्य सरकारों को कंपनियां द्वारा कंपनी अधिनियम के उपबंधों का पालन न करना	Non-compliance of the provisions of Companies Act by State Government Companies	68
891	आयकर को बकाया राशि को बट्टे खाते में डालना	Writing off arrears of Income Tax	68–69
892	आयकर अधिकारियों द्वारा आयकर का अधिक निर्धारण और कम निर्धारण किया जाना	Over assesments and under assessment by Income Tax Officers	69
893	राज्यों द्वारा जमा राशि से अधिक धन निकालना	Overdrafts by States .	70
894	भारत को आर्थिक प्रगति के लिए अधिकाधिक सहायता	Increased aid for India's economic Progress . .	70
895	हिन्दुस्तान एन्टीबाययोटिक्स लि० में तालाबन्दी के कारण हुई हानि	Loss suffered due to lock out in Hindustan Antibiotics Limited	71–72
896	भारतीय उर्वरक निगम द्वारा दुर्गापूर में चावल उत्पादन प्रशिक्षण संस्था की स्थापना	Establishment of a Riceproduction Training Institute at Durgapur by Fertiliser Corporation of India .	72
897	शहरी और ग्रामोण आय की अधिकतम सीमा	Ceiling on Urban and Rural Income	72–73
898	हिन्दुस्तान एयरोनेटिक्स लिमिटड द्वारा टेलीविजन रिसीवर के प्रोटोटाइप के निर्माण का प्रस्ताव	Proposal to manufacture Prctotype T.V. Receiver by HAL	73
899	राष्ट्रीयीकृत बकों तथा जोवन बीमा निगम द्वारा बडे व्यापार गृहों को दिये ऋणों को इक्विटी शेयरों में बदलना	Conversion of Loans advanced by Nationalised Banks and LIC to big Business Houses into Equity Shares	73–74
900	रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा सो तथा पांच के नोट छापना	Printing of Hundred and Five Rupees Notes by RBI	74
901	भारत को अमरीकी सहायता का फिर से मिलना	Resumption of US Aid to India	74–75
902	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान की पश्चिम भारतीय क्षेत्रीय परिषद की विचार गोष्टी	Seminar by Western Indian Regional Council of Institute of Charatered Accountant in Bombay . .	75
903	पश्चिमी कमान का विभाजन	Bifurcation of Western Command	75–76
904	मिसाईल नौकाओं का निर्माण	Manufacture of Missile Boats	76
905	एच एस 748 विमान के इंजन में किये गये सुधार	Improvements made in the Engine of HS 748 Aircraft.	76

अता० प्र० संख्या०
U. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
906 युद्ध से पूर्व पाकिस्तान द्वारा विशाखापट्टम पत्तनम पत्तन मे सुरंगे बिछाना	Mining of Vishakhapatnam port by Pakistan before War	76
907 लम्बी दूरी तक मार करने वाले विमान लेने के लिये प्रयास	Efforts to acquire long range strike Air Crafts . .	76
908 कच्चे तेल के स्वामित्व को दुगुना करने के लिये गुजरात सरकार का अनुरोध	Request of Gujarat Government for Doubling the Royalty of Crude Oil .	77
909 बैंकों की सेवाओं में गिरावट	Deterioration in the Services of Banks . . .	77
910 संखादा में स्टेट बैंक आफइंडिया द्वारा खरादी कारीगरों को ऋण	Credit to Kharadi Artisans by State Bank of India in Sankheda . . .	77–78
911 तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा त्रिपरा और कच्छ में खुदाई करना	Drilling at Tripura and Kutch by ONGC . .	78
912 तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का तेल की खोज के लिए ईरान मे उद्यम	ONGC's Venture in Iran for Oil Exploration .	78–79
913 पाकिस्तानी युद्ध बंन्दियों का फरार होना	Escape of Pakistani POW	79
914 कृषि आय पर कर	Tax on income from Agriculture	79
915 बंबई के फ्री प्रेस जर्नल मे कुप्रशासन	Mal-Administration in Free press Journal Bombay .	80
916 भारत पाक युद्ध के पश्चात अमरीका से पर्यटक यातायात में कमी	Fall in tourist traffic from United States Since Indo-Pak War . . .	80
917 काले धन तथा कर अपवंचन के बारे में में वांचू समिति की सिफारिशें	Recommendations of Wanchoo Committee regarding black money and tax evasion	80–81
918 छठा वित्त आयोग	Sixth Finance Commission .	81
919 जयपुर स्थित जयपुर मेटल्स पर सीमा-शुल्क विभाग द्वारा छापे	Raids by Customs Department on Jaipur Metals, Jaipur .	81–82
920 बंबई में फिल्मी सितारों के निवासों पर मारे गये छापों के फलस्वरुप पकडा गया काला धन	Black Money unearthed during Raids on Film Stars in Bombay	82–83
921 भारत को सहायता देने के लिये भारत सहायता संघ की सिफारिशें	Recommendations of Aid India Consortium for Aid to India	83–84
922 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा-राशि में वृद्धि	Rise in the Deposits of Scheduled Commercial Banks	84–85
923 भारत को ऋण में राहत दने का निर्णय	Decision for providing Debt Relief to India . .	85

अता० प्र० संख्या
U. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
924 पश्चिम बंगाल में सूखे की स्थिति के बारे में अध्ययन दल की सिफारिशें	Recommendations of the Study Team on Drought Conditions in West Bengal	85–86
925 सेवा निवृत्त सनिक अधिकारियों द्वारा सैनिक कार्य पर पुस्तके लिखना	Writing of Books on Military Affairs by Retired Military Officers	86
926 इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों द्वारा धीरे काम करो अथवा नियमानुसार काम करो की प्रणाली का अपनाया जाना	Staff of Indian Airlines indulged in go slow or work to rule practices . .	86–87
927 सैनिकों तथा उनके परिवारों को दी गई पेंशन तथा अन्य लाभ	Pension and other benefits given te soldiers and their families	87–88
928 दिल्ली के निकट जापान एयरलाइंस के विमान की दुर्घटना	Crash of A a Japan Airliner near Delhi . . .	88–89
929 गुलमर्ग (काश्मीर) में बर्फ पर फिसलने वालों का प्रशिक्षण	Training to skiers in Gulmarg (Kashmir) . . .	89
930 उर्वरक उद्योगों में बेकार पडी क्षमता तथा बिजली कम सप्लाई करने के कारण उर्वरको के मूल्यों में वृद्धि	Rise in price of Fertilisers due to idle capacity and power cuts in Fertiliser Industries . . .	89–90
931 देश में तेल शोधकों कारखानों द्वारा उपेक्षित पैराफीन मोम के बनाने के लिए अपेक्षित उप-उत्पाद	By products required to make Paraffin Wax discared by refineries in the Country .	90
932 मूल्य सूचकांक में वृद्धि	Rise in price index . .	90 91
933 बडे व्यापार गृहों के धन कर का निर्धारण	Assessment of Wealth tax of big busines houses . .	91
934 भारतीय नौसेना की समस्यायें	Problems of Indian Navy .	92
935 विवियन बोस आयोग की सिफारिशें	Recommendations of Vivian Bose Commission . .	92–93
936 तीसरे वेतन आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना	Submission of Report by Third Pay Commission .	93
937 कारीपुर में कालीकट हवाई अड्डे के निर्माण कार्य में प्रगति	Progress in the construction of Calicut Aerodrome in Karipur	93–94
938 छोटे सिक्कों की कमी	Shortage of small coins .	94
939 नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के भवन में आग लगना	Fire in Central Board of Revenue Building, New Delhi .	94–95
940 फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड में श्रमिकों की हडताल	Labour Strike in Fertilisers and Chemicals Travancor limited	95

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
941	विदेशों से लिये गए ऋण की वापसी संबंधी नई समयावली	Rescheduling of Debt from Foreign Countries . .	96
942	स्थायी वित्त आयोग	Permanent finance Commission	96
943	निर्धन देशों में औद्योगिक विकास को बढावा देने के बारे में विश्व बैंक का निर्णय	World Bank's decision to promote industrial development in poorer countries .	96–97
944	इंडियन एयरलाइन्स में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के विमान चालकों की संख्या	Number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes pilots in Indian Airlines . .	97
945	इंडियन एयरलाइन्स में अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जातियों के संबंधित विमान परिचारिकाओं की संख्या	Number of Air Hostesses belonging to S.C./S.T. in Indian Airlines . .	97
946	पर्यटक होटलों के निर्माण हेतु भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा गुजरात राज्य को ऋण	Loan to Gujarat State by ITDC for Construction of Tourists Hotels . . .	97–98
947	नीदरलैंड से विकास ऋण	Development Credit from Netherlands . . .	98
948	कनाडा के साथ ऋण संबंधी करार	Agreement for Loan from Canada	98
949	ब्रिटन द्वारा भारत को सहायता देने के लिये बचन बद्धता	Commitments made by Britain for Assistance to India	99
950	भारत को उर्वरक संयंत्र सप्लाई करने हेतु भारत और जापान के बीच करार	Indo Japanese pack for supply of Fertiliser plants to India	99
951	हल्दिया बरौनी कानपुर पाइप लाइन के नये सिरे से मार्ग निर्धारण के बारे में पश्चिम बंगाल का अनुरोध	West Bengal Governments request for realignment of Haldia Barauni Kanpur pipeline	100
952	मुख्य कार्यालय व्यय के नाम पर विदेशी तेल कंपनीयों द्वारा विदेशी मुद्रा का बाहर भेजना	Remittance of Foreign Exchange on Account of Head Office Expenditure by Foreign Oil Companies .	100–01
953	नेशनल आयल कंपनी आफ दी ईस्ट का गठन	Formation of National Oil Companies of the East .	101
954	अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के विमानों का कलकत्ता हवाई अड्डे पर न उतरना	International Airways avoiding Calcutta Airport .	101
955	दुर्गापूर में उर्वरक संयंत्र का चालू किया जाना	Commissioning of Fertiliser Plant of Durgapur . .	101–02
956	पश्चिम बंगाल के दो जिलों में छिद्रण कार्य	Drilling Operations in two Districts of West Bengal .	102

अता० प्र० संख्या
U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
957	खालरा क्षेत्र में पाकिस्तानी फौजों द्वारा गोली चलाया जाना	Firing by Pakistani Forces in Khalra Sector . . .	102-03
958	देश में एक पर्यटन संस्थान की स्थापना	Setting up of a Tourism Institute the country . .	103
959	विदेशी तेल कंपनियों के लाभ का नई कंपनियां स्थापित करने के लिये उपयोग	Utilisation of profits of Foreign Oil Companies for Establishing new business	103
960	तेल कंपनियों द्वारा अपने अधीनस्थ कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जाना	Oil Combines Curbs on Subsidiaries	103-04
961	भारत में पी० एल० 480 निधियों का उपयोग	Utilisation of PL 480 Funds in India	104
962	तस्करों से माल का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Goods	104-05
963	पट्रोलियम उत्पादों के लिये मूल्य निर्धारण का पुनरीक्षण	Revision of pricing Policy for Petroleum products .	105
964	बड़े व्यापारिक गृहों की और करों की बकाया राशि	Arrears of Taxes against Big Business Houses . .	*105-06*
965	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उद्योगों को प्राथमिकता देना	Preferential Treatment by Nationalised Banks to Industries . . .	106
966	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋण की वसूली	Recovery of loans Advanced by the Nationalised Banks	106
967	मध्य प्रदेश में सिधी जिले के विकास के लिये विश्व बैंक से ऋण	World Bank loan for Development of Sidhi District in Madhya Pradesh . .	107
968	राज्यों में संपत्ति का अर्जन	Take over of Properties in States	107
969	महाराष्ट्र में विकास परियोजनाओं के लिये अंतराष्ट्रीय विकास संकठन से ऋण	Loan from International Development Association for Development Schem in Maharashtra . .	107
970	बंगला देश को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Bangladesh . . .	108
971	काले धन का पकड़ा जाना	Seizure of Black Money .	108
972	जबलपुर के मोटर गाडी कारखाने में आग लगना	Fire in Vehicle Factory, Jabalpur . . .	108
973	इटारसी के एक व्यापारी से सोने का जब्त किया जाना	Seizure of Gold from a Trader in Itarsi . .	109
974	मुरना (मध्य प्रदेश) में तेल शोधक कारखाने की स्थापना	Setting up of an Oil Refinery in Morena (M.P.) .	109
975	मिट्टी के तेल के मूल्य में वृद्धि	Increase in Price of Kerosene Oil . . .	109-10

अता० प्र० संख्या
U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
976	क्षतिग्रस्त हुए करंसी नोटों को बदलने संबंधी नियम	Rules regarding Replacement of Damaged Currency Notes	110–11
977	दिल्ली के निकट दुर्घटनाओं ग्रस्त होने वाले जापानी विमान के हताहतो को दी गई सुविधाएं	Facilities provided to the Victims of Japanese Aircraft Crashed near Delhi. .	111
978	एयर इंडिया की कलकत्ता से अथवा कलकत्ता तक अन्तरराष्ट्रीय उडानों का संचालन	Operation of International Flight of Air India from/ to Calcutta . . .	111
979	पश्चिम बंगाल में तेल की खोज का कार्य आरंभ करना	Resumption of Oil Exploration Work in West Bengal	112
980	एलेम्बिक केमिकल वर्क्स लिमिटेड, बडोदा के डिवोजनल कार्यालयों का बंद होना	Closure of Division offices of Alembic Chemical Works Ltd., Baroda. . . .	112–13
982	बिहार की केन्द्रीय जांच चोकियों द्वारा पकडा गया चोरी छिपे लाया गया माल	Seizure of Smuggled Goods by Central check posts in Bihar . . .	113–14
983	अगरताला (त्रिपुरा) में एक पर्यटक होटल की स्थापना	Setting up of a Tourist Hotel at Agartala (Tripura)	114
984	खोवाई हवाई अड्डे (त्रिपुरा) पर शौच/ स्नान सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव	Proposal to Provide Toilet Facilities at Khowai Airport (Tripura) . .	115
985	सिटी टर्मिनल तथा अगरतला हवाइ अड्डे के बीच कोच सेवा के लिये अतिरिक्त भाडा समाप्त करने के संबंध में अभ्यावेदन	Representation for Withdrawal of Additional Fares for Coach Service between City Terminal and Agartala Airport	115
986	डम डम हवाई अड्डे पर अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल बिल्डिंग का उपयोग न किया जाना	Not-utilisation of International Terminal Building at Dum Dum Air port .	115
987	मध्य प्रदेश में एक आयुध कारखाने की स्थापना	Setting up of an Ordinance Factory in M. P. . .	116
988	डम डम हवाई अड्डे की अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकास	Development of Dum Dum Airport as an International Airport	116
989	रक्षा लेखा नियंत्रक पटना के कार्यालय में पदोंका भरना	Filling up of Posts in the office of Controller of Defence Accounts, Patna .	116
990	रक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालय, पटना का स्थानांतरित किया जाना	Shifting of the Office of Conroller of Defence Accounts Patna	117

अता० प्र० सख्या० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
991	प्रत्यक्ष कर जांच समिति का अंतरिम प्रतिवेदन	Interim Report of Direct Taxes Enquiry Committee	117
992	अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा आनन्द बाजार पत्रिका (प्राइवेट) लिमिटेड को दिया गया ऋण	Loan Advanced by Scheduled Commercial Banks to Ananda Bazar Patrika (Pvt) Limited	117–18
994	कलकत्ता के बियरिंग व्यापारियों के यहां सीमा शुल्क अधिकारियों के छापे	Raids by Customs Authorities on Dealers in Bearings in Calcutta . .	118
995	लेखा परीक्षा कर्मचारियों द्वारा दी गई याचिका	Presentation of petition by Audit Employees . .	118
996	250 सीटों वाले 3 डगलस डी० सी० 10 मीडियम रेंज के विमान खरीदने का प्रस्ताव	Proposal to Purchase 3 Douglas DC-10 medium Range 250 Seater Planes	119
997	प्रारंभ किये गये तथा पूरे किये गये छिद्रण कार्य	Drilling Works undertaken and Completed . .	119–21
998	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता	Interim Relief to Central Government Employees .	121
999	केरल में हवाई अड्डे का निर्माण	Proposal to construct an Airport in Kerala . .	121–22
1000	यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा इक्विटीयों में निधियों का निवेश	Investment of Funds in Equities by Unit Trust of India	122
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—		Calling Attention to a matter of Urgent Public Importance—	
	दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों में असंतोष के समाचार—	Reported discontent among teachers of Delhi University—	
	श्री बक्शी नायक	Shri Bakshi Nayak . .	122
	प्रो० एस० नुरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan .	122–25
सभा की कार्यवाही के बारे में		Re: Proceedings of the House	125–27
नियम 377 के बारे में		Re : Rule 377 . . .	127
सभा पटल पर रखे गये पत्र		Papers Laid on the Table .	127–31
सभा का कार्य		Business of the House . .	131–32
कोकवारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) विधेयक—		Coking Coal Mines (Nationalisation) Bill— . . .	
	खंड 17 से 36 और खंड 1	Clauses 17 to 36 and 1 . .	132–40
	पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में—	Motion to pass, as amended—	

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya.	141
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel . . .	141
श्री कमल मिश्र मधुकर	Shri K. M. Madhukar .	141
श्री एस० मोहन कुमारमंगलम	Shri S. Mohan Kumaramangalam . . .	141–42
राजनायिक संबंध (विनया कन्वेंशन) विधेयक—	Diplomatic Relations (Vienna Convention Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	Shri Surendra Pal Singh	142
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	143
श्री मोहनराज कलिंगारायर	Shri Mohanraj Kalingarayar	143
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee .	143–44
गैर-सरकारी सदस्यो के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 15वे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion Re : Fifteenth Report of the Committee on Private Member Bills and Resolutions . . .	144
पूरस्थापित किये गये विधेयक—	Bills Introduced—	
(एक) श्री एस०एम० बनर्जी का बिहार परमाणु प्राधिकार विधेयक, 1972	Bihar Atomic Authority Bill by Shri S. M. Banerjee	144
(दो) श्री यमुना प्रसाद मण्डल का जाति पद्धति (उत्सादन) विधेयक, 1972	Caste System (Abolition) Bill by Shri Yamuna Prasad Mandal . .	145
(तीन) श्री सी० के० चन्द्रपन का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1972 (नवम अनुसूची का संशोधन) (1972 का विधेयक संख्या 68)	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Ninth Schedule) (Bill No. 68 of 1972) by Shri C. K. Chandrappan	145
(चार) श्री सी० के० चन्द्रपन का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1972 (नवम अनुसूची का संशोधन) (1972 का विधेयक संख्या 70)	Constitution (Amendment) Bill. (Amendment of Ninth Schedule), (Bill No. 70 of 1972) by Shri C. K. Chandrappan	145–46
श्री कर्णी सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक 1971 (अनुच्छेद 74 का संशोधन)—	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Article 74) by Shri Karni Singh—	

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—*contd.*	
श्री आर० डी० भंडारे	Shri R. D. Bhandare	146–47
श्री माधुर्य हलदार	Shri Madhuryya Haldar	147
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	147
श्री जे० एम० गौडा	Shri J. M. Gowder	147–48
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	148
श्री अटलबिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	148–49
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhary	149–50
श्रीमती एम० गौडफ्रे	Shrimati M. Godfrey	150
श्री एस० सी० सामन्त का कारखाना (संशोधन) विधेयक, 1972 (नई धारा 9क का अन्तःस्थापन)—वापस लिया गया—	Factories (Amendment) Bill (Insertion of new section 9A by Shri S. C. Samanta—withdrawn—	
श्री एस० सी० सामन्त	Shri S. C. Samanta	150
श्री बालगोविंद वर्मा	Shri Balgovind Verma	151
प्रो० मधु दंडवते का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 (नए अनुच्छेद 23क, 23ख, और 23ग का अंतःस्थापन)—	Constitution (Amendment) Bill (Insertion of new Articles 23A, 23B and 23C) by Prof. Madhu Dandavate—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate	151–53
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharya	154
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	154–55
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	155
डा० जी० एस० मेलकोटे	Dr. G. S. Melkote	155

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 4 अगस्त, 1972/13 श्रावण, 1894 (शक)

Friday, August 4, 1972/ Sravana 13, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Strike by Employees of Reserve Bank of India

*83. **Shri M. C. Daga :**
Shri Ramkanwar :

Will the Minister of **Finance** **वित्त मंत्री** be pleased to state :

(a) whether the employees working in the Reserve Bank, Bombay went on strike in June, 1972, if so, the reasons therefor;

(b) whether the demands of the striking employees were not genuine and if so, the action taken against the said employees; and

(c) the estimated loss caused to the bank ?

वित मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

जून, 1972 के दूसरे पाक्षिक के कुछ विशेष दिनों में बम्बई के भायखला और फोर्ट कार्यालयों में भारतीय रिजर्व बैंक और उसकी संबद्ध संस्थाओं के तृतीय श्रेणी के लगभग 750 कर्मचारियों और चतुर्थ श्रणी के लगभग 1800 कर्मचारियों ने काम नहीं किया ।

भारतीय रिजर्व बैंक की बम्बई शाखा में हड़ताल करने वाले कर्मचारियों की माँग यह थी कि दिसम्बर 1964 से लागू की गई, एक रुपये, दो रुपयें, पाँच रुपये तथा दस रुपये के गंद नोटों के निपटान की परिवर्तित प्रक्रिया को छोड़ दिया जाना चाहिये ।

चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारी संघ और प्रबंधक वर्ग गन्दे नोटों को समाप्त करने की प्रक्रिया पर बातचीत करने के लिये सहमत हो गये हैं अतः इस स्थिति में सरकार माँग की औचित्यता पर कोई राय देन की आवश्यकता नहीं समझती ।

हड़ताल के कारण रिजर्व बैंक को यदि कोई हानि हुई है तो उसका अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : प्रश्न संख्या 90 भी इसी विषय से सम्बन्धित है । उसे भी इस प्रश्न के साथ ही लिया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, दोनों प्रश्न साथ साथ लिये जा सकते हैं ।

श्री आर० वो० बडे : उपस्थित नहीं है ।

श्री महंमद इस्माईल : वे भी उपस्थित नहीं है ।

Shri M. C. Daga : The employees gave a notice of strike before they went on Strike May I know whether you replied to that notice or not?

Shri Yeshwantrao Chavan : I donot know whether the notice was given or not, but giving a notice does not mean that Strike is legal.

Shri M. C. Daga : May I know the period for which the employees remained on Strike and the date on which a settlement was reached?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सही तिथियां तो मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ, परन्तु जहां तक मुझे पता है बाईकुला तथा फोर्ट कार्यालय बम्बई में हड़ताल एक सप्ताह अथवा दस दिन तक चली । रिजर्व बैंक आफ इंडिया तथा इससे सम्बद्ध बाईकुला और फोर्ट कार्यालय संस्थानों बम्बई के लगभग 750 तृतीय श्रेणी के कर्मचारी तथा 1800 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्य से अनुपस्थित रहें । त्रिवेन्द्रम तथा हैद्राबाद को छोड़कर एक दिन अधिकांश कर्मचारी सांकेतिक हड़ताल पर रहे। उस दिन हड़ताल पर रहने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग 9,300 थी ।

Shri M. C. Daga : Mr. Speaker, Sir, 2,250 employees went on strike which continued for fourteen days. After 14 days strike, the management realized their mistake. The Hon. Minister has not told about the loss suffered due to the strike. A notice was given nearly one month before and thereafter the strike continued for 14 days. The notice was not replied to and you suffered as a loss due to that.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : There was strike, a total strike. बाईकुला कार्यालय में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की पूर्ण हड़ताल 16 जून से 30 जून, 1972 तक चली, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने 29 जून, 1972 को पूर्ण हड़ताल की । बम्बई के फोर्ट कार्यालय में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की पूर्ण हड़ताल 17 जून से 30 जून, 1972 तक चली । जसा कि मैंने बताया। हैदराबाद तथा त्रिवेन्द्रम को छोड़कर बैंक के मुख्य-मुख्य कार्यालयों में एक दिन की हड़ताल हुई । हड़ताल की अवधि के सम्बन्ध में यही सूचना है ।

दूसरी बात यह है । आप कहते हैं कि नोटिस दिया गया । नोटिस से आपका निश्चित तात्पर्य क्या है, मुझे पता नहीं । कुछ लोगों ने 1964 में अपनाई गई प्रक्रिया को छोड़ने का प्रश्न उठाया । कुछ ने कहा इसे कुछ समय के लिये छोड़ दिया जाना चाहिये, अन्यथा हम हड़ताल करेंगे । क्या इस ढंग से कही गई बात को नोटिस माना जा सकता है ?

Shri Ramkanwar : The strike in Reserve Bank, Bombay was significant strike This strike, was related to the burning of one and two rupee notes. The Government was of the view that the notes should be collected and burnt but the employees wanted the notes to be burnt after counting. May I know whether there are cases in which notes were not burnt and whether duplicate notes of the same numbers were printed, if so, whether the officers responsible have been arrested?

Shri Yeshwantrao Chavan : I have no such information with me.

प्रा० मधु दंडवते : क्या यह सच है कि हड़ताल की घोषणा से पहले ही संगठन ने निश्चितरूप से यह कहा था कि चाहे उनकी मांग स्वीकार की जाये अथवा नहीं, यदि उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि अखिल भारतीय स्तर पर उनके मजदूर संघ संगठन से इस बारे में बात चीत की जायेगी तो मामल पर जोर नहीं दिया जायेगा? अतः क्या सरकार के लिए ऐसी साधारण सी मांग को स्वीकार करके हड़ताल को रुकवा देना संभव नहीं था ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वास्तव में आप इस मामले में सरकार को लाने का प्रयत्न कर रहे है। रिजर्व बैंक के अधिकारी स्वयं मामल को देख रहे है। समझौता करानेवाले अधिकारियों ने ही ऐसा सुझाव दिया था और उसी के आधार पर हड़ताल वापस ली गई थी।

प्रा० मधु दंडवते : सरकार कहने से मेरा तात्पर्य रिजर्व बैंक के अधिकारियों से ही है। क्या ऐसा करना उनके लिए संभव नही था। श्रीमन्, यह प्रक्रिया से संबद्ध एक गंभीर मामला है।

जहां तक मैं समझता हूं दो प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। पुरानी प्रक्रिया के रहते हुए भी पंचिंग पद्धति आरंभ की गई जिससे नोट काले धन के रूप में प्रचलन में नहीं जा सकते थे। नयी प्रक्रिया के अन्तर्गत एव छोटे से सुरक्षा दल के साथ मौके पर उपस्थित रहने वाले अधिकारियों ने पंचिंग प्रणाली को छोड दिया है। क्या इस प्रक्रिया में गोल माल करने का पर्याप्त अवसर नहीं है तथा क्या देश की वित्तीय व्यवस्था के हित में तथा काले धन की अर्थव्यवस्था से छुटकारा पाने के लिये यह आवश्यक नहीं था कि नयी प्रक्रिया को छोडकर पुरानी प्रक्रिया अपनायी जाती ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : आप इस मामले में मेरी राय जानना चाहते है। मामले पर केन्द्र तथा रिजर्व बैंक आफ इंडिया के अधिकारियों के बीच बात चीत की जायेगी। यदि मैं अपनी राय पहले से ही बता दूं तो संभवतया यह बात चीत करनेवाले पक्षों के हित में नहीं होगा।

प्रो० मधु दंडवते : इसका संबंध हड़ताल से है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हड़ताल इसी आधार पर वापस ली गई थी कि मामले पर रिजर्व बैंक के अधिकारियों के साथ बात चीत की जायेगी। मेरा अपना विचार प्रकट करने से मामला उलझ जायेगा और आप यह बात नहीं चाहते है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं मामले को उलझवाना नहीं चाहता, अपितु उसका स्पष्टीकरण चाहता हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : We do not want to know your opinion in the matter. The question is whether the old procedure of destroying notes has been dispensed with, if so the reasons therefor? May I know whether the Minister is aware of the fact that the new procedure has created certain doubts particularly amongst the employees?

Shri Yeshwantrao Chavan : The new procedure was adopted in 1964 and not now. The fact is that they want this new procedure to be amended. Not only this; one or two employees did not comply with the orders of the Reserve Bank even before the notice was served. After this noncompliance, some suspension orders had to be issued and after that employees went on strike. The system obtained in 1964 may be a controversial issue so far as its propriety is concerned. In this connection I have my own views, but would not like to make them public. I want that there should be some sort of reconciliation between the employees and the authorities of the Reserve Bank.

प्रो० मधु दंडवते : बहुत से विशेषज्ञों ने नई पद्धति के विरोध में अपने विचार प्रकट किये है ।

Shri Shri Krishna Modi : After 14 days Strike they agreed to discuss the matter with the employees may I know as to why did they not agree to it at an early stage ? May I also know whether this strike was a legal or illegal ?

Shri Yeshvantrao Chavan : I think it was not legal.

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या पहले की पंचिंग पद्धति को समाप्त करने के कोई विशिष्ट कारण थे ? वे विशिष्ट कारण क्या थे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह पुरानी पद्धति है, इसी लिये आप मुझसे इसके कारण पूछना चाहते है । मैं केवल इतना ही बता सकता हूँ कि जहां इस पद्धती से कुछ लाभ थे वहां कुछ हानियां भी थी । हानियां लाभ से अधिक है । तर्क दिये जा सकते है...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप अपना मत प्रकट कर रहे है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं हानियां बता रहां हूं । यह मत प्रकट करने की बात नहीं । बात यह है, ऐसा विचार था कि 1964 से चली आ रही पद्धति को समाप्त करने से समयोपरि कार्य समाप्त हो जायगा । इसको समाप्त करने से यही एक मुख्य लाभ है । जाली नोटों, गलत नोटों तथा सुरक्षा का प्रश्न सामने लाया गया था । यही कुछ बाते है, जिनके कारण पुरानी पद्धति समाप्त की गई । मेरे पास जो आंकडे है उनसे पता चलता है कि समाप्त किये जान वाले नोटों में फिर से जारी किये जानेवाले नोट बिल्कुल नहीं होते । जाली नोटों की संख्या भी बहुत कम होती है, इससे अर्थव्यवस्था नहीं बिगड सकती । अतिरिक्त समय के कार्य में कुछ लोगों के निहित स्वार्थ होते थे । वे जिस स्थान पर होते थे उसी पर रहना पसंद करते थे यहां तक कि पदोन्नति होने पर भी उन स्थानों से जाना उन्होंने स्वीकार नहीं किया । वर्षभर जो नोट नष्ट किये जाते है हमे उनकी संख्या को भी देखना है । मुझे बताया गया कि 400 करोड नोटों को नष्ट करना था । काम एकत्र होता जा रहा था । यदि पुरानी पद्धति पर चलते रहते तो 8, 9 वर्ष के समय में नोटों की संख्या दुगनी हो जाती । इन परिस्थितियों में इस नयी प्रक्रिया को अपनाना अच्छा समझा गया । निश्चय ही कुछ कारणोंवश यह प्रक्रिया अपनाई गई । रिजर्व बैंक के पास भी इस प्रक्रिया को अपनाने के कारण है । उन्हें अपने ग्राहकों की तथा बैंकों की सही रूप में सेवा करनी होती है ।

प्रो० मधु दंडवते : 100 रुपये के प्रत्येक बंडल में 50 से 60 तक नोट पुन: जारी किये जान सकने वाले पाये गये ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे आंकडों के अनुसार ऐसा नहीं है ।

प्रो० मधु दंडवते : मेरे पास इसके आंकडे है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया का ध्यान रखना चाहिए । मेरी अनुमति लेनी चाहिये थी । आप मेरी अनुमति के बिना ही बोल रहे है ।

श्री एस० बी० गिरी : आपने रिजर्व बैंक के कर्मचारियों द्वारा हडताल के नोटिस के बारे में कहा है और बताया है कि यह हडताल अवैध थी । आप किस आधार पर हडताल को अवैध बताते है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इसके कानूनी पहलू पर तर्क नही कर रहा हूँ । मैंने आपको इस संबंध में अपना मूल्यांकन बताया है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होनें अपना मत प्रकट किया है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य की बात का विरोध करता हूँ । वर्ष 1971 के बारे मे मैं उन्हें जानकारी दे सकता हूँ । एक रुपये के नोट जिनकी जांच की गई अथवा की जानी थी, 44,75,90,000 थे । फिर से जारी किये जा सकने वाले नोटों की संख्या 3600 थी और वास्तव में कम या अधिक पाये जाने वाले नोटों की संख्या केवल 65 थी । जाली नोट 51 थ । मैं वस्तुस्थिती का एक सही चित्र दे रहा हूँ ।

10 रुपये के 20,3040,000 नोटों की जांच की गई जिसमें फिर से जारी किये जा सकने वाले नोटों की संख्या 22,04,481 पायी गयी । कम या अधिक पाये गये नोटो की संख्या 903 थी और जाली नोट केवल 20 थे । वास्तविक आंकडे यही है । पता नहीं माननीय सदस्य ने अपने आंकडे कहां से प्राप्त किये है । वह अपने आंकडों को जांच कर सकते है ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं जांच करूंगा ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से सम्बन्धित मालवीय समिति के प्रतिवेदन की प्राप्ति

*85. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री मानसिंह गौरा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से कार्यकरण की जांच के संबंध में नियुक्त की गई मालवीय समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है, और

(ग) उस पर सरकार न क्या निर्णय लिया है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां,

(ख) प्रतिवेदन की मुख्य बातें दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सख्या एल० टी०** 3261/72]

(ग) इस समय प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समिति की नियुक्ति कब की गई थी तथा इसके निदेश पद क्या थे, और इसने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था ?

श्री एच० आर० गोखले : सबसे पहले जुलाई, 1971 में यह प्रस्ताव किया गया था कि एक पुनरीक्षण समिति गठित की जाए । तदुपरांत इस समिति की नियुक्ति की घोषणा संसद में की गई और इसकी नियुक्ति एक सरकारी कार्यकारी आदेश द्वारा की गई । श्री के० डी० मालवीय ने जोकि इस समिति के सभापति थे, 29 मई 1972 को अपना प्रतिवेदन प्रधानमंत्री के समक्ष पेश किया और इसी दिन मुझे भी प्रतिवेदन की एक प्रति दी गई । अतः हमें भी 21 मई, 1972 को प्रतिवेदन प्राप्त हो गया ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों पर कार्यवाही करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

श्री एच० आर० गोखले : निश्चित अवधी का बताना संभव नही है क्योंकि श्री के० डी० मालवीय ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया है और जैसी कि उनसे अपेक्षा की गई थी इसमें कई वित्तीय पहलुओं तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का स्वरूप बदलने इत्यादि पर विचार किया गया था। उन्होंने एक त्रिस्तरीय संगठन बनाने का सुझाव दिया है जिसमें निर्णय उच्चतम सरकारी स्तर पर किए जाएंगे ।

मैं केवल यही कह सकता हूं कि काम बडी शीघ्रता से किया जा रहा है और जब तक सरकारी उपक्रम समिति जिसने हमें निर्देश दिया है कि जब तक वह प्रतिवेदन की जांच नही कर लेती और अपनी राय नही देती तब तक हम उनकी सिफारिशों को लागू न करे। अपना प्रतिवेदन पेश नही करती हम कुछ नही कर सकते। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन पहले प्रस्तुत किया था अतः वह पहले इस प्रतिवेदन को जांच करेगी और हमारे विचार जानने के बाद इस पर अपनी राय देगी। उसी अवस्था मे हम मालवीय समिती की अंतिम सिफारिशों पर विचार करेंगे कि उन्हें कहां तक क्रियान्वित किया जा सकता है?

श्री एन० श्रीकांतन नायर : क्या यह सच है कि श्री के० डी० मालवीय ने अनुरोध किया है कि सरकार इसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर के तकनीकी विशेषज्ञों की एक उच्च-स्तरीय समिति से जांच कराये ताकि इसके तकनीकी पहलुओं की पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जा सके ।

श्री एच० आर० गोखले : जी हां, यह सुझाव दिया गया है। श्री के० डी० मालवीय ने पत्रकारों को बताया है कि वह तकनीकी सिफारिशों की जांच अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति से कराना चाहत है । श्री के० डी० मालवीय स्वयं इन मामलों के अच्छे विशेषज्ञ है । समिति में कई अन्य विशषज्ञ भी थे। यदि प्रतिवेदन की जांच के उपरांत अन्य विशेषज्ञों को सलाह लेनी आवश्यक समझी जाएगी तो हम इस बात पर भी विचार करेंगे ।

भारतीय तेल निगम द्वारा इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी के कार्य पर नियंत्रण

*87. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **पेट्रोलियत और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम बोर्ड द्वारा इंडो-बर्मा पेट्रोलियम और हाल ही में अर्जित अनेक सहायक कंपनियों के कार्य पर किस प्रकार का नियंत्रण रखा जा रहा है ;

(ख) क्या भारतीय तेल निगम ने बामेर लारी कम्पनी से, टेन्डर मांगे बिना, ग्रीस, विशेष उत्पाद और बेरल खरीदने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) मांगी गई सूचना का एक विवरण पत्र सभा के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है ।

विवरण

(क) भारतीय समवाय अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रत्येक कम्पनी का प्रबन्ध और उसका नियंत्रण उसके अपने निदेशक मण्डल (बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स) द्वारा किया जाता है जो कि मेमोरण्डम एण्ड आर्टिकल्स आफ एसोसियेशनस् के अनुसार चुने या मनोनित किये जाते है। इस अधिनियम में, आम सभाओं में शेयर होल्डरों को प्राप्त शक्ति को प्रयोग करने के अतिरिक्त मूल कम्पनी के द्वारा सहायक कम्पनी के निदेशकों क बोर्ड पर किसी प्रकार के पर्यवेक्षी रोल अदा करने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो भी, भारतीय समवाय अधिनियम, 1956 के खण्ड 214 के अन्तर्गत मूल कम्पनी द्वारा एक लेखा निरीक्षक नियुक्त किए जाने की व्यवस्था है। तदनुसार, भारतीय तेल निगम ने इण्डो बर्मा पैट्रोलियम कं० लिमिटेड (आई०बी०पी०) के लिये एक निरीक्षक (इन्सपेक्टर) की नियुक्ति की है। ऐसें ही प्रबंध बामर लारी एण्ड कं० लि० के लिये आई० बी० पी० जो कि इसकी मूल कम्पनी है, और निम्न चार सब्सीडियरीजके लिये बामर लारी एण्ड कं० लिमिटेड कर रही हैं --

(1) इण्डस्ट्रियल कण्टेनर्स लि०

(2) ब्रिज एंड रूफ कं० (इंडिया) लि०

(3) स्टील कन्टेनर्स लिमिटेड

(4) बीको लारी लि०

तदनुसार, आई० ओ० सी०--जो कि पूर्ण रूप सरकारी कम्पनी है--के बोर्ड आफ डाइरैक्टर्स को भारत सरकार ने मनोनीत किया है। आई० बी० पी० के बोर्ड आफ् डिरक्टर्स में वार्षिक आम सभाओ में शेयरहोल्डरो द्वारा चुने गए व्यक्ति हैं। इस समय आई०जी०पी० के बोर्ड में आई०ओ०सी० द्वारा नामित व्यक्ति है। (आई० ओ० सी० के 60 प्रतिशत से कुछ ही कम शेअर हैं और बाकी शेअर लगभग 2,000 प्राइवेट पूंजी लगाने वालों के)।

(ख) और (ग)--आई० ओ० सी० ने गत समय में, खरीदारी के मामले में दूसरी सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को तरजीह दी है। इस नीति के **अनुसरण में, गार्डन रीच वर्कशाप और भूसावल** आर्डनेन्स फैक्ट्री से बेरल **खरीदने के लिये मौजूदा** ठेका है। **पब्लिक टेण्डर मंगवाये विना ये ठेके किये गये थे**। इस नीति के विस्तार-स्वरूप, आई० ओ० सी० ने फैसला किया है कि एक वर्ष तक वह, बिना पब्लिक टेण्डर मंगाये ही, ग्रीज स्पेशेलिटीज और बैरल बायर लारी एंड कम्पनी लिमिटेट और उसकी दो सहायक कम्पनियों, धानी स्टील कण्टेनर्स लिमिटेड, बम्बई तथा इण्डस्ट्रियल कण्टेनर्स लिमिटेड, कलकत्ते स खरीदेगा। यह फैसला इस लिये किया गया है क्योंकि बामर लारी और इसकी सहायक (कम्पनियां) अब सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां बन गई हैं।

इन कारणों से, और इस तथ्य से कि आई० ओ० सी० को मूल्य-आधार प्राप्त होंगे, जिससे कि क्रय मूल्य को संरचना आई० ओ० सी० को मिल जायगी जिससें यह निश्चित हो सकेगा कि क्रय-मूल्य उचित हो, आई० ओ० सी० ने अपनी ग्रीजों, और बेरल की आवश्यकताओं को बामर लारी और उसकी सहायक कम्पनियों सें प्राप्त करने का फैसला किया है।

श्री एस० सी० सामन्त : विवरणी देखने से ज्ञात होता है कि गार्डन रीच वर्कशाप्स और भुसावल आर्डनेन्स फैक्टरी से बैरल इत्यादि खरीदने का ठेका पहले ही किया गया है। पब्लिक टेंडर मंगवाए बिना, ये ठेके किए गए थे क्योंकि ये लोग इस सम्बन्ध में एकाधिकारी सप्लायर हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि किस कीमत पर यह बैरल इत्यादि प्राप्त किए गए थे।

श्री एच० आर० गोखले : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या बामेर लारी कम्पनी से टेंडर मांगे बिना ग्रीस, विशेष उत्पाद और बैरल खरीदे गए थे जैसा कि मैंने विवरण में भी बताया गया है कि भारतीय तेल निगम ने खरीददारी के मामले में सदा सरकारी कम्पनियों को अन्य कम्पनियों की अपेक्षा प्राथमिकता दे दी है। बामेर लारी कम्पनी एक सरकारी उपक्रम है क्योंकि इसके 80 प्रतिशत से भी अधिक शेयर सरकारी क्षेत्र में है अत: सरकारी क्षेत्र को प्राथमिकता देने की हमारी नीति अभी बनी हुई है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने इसका अधिग्रहण किस प्रकार किया है ।

श्री एच० आर० गोखले : यह एक पृथक प्रश्न है । लेकिन सरकार का एक प्रकार से नियंत्रण सा होता है । सरकारी नियंत्रण में होने से हम लागत ढाँचे को जानने और मूल्यों को नियमित करने की स्थिति में होते हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : बामेर लारी कम्पनी को क्या कीमत अदा की गई है तथा बाजार में प्रचलित मूल्य क्या है ?

श्री एच० आर० गोखले : इस समय मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । मैं उनको बाद में यह आंकड़े दे दूंगा ।

डा० रानेन सेन : विवरण से ज्ञात होता है कि इंडो बर्मा पैट्रोलियम लि० में काफी संख्या में गैर सरकारी शेयर होल्डर हैं । क्या यह सच है कि बामेर लारी कम्पनी के 20 प्रतिशत शेयर अब भी गैर सरकारी शेयर होल्डरों के पास हैं ? क्या यह भी सच है कि बामेर लारी कम्पनी में डंकन बंधुओं के शेयर है और क्या समवाय कार्य विभाग में डंकन बंधुओं से अधिगृहीत किए गए शेयरों पर सरकार द्वारा कुछ आपत्ति की गई थी और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री एच० आर० गोखले : किस कम्पनी के पास कितने शेयर हैं इस सम्बन्ध में मेरे पास कच्चा सा चार्ट है । माननीय सदस्य ने इंडो बर्मा पैट्रोलियम लि० का उल्लेख किया है । इस लिमिटेड में भारतीय तेल निगम के 60 प्रतिशत तथा छोटे और गैर सरकारी विनियोजकों के लगभग 40 प्रतिशत शेयर हैं । पहले भारत-बर्मा पैट्रोलियम का बामेर लारी में अंशगत ब्याज लगभग 30 प्रतिशत था । इस प्रकार उनके शेयर बहुत कम संख्या में थे । अब यह कम्पनी एक सरकारी उपक्रम बन गई है । उस समय डंकन बंधुओं के पास लगभग 22.54 प्रतिशत शेयर थे और एलक्स लारी, जो मतदान अधिकारी आदि के प्रयोग के मामले में डंकन बंधुओं की प्रतिनिधि है, वही डंकन बंधुओं के ऐसोशियेट भी है, के पास 27.55 प्रतिशत शेयर थे और शेष 19.77 प्रतिशत शेयर विभिन्न शेयर होल्डर्स के पास थे । कम्पनियों का पुनर्गठन होने से पहले वास्तविक स्थिति इस प्रकार थी । इंडो-बर्मा पैट्रोलियम लिमिटेड के पास 30 प्रतिशत और डंकन बंधुओं के पास 50 प्रतिशत शेयर थे 19 प्रतिशत शेयर विभिन्न शेयर होल्डर्स के पास थे । अपने नियंत्रण में लेने के बाद हमने डंकन बंधुओं और एलक्स लारी के सारे शेयर ले लिए थे । इस प्रकार सरकार के पास लगभग 50.14 प्रतिशत शेयर हो गए थे जिसके परिणामस्वरूप बामेर लारी में अब हमारे 80.23 प्रतिशत शेयर हैं । इस प्रकार इस कम्पनी को नियोजित करने का बहुमत हमें प्राप्त हो गया है ।

श्री प्रबोधचन्द्र : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि सरकारी क्षेत्र में उत्पादन लागत अपेक्षाकृत अधिक है । क्या ऐसी स्थिति में सरकारी क्षेत्रों में जनता का धन लगाना अपव्यय नहीं है ?

श्री एच० आर० गोखले : माननीय सदस्य हमारी मूल नीति को चुनौती दे रहे हैं । हमारी नीति सरकारी उपक्रमों को सुदृढ़ बनाने की है ताकि वह और उन्नत हो सकें । यह सच है कि कुछ मामलों में उत्पादन लागत अधिक है पर साथ ही अन्य मामलों में उत्पादन लागत कम भी है । अतः यह धारणा कि सभी सरकारी उपक्रमों में उत्पादन लागत अधिक है और इस कारण इन क्षेत्रों में धन न लगाया जाए यह कहना, उचित नहीं है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच है कि सरकार ने डंकन बंधुओं से बामेर लारी कम्पनी के शेयरों को बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर खरीदा है ? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री एच० आर० गोखले : शेयर खरीदने के पीछे सरकार का स्पष्ट उद्देश्य इस बड़ी कम्पनी को अपने नियंत्रण में लेना था । इस समय यह कम्पनी अकेली नहीं है इसकी चार उपशाखाएँ भी हैं । यह महत्वपूर्ण सहायक कम्पनियाँ है जोकि अब भारत सरकार के नियंत्रण अधीन आ जाएंगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रश्न अत्यधिक स्पष्ट है मंत्री महोदय असंगत उत्तर दे रहे हैं ।

श्री एच० आर० गोखले : मैंने अभी अपना उत्तर समाप्त नहीं किया है । कुछ शेयर बाज़ार में उपलब्ध थे किन्तु वह बामेर लारी कम्पनी को अधिकार में लेने के लिए पर्याप्त नहीं थे और डंकन बंधुओं भी उन शेयरों को प्राप्त करने के इच्छुक थे किन्तु हमने उनके प्रयासों को विफल कर दिया है अतः उन्हें निराश होना पड़ा है । डंकन बंधु बामेर लारी कम्पनी को अपने अधिकार में लेना चाहते थे । उन्होंने सरकार से यह प्रस्ताव भी किया है कि जो कुछ शेयर सरकार के पास हैं वह उन्हें बेच दें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं और धैर्य नहीं रख सकता । कलकत्ता में बहुत बुरी स्थिति है ।

श्री एच० आर० गोखले : मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं, आप क्यों धैर्य खो रहे हैं ? मैं आपके प्रश्न के सभी पहलुओं का उत्तर दे रहा हूं ।

डंकन बंधु हमसे 160 रुपये पर प्रति शेयर खरीदने को तैयार थे किन्तु हम शेयर नहीं बेचना चाहते थे क्योंकि हम उस कम्पनी पर अपना पूर्ण अधिकार करना चाहते थे किन्तु जब यह प्रश्न हमारे समक्ष आया तो हमें मूल्य की ओर ध्यान देना पड़ा कि मूल्य क्या है । मेरे पास आंकड़े उपलब्ध है । डंकन बंधुओं को 95 रुपये प्रति शेयर अदा किए गए और जहाँ तक बामेर लारी को साम्य पूंजी का सम्बन्ध है, अलैक्स लारी को प्रत्येक शेयर के लिए 85 रुपये दिए गए । ऐसा मुख्यतः आर्थिक आधारों पर समवाय कार्य विभाग तथा वित्त मंत्रालय से परामर्श के उपरान्त किया गया और मेरे विचार में शायद यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया से भी इस सम्बन्ध में राय ली गई ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बाज़ार मूल्य क्या था ?

श्री एच० आर० गोखले : वह इस मूल्य से कम था किन्तु बाज़ार में शेयर मिल नहीं रहे थे बहुत कम संख्या में शेयर बज़ार में आ रहे थे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अध्यक्ष महोदय मुझे एक मिनट का समय दीजिए । मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहूँगा ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठे रहिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से हमारे संदेहों का निराकरण नहीं हुआ है । क्या यह किसी तरह सिद्ध किया जा सकता है कि शेयर बाज़ार में उपलब्ध नहीं थे अतः उन्हें प्राप्त करने हेतु सरकार को इस कारण से अधिक मूल्य अदा करना पड़ा ।

श्री एच० आर० गोखले : जैसा कि मैंने बताया, बाज़ार में शेयर उपलब्ध तो थे पर वह इतनी पर्याप्त संख्या में नहीं थे जिससे कि हमारा उद्देश्य हल होता अतः इस कारण हमने उन्हें खरीदा नहीं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : शेयर का बाजार मूल्य क्या था यह मंत्री महोदय ने नहीं बताया ।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है वह महत्वपूर्ण नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच नहीं है कि बामेर लारी को गत तीन वर्षों में ब्रिज एण्ड रुफ कम्पनी तथा अन्य व्यापारों में भारी क्षति हुई है और इसी कारण वह संस्था को बेच देने की कोशिश में थे, किन्तु उसे खरीदने को कोई तैयार नहीं था ? क्या यह भी सच नहीं है कि उनके शेयरों की कीमत घटते-घटते 62 रुपये प्रति शेयर तक आ पहुँची थी जबकि मूलतः उनका वास्तविक मूल्य 200 रुपये था और उनका कोई खरीददार नहीं था । क्या यह भी सच नहीं है कि सरकार ने एक मृतप्राय संस्था के शेयरों के लिए 90 रुपये से भी कुछ अधिक प्रति शेयर अदा किया है और साथ ही कम्पनी को प्रचलित बाज़ार मूल्य पर 50 प्रतिशत प्रीमियम भी अदा किया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप वक्तव्य दे रहे हैं। कृपया सीधे प्रश्न पूछिए।

श्री एच० आर० गोखले : मैं प्रश्न का पहले ही उत्तर दे चुका हूँ। शेयर केवल इस कारण नहीं खरीदे गए थे क्यों कि हमें खरीदने थे। हमारा उद्देश्य इस कम्पनी के साथ-साथ अन्य सहायक कम्पनियों को अपने अधिकार में लेने का था। ऐसा केवल डंकन ब्रदर्स तथा एलैक्स लॉरी के प्रमुख निधि-पत्र (होल्डिंग) लेकर ही प्राप्त किया जा सकता था। प्रश्न यह था कि इसे अधिकार में ले लिया जाये अथवा नहीं। हर दृष्टि से यह एक न्यायोचित मूल्य था... (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : बाज़ार में इसका क्या मूल्य लगाया गया था ? उन्होंने बाजार मूल्य का 50 प्रतिशत प्रीमियम दिया है और उन लोगों को 6-7 लाख रुपये का लाभ हुआ था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस मामले की पूरी जांच करने की आवश्यकता है। उन्होंने अत्यधिक मूल्य दिया है। आपको सारी पृष्ठभूमि का पता है; मुझे उनके नाम लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने कुछ बातें बताई हैं। मंत्री महोदय उनका खण्ड कर सकते हैं। यह मूल्य लगातार लगभग 66 रुपये लगाया गया था। उन्होंने उसी शेयर के 90 रुपये दिये। उस कम्पनी को भारी घाटा हो रहा था...

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मंत्री महोदय को भी उत्तर देने देंगे ? आप तो बोलते ही जा रहे हैं और मंत्री महोदय को बोलने ही नहीं दे रहे हैं।

श्री एच० आर० गोखले : यह बिलकुल सच नहीं है कि इन शेयरों का क्रय किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किया गया था। इन कम्पनियों का अधिग्रहण आर्थिक आधार पर किया गया था... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि उन्हें इस प्रकार बोलने नहीं दिया जाता है तो मैं मंत्री महोदय से कहूँगा कि वह प्रश्न का उत्तर न दें।

श्री एच० आर० गोखले : प्रश्न यह है कि उस समय बाज़ार में बहुत कम शेयर प्राप्त थे और इन शेयरों का मूल्य इनके क्रय मूल्य से बहुत कम लगाया गया था। शेयरों की केवल थोड़ी-सी प्रतिशतता से इस कम्पनी पर नियंत्रण नहीं हो सकता था। यह विश्वास करने का कारण भी मौजूद है कि गोइनका डंकन ब्रदर्स बाज़ार में हेरा-फ़ेरी कर रहे थे क्योंकि वे स्वयं हमारे शेयर खरीदने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने 160 रुपये देने का प्रस्ताव किया था जबकि हम 95 रुपये दे रहे थे। उनके प्रयास को विफल किया गया और हमने कहा कि हमें शेयर खरीदकर इसपर नियंत्रण करना चाहिये। माननीय सदस्य जानते है कि शेयर के मूल्य में किस प्रकार हेरा फेरी की जाती है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : उन्होंने अभी तक नहीं बताया है कि बाज़ार मूल्य क्या था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे प्रश्न बड़ा विशिष्ट है। बाज़ार में कितना मूल्य लगाया गया था और उन्होंने कितने मूल्य पर खरीदा ?

श्री एच० आर० गोखले : मैंने सभी आंकड़े दे दिये हैं। क्या किसी बात को बार-बार कहने का कोई तात्पर्य होता है ?

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न को दोहराते हैं। मंत्री महोदय ने इसी प्रश्न का निश्चय रूप से उत्तर दे दिया था। यदि वह प्रश्न दोहराते हैं तो मंत्री महोदय भी प्रश्न काल के समाप्त होने तक उसका उत्तर दोहराते रहेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने बाज़ार में लगाये गये मूल्य के बारे में नहीं बताया है।

श्री एच० आर० गोखले : मैं आपको पुनः बता दूं कि बाज़ार में बहुत कम शेयर उपलब्ध थे और उन का मूल्य 95 रुपये, जो कि वस्तुतः हम ने दिया, से कम था ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मूल्य क्या था ?

अध्यक्ष महोदय : आप थोड़ा धैर्य क्यों नहीं रखते ? आप प्रश्न पूछते हैं और उन्हें उत्तर भी नहीं देने देते ।

श्री एच० आर० गोखले : आंकड़े कम-अधिक होते रहते थे । यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं उन्हें यह जानकारी दे दूंगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : आपने तो सारे समय पर एकाधिकार जमा रखा है । उनका कहना है कि उनके पास इस समय जानकारी नहीं है और वह आपको भेज देंगे ।

श्री पीलू मोदी : यह बात तो थी बाज़ार मूल्य की । विक्रय मूल्य के बारे में तो उन्हें सही-सही पता होगा । उसपर तो बाज़ार में उतार-चढ़ाव नहीं आता ।

श्री एच० आर० गोखले : बाज़ार में उपलब्ध कुछ शेयरों के मूल्य उससे कम थे जितने कि हमने अदा किये । हमने डंकन बंधुओं को 95 रुपये तथा एलैक्स लारी को 85 रुपये दिये । एक बार तो स्वसं डंकन ब्रदर्स ही शेयरों को 160 रु० के भाव से खरीदने को तैयार थे जब कि हमने 85 रु० और 95 रुपये दिए । बाज़ार के अन्दर वस्तुतः भाव इतने कम लगाये गये थे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : स्वयं मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आंकड़ों के आधार पर क्या यह सच है कि डन्कन ब्रदर्स ने इन शेयरों को इतना महत्वपूर्ण समझा कि प्रति शेयर 160 रुपये तक लगा दिये ताकि सरकार के शेयरों को भी खरीद ले । मगर इस संबंध में मंत्री महोदय क्या स्पष्टीकरण देंगे कि फिर डन्कन ब्रदर्स सरकार के 85 रु० तथा 95 रुपये लगाने पर ही अपने शेयर छोड़ने को तैयार हो गये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह तो एक गप्प है ।

श्री एच० आर० गोखले : उस पेशकश और इस खरीद के बीच काफ़ी समय बीता जब उन्हें पता लगा कि वे इस कंपनी को हथियाने के अपने प्रयास में सफल नहीं हो सकेंगे और उधर हम दृढ़ रहे कि हम उसे लेकर ही रहेंगे । तब उन्होंने शेयर छोड़ दिये ।

पाकिस्तान में भारतीय युद्धबंदियों को सुविधायें

***88. श्री निहार लास्कर :**

श्री वेकारिया :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में भारतीय युद्धबंदी उतने ही आराम से हैं जितने कि पाक युद्धबन्दी भारत में हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई पूछताछ की है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) : रेडक्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति से प्राप्त सूचना नुसार पाकिस्तान में भारतीय युद्धबन्दियों के साथ जीनिवा समझौते में दिये युद्धबन्दियों के साथ किये जाने वाले व्यवहार के अनुरूप व्यवहार किया जा रहा है। सरकार द्वारा कई बार पूछताछ किये जाने पर रेडक्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति ने उक्त बात की पुष्टि की है।

श्री निहार लास्कर : क्या पाकिस्तान में भारतीय युद्धबन्दियों के रिश्तेदारों को उन से कोई पत्रादि प्राप्त हो रहे हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी हां। पाकिस्तान में भारतीय युद्धबन्दियों की ओर से प्राप्त डाक नियमित रूप से भारत में उनके संबंधियों को पहुंचाई जा रही है। इसी प्रकार भारत में पाकिस्तानी युद्धबन्दियों की डाक भी पाकिस्तान भेजी जा रही है।

Shri Atal Bihari Vajpaee : Is it trve that All India Radio is broadcasting the messages of Pakistani POWs to their relation is Pakistan and has been telling them that they are being kept here properly ? May I known whether such broadcasts are being made by Pakistan also?

Shri Vidya Charan Shukla : We had inquired into it. It was said that such broadcaosts were coming from Pakistan also and the Messages were being transmitted. But I am not aware whether they also transmit and broadcast messages in the same manner as we do. I shall collect the information and lay it on the Table of the House.

Shri Atal Bihari Vajpayee : They are not doing it.

Shri Vidya Charan Shukla : I shall find out.

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : क्या दिसम्बर के युद्ध से पूर्व युद्धबन्दी बनाये गये कुछ भारतीय सैनिकों को अभी तक पाकिस्तानी कैद में रखा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही की है कि उनके साथ भी युद्धबन्दियों के जैसा ही व्यवहार किया जाये ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं वस्तुत: विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि वहां कोई ऐसे सैनिक भी है जिन्हें पाकिस्तान अपने 3 दिसम्बर के आक्रमण के पहले पकड़ कर ले गया हो। परन्तु यदि वहां पर कोई है तो मुझे विश्वास है कि उनके साथ भी उन्हीं युद्धबंदियों की तरह व्यवहार किया जा रहा होगा जैसा कि आक्रमण के समय युद्धबन्दी बनाकर ले जाये गये सैनिकों के साथ हो रहा है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मंत्री महोदय इसका पता लगा लें क्योंकि मुझे पता है कि वह ठीक नहीं कह रहे हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : बहुत से भारतीय युद्धबन्दी बीमार हैं। उन्हें स्वदेश वापस लाने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य जानते हैं कि जो बन्दी गंभीर रूप से बीमार हैं उनका रेड क्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति के द्वारा आदान-प्रदान किया जाता है। पहले से चली आ रही प्रक्रिया के अनुसार बीमार और गंभीर रूप से घायल बंदियों का आदान-प्रदान किया जाता है। परन्तु हमारी जानकारी के अनुसार ऐसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं हुई है।

श्री डी० बसुमतारी : अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से मिली जानकारी के अतिरिक्त क्या उन्होंने पाकिस्तान से आये युद्धबन्दियों से इस बारे में कुछ पता लगाया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी हां। हमने उन युद्धबंदियों से पता लगाया है जो पाकिस्तान से वापस आये हैं। मोटे तौर पर उन्होंने वही बातें बताई हैं जो कि रड क्रॉस की अन्तर्राष्ट्रीय समिति ने बताई थी।

एक पर्यटन बोर्ड की स्थापना

*89. †श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक पर्यटन बोर्ड स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बोर्ड के मुख्य कृत्य क्या होंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) मेरी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड का गठन 25 मई, 1972 को किया गया था ?

(ख) बोर्ड के मुख्य कार्य पर्यटन के आधारभूत उपादानों का इसके सभी पहलुओं से सुधार करने से संबंधित मामलों पर पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय को परामर्श देना, तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में पर्यटन की योजनाओं एवं क्रियाकलापों का समन्वय करने के लिये उपाय सुझाना होंगे ।

श्री राम शेखर प्रसाद सिंह : इस बोर्ड में कितने सरकारी सदस्य हैं तथा कितने गैर-सरकारी सदस्य हैं ?

डा० कर्ण सिंह : अध्यक्ष रूप में मेरे अतिरिक्त मेरे सहयोगी राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष है । इसके अतिरिक्त 9 सरकारी सदस्य हैं तथा 5 गैर-सरकारी सदस्य हैं ।

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह : सरकारी सदस्यों तथा गैर-सरकारी सदस्य कौन-कौन हैं ?

डा० कर्ण सिंह : श्रीमन्, क्या मैं सभी नाम पढ़ दूं ? राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड का ध्येय वस्तुत: दो कार्य करना है । उनमें से एक पर्यटन संबंधी भारत सरकार की विभिन्न सभी एजेन्सियों की गतिविधियों का समन्वय करना है । अत: हमने अपने मंत्रालय के सचिव, वित्त सलाहकार, भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष, पर्यटन से संबंधित रेलवे बोर्ड के सदस्य, एयर इण्डिया, इण्डियन एयर लाइन्स, पुरातत्व विभाग के महानिदेशक—क्योंकि पुरातत्व विभाग का भी पर्यटन से बहुत निकट का संबंध है,—पर्यटन संबंधी कार्य के लिये अन्तर्राज्य परिवहन आयोग के अध्यक्ष तथा पर्यटन विभाग के महानिदेशक को इस में रखा है ।

अत: इस बोर्ड में पर्यटन तथा इस से संबंधित गतिविधियों वाली भारत सरकार की सभी एजेन्सियों को शामिल कर लिया है ।

इसके अतिरिक्त 5 गैर-सरकारी सदस्य हैं जिन्हें उनके पर्यटन के ज्ञान के आधार पर चुना गया है । एक श्री अजीत केरकर हैं जो कि इस समय फ़ेडरेशन ऑफ़ होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया के अध्यक्ष हैं, दूसरे श्री रमेश थापर हैं जो कि भारत पर्यटन विकास निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, तीसरे श्री इन्द्र शर्मा हैं जो कि एक प्रमुख ट्रेवल एजेन्ट हैं श्री सोम बेनेगल विज्ञापन क्षेत्र से हैं और श्री यशवन्त सिंह डिजाइनिंग क्षेत्र के हैं ।

हमने इन पांच गैर-सरकारी सदस्यों का चुनाव किया है ताकि पर्यटन बोर्ड के कार्यकरण में विशेषज्ञता बृहत्तर क्षेत्र तथा नये विचारों का समावेश हो सके ।

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह : सूची से पता चलता है कि इस बोर्ड में विशेषज्ञ हैं । क्या सरकार के पास इसमें संसद् सदस्यों तथा ऐसे अन्य लोगों को भी शामिल करने का कोई प्रस्ताव है जो कि देश के विभिन्न भागों में यात्रा करने वाली जनता तथा पर्यटकों के साथ अपने अनुभव तथा विचार उक्त मंडल को दे सकें ?

डा० कर्ण सिंह : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं मेरे मंत्रालय से संलग्न एक सलाहकार समिति है जिसमें संसद सदस्य भी हैं उस समिति में 40 संसद सदस्य हैं। फिर पर्यटन विकास परिषद है जिसमें सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है। उसमें भी 9 संसद सदस्य हैं यह बोर्ड वस्तुतः ऐसे लोगों का छोटा-सा संगठन है जो सीधे रूप में सरकारी अथवा गैर-सरकारी रूप में पर्यटन के विकास से संबद्ध हैं।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि प्रायः सभी राज्यों में राज्य सरकार पर्यटन एजेन्सियां है और इनमें तथा पर्यटन बोर्ड में परस्पर इतना भी समन्वय नहीं है कि कई बार उनमें परस्पर विरोध पदा हो जाता है और यदि हां, तो इस प्रकार की स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्य-वाही करने का है।

डा० कर्ण सिंह : परस्पर विरोध का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि यह बोर्ड तो कठिनाई से कुछ ही मास पूर्व गठित हुआ है। समन्वय तो राज्यों के मध्य होगा। जैसा कि मैं ने कहा है पर्यटन विकास निगम नामक एक अन्य बड़ा निकाय है जिसमें राज्य पर्यटन मंत्रियों का प्रतिनिधित्व है और उसमें संसद-सदस्य भी हैं। अतः उसमें सदैव ही समन्वय रहता है। दोनों निकायों में परस्पर विरोध का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उनके तो उद्देश्य ही सर्वथा भिन्न हैं।

मैसूर को अतिरिक्त ऋण देना

*91. †**श्री पम्पन गौडा** :

श्री सी० के० जाफर शरीफ:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मैसूर सरकार को चालू योजना की उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 105 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण देने का आश्वासन दिया था ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त धनराशि में कटौती कर दी है ; और

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और इसमें कितनी कटौती की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चौहान) : (क) से (ग) : चौथी आयोजना की अवधि के आरम्भ में योजना आयोग द्वारा किये गये निर्धारण के अनुसार, मैसूर के साधनों में कुल 105.72 करोड़ रुपये की कमी रहने का अनुमान था, जिसमें 60.50 करोड़ रुपये की कमी आयोजना खाते में और 45.22 करोड़ रुपये की कमी आयोजना-भिन्न खाते में थी। राज्य सरकार को दी जाने वाली विशेष सहायता की मात्रा, पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों और अनिवार्य आयोजना-भिन्न वचनों के सम्बन्ध में योजना आयोग के निर्धारण, आयोजना-भिन्न व्यय में मितव्ययता की गुंजाइश, राजस्व और कर संग्रह में सुधार के लिए किये गये प्रयत्नों और बजट सम्बन्धी अन्य साधन संग्रह को हिसाब में लेने के बाद हर वर्ष निश्चित की जानी थी।

योजना आयोग दवारा किये गये सबसे पहले हाल के निर्धारण में यह बताया गया है कि हालांकि मैसूर सरकार अपने राज्य को चौथी आयोजना के लिए 60.50 करोड़ रुपये की विशेष सहायता प्राप्त कर सकेगी, लेकिन अब उसे आयोजना-भिन्न खाते में विशेष सहायता प्राप्त करने का हक नहीं होगा।

श्री पम्पन गौड़ा : चौथी योजना के आरंभ में मैसूर को योजना तथा गैर-योजना संबंधी मदों के लिये विशेष रूप से 105 करोड़ रुपये दिये गये थे। अब सरकार ने अपनी नीति अथवा विचार पूरी तरह बदल दिये है और कह रही है कि मैसूर 45 करोड़ रुपये की लागत की गैर-योजना मदों का अधिकारी ही नहीं है। क्या मैं इस परिवर्तन का कारण जान सकता हूँ ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जैसा कि मैंने स्पष्ट किया है योजना की समीक्षा के पश्चात यह पाया गया कि गैर-योजना व्यय वस्तुतः दो प्रमुख मदों से स्पष्ट था जिनमें एक तो राज्य सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देना था जो कि संभवतः न्यायोचित रहा हो, और दूसरी मद कावेरी नदी पर होने वाला व्यय था जो कि अब एक विवादास्पद मामला है। योजना की समीक्षा के पश्चात यह पाया गया था कि भारत सरकार को ओर से विशेष अनुदान दिये जाने के लिये, बिना योजना का कोई गैप नहीं आया था। यह योजना आयोग का मूल्यांकन था और तदनुसार ही ऐसा किया गया है।

श्री बी० वी० नायक : यदि केन्द्र सरकार काली पन-बिजली परियोजना पर 175 करोड़ रुपये की लागत का पूरा वित्तीय दायित्व अपने ऊपर लेते तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ? क्या इससे मैसूर राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति कुछ सरल नहीं हो जायेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : निश्चय ही इससे मैसूर राज्य सरकार को वित्तीय राहत मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री वी० के० आर० वी० राव।

श्री बी० वी० नायक : मेरे प्रश्न का उत्तर अभी शेष है श्रीमन्। मेरा प्रश्न यह था कि क्योंकि काली पन-बिजली परियोजना का पूरा खर्च केन्द्र सरकार वहन करेगी और इसे एक केन्द्रीय परियोजना के रूप में पूरा किया जायेगा, और इसमें मैसूर राज्य का कोई दायित्व नहीं होगा तो क्या उससे निरन्तर वित्तीय संकट में चली आ रही मैसूर राज्य सरकार का वित्तीय संकट दूर नहीं हो जायेगा ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : सच कहिये तो यह कोई केन्द्रीय परियोजना नहीं होगी परन्तु हम इस योजना के लिये वित्तीय ऋण अवश्य देंगे। स्वाभाविक है कि इस से मैसूर बजट में राहत मिलेगी। यही बात मैंने कही है।

डा० वी० के० आर० वर्दराज राव : वित्त मंत्री ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने योजना आयोग की सलाह पर 45 करोड़ रुपये का गैर-योजना अनुदान देना उचित नहीं समझा है। वित्त मंत्री के उक्त वक्तव्य से तो मैं यही अर्थ लेता हूँ कि दोनों मदों अर्थात कावेरी पर खर्च तथा महंगाई भत्ते की अदायगी पर खर्च ऐसे खर्च हैं जोकि मैसूर सरकार के सामने आये आर्थिक तथा राजनैतिक दबावों के प्रकाश में टलने योग्य नहीं हैं . . .

एक माननीय सदस्य : कर्नाटक।

डा० वी० के० आर० वर्दराज राव : ठीक, कर्नाटक सरकार। यदि ये खर्च टल नहीं सकते तो क्या योजना आयोग यह भी देखेगा कि क्या इस राज्य के पास अपने साधन है जिनके द्वारा यह अपने सुयोजित आर्थिक विकास कार्यक्रमों को प्रभावित किये बिना इस बिना-योजना वाले गैप को पूरा कर सकेगा ? यह मेरा पहला प्रश्न है। क्या मैं दूसरा प्रश्न पूछ सकता हूं। **(व्यवधान)**

श्री सतपाल कपूर : यह नये सदस्य हैं।

डा० वी० के० आर० वर्दराज राव : मैं हमेशा ही नया सदस्य रहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : जब आप मंत्री थे, उस समय क्या आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया करते थे ?

डा० वी० के० आर० वर्दराज राव : मंत्री को उतनी स्वतंत्रता नहीं होती जितनी कि एक सदस्य को होती है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : प्रश्न का दूसरा भाग।

डा० वी० के० आर० वर्दराज राव : उसी प्रश्न का दूसरा भाग यह था। मेरी यह धारणा थी कि प्रधान मंत्री ने 105 करोड़ रुपये की राशि की जो विशिष्ट व्यवस्था की थी वह वित्त मंत्री द्वारा अभी बताये गये घाटे की ब्यौरेवार जांच पर आधारित न होकर इस बात पर आधारित थी कि पांचवें वित्त आयोग ने मैसूर, अब कर्नाटक, राज्य के साथ अन्याय किया था और उसी का घाटा पूरा करने के लिए यह राशि उसे दी गई थी।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उनके प्रश्न का दूसरा भाग यह था कि क्या प्रधान मंत्री ने किसी निश्चित राशि के लिए वचन दिया था। निश्चय ही आरम्भ में यह अनुभव किया गया था कि पांचवें वित्त आयोग ने मैसूर राज्य की सभी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए यह संकेत दिया गया था कि यदि योजना खर्च और गैर-योजना खर्च में कोई अन्तर होगा तो उसे पूरा कर दिया जायेगा। किन्तु संसद में प्रधान मंत्री और भूतपूर्व राज्य मंत्री ने मार्च-अप्रैल 1970 में बजट पर चर्चा के दौरान निम्नलिखित कुछ सिद्धान्त निश्चित किये थे। माननीय सदस्य इन पर ध्यान दें :

(क) प्रत्येक राज्य के लिए योजना परिव्यय की आवश्यकता का औचित्य।

(ख) वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत पिछड़ेपन का प्रभाव।

(ग) केन्द्र द्वारा जुटाये गये अतिरिक्त संसाधनों के परिणामस्वरूप प्रत्येक राज्य को होने वाला लाभ।

(घ) राज्य सरकारों पर शेष रहे ऋण के भुगतान को ध्यान में रखते हुए उनकी आर्थिक स्थिति। और

(ङ) राज्य सरकारों का अपने संसाधनों को सुरक्षित रखने और उनको उपयोग में लाने के लिये प्रयास।

योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के समय जब इन बातों पर विचार किया गया था तो यह पता लगा कि मैसूर के योजना और गैर-योजना खर्च में अन्तर के लिए मुख्य रूप से दो बातें जिम्मेदार थीं। अब यह प्रश्न अलग है कि कहां पर क्या राजनीतिक बाध्यताएं थीं।

डा० वी० के० आर० वर्दराज राव : आर्थिक बाध्यताएं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह हो भी सकता है। जो भी राजनीतिक बाध्यताएं रही हो कभी-कभी वे आर्थिक बाध्यताएं बन जाती हैं। आर्थिक बाध्यता भी राजनीतिक बाध्यता ही होती है। यह सच है। लेकिन बात यह है कि ऐसी विवशता प्रत्येक राज्य के सामने हो सकती है। यह नहीं कहा जा सकता कि यह स्थिति केवल मैसूर राज्य के सामने ही है। अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने का प्रश्न और उसके लिए वचनें देना अखिल भारतीय समस्या है। एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा। यह छठे वित्त आयोग के निर्देश-पदों में सम्मिलित है।

एक अन्य प्रमुख मद कावेरी परियोजना थी। उससे सम्बन्धित राजनीतिक बाध्यताओं से आप अवगत हैं। अतः योजना आयोग इतने बड़े खर्च की स्वीकृति का वचन नहीं दे सकता। योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के समय इन दोनों मदों पर विचार किया गया था और इन्हें गैर-योजना मद मानते हुए सरकार ने विशेष अनुदान देने की बात नहीं मानी थी। किन्तु साथ ही मैंने और तत्कालीन योजना मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम ने मैसूर राज्य की समस्याओं के बारे में वहां के वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री से कई बार बातचीत की थी। हमने उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनके समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ष के लिए जो राशि केन्द्र द्वारा दी जानी है वह दी जा रही है। यह राशि लगभग 10 करोड़ रुपये की थी जो बढ़ाकर लगभग 11 करोड़ रुपये कर दी गई थी। साथ ही ओवर ड्राफ्ट की अधिकतम सीमा से अधिक राशि के मामले में भी विशेष रियायत बरती गई थी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

विदेशी तेल कंपनियों के साथ हुए समझौतों का पुनरीक्षण

*81. **श्री सरजू पांडे :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशी तेल कंपनियों के साथ हुए तेल शोधन संबंधी वर्तमान समझौतों के पुनरीक्षण के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं ; और

(ग) इन निर्णयों के अनुसरण में क्या ठोस कार्यवाही की गयी है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) से (ग) बातचीत द्वारा परिष्करणशाला करारों के संशोधन अथवा विदेशी तेल कम्पनियों के विपणन तथा परिष्करणशाला परिचालनों के अधिकांश शेयरों का अर्जन करना आदि विभिन्न वैकल्प, जो सरकार के पास है, का बहुत विस्तृत अध्ययन किया गया है। अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

मथुरा (उत्तर प्रदेश) में तेल शोधक कारखाना स्थापित करना

*82. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री अर्जुन सेठी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत का सब से बड़ा तेलशोधक कारखाना मथुरा में स्थापित करने जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा गया है।

विवरण

उत्तर-पश्चिमी परिष्करणशाला प्रायोजना की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :—

(1) परिष्करणशाला की उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 6 मिलियन मीटरी टन होगी तथा देश में यह सबसे बड़ा तेल परिष्करणशाला होगा। आशा है कि आयातित अशोधित तेल के परिशोधन के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 40 करोड़ रुपये की बचत होगी।

(2) परिष्करणशाला की अशोधित तेल की आवश्यकता को आयात से पूरा किया जायेगा। परिष्करणशाला 32°-36° ए० पी० आई० के घनत्व के मध्य-पूर्व अशोधित तेल की अनेक किस्मों को परिशोधित करने के लिए रुपांकित होगी।

(3) आयात किए जाने वाले अशोधित तेल कच्छ की खाड़ी में प्राप्त होगा जहां सिंगल बॉई मूरिंग (नौबन्ध) की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहां से अशोधित तेल तट स्टेशन पर लाया जायेगा तथा वहां से पाइपलाइन के माध्यम से (लगभग 1,200 किलो मीटर लम्बा) मथुरा परिष्करणशाला में लाया जायेगा।

(4) आशा है कि परिष्करणशाला मोटर स्प्रिट, नैफथा, हाई स्पीड डीजल आयल, लाईट डीजल आयल, मट्टी का तेल (जिसमें उर्वरक के संभरण सामग्री सम्मिलित है) एल० पी० जी० एवं बिटूमैन का उत्पादन करेगी।

(5) परिष्करणशाला के पास अपनी कैपटिव पावर जनरेशन यूनिट होगी जो परिष्करणशाला को विद्युत एवं भाप संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। दुत्रगामी स्थिति एवं निपटान सुविधाओं के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की जायगी।

(6) परिष्करणशाला पाइपलाइन, अपतट स्टेशन एवं तटपर सुविधाओं पर लगभग (उपनगर को छोड़कर) कुल खर्च की राशि 161.15 करोड़ रुपये होगी।

(7) परिष्करणशाला प्रायोजना की एक मुख्य विशेषता यह होगी कि एक मिलियन टन हाइड्रो-क्रैकर को अधिक कीमती मिडिल डिस्टिलेट में भारी तेल के बदलने की व्यवस्था होगी जिसके लिए उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में अत्यधिक मांग है।

(8) आशा है कि अपतट एवं पाइपलाइन सुविधाओं के साथ परिष्करणशाला उद्योग समूह से 1,300 लोगों को रोजगार मिलेगा।

(9) सन् 1971 तक परिष्करणशाला के चालू हो जाने की आशा है।

Reduction in value of Indian Rupee

***84. Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Indian rupee has been reduced to just 40 per cent of the value on account of rising prices after Independence; and

(b) if so, the steps being taken by Government in the matter?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan): (a) The value of currencies with reference to specific points of time is usually measured in terms of the reciprocal of the indices of consumer prices. For India, the All-India Consumer Price Index for Industrial Workers with the year 1949 as the base, may be taken as the most suitable Index for this purpose. Table I gives the necessary facts on this basis. Comparable figures for other countries are givaen in Table II. It will be seen tnat the tendency for the purchasing power of the national currencies to decline substantially over a long period of 25 years or so, is a general world-wide phenomenon.

(b) the need for maintaining stability of prices has been recognised in our development plans; the objective of the Fourth Five Year Plan, in particular, has been growth with social justice in conditions of price stability. The various programmes of agricultural and industrial growth aim at augmenting the supply of commodities and services, and thereby, to achieve some measure of improvement in the living standards of the people. The Government's fiscal policy is directed towards raising resources for growth, and meeting the expenditure on socio-economic programmes, in a noninflationary and equitable manner. At the same time, it has been the endeavour of the Government to keep non-Plan expenditure to the minimum possible. Deficit financing has been resorted to on a planned basis, save in exceptional circumstances such as meeting the heavy expenditure on account of three armed conflicts, the burden of heavy influx of refugees from Bangla Desh, and financial assistance to State Governments for flood and famine relief. The credit policy has been geared to prevent misuse of bank funds for speculative purposes.

The Government has also been taking various administrative measures to curb speculative activity, remove shortages, through imports if necessary, and ensure adequate supply and equitable distribution of essential commodities at reasonable prices. Price and distribution controls have been imposed, whenever necessary, under the Essential Commodities Act and other enabling legislation. The Civil Supplies Organisation at the Centre and similar organisations at the States' level keep a regular watch on the supply and prices of 20 essential commodities, and make arrangements with manufacturers dealers to remove local shortages. Price fixation of important commodities is undertaken from time to time with the help of such bodies as the Tariff Commission and the Bureau of Industrial Cost and Prices.

In order to safeguard the interests of the common man the Government has been operating a public distribution system for major foodgrains and sugar and action is being taken to extend the coverage of the same.

TABLE I

All India Consumer Price Index for Industial Wokers

(*Base* ; 1949—100)

Year	Index	Purchasing power of Indian Rupee as compared to 1949 (per cent)
1950	101	99.1
1956	105	95·2
1962	130	76·9
1963	134	74·6
1967	209	47·8
1968	215	46·5
1969	213	46·9
1970	224	44·6
1971	230	43·5
1972 (Average of five months)	236	42·4

TABLE II

Purchasing power of the currencies of Selected Countries in 1971 as compared to 1948 (per cent)

Countries	Purchasing power (%)
1. Australia	38·6@
2. Canada	56·2
3. France	28·3
4. Germany	64·6@
5. India	41·4
6. Italy	48·5
7. Japan	31·0
8. The Netherlands	41·7
9. New Zealand	37·3
10. Sweden	39·3
11. Switzerland	60·0
12. Thailand	50·4
13. U. K.	39·2
14. U. S. A.	59·1
15. Yugoslavia	23·4†

@Compared to 1949.
†Compared to 1951.

जीवन बीमा निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में पूंजी-निवेश

*86. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास में विषमता को दूर करने के लिए जीवन बीमा निगम उत्तर प्रदेश में अधिक पूंजी लगाने के लिए कदम उठा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उत्तर प्रदेश में पूंजी लगाते समय जीवन बीमा निगम क्या मापदण्ड अपनाएगा ; और

(ग) क्या जिला फैजाबाद के लिए भी कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जीवन बीमा निगम की नीति ही यह है कि इसकी पूंजी लगाने से समाज को समग्र रूप से लाभ पहुंचे और निगम, अपनी इस नीति के अनुरूप ही पूंजी लगाने के अवसरों में जहां तक गुंजाइश होती है, उस सीमातक अपने निवेशों को देश भर में पर्याप्त तौर पर फैलाने और क्षेत्रीय विषमता दूर करने की कोशिश करता है। पिछले वर्षों में जीवन बीमा निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में किये जाने वाले नये निवेशों में काफी वृद्धि हुई है।

(ग) जिला स्तर पर, जीवन बीमा निगम का प्रत्यक्ष सम्बन्ध आम तौर पर जलपूर्ति और मल निकास योजनाओं के लिये नगरपालिकाओं को दिये जानेवाले ऋणों के रूप में, तथा सहकारी औद्योगिक समूहों को और सहकारी चीनी (sugar) कारखानों को दिये जाने वाले ऋणों के रूप में आता है। इनके लिए सामान्यत. सम्बन्धित राज्य सरकारों से समर्थन की आवश्यकता होती है। जीवन बीमा निगम को उत्तर प्रदेश सरकार से फैजाबाद जिले के सम्बन्ध में अभी तक कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

Strike by R. B. I. Employees in regard to burning of Defective Notes

*90 **Shri R. V. Bade :**

Shri Mohamad Ismail :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Reserve Bank Employees went on a country-wide strike during June, 1972;

(b) the policy of Government in regard to the burning of one rupee and two-rupee defective notes; and

(c) the demands of the employees who went on strike ?

The Minister of **Finance Shri (Y. B. Chavan)** : (a) to (c) The Bombay Unit of the Reserve Bank of India Employees Association went on strike in pursuance of the demand that the modified procedure, in vogue since 1964, for disposal of a portion of the soiled notes in the denominations of Re. 1 and Rs. 2, Rs. 5 and Rs. 10 should be abandoned.

About 750 Class III and about 1800 Class IV employees working in the Reserve Bank of India and its associate institutions in Bombay and most of the 9300 Class III employees at other offices abstained from work, as per the details given below :—

(1) Byculla Office .	Total strike by Class II employees from 16th to 30 th June, 1972 and strike by Class IV employees on the 29th June, 1972.
(2) Fort Office, Bombay	. Total strike by Class III employees from 17th to 30th June, 1972 and strike by Class IV employees on the 29th June. 1972.

(3) Other major offices of the Bank excluding Hyderabad and Trivandrum.	There was a strike of Class III employees only on 29th June, 1972, with mass late attendance on one or more days during the period between the 17th June and the 30th June, 1972.

Under the Reserve Bank of India Act, 1934, it is the function of the Reserve Bank of India as the Central Bank of the country to issue and re-issue bank notes. Hence, the Reserve Bank of India as the authority entrusted with the management of the currency of the country determines the procedures in regard to the destruction of spoiled notes.

"दि हिन्दुस्तान टाइम्स" नई दिल्ली को इमारत बनाने के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा मंजूर किया गया ऋण

*92. **श्री वयालार रवि :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' को नई दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग पर इमारत का निर्माण करने के लिए 50 लाख रुपये का एक ऋण मंजूर किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह ऋण किन शर्तों पर मंजूर किया गया है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 'हिन्दुस्तान टाइम्स' द्वारा इस इमारत का स्वामित्व एक प्राइवेट पार्टी को हस्तान्तरित कर दिया गया है अथवा किया जाने वाला है ; और

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) हिन्दुस्तान टाइम्स लिमिटेड को ऋण, 1967 में, उनकी 1/2-बी०, पूसा रोड और 18/20, कस्तुरबा गांधी रोड, नई दिल्ली में स्थित सम्पत्तियों के प्रथम कानूनी बंधक पर मंजूर किया गया था । इस ऋण पर ब्याज की दर 9 प्रतिशत है, जिसमें से समय पर अदायगी करने पर एक प्रतिशत की छूट दी जाती है; और यह ऋण 31 मई, 1969 से शुरू करके 12 वर्ष की अवधि में वापस अदा किया जाना है ।

(ग) सरकार को इस बारे में कोई सूचना नहीं है ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

आई० एन० एस० नीलगिरी

*93. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर ।**

श्री के० लक्कप्पा :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में मज़गांव डाक लिमिटेड में बना भारत का प्रथम युद्धपोत आई० एन० एस० नीलगिरी भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी लड़ाकू शक्ति होगा ; और

(ख) यदि हां, तो नौसेना के लिए यह किस हद तक सहायक होगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : आई० एन० एस० नीलगिरी विविध उद्देश्य फ्रीगेट है और यह हमारी नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगा।

विभिन्न श्रेणियों के युद्धपोतों का विभिन्न कार्य है। अतः, प्रश्न में उठाए गये प्रसंग के अनुसार इसका कोई तुलनात्मक मूल्यांकन करना ठीक नहीं होगा।

भारत-बांगला देश सीमा पर तस्करी

*94. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जून, 1972 के 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत-बंगला देश सीमा पर तस्करी करने वाले अधिक सक्रिय हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां। भारत-बंगला देश सीमा पर तस्कर-व्यापार के सम्बन्ध में 'नवभारत टाइम्स' में दिनांक 23 जून, 1972 को जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई, उसे सरकार ने देख लिया है।

(ख) पिछले छः महीनों में विभिन्न प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा जो निषिद्ध माल पकड़ा गया, उससे पता चलता है कि बंगला देश-सीमा पर कुछ तस्कर-व्यापार हो रहा है। लेकिन, तस्कर-व्यापार को रोकने के लिए सीमा-शुल्क, सीमा-सुरक्षा दल तथा राज्य सरकारों द्वारा कड़े उपाय किये जा रहे हैं।

नंगल उर्वरक कारखाने का विस्तार, सिन्दरी उर्वरक कारखाने का आधुनिकीकरण तथा पंजाब और हरियाणा में नये उर्वरक कारखानों की स्थापना

*95. **श्री वी० मायावन :**

श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंगल उर्वरक कारखाने का विस्तार, सिन्दरी उर्वरक कारखाने का आधुनिकीकरण तथा पंजाब और हरियाणा में नये उर्वरक कारखानों की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उर्वरकों के संबंध में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में सरकार का विचार अन्य क्या उपाय करने का है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(ग) उर्वरक के उत्पादन में यथाशीघ्र आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के विचार से, देश में उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं :—

(अ) वर्तमान यूनिटों में क्षमता का अधिकतम उपयोग ;

(ब) नये उर्वरक प्लाटों की स्थापना द्वारा अतिरिक्त क्षमता का सृजन ;

(स) जहां कहीं संभव हो, वर्तमान यूनिटों का विस्तार।

विवरण

(1) **नांगल विस्तार**—नांगल उर्वरक कारखाने के विस्तार के लिए विदेशी मुद्रा की व्यवस्था के संबंध में प्रस्ताव को विश्व बैंक को भेज दिया गया है तथा यह प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। इस प्रायोजना में प्रतिदिन 900 मीटरी टन अमोनिया का उत्पादन निहित है। इस 900 मीटरी टनों में से 600 मीटरी टन, प्रतिदिन 1,000 मीटरी टन की मात्रा तक यूरिया के उत्पादन के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे और प्रतिदिन अमोनिया के शेष 300 मीटर टन, वर्तमान प्लांट में प्रतिवर्ष 80,000 मीटरी टन नाइट्रोजन के वर्तमान उत्पादन को बनाए रखने के लिए कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट के रूप में इस्तेमाल किए जायगे। वर्तमान यूनिट में इलैक्ट्रोलाइजर (विद्युत-विश्लेषी) और अमोनिया प्लांटों को धीरे धीरे प्रत्यास्थापित किया जायेगा और इसके परिणामस्वरूप वर्तमान यूनिटों की बिजली की आवश्यकताएं प्रतिदिन 164 एम० डब्ल्यू० से 36 एम० डब्ल्यू० तक कम हो जाएगी। प्रायोजना की अनुमानित लागत 73.62 करोड़ रुपये है जिसमें से विदेशी मुद्रा अंश 39.15 करोड़ रुपय हैं। प्रायोजना संभरण सामग्री के रुप में ईंधन-तेल पर आधारित होगी।

(2) **सिन्द्री की आधुनिकीकरण (नवीकरण)**—इस स्कीम में 40,000 मीटरी टन अतिरिक्त अमोनिया सल्फेट और 3,79,000 मीटरी यूरिया का उत्पादन निहित है। नाइट्रोजन के रुप में क्षमता प्रतिवर्ष लगभग 85,000 मीटरी टन से लगभग 2,55,000 मीटरी टन तक बढ़ेगी। इस स्कीम में कोक एवं कोक-ओवन गैस के वर्तमान संभरण स्टाक से बोंगई गांव/बरौनी में स्थित शोधनशालाओं से प्राप्त एल० एस० एच० एस०/एच० एस० एच० एस० (अर्थात् भारी पेट्रोलियम प्रभाजियों) में परिवर्तनियता निहित है। 23.45 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा अंश सहित इस प्रायोजना पर लगभग 96.25 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

(3) **पंजाब में भटिन्डा नामक स्थान पर एक उर्वरक प्लांट के लिए प्रस्ताव**—पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डिवल्पमैंट कारपोरेशन (पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम) लि० में पंजाब भटिन्डा नामक स्थान पर उर्वरक सन्यन्त्र की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव में भेजा है। इस प्रस्ताव में प्रतिदिन 1,000 मीटरी टन यूरिया का उत्पादन निहित है, जो अमोनिया प्लांट के प्रतिदिन 600 मीटरी टन पर आधारित है। प्रायोजना पर 42.59 करोड़ रुपये की पूंजी लागत आने का अनुमान है और नेफथा अथवा एल० एस० एच० एस०/ईंधन तेल को संभरण सामग्री के रुप में प्रयोग पर निर्भार होने से पूंजी लागत 47.43 करोड़ रुपये है। प्रयुक्त की गई संभरण सामग्री पर निर्भर होते हुए विदेशी मुद्रा अंश लागत क्रमशः 11.28 करोड़ रुपये अथवा 13.71 करोड़ रुपये अनुमानित है।

(4) **हरियाणा में एक उर्वरक प्रायोजना के लिए प्रस्ताव**:—मैसर्स भारत स्टील ट्यूब्ज लि० ने हरियाणा में एक उर्वरक प्लांट की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव भेजा है; जिसमें अमोनिया प्लांट की प्रतिदिन 600 मीटरी टन क्षमता पर आधारित प्रतिदिन 1,000 मीटरी टन यूरिया का उत्पादन निहित है। यदि नेफथा संभरण स्टाक के रुप में प्रयोग किया जाता है तो प्रायोजना की अनुमानित पूंजी लागत 12.76 करोड़ रुपय विदेशी मुद्रा अंश सहित 41.52 करोड़ रुपये होगी और यदि एल० एस० एच० एस० संभरण सामग्री के रुप में प्रयोग किया जाता है तो प्रायोजना की अनुमानित पूंजी लागत 15.01 करोड़ रुपय विदेशी मुद्रा अंश सहित 48.93 करोड़ रुपये होगी।

हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि उनकी प्रायोजना में साझेदारी होगी।

एयर इण्डिया के विमान चालकों द्वारा विमान अपहरण के विरुद्ध विश्वव्यापी हड़ताल में भाग लिया जाना

*96. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया के विमान-चालकों ने अपहरण के विरुद्ध विमान चालकों की विश्वव्यापी हड़ताल में भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितनी उड़ानें उद्द की गयीं कुल कितने यात्रियों पर इस का प्रभाव पड़ा और कुल कितनी हानि हुई ?

पर्यटन और नागर विमान मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) दो अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें और एयर-इंडिया द्वारा इंडियन एयरलाइन्स के लिये परिचालित तीन अन्तर्देशीय उड़ाने । कुल हानि लगभग 9.49 लाख रुपये रही । उपलब्ध सूचना के अनुसार इसका प्रभाव लगभग 1,300 यात्रियों पर पड़ा ।

बरौनी में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने की मांग

*97. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेगूसराय (बिहार) में बनी एक सर्वदलीय समिति ने बरौनी में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो मांग की रुपरेखा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : अभ्यावेदन बरौनी में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने के लिए हैं । एरोमेटिक्स के उत्पादन की संभावनाओं की जांच करने तथा इन सुविधाओं के लिए उपयुक्त स्थानों का सुझाव देने के लिए एक अध्ययन दल की स्थापना की गई है । अध्ययन दल के जांच परिणामों के आधार पर अन्तिम निर्णय लिया जायगा ।

Recommendations of Wanchoo Committee on Direct Taxes

*98. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :**

Shri Hari Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the main recommendations of the Wanchoo Committee on Direct Taxes which are being implemented;

(b) the recommendations which have not been accepted; and

(c) the reasons for not accepting them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) Some recommendations of the Wanchoo Committee Report have already been incorporated in the Taxation Laws (Amendment) Bill, 1971 and the Finance Act, 1972. The rest are being examined by the Government.

(b) and (c) : Do not arise.

Expenditure on Pak P. O. Ws.

*99. **Shri Phool Chand Verma :**

Shri Fatehsinghrao Gaekwad :

Will the Ministry of **Defence** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred so far on the Pak. Prisoners of War by the Governmens of India, and

(b) the items on which the said expenditure has been incurred.

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) The total expenditure incurred on Pakistan prisoners of War upto 30-6-72 is Rs. 4,50,58,000/.

(b) The items on which above expenditure has been calculated are as follows :—

(a) Advance of pay to Prisoners of War.

(b) Movement of Prisoners of War.

(c) Clothing supplied to Prisoners of War.

(d) Ration supplied to Prisoners of War.

(e) Medical stores & equipment supplied to Prisoners of War.

(f) Amenities to Prisoners of War.

(g) Expenditure on accommodation, water, sanitation, electricity, furniture, etc. for Prisoners of War.

(h) Photographs of Prisoners of War.

(i) Private letters to Prisoners of War.

(j) Other items.

(k) Pay and allowances, contingent expenditure and other expenses on the administrative staff looking after the Prisoners of War Camps and security.

विदेशी विमान कम्पनियों को कलकत्ता हवाई अड्डा होकर अपनी विमान सेवाएं बन्द करने से रोकने के लिए कार्यवाही

*100. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा कलकत्ता हवाई अड्डा होकर अपनी विमान सेवाएं ना चलाये जाने का एक मुख्य कारण यह है कि पश्चिम बंगाल में विमान-ईंधन पर अधिक बिक्री कर है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से लिखा पढ़ी की है ; और

(ग) विदेशी कम्पनियों को कलकत्ता हवाई अड्डा होकर अपनी विमान सेवाएं बन्द करने से रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) विमानन ईंधन पर बिक्री कर के आधिक्य के विरुद्ध कलकत्ता स्थित एयरलाइन परिचालक समिति तथा आई० ए० टी० ए० (अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संगठन) से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) मामले को पश्चिम बंगाल सरकार के ध्यान में ला दिया गया है ।

(ग) सरकार इस बात की उत्सुक है कि कलकत्ता विमानक्षेत्र के महत्व को बनाये रखा जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनें इस विमानक्षेत्र से होकर जाने वाली अपनी सेवाएं बन्द न करें । कलकत्ता में एक नये अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का हाल ही में लगभग दो करोड़ रुपये की लागत से निर्माण किया जा चुका है, तथा सरकार उन एयरलाइनों द्वारा सेवाएं पुनः प्रारंभ करने का स्वागत करेगी जो कि परिचालन करने को अधिकारी हैं ।

राष्ट्रीय व्यावहारिक, आर्थिक अनुसंधान परिषद

801. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 जून, 1972 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् के कर्मचारियों में भारी असन्तोष व्याप्त है ;

(ख) क्या परिषद् में कार्य करने वाले अर्थशास्त्रियों की सेवा शर्तें और उनकी भर्ती, पदोन्नति या छटनी की प्रक्रिया अभी तक निर्धारित नहीं किए गए हैं और निश्चित नियम न होने के कारण पदोन्नतियों में पक्षपात किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त करने का है और यदि नहीं, तो इस परिषद् के कर्मचारियों की शिकायतें कैसे दूर की जायेंगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों में कुछ असंतोष था, लेकिन अब स्थिति सामान्य है।

(ख) कर्मचारियों के सेवा की शर्तों का विनियमन करने के लिए परिषद की अपनी सुस्थापित परिपाटियां हैं। सरकार का ध्यान पक्षपातपूर्ण पदोन्नति के किसी विशेष मामले की ओर नहीं आकृष्ट किया गया है।

(ग) परिषद संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1886 के अधीन एक स्वायत्तशासी स्वतंत्र निकाय के रूप में पंजीकृत संस्था है और इसलिए परिषद के कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। किन्तु ऐसा पता चला है कि परिषद के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी स्वयं इन मामलों की जांच कर रहे हैं।

गत तीन वर्षों में विभिन्न फर्मों को दिए गए आयात लाइसेंसों का मूल्य

802. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री विभिन्न फर्मों को दिए गए आयात लाइसेंसों के मूल्य के बारे में 5 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5175 के भाग (ख) और (घ) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच उक्त जानकारी एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसे सभापटल पर रखा जायेगा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच०आर० गोखले) : (क) और (ख): कुछ ब्यौरे प्राप्त हुए हैं, लेकिन कुछ फर्मों के पूर्ण ब्यौरों की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है। पूर्ण सूचना प्राप्त होते ही सभा पटल पर एक विवरण पत्र रख दिया जायेगा।

सोशित समाज एकता कमेटी से प्राप्त अभ्यावेदन

803. **श्री एम० कतामुतू** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोशित समाज एकता कमेटी, नई दिल्ली से दिनांक 5 जून, 1972 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें स्टेट बैंक आफ इण्डिया, अजमलखां शाखा, नई दिल्ली में हरिजनों के साथ भेदभाव किये जाने की शिकायत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) अभ्यावेदन में दिए गए आरोपों की जांच स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा अभी पूरी नहीं हुई है।

चाय उद्योग को औद्योगिक विकास बैंक और औद्योगिक वित्त निगम की सुविधाएं उपलब्ध कराना

804. **श्री चन्द्र शेखर सिंह**: क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अध्ययन दल की सिफारिशों के अनुसार चाय उद्योग को औद्योगिक विकास बैंक और औद्योगिक वित्त निगम की सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिये सम्बन्धित अधिनियम में संशोधित करने के लिये आवश्यक विधान तयार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो वह संसद् में कब तक पुर:स्थापित किया जायगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : चाय उद्योग का अधिकांश कार्यकलाप खेती जसा माना जाता है, इसलिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और औद्योगिक वित्त निगम अपने अपने अधिनियमों के वर्तमान उपबंधों के अन्तर्गत उन कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता नहीं दे सकते किन्तु, बागान कच्ची चाय को तैयार करने के लिये और मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद, आधुनिकीकरण, विस्तार के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से वित्तीय सहायता लेने के पात्र हैं। इस उद्योग को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं में और विस्तार करने के सम्बन्ध में, चाय उद्योग के वित्त पोषण विषयक कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिशों इस समय भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन हैं।

घटिया किस्म की रम सप्लाई के बारे में जांच

805. **श्री चन्द्र शेखरसिंह** : क्या रक्षा मंत्री 12 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5867 के भाग (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सी० एम० डी० (प्रथम) ने खेडीज डिस्टिलरी द्वारा 36,400 दर्जन घटिया किस्म की रम की बोतलें सप्लाई किये जाने के बारे में जांच कार्य पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हाँ।

(ख) जांच से पुष्टि हो गई है कि रम निम्न स्तर की थी तथा फर्म सम्पूर्ण स्टाक को अपनी लागत पर बदलने के लिए सहमत हो गई है।

सी० एस० डी० (प्रथम) में पदोन्नतियां

806. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या रक्षा मंत्री 12 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5866 के भाग (ग) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त उत्तर के भाग (1), (2) और (3) में उल्लिखित तालिकाओं में से अब तक कितने पद भरे गये ह तथा इन तालिकाओं की प्रत्येक श्रेणी में अभी कितने व्यक्तियों को पदोन्नति नहीं दी गई ;

(ख) रिक्त पदों को न भरने के क्या कारण हैं तथा वर्तमान तालिका में उल्लिखित कर्मचारियों के कब तक पदोन्नत किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या विगत समय में इस प्रकार की तालिकाओं को बेकार माना गया है तथा जब भी पदोन्नति के अवसर आये हैं तभी नई तालिकायें बनाई गई हैं; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1970-71 के लिए नामिकाओं से भरे गये स्थानों की वर्गवार संख्या निम्नांकित है :—

(1) डी० जी० एम० (स्टोरस)—एक। नामिका जो केवल एक वर्ष के लिए मान्य होती है, अब समय बीत जाने से वह समाप्त हो गई है।

2) मैनेजर सलक्शन ग्रेड/ए० जी० एम०—पन्द्रह। नामिका में जिनके नाम थे उन सभी को काय पर लगा लिया गया है। नामिका समाप्त हो गई है। क्योंकि इन पदों पर और रिक्त स्थान होने की आशा नहीं है अत: 1971-72 के लिए नई नामिका नहीं बनाई गई है।

(3) नामिका में नामों की कुल संख्या, रिक्त हुए स्थान और 1970-71 में जो स्थान भरे गये व इस प्रकार हैं :—

	नामिका में नामों की संख्या	भरे गये स्थानों की संख्या
स्टोरकीपर प्रथम श्रेणी	3	1
स्टोरकीपर द्वितीय श्रेणी . .	4	4
स्टोरकीपर तृतीय श्रेणी .	11	11
स्टोरकीपर चतुर्थ श्रेणी	13	13
ए० सी० लिपिक/सहायक लेखापाल . . .	25	12
उच्च श्रेणी लिपिक	58	58

1970-71 में जो स्थान रिक्त हुए उन सभी स्थानों को नामिका के अनुसार भरा गया था और वह नामिका अब समाप्त हो गई है। मई-जून 1972 में एक नई नामिका बनाई गई है। जो स्थान अब रिक्त होंग उन्हें इस नामिका से भरा जाएगा।

(ख) जो स्थान रिक्त हुए उन्हें भर दिया गया था। भविष्य में होने वाले रिक्त स्थानों को चालू नामिका से पूरा किया जाएगा।

(ग) एक नामिका एक वर्ष तक प्रचलित रहती है जिसे छः मास तक और बढ़ाया जा सकता है। उपर्युक्त अवधि के पश्चात् पुरानी नामिकाओं को अप्रचलित कर दिया जाता है और नई नामिकाएं बनाई जाती हैं। जब कोई पदोन्नति की जाती है हर बार नई नामिकाएं नहीं बनाई जाती। चालू नामिका के दौरान जब कोई स्थान रिक्त होता है, नामिका में सर्वप्रथम व्यक्ति को पदोन्नत कर दिया जाता है।

लापता सैनिकों को वित्तीय सहायता

807. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में मारे गये अथवा घायल हुये सैनिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था की है, परन्तु लापता सैनिकों के परिवारों को ऐसी कोई सुविधायें नहीं दी जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार इस पूरे मामले पर पुनः विचार करेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तारांकित प्रश्न संख्या 80, दिनांक 17 मार्च, 1972 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 7556, दिनांक 26 मई 1972 को दिए गए उत्तरों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जलहाली स्थित वायु सेना के मेस से ग्रामवासियों को बेचा गया गंद

808. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जुलाई, 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि जलहाली स्थित वायु सेना के मैस से सूवरों को पिलाया जाने वाला गंद ग्रामवासियों को बेचा जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) : यह मामला जून 1972 में सरकार के ध्यान में लाया गया। जहां कहीं नगर पालिका अथवा छावनी बोर्ड एयर फोर्स स्टेशन से कूड़ा-कचरा नहीं, उठाती,

वहां पर कूड़ा-कचरा उठाने का कार्य असैनिक ठेकेदार को दे दिया जाता है। एयर फोर्स स्टेशन, जलहाली द्वारा जो ठेका किया गया उसमें यह व्यवस्था है कि जो कूड़ा-कचरा एकत्र किया जाएगा वह केवल सूवरों को खिलाने के लिए ही उपयोग में लाया जाएगा और उसे मानव के उपयोग के लिए नहीं बेचा जाएगा। पूछताछ से पता चला है कि यह आरोप ठीक नहीं है कि एयर फोर्स स्टेशन जलहाली से एकत्र किया जाने वाला कूड़ा-कचरा ग्रामीणों को मानव उपयोग के लिए बेचा जा रहा है।

राजस्थान में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना

809. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **पेअट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जुलाई, 1972 में, जब वह दिल्ली आये थे, राजस्थान मे पेट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने के बारे में केन्द्र सरकार से विचार-विमर्श किया था ; और

(ख) यदि हां, तो किए गए प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा तेल शोधक कारखाने में विदेशी तकनीकी जानकारी

810. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मथुरा तेल शोधक कारखाने का डिजाइन और निर्माण पूर्णतया भारतीय तकनीकी जानकारी से हो होगा ;

(ख) यदि नहीं, तो किन क्षेत्रों में विदेशी तकनीकी जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी; और

(ग) इस तेल शोधक कारखाने के लिए अपेक्षित कितनी मशीनरी अपने देश में उपलब्ध होगी और कितनी विदेशों से मंगवानी पड़गी ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) दोनों डिजाइन तथा निर्माण में उपलब्ध भारतीय जानकारी का यथासंभव अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जायेगा और यह प्रस्ताव है कि प्रधान परामर्शदाता एक भारतीय संस्था होनी चाहिए ।

परिष्करणशाला के लिए परिकल्पित कुछ यूनिटों के लिए जानकारी लाइसेंस के अन्तर्गत रायल्टी देकर अथवा जानकारी फीस देकर प्राप्त करनी होगी।

(ख) कुछ मुख्य यूनिट, जिनके लिए विदेशी जानकारी की जरुरत होगी, निम्नलिखित है :—

एल० पी० जी० एंड नेफथा स्वीटनिंग यूनिट, केटेलाइटिक रिफारमिंग यूनिट, हाइड्रोक्रैकर एंड हाइड्रोजन यूनिट, विसब्रेकर यूनिट तथा सल्फर रिकवरी यूनिट।

(ग) क्योंकि विस्तृत इंजीनियरिंग कार्य के लिए अभी तक प्रक्रिया इंजीनियरिंग नहीं की गई है, इस अवस्था में इस बात, कि देशीय मशीनरी कितनी उपलब्ध होगी, का कोई विश्वस्त संकेत देना संभव नहीं है। एक बहुत ही अस्पष्ट अनुमान के तौर पर, उपकरण मशीनरी तथा इस्पात की प्लेटें आदि कच्चा माल, परिष्करणशाला की कुल लागत के 30 प्रतिशत तक आयात करना पड़ेगा।

बैंको द्वारा खनन उद्योगों को मंजूर किये गये ऋण

811. **श्री प्रताप सिंह नेगी :** क्या **वित्त** मन्त्री 28 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4268 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बैंकों के नाम क्या हैं, उन्हें कितना-कितना ऋण मंजूर किया गया तथा किस किस तारीख को मंजूर किया गया; और

(ख) क्या किसी ऋण का भुगतान नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

राष्ट्रीयकृत बैंकों के नामों, उनके द्वारा खनन उद्यमों को दिए गए ऋणों, ऋण देने की तारीख, असंवितरित राशि और उसके कारणों को दिखाने वाला विवरण

क्रम सं०	बैंक का नाम	एककों की संख्या	मंजूर किए गए ऋण	मंजूरी की तारीख	असंवितरित राशि	संवितरण न किए जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
			(लाख रुपयों में)		(लाख रुपयों में)	
1	पंजाब नेशनल बैंक	1	35.00	जून, 70	शून्य	..
2	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	1	5.00	मई, 69	शून्य	..
3	कनारा बैंक	2	12.50	1969	शून्य	
			14.50	1970	0.07	
			14.50	1971	0.80	
			14.50	31-5-72 तक	0.81	
			56.00		1.68	एककों द्वारा प्राप्त नहीं किए गए।
4	सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	1	30.00	सितम्बर, 69	30.00	कम्पनी मंजूरी की मूल शर्तों में कुछ परिवर्तन चाहती थी जो कि बैंक को स्वीकार्य नहीं है।

1	2		3		4	5	6	7
5	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक .	9	8.00		अप्रैल, 69	शून्य		
			0.25		जनवरी, 71	"		
			1.50		अप्रैल, 69	"		
			2.00		अप्रैल, 69	"		
			3.00		अप्रैल, 69	"		
			3.00		अक्टूबर, 69	"		
			5.00		अक्टूबर, 69	"		
			2.00		जनवरी, 71	"		
			2.00		अप्रैल, 69	"		
				26.75			शून्य	
6	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	7	17.50		अगस्त, 71 और जून, 72	शून्य		
			2.25		नवम्बर, 69 और अक्टूबर, 70	"		
			3.25		मई, 72	"		
			0.59		अगस्त, 71			
			1.14		अगस्त, 69 और अक्टूबर, 72	"		
			1.00		दिसम्बर, 70	"		
			5.00		फरवरी, 72	5.00		
				30.73			5.00	औपचारिकता पूरी किए जाने की प्रतीक्षा की जा रही है ।
		21		183.48			36.68	

भारतीय औद्योगिक विकास बक द्वारा खानों को सीधे दिये गये ऋण

812. **श्री प्रताप सिंह नेगी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भारत में खानों को सीधे कितने ऋण दिये हैं ;

(ख) उन खनन कम्पनियों के नाम क्या हैं, कितनी राशि के ऋण मंजूर किये गये हैं और किस तारीख को मंजूर किये गये थे ;

(ग) क्या हाल ही में किसी कोयला खान ने ऋण प्राप्त करने के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को आवेदनपत्र भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो कोयला खान का नाम क्या है, कितनी राशि मांगी गयी थी और कितनी राशि मंजूर की गयी तथा दी गयी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) 30 जून, 1972 को समाप्त होने वाले तीन लेखा वर्षों के दौरान, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने उड़ीसा राज्य में केन्दुझार स्थित मैसर्स बोलानी ओर्स लिमिटड को अप्रल 1972 में 2 करोड़ रुपये का केवल एक प्रत्यक्ष ऋण मंजर किया है ।

(ग) और (घ) मेसर्स सेठिया माइनिंग ऐण्ड मैन्यफवचरिंग कारपोरेशन लिमिटेड ने जो दो कोयला खानें चलाता है, भारतीय औद्योगीक विकास बैंक से निजी तौर पर रखे गए ऋणपत्रों के रूप में 90 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के लिये निवेदन किया है । आवेदनपत्र विकास बैंक के विचाराधीन है ।

Military Training schools in Economically Backward Areas

813. Shrimati V. R. Scindia: Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) the names of those economically backward areas in the country which provide major source of recruitment for Armed Forces and whether Chambal Valley area is also included therein;

(b) whether there is any scheme to open Military Training Schools in these areas; and

(c) if so, the main features thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence : Shri Jagjivan Ram (a) The policy of Government is to broad-base recruitment so as to give equal opportunities to all citizens to join the Armed Forces, irrespective of area of residence. With this policy in view, measures are continually taken to recruit from all parts of the country, including the economically backward areas like the Chambal valley,

(b) and (c) No, Sir. There is no such requirement.

Assistance Received from Foreign Countries

814. Shrimati V. R. Scindia: Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the amount of foreign aid received, year-wise from each foreign country during the last three years and the principal amount of the old loans and the interest thereon paid annually to each foreing country during this period; and

(b) the total amount of loan to be paid by India at present and the interest in terms of foreign exchange and Indian currency being paid thereon ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). Two statements (No. I and No. II) are laid on the Table of the House. **(Placed in the Library. See No. L. T. 3262 72)**

स्टेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकारियों की एसोसिएशनें

815. श्री रोबिन ककोटी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकारियों की एसोसिएशनें बनाये जाने की अनुमति है ;

(ख) यदि हां, तो अधिकारियों की एसोसिएशनों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या प्रबन्धकों और सरकार ने उनको मान्यता दी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) (क) से (घ): सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

गुजरात के राष्ट्रीयकृत बैंकों में भर्ती

816. श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या **वित्त** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 में गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपनी शाखाओं में कितनी बार नये उम्मीदवारों की भर्ती की और कितने उम्मीदवार चुने गये ;

(ख) वर्ष 1971 में चुने गय उम्मीदवारों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी ;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों का आरक्षण कोटा पूरा किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Implementation of Recommendations made by the Banking Commission

817. Shrimati V. R. Scindia : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) which of the recommendations made by the Banking Commission have been implemented ; and

(b) the recommendations which have not been accepted and the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) and (b) : The recommendations of the Banking Commission are under consideration of the Government.

15 जुलाई, 1972 को नई दिल्ली में हुई 'पुष्पक' विमान की दुर्घटना की जांच

818. श्री एम० एस० शिवस्वामी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1972 को नई दिल्ली में हुई 'पुष्पक' विमान की दुर्घटना की कोई जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) नागर विमानन विभाग द्वारा जांच की जा रही है ।

(ख) उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के अधीन संगठन द्वारा बेरोजगार स्नातक इंजीनियरों और भूतपूर्व सैनिकों को सहायता दिया जाना

819. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन उन विभिन्न संगठनों के नाम क्या हैं जो बेरोजगार स्नातक इंजीनियरों और भूतपूर्व सैनिकों की, व्यापारियों के रूप में अथवा अन्यथा स्वनियोजन के लिए अवसर प्रदान करने में सहायता करते हैं ; और

(ख) गत तीन वर्षों में राज्यवार और वर्षवार, उपलब्ध कराये गये रोजगार के अवसरों का ब्यौरा क्या है ?

विधी और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

लिम्ब में तेल का पता लगना

820. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1972 के महीने में अहमदाबाद के निकट लिम्ब में किस प्रकार के और कितने तेल का पता चला है ; और

(ख) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) लिम्ब क्षेत्र में अभी तक केवल एक कुंआ खोदा गया है । परीक्षण करने पर, इसमें से काफी तेल निकला । तेल की विशेषताओं का निर्धारण करने के लिए प्रयोगशाला परीक्षण किए जा रहे हैं । तथापि, यह बात उल्लेखनीय है कि केवल एक कुंए के परिणामों से न ही क्षेत्र के तेल भंडारों और न ही तेल की विशेषता का अनुमान लगाना संभव है । इस प्रयोजना के लिए कुछ अतिरिक्त कुंओं को खोदना और उनका परीक्षण करना पड़ेगा ।

(ख) पहले कुंए का परीक्षण किया गया है और दो उच्चायी कुंएं खोदने के लिए स्थान दे दिए गए हैं ।

उर्वरकों के ऊंचे मूल्यों के लिए उत्तरदायी कारण

821. **श्री बी० के० दासचौधरी :**
श्री आर० के० सिन्हा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक संघ ने हाल ही में एक सर्वेक्षण किया था तथा यह पाया गया था कि कच्चे माल तथा फालतू पुर्जों के उपलब्ध न होने तथा बिजली कट जाने से उर्वरक उद्योग की अनुपयुक्त क्षमता ही देश में उर्वरकों के ऊँचे मूल्यों के लिए उत्तरदायी मुख्य कारण हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों में कमी की स्थिति में राहत कार्यों पर व्यय

822. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** :
श्री पम्पन गौडा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में सरकार ने कमी की स्थिति में राहत कार्यों पर राज्यवार कितनी कितनी धन राशि खर्च की है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें 1970-71 और 1971-72 में सूखा सहायता कार्यों पर खर्च करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को दी गयी सहायता दिखायी गयी है।

विवरण

1970-71 और 1971-72 में सूखा सहायता कार्यों पर खर्च करने के लिए राज्य सरकारों को दी गयी सहायता

(करोड़ रुपयों में)

	राज्य	1970–71		1971–72	
		सहायता खाते में	खेती के काम आने वाली वस्तुओं के लिए अल्पावधिक ऋण	सहायता खाते में	खेती के काम आने वाली वस्तुओं के लिए अल्पावधिक ऋण
1.	आन्ध्र प्रदेश	..	..	15.03	..
2.	असम	..	..	0.75†	0.01
3.	बिहार	..	..	20.00†	..
4.	गुजरात	5.04	..	0.60‡	0.15§
5.	जम्मू और कश्मीर	..	..	2.35§	2.50
6.	मध्य प्रदेश	0.67*	..	..	..
7.	महाराष्ट्र	2.50	5.00	22.50	7.00
8.	मैसूर	2.00	..	3.00	1.08
9.	राजस्थान	25.01	1.46	..	..
10.	पश्चिम बंगाल	0.50	..	..	..
	जोड़	35.72	6.46	64.25	10.74

*1969-70 की बकाया रकमों के रूप में।

†इसमें बाढ़ के कारण सहायता कार्यों के लिए दी गयी सहायता शामिल है।

‡बाढ़, सूखा और भूकम्प के कारण 1970-71 में सहायता पर होने वाले व्यय के लिए बकाया रकमों के रूप में।

§1970-71 की बकाया रकमों के रूप में।

बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के लिये अध्ययन दल

823. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से बिहार में सूखे की स्थिति का अनुमान लगाने के लिये अधिकारियों का एक दल भेजने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां ।

(ख) एक केन्द्रीय दल का गठन किया जायगा और केन्द्रीय सहायता के व्यय की अधिकतम सीमा निश्चित करने के लिए उसे मौके पर जाकर स्थिति का निर्धारण करने के वास्ते बिहार जाने के लिए कहा जायगा ।

एन०सी०सी० कैडिटों को छाते की सहायता से छलांग लगाने का प्रशिक्षण

825. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन० सी० सी० कैडिटों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में छाते की सहायता से छलांग लगाना सम्मिलित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कैडिटों के प्रशिक्षण में सम्मिलित किये गये इस नये मद के प्रति युवा कैडिटों की प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) हवाई छाते से छलांग लगाने का प्रशिक्षण पहली बार इस वर्ष प्रयोगिक रूप से नियमित सेना के साथ सम्बद्ध एन० सी० सी० कैडिटों के लिए चालू किया गया था । इनमें से 29 ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है ।

(ख) कैडिटों ने प्रशिक्षण के इस नए मद में बहुत रूचि तथा उत्साह दिखाया ।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये पश्चिम बंगाल को सहायता

826. **श्री समर गुहा :**
श्री ज्योतिमय बसु :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में सूखे की स्थिति से निपट ने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से लगभग 39 करोड़ रुपये की मांग की है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के अध्ययन दल ने उक्त कार्य के लिये केवल 7 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दी है ;

(ग) यदि हां, तो पश्चिमी बंगाल सरकार किन मदों के लिये उक्त राशि चाहती थी और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मांगी गई राशि के एक चौथाई से भी कम को मंजूर करने के क्या कारण हैं; और

(घ) पहले ही व्यय की जा चुकी धन राशि और राज्य में सूखे की स्थिति से उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तावित राशि और शेष समस्याओ का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) राज्य सरकार ने, निधियों की अपनी आवश्यकता 30.62 करोड़ रुपया आँकी थी, जिसमें से 13.31 करोड़ रुपया राहत कार्यों के अन्तर्गत और 17.31 करोड़ रुपया ऋणमदों के अन्तर्गत मांगा गया था । केन्द्रीय दल ने, राज्य सरकार के साथ विस्तृत चर्चा करके तथा मौके पर जाकर जाँच करने के बाद कायम किये गय अपने विचारों की

दृष्टि से केन्द्रीय सहायता के प्रयोजनों के लिए कुल मिला कर 6.85 करोड़ रुपये तक की अधिकतम सहायता की सिफारिश की थी जिसमें से 4.70 करोड़ रुपया राहत कार्यों के लिए और 2.15 करोड़ रुपया ऋण सम्बन्धी मदों के लिए था। व्यय की इन अधिकतम सीमाओं की सिफारिश करने में, केन्द्रीय दलने राज्य की 1972-73 की वार्षिक योजना में मौजूद रोजगार दिलाने वाले प्रावधानों के उपयोग की पर्याप्त गुंजाइश को और आयोजना सम्बन्धी निर्माण कार्यों तथा सामान्य राहत कार्यों के बीच समन्वय स्थापित किये जाने की गुंजाइश को भी ध्यान में रखा है।

(घ) 1972-73 के चालू वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत अधिकतम सीमाओं के अन्तर्गत किये गये खर्च की प्रगति की रिपोर्ट अभी राज्य सरकार द्वारा दी जानी है।

केन्द्रीय दल का सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा

827. श्री पी० गंगा देव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक केन्द्रीय दल ने कुछ राज्यों का उनके सूखाग्रस्त क्षेत्रों का घटनास्थल पर अध्ययन करने के लिये दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय दल ने किन-किन राज्यों का दौरा किया; और

(ग) क्या दल ने सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) : केन्द्रीय दलों ने चालू वित्तीय वर्ष में अब तक केन्द्रीय सहायता के लिए मौके पर जाकर सूखे की स्थिति और आवश्यक निधि का निर्माण करने के लिए महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल का दौरा किया है। त्रिपुरा में जो केन्द्रीय दल गया था उस ने अभी अपना निर्धारण पूरा किया है तथा अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है; अन्य दलों ने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं।

भारत में तस्करी से लाये गये जापानी कपड़े का पकड़ा जाना

828. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1972 के अन्तिम सप्ताह में बम्बई की कोलसा बन्दरगाह पर लगभग 8 लाख रुपये के मल्य का जापानी कपड़ा पकड़ा गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त तस्करी में कुछ भारतीय नागरिकों का भी हाथ था; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे अवैध व्यापार को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 23 जून, 1972 को, सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने कोलसा बन्दर, बम्बई में (भारतीय बाजार दर से) लगभग 10 लाख रुपए मूल्य के संश्लिष्ट अथवा मिश्रित जापानी टैक्सटाइल वस्त्र और लगभग 16,000 रुपये मूल्य के टेप रिकार्डर युक्त नौ रेडियोग्राम पकड़े।

(ख) जी, हां।

(ग) इस प्रकार के अवैध व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गए हैं :—

सूचना को ठीक ढंग से इकट्ठा करना और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, जिन व्यक्तियों के बारे में तस्कर आयात-निर्यात करने का सन्देह है उन पर निगरानी रखना, जिन जलयानों अथवा वायुयानों पर सन्देह हो उन की तलाशी लेना, समुद्र तट तथा स्थल सीमाओं के सुगमता से पार किए जा सकने योग्य क्षेत्रों की जांच करना, प्रभावी तौर पर बीच में ही रोकने तथा रोकथाम आदि के लिए समय समय पर अतिरिक्त नौकाओं तथा वाहनों की व्यवस्था की जाती है। सुगमता से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों में तस्कर आयात-निर्यात विरोधी कार्य को अनन्य रुप से देखने के लिए सीमाशुल्क के समाहर्ता, सीमाशुल्क के अपर समाहर्ता तथा सहायक समाहर्ता के ओहदे के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया गया है। कतिपय वस्तुओं के अवैध आयात-निर्यात को रोकने और उनके पकड़ने के कार्य को सुविधा जनक बनाने के प्रयोजन से विशेष उपाय करने के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में अतिरिक्त उपबंध जोड़ कर उसे संशोधित किया गया है। आयात पक्ष में, उन मामलों को छोड़कर जिनमें माल व्यक्तिगत उपयोग के लिए होता है, इन नियामक उपबंधों में यह अपेक्षा की गई है कि गोदाम के स्थानों के बारे में सूचना दी जाय, हिसाब-किताब रखा जाय, माल को वाउचरों के अधीन लाया-ले जाया जाय तथा उसकी बिक्री की जाय और अधिसूचित माल को खरीदने से पूर्व उचित सावधानी बरती जाय। स्थिति की सतत समीक्षा की जाती है।

पौंड के खुला छोड़े जाने के फलस्वरूप भारतीय व्यापार पर प्रभाव

829. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पौंड स्टर्लिंग के खुला छोड़ जाने का दुर्लभ मुद्रा वाले देशों के साथ भारत के निर्यात व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) क्या पश्चिमी मुद्रा बाजार में आये वर्तमान संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हमारे निर्यात व्यापार के हितों की रक्षा करने के लिए कोई कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) पौंड स्टर्लिंग के खुला छोड़ दिए जाने का दुर्लभ मुद्रा वाले देशों के साथ होने वाले भारत के निर्यात-व्यापार पर अब तक कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) हमारे निर्यात-व्यापार के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करा ली है कि स्टर्लिंग के क्रय-विक्रय की दरें निर्धारित करते समय, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा स्वीकृत मार्जिनों का उपयोग करते हुए, रुपये के मूल्य में कम से कम अन्तर हो।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्यातकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से, स्टर्लिंग की खरीद के लिए छः महीने के अगाऊ सुरक्षा की व्यवस्था की है।

राजस्थान में केन्द्रीय सरकार के उपक्रम

830. श्री मूल चन्द डागा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में केन्द्रीय सरकार के कुल कितने उपक्रम हैं, आज तक उनमें से प्रत्येक में कुल कितनी पूंजी लगाई गई है और वर्ष 1971-72 के दौरान उनमें से प्रत्येक को कितना लाभ अथवा हानि हुई ;

(ख) इस समय जो कारखाने घाटे में चल रहे हैं, उन्हें लाभ में चलाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ग) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) राजस्थान में केन्द्रीय सरकार के छः औद्योगिक उपक्रम हैं। 1971-72 के वर्ष के बारे में, इन सब कम्पनियों के अंतिम परीक्षित लेखे

अभी उपलब्ध नहीं हैं। इन कम्पनियों में, 1970-71 के अन्त तक (सामान्य शेयरों तथा ऋणों के रुप में) जो निवेश हुआ है और 1971-72 के दौरान उन्हें जो लाभ/हानि हुई है, उसके अनंतिम आंकड़े इस प्रकार हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

	उपक्रम का नाम	1970-71 के अन्त में निवेश	1971-72 में लाभ (+) और हानि (—) (अनन्तिम)
1.	हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड . . .	39.56	निर्माणाधीन
2.	हिन्दुस्तान साल्टस् लिमिटेड* . . .	1.79	(+)0.0004
3.	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड . . .	16.06	(—)0.20
4.	इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड . . .	7.87	(+)1.44
5.	मशीन टूल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड .	4.98	(—)0.25
6.	सांभर साल्ट्स लिमिटेड* . . .	1.15	(+)0.28

(ख) और (ग) : जैसा देखा जा सकता है, केवल हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड और मशीन टूल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को 1971-72 में घाटे हुए हैं जबकि हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड का अभी निर्माण हो रहा है। जस्ते और सीसे के कम मूल्यों के कारण, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के वित्तीय परिणामों पर भी प्रभाव पड़ा है। जस्ते के मूल्य में हाल ही में परिवर्तन किया गया है। कार्य-चालन सम्बन्धी कुशलता को सुधारने के लिए भी कदम उठाये गये हैं। इसके परिणामस्वरूप, आशा है कि 1972-73 में इस कंपनी को लाभ होगा। मशीन टूल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने 1970-71 के दौरान ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया और यह मांग की कुछ कमी का अनुभव करती रही है। आने वाले कुछ वर्षों में, बिक्री और उत्पादन में वृद्धि हो जाने से, इसके वित्तीय परिणामों में सुधार हो जायगा। प्रबंधक-वर्ग माल की खपत की स्थिति को सुधारने तथा क्षमता के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए कार्रवाई कर रहा है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्देश्य निर्धारित करने के लिये समिति

831. **श्री सी० टी० दण्डपाणी :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्देश्य निर्धारित करने के लिये एक समिति स्थापित की है ;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की जाँच कर ली है; और

(ग) यदि नहीं, तो अनुमानत: रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग): प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में अपने प्रतिवेदन में यह सिफारिश की थी कि सरकार को विस्तृत और स्पष्ट रूप से, प्रारक्षित निधि के निर्माण आत्म-वित्त-पोषण, निवेश से आय, वेतन तथा मूल्य निर्धारण सम्बन्धी नीतियों के बारे में सरकारी उपक्रमों के उद्देश्य और दायित्व बताने चाहिए। इसे क्रियान्वित

*कंपनी का वर्ष अक्टूबर से सितम्बर तक का है।

करने के प्रश्न पर, 1970 में एक संगोष्ठी में विचार किया गया था, जिसमें सरकारी क्षेत्र के मुखियाओं, प्रशासनिक मंत्रालयों तथा विभिन्न व्यावसायिकों आदि ने भाग लिया था। संगोष्ठी में इस बात पर सभी सहमत थे कि अपने उद्देश्यों के निर्धारण के लिए, मुख्य रूप से, अलग-अलग उद्यम स्वयं जिम्मेदार है। सरकार ने ये हिदायत जारी की कि तदनुसार सरकार के अनुमोदन से उद्देश्यों का निर्धारण किया जाए। हाल ही में सरकार ने सरकारी उद्यम कार्यालय के जनसम्पर्क विभाग के गठन की जांच करने के लिए जो विशेषज्ञ समिति बनाई है उसने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश भी की है कि सरकार को, सरकारी क्षेत्र के लिए समग्र रूप से प्रबन्ध तथा जन सम्पर्क के उद्देश्य स्पष्ट और सुनिश्चित रूप से निर्धारित करने चाहिए। सरकारी उपक्रमों की सचिव समिति ने इस सिफारिश की जांच की और उन्होंने एक उप दल बना दिया ताकि वह दल इस प्रश्न को गहराई से जांच करे और सरकारी क्षेत्र के उद्देश्यों तथा दायित्वों के विवरण का मसौदा तैयार करे। सरकार ने इस प्रयोजन के लिये कोई पैनल नहीं बनाया है। जो विभिन्न पेचीदा समस्यायें इसमें अन्तर्ग्रस्त हैं, उनपर उपदलों द्वारा विचार किया जा रहा है तथा इन उपदलों की सिफारिशों की प्राप्ति के बाद ही इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिये जायेंगे।

भारत इलेक्ट्रानिक लिमिटेड द्वारा लघु 'वाकी-टाकी ट्रांस्मीटर' का निर्माण

832. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने पुलिस द्वारा प्रयोग के लिये लघु 'वाकी-टाकी ट्रांस्मीटर' सहित कई प्रकार के उपकरणों का विकास किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस का उत्पादन वाणिज्यिक आधार पर करने का है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) यह व्यावसायिक उपस्कर हैं तथा अभी इन का उत्पादन भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड मुख्यतया पुलिस फोर्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के इरादे से कर रहा है। तथापि भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड अन्य प्राधिकृत ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करेगा।

केरल में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना

833. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर** :

डा० हेनरी आस्टिन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार उस राज्य में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना के लिए बार-बार अनुरोध करती रही है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ख) क्या कोचीन में परियोजना की स्थापना के लिए वहां पर्याप्त नेफथा उपलब्ध है और यदि हां, तो इस मामले में निर्णय न करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : नवम्बर, 1970 में केरल सरकार ने कोचीन परिष्करण माला द्वारा उत्पादित नेफ्था पर आधारित कोचीन में एक पेट्रो-रसायन समूह की स्थापना करने का प्रस्ताव दिया था। राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया था कि 1973 के बाद देशीय नेफथा की उपलब्धि में पूर्वानुमानित कमियों के संदर्भ में कोचीन में पट्रो-रसायन समूह की स्थापना करना संभव नहीं है।

भारतीय भूभाग के ऊपर से अमरीकी विमान की उड़ान

834. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 जून, 1972 को नौसेना के कर्मचारियों को ले जा रहे अमरीकी विमान को बम्बई हवाई अड्डे पर उतरने का आदेश दिया गया था क्योंकि वह अनुमति प्राप्त किये बिना वायु सीमा का अतिक्रमण कर रहा था ;

(ख) यदि हां, तो घटना के संक्षेप में तथ्य क्या है; और

(ग) पुनः ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : जी, हां । कैपिटोल इंटर नेशनल एयरवेज इनकार्पोरेटेड नेशविल, टेन, यू० एस० ए० ने बैंकाक जाने वाले अपने डी० सी०-8 विमान के लिये 20 व 23 जून के बीच भारत के ऊपर से उड़ान करने की अनुमति मांगी थी । क्योंकि विमान को दोनों ही ओर सैनिक (नौसनिक) कर्मचारी ले जाने थे, अतः उसके परिचालकों को 17 जून 1972 को सूचित किया गया कि उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती ।

21 जून को तेहरान से बैंकाक को उड़ान कर रहे उपर्युक्त कम्पनी के एक विमान ने बम्बई के उड़ान सूचना केन्द्र से सम्पर्क स्थापित किया, और क्योंकि इस विमान को भारत के ऊपर से उड़ान करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, इसलिये इसे बम्बई में उतार लिया गया । विमान यूनिफार्मधारी 107 अमरीकी नौसैनिक ले जा रहा था तथा उड़ान यू० एस० वायुसेना द्वारा चार्टर की गयी थी ।

22 जून की शाम को, विमान को उड़ान भरने के पश्चात् किसी भी स्थान पर भारतीय भूभाग के ऊपर से उड़ान किये बग़ैर रवाना होने की अनुमति दे दी गयी । यह विमान भारतीय भूभाग के किसी भी अन्य स्थान के ऊपर से उड़ान किये बिना खुले समुद्र के ऊपर से उड़ान कर गया । यह मामला राजनयिक माध्यम से यू० एस० प्राधिकारियों के नोटिस में लाया गया तथा उन्हें विदेशी विमानों द्वारा हमारे भूभाग के ऊपर से उड़ान करने संबंधी हमारी नीति को स्पष्ट कर दिया गया ।

Setting up of Alkaloid Factory at Neemuch (Madhya Pradesh)

835. **Dr. Laxminarayan Pandey :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the progress made in regard to the construction of Alkaloid Factory being set up at Neemuch, Madhya Pradesh ;

(b) the total expenditure likely to be incurred thereon ; and

(c) the names of the places where such factories are functioning in the country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) *Civil Works.*

Shells of Production Blocks have been constructed. The balance items of work in the Production Blocks *viz.*, Flooring, Plastering and Painting of walls, etc., will be undertaken after the installation of the plant and equipment. Most of the auxiliary buildings and sewerage has also been nearly completed. Work on the provision of various other services is in progress.

Plant & Equipment.

D.G.S.&D. have already placed orders for the supply of most of the items of standard mechanical equipment. About 20% of the total electrical works in the Production Blocks have been completed. Out of 202 Stainless Steel and Glass Lined Vessels, work on 47 Vessels is in progress and dished ends of 4 Vessels have been pressed. However, Bharat Heavy Plate & Vessels, Visakhapatnam—a Public Sector Undertaking—are experiencing

considerable difficulty in the procurement of structural steel required for the project. They hope to procure structural steel by end of September, 72 and propose to commence fabrication/erection of steel structures at site soon thereafter. The erection of Vessels and items of equipment which have to be installed on the steel structures will necessarily have to wait the erection of steel structures.

(b) As per sanction conveyed on 1-10-71, total expenditure likely to be incurred on the Alkaloid Factory is Rs. 164.09 lakhs.

(c) The only other factory in which Opium Alkaloids are manufactured in the country is at Ghazipur (U.P.).

Tunnel at P. O. Ws. Camp, Allahabad

836. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the Prisoners of War kept in P. O. Ws. Camp, Allahabad, dug a 90 fee long 5 feet broad and 9 feet deep tunnel on 18th May, 1972 ;

(b) whether the said tunnel connects that part of barracks which fall in Faizabad Road where Junior Commissioned Pak officers are staying ; and

(c) if so, the full information in this regard and the action taken or proposed to be taken in the matter ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) A tunnel consisting of a vertical pit about 90 feet long, 2 feet broad and 10 feet deep, was found dug in a Prisoners of War Camp at Allahabad on 17th May 1972.

(b) The tunnel was dug by the junior Commissioned Officers POWs in the area of their living barracks and was in the direction opposite to Faizabad Road.

(c) Enquiries have been held and the details ascertained have helped in adequate remedial measures being taken. No lapse on the part of Camp staff was found. Security has been tightened in order to prevent recurrence of such events.

बिड़ला कम्पनियों के प्रधान कार्यालयों को पश्चिम बंगाल के बाहर स्थानान्तरित करना

837. श्री के० मालन्ना : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिड़ला बन्धुओं ने ओरियंटल पेपर मिल तथा हिंडलको के अपने पंजीकृत प्रधान कार्यालयों को पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानान्तरित कर दिया है ।

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ;

(ग) क्या उन्होंने अपने प्रधान कार्यालयों के स्थानांतरण के लिये पूर्ण अनुमति प्राप्त की थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) मैसर्स ओरियंट पेपर मिल्स लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय 1947 के उच्च न्यायालय के अनुमोदन से बंगाल से उड़ीसा को स्थानान्तरित किया गया था । कम्पनी ने सूचित किया है कि उसका एक कार्यालय कलकत्ता में था, जिसके कर्मचारी वर्ग को अनेक और कम्पनीयों, जिनके कार्यालय उसी परिसर में थे, जहाँ कि इस कम्पनी का कार्यालय था, के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन एवं बलप्रयोगों कार्यवाहियां करने के कारण, 1970 में कलकत्ता के बाहर कम्पनी के स्थापन में कर्मचारियों को स्थानान्तरित करना पड़ा था । वर्तमान में थोड़े वरिष्ठ अधिकारी अपने निजी स्टाफ के साथ कम्पनी के प्रबन्ध एवं अन्य आवश्यकताओं की देखभाल के लिए कलकत्ता में है ।

मैसर्स हिन्दुस्तान अल्मूनियम कारपोरेशन की बाबत, यह है कि इसका पंजीकृत कार्यालय, इंडस्ट्री हाउस, चर्च गेट रिक्लेमेन्शन, बम्बई-1 से, 1 सितम्बर 1970 को सेन्चुरी भवन, डा० एनी बझन्ट रोड, बम्बई-25 को स्थानान्तरित कर दिया गया था। इस कम्पनी का एक मुख्य कार्यालय बिक्री एवं प्रकाशन कार्यालय, इन्डस्ट्री हाउस, कलकत्ता में था, जो कलकत्ता में श्रमिकों एवं अन्य कठिनाइयों के कारण कार्य के लिये कुछ समय पहले रेणुकट (उत्तर प्रदेश) में स्थानान्तरित कर दिया गया था। एक कम्पनी के मुख्य का लिय अथवा किसी अन्य कार्यालय के स्थानान्तरण के लिए कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत, सरकार के अनुमोदन की अपेक्षा नहीं होती।

(घ) उत्पन्न नहीं होता।

जनेवा सम्मेलन के उपबन्धों का भारतीय सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों पर लागू होना

838. **श्री वी० वी० नायक :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्धबन्दियों के संदर्भ में सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों तथा अधिकारियों पर भी जेनेवा सम्मेलन के उपबन्ध लागू होते हैं ;

(ख) क्या इस दृष्टि से कि हाल ही के भारत पाक युद्ध में उन्होंने भी वैसे ही कार्य किए थे इसलिए सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों तथा अधिकारियों की सेवायें भी भारतीय सेना की सेवा-शर्तों के अनुसार नियमित की जायेंगी; और

(ग) क्या सीमा सुरक्षा दल तथा उसके कृत्यों के बारे में सैनिक अधिकारियों की ओर से कोई विरोध प्रकट किया गया है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है; और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) सीमा सुरक्षा दल एक अर्द्ध सैनिक दल है और इसी लिए इस दल से सम्बधिन्त कार्मिकों की सेवा की शर्तें नियमित सेना के कार्मिकों की सेवा की शर्तों से भिन्न हैं। हाल के युद्ध में सीमा सुरक्षा दल और भारतीय सेना द्वारा किये गये कार्य एक जैसे नहीं थे।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

सिड़नी में भारतीय उप-उच्चायुक्त के पुत्र द्वारा हशीश की तस्करी

839. **श्री हरी सिंह :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया में भारत के उप उच्चायुक्त के पुत्र को हशीश की तस्करी के आरोप में सिडनी पुलिस द्वारा रोक लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह व्यक्ति राजनयिक पारपत्र पर आस्ट्रेलिया जा रहा था ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी घटनाएं रोकने लिए सरकार क्या कदम उठाएगी ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) : सिडनी में भारत के उप-उच्चायुक्त के पुत्र श्री जवाहर बरूआ अपके माता-पिता के साथ अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आस्ट्रेलिया गए। उनके पास राजनयिक परिपत्र था। 23 मई 1972 को उनके सिडनी हवाई अड्डे पर पहुंचने

पर आस्ट्रेलिया के सीमाशुल्क अधिकारियों को पता चला कि श्री बरूआ के सूटकेस में दो किलोग्राम हशीश है। आस्ट्रेलिया के सीमाशुल्क अधिकारियों ने सूटकेस तथा अवैध नार्कोटिक्स को पकड़ लिये और श्री बरूआ को भारत वापस भेजने का निर्णय किया।

2. 25 मई 1972 को श्री बरूआ के बम्बई पहुंचने पर सीमाशुल्क अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार किया और उन्हें 2,000 रु० की जमानत पर रिहा कर दिया। इस्तगासे की कार्यवाही की जाने पर चीफ् प्रेसीडेंसी मेजिस्ट्रेट ने एक वर्ष के लिए उनके 1,000 रु० के मुचलके किए। इससे उनको भविष्य में कोई असुविधा नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, अवैध रुप से हशीश का निर्यात करने से सम्बन्धित मामले में विभागीय न्यायनिर्णय की कार्यवाही के दौरान श्री बरूआ पर 200 रु० व्यक्तिगत दंड लगाया गया। श्री बरूआ में उक्त रकम की अब अदायगी कर दी है।

3. राजनयिक पारपत्र रखने वाले व्यक्ति राजनयिक विशेषाधिकारों का उपयोग केवल उन्हीं देशों में कर सकते हैं जिन देशों के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है और इस लिए विदेशों में राजनयिकों के रूप में प्राधिकृत लिये गये भारतीयों की अन्य नागरिकों की तरह ही भारतीय सीमा शुल्क विभाग द्वारा जांच पड़ताल की जा सकती है। यह घटना इस प्रकार की एक अलग ही घटना है। नार्कोटिक्स के तस्कर निर्यात को रोकने के लिए तस्कर-व्यापार विरोधी सामान्य उपाय पहले ही लागू किए गए हैं।

Views of I.R.C.C. regarding the Treatment of POWs in India and Pakistan

840. Dr. Laxminarayan Pandey : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the International Red Cross Committee has recently praised the behaviour of the Indian Army with Pakistani P.O.Ws;

(b) whether the Committee has also condemned the atrocities committed on Indian P.O.Ws in Pakistan and their maltreatment by the Pakistani army; and

(c) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir. The International Committee of Red Cross have been satisfied with our treatment of the Pakistani Prisoners.

(b) and (c): Some instances of alleged inhuman treatment to Indian Army personnel in the hands of Pakistan, were referred to International Committee of Red Cross for investigation but their reply is still awaited.

छावनी बोर्ड के प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के बीच समझौते के ज्ञापन को लागू न करने के बारे में शिकायतें

841. श्री सतपाल कपूर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी बोर्ड के प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच समझौते के दिनांक 20 नवम्बर 1966 के ज्ञापन को लागू न करने के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो समझौते के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख): छावनी बोर्ड के कतिपय कर्मचारियों को कतिपय तथाकथित परिलब्धियों की बकाया की पूर्वव्यापी अदायगी के बारे में 20 नवम्बर 1966 को छावनी बोर्ड, अम्बाला के बारे में समझोते को क्रियान्वित न करने के सम्बन्ध में अखिल भारतीय छावनी बोर्ड महासंघ द्वारा अभ्यावेदन दिये गए हैं। महासंघ अपने दावे को छोड़ने के लिए सहमत हो गया था, परन्तु उसमें अब हरियाणा औद्योगिक अधिकरण के सामने आवेदन किया है। उसके निष्कर्ष की प्रतीक्षा की जा रही है।

पाकिस्तान में भारतीय युद्ध बन्दियों को मार दिया जाना

842. **श्री पीलू मोदी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जून, 1972 के साप्ताहिक 'आर्गेनायजर' में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान के कब्जे में एक हजार से अधिक भारतीय युद्ध बन्दी मार दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) सम्भवत: लेखक समय समय पर घोषित सशस्त्र सेना कार्मिकों के लापता तथा मृत्तकों की संख्या से इस निष्कर्ष पर आए प्रतीत होते हैं। कुल आंकड़े इस बात से परिवर्तित होते रहते हैं जिस प्रकार से रक्षा सेवाएं लापता व्यक्तियों को वर्गी-कृत करती है। कई कार्मिक पहले लापता घोषित कर दिए जाते हैं क्यों कि युद्ध में उनकी मृत्यु का कोई पक्का सबूत नहीं मिलता। कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें युद्ध के दौरान पहले लापता घोषित किए गये व्यक्ति बाद में अपनी यूनिटों में आ जाते हैं अथवा उन्हें घायल अवस्था में उठा लिया जाता है। कुछ व्यक्ति जिन्हें मूलत: लापता घोषित किया जाता है बाद में वे शत्रु के पास युद्ध बन्दी के रूप में पाये जाते हैं। इसी प्रकार मृतकों की संख्या में इन कारणों से वृद्धि हो जाती है (1) कुछ घायल कार्मिकों के मर जाने के कारण (2) पहले लापता घोषित व्यक्ति बाद में मृत्तक पाये जाने के कारण तथा (3) युद्ध-विराम घोषित हो जाने के पश्चात होने वाले हताहतों के कारण उपर्युक्त को देखते हुए लेख में दिये गये दावे के सम्बन्ध में सरकार किसी प्रकार का समर्थन करने में असमर्थ है।

तस्करी के आरोप में विदेशियों की गिरफ्तारियां

843. **श्री शशिभूषण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, तस्करी के आरोप में देश में कुल कितने विदेशियों को गिरफ्तार किया गया;

(ख) उनके कब्जे से कितनी कीमत का सामान बरामद किया गया; और

(ग) उन विदेशियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) इस बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

आयकर अधिकारियों द्वारा दिल्ली में छापे

844. **श्री सरजू पांडे** :

श्री बी० के० दासचौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने दिल्ली में भव्य इमारतों की निर्माण लागतों के विषय में खातों में हुई अनियमितताओं की जांच करने के लिए 15 आर्किटेक्टों, भवन इंजीनियरों के कार्यालयों और घरों पर हाल ही में छापे मारे थे ;

(ख) क्या इन छापों में अपराध की पुष्टि करने वाले साक्ष्य मिले हैं;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां, । 11 जुलाई, 1972 को 10 वास्तुकारों के व्यापार तथा आवासपरिसरों की तलाशी ली गई थी और 5 वास्तुकारों के कार्यालय परिसरों का धारा 133क के अन्तर्गत सर्वेक्षण किया गया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) आरंभिक जांच से यह प्रकट हुआ है कि वास्तुकारों द्वारा कुछ ऐसे प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं जिनमें सम्पत्तियों का मूल्यांकन वास्तविक निर्माण लागत से कम बताया गया है । कुछ अन्य मामलों में निर्माण की जितनी लागत खाता वहियों में दिखाई गई है उसके और वास्तव में खर्च की गई रकम के बीच बहुत अधिक अन्तर है ।

(घ) पकड़े गए दस्तावेजों की जांच की जा रही है । जांच-पड़ताल पूरी हो जाने के बाद जो कार्यवाही अपेक्षित होगी, वह की जाएगी ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकरण के बारे में मालवीय समिति

835. **श्री सरजू पांडे** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकरण के बारे में नियुक्त मालवीय समिति ने सिफारिश की है कि भारत को खोज के लिए विदेशी में तेल सम्बन्धी रियायतें प्राप्त करनी चाहिए;

(ख) क्या सरकार ने सिफारिश स्वीकार कर ली हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) जी हां ।

(ख) और (ग) रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है । तो भी, यह सरकार का, देश को अधिकतम संभव कच्चे तेल की मांग को पूरा करने के लिए मध्य पूर्व और सुदूर पूर्व देशों से भूवैज्ञानिकी दृष्टि से आकर्षक भागों में तेल खोल के अधिकार लेने का सदैव ही प्रयत्न रहा है । तदनुसार, 1965 में, ओ०एन० जी०सी०ने ईरान में नेशनल ईरानियन आयल कं०, इटली की "एजिप" तथा अमरीका की फिलिप्स पेट्रोलियम के साथ एक संयुक्त अतटीय अन्वेषण उद्यम में 1/6 भाग प्राप्त किया है, जिसे "इमिनाँ को" कहते हैं । इस उद्यम ने अब तक दो तेल क्षेत्र, जिन्हें "रुस्तभ" और "रक्ष" कहते हैं, पाया है तथा और आगे अन्वेषण जारी है ।

तत्पश्चात्, 1968 में, ओ० एन०जी०सी० ने दक्षिण इराक में भूमि पर रियायत में साझेदारी प्राप्त करने की संभावनाओं की खोज की थी । परन्तु विस्तार पूर्वक तकनीकी-आर्थिक आधार पर यह मामला और आगे नहीं बढ़ाया गया । जकार्ता में हमारे दूतावास के सहयोग से इण्डोनेशिया में अन्वेषण के अवसर खोजे गए परन्तु यह मालूम हुआ कि अच्छे संभाव्य क्षेत्र पहले से ही पट्टे पर दिए जा चुके हैं । 1971 में बर्मा आयल कम्पनी से प्राप्त सोमालिया में अन्वेषण उद्यम में भाग लेने के एक पेशकश को भूगर्भीय तथा आर्थिक कारणों से, अस्वीकार करना पड़ा था ।

1971 में, ओ० एन० जी० सी० की एक तकनीकी टीम ईराक में, ईराक नेशनल आयल कम्पनी के द्वारा बोलियों के लिए खुले क्षेत्रों के भूगर्भीय संभावनाओं को मालूम करने के लिए भेजी गई । टीम की सिफारिशों के अनुसरण में, और अधिक प्रयत्न नहीं किये गये । तो भी ईराक द्वारा हाल

में ही नये क्षेत्रों के लिए टेंडर मंगाने पर, ओ० एन जी० सी० ने तेल के अन्वेषण के लिये बोली दी है। यह बोली ओ० एन० जी० सी० के द्वारा इन क्षेत्रों की तेल की संभाव्यताओं विस्तार से भूगर्भीय और आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर दी गई थी।

सरकार निकट के देशों में, प्रत्येक मामले वे अलग अलग आधार पर तेल अन्वेषण के सभी मांगों के अन्वेषण को जारी रखेगी।

ईराक से अशोधित तेल का आयात

846. श्री सरजू पांडे :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक सरकार द्वारा ईराक पेट्रोलियम कम्पनी के राष्ट्रीयकरण से ईराक से भारत को कम दर पर अशोधित तेल के आयात की संभावनाएं हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त संभावनाओं का पूरा उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) ईराक से अभी तक कच्चा तेल आयात नहीं किया गया है। किन्तु ईराक देश के साथ ट्रेड एग्रीमेन्ट (व्यापार समझौते) के अनुसार भारतीय तेल निगम ने 31 दिसम्बर, 1972 तक नदर्न रुमिला क्रूड आयल की 250,000 मीटरी टन की सप्लाई के लिए ईराक नेशनल आयल कम्पनी के साथ एक करार के सम्बन्ध में बातचीत कर ली है। इस करार के अनुसमर्थन के पश्चात् यह (करार) लागू होगा तब तक करार की अन्य शर्तें एवं मूल्य को बताना जनहित में नहीं होगा।

जीवन बीमा निगम के पूंजी-निवेश में विषमताएं

847. श्री सरजू पांडे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के पूंजी निवेश में विद्यमान पूंजी निवेश में विषमताएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या जीवन बीमा निगम के विद्यमान पूंजी–निवश में क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) हाल में जीवन बीमा निगम के निवेशों का जो अध्ययन किया गया है उसके अनुसार जीवन बीमा निगम के निवेश में अब जो प्रादेशिक असमानताएं हैं वे 1957 में विद्यमान असमानताओं से बहुत कम हैं। उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी तथा-कथित पिछड़े राज्यों ने जीवन बीमा निगम के निवेषों के सम्बन्ध में, 1957 की स्थिति की तुलना में, अपनी स्थिति सुधार ली है। जब तक विभिन्न राज्यों के बीच, निवेश के लिए उपलब्ध अवसरों में और निवेशों को आत्मसात करने की संस्थात्मक सामर्थ्य में अन्तर बना रहेगा, तब तक जीवन बीमा निगम के निवेशों में कुछ हद तक प्रादेशिक असुन्तलन बना रहना अवश्यभावी है। फिर भी, इन असन्तुलनों को कम करने के कुछ और विशिष्ट उपायों पर इस समय सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

ईराक से शोधन के लिए अशोधित तेल

848. श्री भोगेन्द्र झा :

श्री ई० वी० विखे पाटिल :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक ने भारत को शोधन के लिए 10 लाख टन अशोधित तेल बेचने का वचन दिया है और यदि हां, तो इस सौदे की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) क्या इस अशोधित तेल का उपयोग बरौनी तेल शोधक कारखाने में किया जाएगा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां। भारतीय तेल निगम ने ईराक नेशनल आयल कम्पनी के साथ 31 दिसम्बर, 1972 तक 250,000 मीटरी टन तक उत्तरी रुमेला कच्चे तेल की सप्लाई के लिये एक करार किया है। मूल्य तथा करार की अन्य शर्तों को बताना जनहित में नहीं होगा। दिसम्बर, 1972 के बाद सप्लाई की जाने वाली शेष मात्रा के लिये एक नया करार किया जाएगा।

(ख) जी हां।

भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध बन्दियों की अदला-बदली

849. श्री भोगेन्द्र झा :

[श्री प्रसन्नभाई मेहता :]

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1971 में युद्ध-विराम के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल संख्या में युद्ध बन्दियों की अदला-बदली की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : केवल सख्त बीमार और जखमी युद्ध-बन्दियों को अभी तक स्वदेश लौटाया गया है। उनकी संख्या इस प्रकार है :—

पाकिस्तान को लौटाये गए पाकिस्तानी युद्ध-बन्दी	299
भारत को लौटाए गए भारतीय युद्ध-बन्दी	27

इस के अतिरिक्त, एक भारतीय नागरिक भी पाकिस्तान से स्वदेश भेजा गया है।

इंडियन आयल कर्मचारी संघ, पूर्वी शाखा, का ज्ञापन

850. श्री भोगेन्द्र झा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कर्मचारी संघ, पूर्वी शाखा, 1 शेक्सपीयर सरणि, कलकत्ता 16, ने मंत्री महोदय और अन्य प्राधिकारियों को एक ज्ञापन दिया है जिसमें विशेषकर मार्किटिंग डिविजन में भ्रष्टाचार आदि के बारे में शिकायत की गई है और जांच आयोग का गठन किए जाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां। दो ज्ञापन (अर्थात एक दिनांक 28-5-72 तथा दूसरा दिनांक 14-5-72) प्राप्त हुए थे।

(ख) दिनांक 28-5-72 के ज्ञापन में भारतीय तेल निगम को मामले की जांच के लिए प्रार्थना की गई थी। इन आरोपों की जांच हेतु भारतीय तेल निगम ने एक समिति का गठन किया था। इस जांच के परिणामस्वरूप, एक ट्रान्सपोर्ट कम्पनी को, जो दोषी पाई गई थी, एक वर्ष की अवधि के लिए काली-सूची में रखा गया है। अनुज्ञेय मात्रा से अधिक मात्राओं को ले जाने के लिए कतिपय राशियों की वसूली के अतिरिक्त, यह दण्ड भी दिया गया था। भारतीय तेल निगम ने, ट्रान्सपोर्ट ठेकेदारों द्वारा की गई अनियमितताओं से बचने के लिए अपने सभी ब्रांच मैनेजरों को भी अनुदेश जारी किये हैं। जांच करने के बाद यह पाया गया था कि ज्ञापन में कथित किसी अनियमितता के लिए भारतीय तेल निगम के सम्बद्ध अधिकारियों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था।

अन्य ज्ञापन दिनांक 14 मई, 1972 की जांच की जा रही है।

Measures to Unearth Black Money

851. Shri M. C. Daga :
Shri Nathu Ram Ahirwar :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the concrete steps proposed to be taken by Government to unearth black money and the reasons for its continuous increase; and

(b) whether Government have decided that the demonetisation of currency would not be helpful to unearth the black money ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) Government have taken a number of steps in the past, both administrative and legislative to unearth black money. The problem is constantly engaging the attention of Government.

The reasons for the continuous increase of black money are given in the Wanchoo Committee's Report. This Report and the Committee's recommendations are now under examination. Some of the recommendations have already been incorporated in the Finance Act, 1972.

(b) The Government do not consider that demonetisation of currancy notes provides the answer to the problem of black money.

Setting up of an Oil Refinery at Sawai Madhopur (Rajasthan)

852. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the Central Government had a proposal to set up an Oil Refinery at Sawai Madhopur in Rajasthan and a decision to that effect was also taken ; and

(b) if so, the reasons for setting it up in Mathura (Uttar Pradesh) instead of Sawai Madhopur ?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale) : (a) & (b). In connection with a proposal to set up an oil refinery of a capacity of about 6 million tonnes per annum in the north-west region of the country, the merits of various possible locations, including Sawai Madhopur in Rajasthan and Mathura in U.P., were evaluated. Taking into account techno-economic considerations and other relevant factors, Mathura has been adjudged the most suitable location for this refinery.

Duty-Free Cigarettes made for the Navy

853. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether 'I.N. Ships only' is printed on every Cigarette made for the Navy ;

(b) whether these cigarettes are duty-free and sold to the Navy personnel at cheaper rates and if so, the reasons for selling these cigarettes in shops and hotels of Bombay at higher rates ; and

(c) whether Government would take steps to check it ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir. The indigeneously produced cigarettes which are supplied duty free to IN Ships are marked "IN Ships only."

(b) and (c): The cigarettes sold to Naval personnel serving afloat are duty free and, therefore, are cheaper. As, before the sale of duty free cigarettes to the Naval personnel, the cellophane covers and seals of the packets are removed, there are no chances of these cigarettes being sold elsewhere. However, information regarding alleged sale of these cigarettes in shops and hotels in Bombay and the steps taken to check it is being collected and will be laid on the table of the House.

Setting up of Branches of Nationalised Banks

854. Shri Shiv kumar Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of Branches of Nationalised Bank set up after Bank Nationalisation;

(b) the extent to which the difficulties hitherto faced by the ordinary persons in obtaining loan from the banks have been removed ; and

(c) whether any Department has been set up within each Branch for supplying information in regard to grant of loan in rural areas ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) Nationalised banks have opened 3023 branches between 19th July, 1969 and 30th June, 1972.

(b) A phenomenal increase in the number of borrowers belonging to priority sector from 2.82 lakhs in June, 1969 to 13.05 lakhs by the end of December 1971 in respect of public sector banks, will indicate the extent to which the difficulties of the ordinary persons in obtaining loans from the banks have been reduced. There has been a marked shift in the lending policy of the banks which now lay greater stress on viability of the proposal, integrity, experience and competence of the borrower rather than the nature and the extent of security. On receipt of specific complaints about the difficulties faced by the borrowers, the matter is looked into carefully by all concerned and appropriate remedial action is taken.

(c) Officials of bank branches indicate to the local people the types of loan facilities and assist applicants in filling up the forms prescribed by the banks. The banks have also come out with publicity brochures, explaining in simple language to the farmers and other small borrowers how loans may be obtained for different productive purposes and what the borrower has to do to secure such loans.

Priority Accorded to Ganga Project by World Bank

855. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the World Bank has included Ganga Project in its list of top priority projects ;

(b) if so, the main features of the project; and

(c) the time by which the said project will be completed ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) No proposal for obtaining World Banks' assistance for development of Ganga Basin Area has been made by the Government of India to the World Bank.

(b) and (c): Do not arise.

मिट्टी के तेल और डीजल का उत्पादन बढ़ाना

856. श्री भान सिंह भौरा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मिट्टी के तेल और डीजल तेल के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि करने के लिए कार्यवाही कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख): मध्य आसुतों (मिडिल डिस्टिलेट्स) जिनमें मिट्टी का तेल एवं डिजल दोनों शामिल हैं के उत्पादन को बहुत अधिक बढ़ाने में सरकार का सदा प्रयास है। मध्य आसुतों के उत्पादन में वृद्धि, निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की गई हैं :—

(i) परिष्करणशाला के शोधन में उपयुक्त परिवर्तन ;

(ii) उस उद्देश्य, जिसके लिये इन उत्पादनों का प्रयोग किया जाता है, को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने बिना, उक्त उत्पादनों की विशिष्टियों में यथा सम्भव उपयुक्त सामंजन ।

वर्ष 1970 तथा 1971 में प्राप्त मध्य आसुतों के समस्त प्रतिशतता उत्पादन तथा चालू वर्ष के दौरान अनुमानित प्रतिशतता उत्पादन में सुधार इस प्रकार है :—

1970 . . .	46.3 प्रतिशत
1971	47.6 प्रतिशत
1972 (अनुमानित)	47.9 प्रतिशत

राष्ट्रीकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की भर्ती

857. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीकृत बैंकों को निदेश जारी किया था कि इन बैंकों में कर्मचारियों की भर्ती के मामले में सरकारी सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी नियमों का क्रियान्वयन सख्ती के साथ किया जाए ;

(ख) क्या पंजाब में कार्य करने वाले किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक ने इन निदेशों के क्रियान्वयन की परवाह नहीं की; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इन बैंकों द्वारा उक्त निदेश का सख्ती से क्रियान्वय सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हाँ । सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को सरकार द्वारा अनुदेश दे दिए गए है कि वे भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसुचित जनजातियों के लिए सुरक्षित कोटे से संबंधित नियमों का पालन करें ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

विदेशी मुद्रा के घोटाले का पता चलना

858. **श्री आर० के० सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 जुलाई, 1972 के 'ब्लिट्स' में इंटरपोल एंड राजकोट कस्टम्स बस्ट एक्सचेंज रैकेट शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) भारतीय मुद्रा के 2 लाख रुपये के नोटों को नार्वे की पुलिस ने नहीं अपितु दिल्ली में तस्कर-व्यापार विरोधी अधिकारियों ने पकड़ा था । यह भी सच नहीं है कि इस मामले से अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस (इण्टर पोल) का सम्बन्ध है । समाचारों में उल्लिखित कतिपय अन्य विवरण भी सही नहीं है । नोट पकड़ने के इस मामले के बारे में इस विषय पर कानून की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

इंडो बर्मा पेट्रोलियम कंपनी द्वारा बालमेर लारी के शेयरों का अर्जित कर लेना

859. श्री एस० सी० सामन्त :

डा० रानेन सेन :

क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयल कार्पोरेशन और पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उनके मंत्रालय से इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी द्वारा बालमेर-लारी से 'उनकोव' शेयरों के अर्जन से पूर्व परामर्श किया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार और इण्डो-बर्मा पैट्रोलियम कम्पनी के लिए इस कम्पनी में आधे से अधिक शेयर प्राप्त करने के लिए बालमेर-लारी के 51 प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयर प्राप्त करना आवश्यक था ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख) : पैट्रोलियम एवं रसायन मंत्रालय में कम्पनी कार्य विभाग से परामर्श किया है। इण्डो बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 372(4) के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था, एवं वह अनुमोदित कर दिया गया।

पकड़ी गई प्रतिरक्षा सामग्री बंगला देश को सौपना

860. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दिसम्बर-संघर्ष के दौरान बंगला देश में पकड़े गये हथियार और गोला बारूद एवं रक्षा सामग्री के किसी भाग को बंगला देश को सौंप दिया गया है अथवा सौंपा दिया जा रहा है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : इस प्रकार का उत्तर देना जन-हित में नहीं होगा।

भारतीय तेल निगम से भारत-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी को अलग करना

861. श्री एस० सी० सामन्त :

श्री अरविन्द नेजाम :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-बर्मा पैट्रोलियम कम्पनी जिसे कि भारतीय तेल निगम ने अपने अधीन ले लिया था, और जिसे अब स्वतंत्र इकाई के रुप में कार्य करना है ; को भारतीय तेल निगम से अलग करने के क्या कारण हैं ;

(ख) इस व्यवस्था की अन्तर्निहित बातें क्या हैं और इसके कारण भारतीय तेल निगम को कितनी हानि अथवा लाभ होगा ;

(ग) मैसर्स स्टोल ब्रदर्स, जिससे भारत-बर्मा पेट्रोलियम खरीदा गया था, को कितनी राशि का भुगतान किया गया तथा पूंजी निवेश का क्या होगा ; और

(घ) भारत-बर्मा पेट्रोलियम की नई व्यवस्था का संविधान क्या है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कं० लि० (आई बी पी) के अधिग्रहण के साथ, बामर लारी एंड कम्पनी लि० और तदनुसार उसकी चार सहायक कम्पनियों—(1) ब्रिज एंड रुफ कं० (इंडिया) लिमिटेड; (2) स्टीर कण्टेनर्स लिमिटेड; (3) इन्डस्ट्रियल कंटेनर्स लिमिटेड; और (4) बीको (BIECCO) लॉरी लि० के हितों को नियंत्रित करने से, आई बी पी का अ-पेट्रोलियम व्यापार बहुत बढ़ गया है। दूसरी ओर, आई

ओ सी के हाथ में जो कार्य पहले से ही है वह बहुत बड़ा, जटिल और बढ़ने वाला है। तदनुसार यह निश्चय किया गया है कि पहले कदम के तौर पर, आगामी पुनर्गठन होने तक, बाँबर लारी और उसकी चार सहकारियों सहित आई बी पी सीधे सरकार के नियंत्रण में स्वतंत्र रूप से कार्य करे।

(ख) इस प्रबन्ध का मतलब यह होगा कि भारत के राष्ट्रपति आई बी पी में आई ओ सी के शेअर (होल्डिंग) को उनके क्रय मूल्य पर आई ओ सी से खरीद लेंगे। अतः आई ओ सी को, इन शेयरों को सरकार को हस्तांतरित कर देने पर, उसकी लगी पूंजी पर कोई हानि या लाभ न होगा। जहां तक लगी हुई इस पूंजी का सम्बन्ध है, आई ओ सी, आई बी पी से लाभांश के रूप में इन शेयरों के पुस्तक मूल्य पर 14 प्रतिशत प्राप्त करती रही है जबकि 1971–72 में आई ओ सी के लगे पूंजी पर लाभ 19.5 प्रतिशत का था।

(ग) जनवरी, 1970 में आई ओ सी में आई बी पी में 5,79,400 शेयरों को खरीदने के लिए मैसर्स स्टील ब्रदर्स को 73,13,477 रुपये दिये। आई ओ सी को यह राशि चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण रूपेण दे दी जाएगी, जबकि लगी पूंजी सरकार को होगी।

(घ) आई बी पी के निदेशकों के बोर्ड का पुनर्गठन शेयरों के सरकार को वास्तव में हस्तान्तरित हो जाने के बाद किया जायेगा।

एस्सो और बर्मा शैल द्वारा अपनी भारतीय कम्पनियों को संयुक्त उद्यमों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव

862. श्री निहार लास्कर :

श्री शशि भूषण :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस्सो और बर्मा शैल अपनी भारतीय कम्पनियों को संयुक्त उद्यमों में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर निर्णय लेने हेतु फिर से प्रयत्न कर रही है ;

(ख) क्या इन दोनों कम्पनियों का प्रस्ताव वर्तमान तेल शोधन समझौतों के बारे में सरकार की आपत्तियों को पूरा करता है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : प्रस्ताव विस्तृत परीक्षणाधीन हैं।

कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन

863. श्री निहार लास्कर : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का अनेक मामलों में उल्लंघन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में इस सम्बन्ध में कितने मुकदमें चलाये गये; और

(ग) वर्ष 1971–72 में किन कम्पनियों के विरुद्ध मुकदमें चलाये गये ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) : सूचना संग्रहीत की जा रही है और सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम का संशोधन

864. श्री निहार लास्कर :
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी अधिनियम में कतिपय संशोधन करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) संसद में इस आशय का विधेयक कब प्रस्तुत किया जाएगा ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) हां, श्रीमन ।

(ख) तथा (ग) वर्तमान संसद सत्र में, बहुत शीघ्र कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1972 प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव है ।

सीमा सड़क विकास बोर्ड के सैनिक

865. श्री आर० वी० बड़े : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले छः महीनों के दौरान सीमा सड़क विकास बोर्ड के कितने सैनिकों की सेवाएं समाप्त हो जाने की संभावना है ;

(ख) उक्त बोर्ड द्वारा प्रतिदिन कितनी नैमित्तिक श्रमिक नियुक्त किये जाते हैं; और

(ग) क्या जिन सैनिकों की सेवाएं समाप्त की जाती हैं, उनके लिए वैकल्पिक नौकरी की व्यवस्था की जाती है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) अगले छः महीनों के दौरान सीमा सड़क संगठन के लगभग 1500 सैनिकों (पायनियर) की सेवाएं समाप्त होने की संभावना है ।

(ख) मई 1972 के दौरान प्रतिदिन काम पर लगाए गए अनियमित मजदूरों की औसत संख्या 5718 है ।

(ग) जिन पायनियरों की सेवा समाप्त होंगी उन्हें वैकल्पिक नौकरियां देने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे ।

रक्षा पूर्ति विभाग द्वारा भारतीय उद्यमकर्ताओं को आकर्षित करने के प्रयास

866. श्री पम्पन गौड़ा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रक्षा विभाग की विभिन्न और व्यापक प्रकार की आवश्यक वस्तुओं के निर्माण के लिए भारतीय उद्यमकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए रक्षा पूर्ति विभाग ने क्या प्रयास किए हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

रक्षा पूर्ति विभाग कई एक तकनीकी समितियों के मध्याम से कार्य करता है उनमें से हरेक, युद्ध-सामग्री मद, व्हीकल मद, इलैक्ट्रीकल तथा इलैक्ट्रानिक्स मद, इंजीनियरी मद, समुद्री मद आदि जैसे विशेष किस्म के रक्षा स्टोर का विकास और उत्पादन का कार्य करता है। इन समितियों ने स्टोअर्स की विभिन्न किस्म के उत्पादकों की विस्तृत सूचियां तैयार की हैं। किसी उत्पादक का सूची में नाम

लाने से पूर्व, तकनीकी समिति अपने निरक्षणालय के माध्यम से सम्बन्धित फर्म की क्षमता का मूल्यांकन करता है कि क्या वह फर्म ठीक और पूरी तरह से रक्षा विनिर्देशन के अनुसार विशेष प्रकार के स्टोर बना सकता है। उत्पादक की तकनीकी क्षमता और उन मदों के उत्पादन के लिए जो वे बना सकती है दोनों के सम्बन्ध में यह सूची समय-समय पर अद्यतन् की जाती रहती है। निरीक्षणालय कारखाने से सम्पर्क रखते हैं और इस बारे में लगातार सूचना प्राप्त करते रहते हैं। कुछ निरीक्षणालयों ने ऐसी सूचियां भी प्रकाशित की हैं जिनमें रक्षा प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किस्म कम्पोनेन्ट हैं। इसके अतिरिक्त, जब कभी उद्यमकर्ता रक्षा कार्यों के लिए आवश्यक मदों के उत्पादन में रूचि दिखाते हुए विभाग अथवा तकनीकी समितियों के पास पहुंचता है, उनकी क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए कार्रवाई की जाती है और यदि वे सक्षम पाए जाते हैं तो उनका नाम तकनीकी समिति द्वारा रखी गई सूची में सम्मिलित कर लिया जाता है।

2. वे मद जिन्हें स्वदेशी बनाने की आवश्यकता होती है उन्हें सेवाओं और आर्डनेंस फैक्टरियों द्वारा विभाग को भेज दिया जाता है। मदों को समुन्नत करने तथा उत्पादन करने में जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सम्बन्धित तकनीकी समिति आरम्भिक ड्राइन्गज् और विनिर्देशन तयार करती है, और उसी आधार पर विशेष मद को बनाने के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली सूची में वर्णित विभिन्न उद्यमकर्ताओं से निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं। कुछ मामलों में ड्राइंग और विनिर्देशन अनुसंधान तथा स्थापनाओं द्वारा दिए जाते हैं। जो दरें प्राप्त होती है उनका मूल्यांकन किया जाता है और आर्डर दे दिया जाता है।

3. बहुत से मामलों में उद्यमकर्ताओं को (1) कच्चा माल और देश में उपलब्ध न होने वाले अवयवों का आयात करने, (2) इस्पात तथा कमी वाली वस्तुओं को देने, (3) महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात करने और (4) 'आन अकाउन्ट' अदायगी मन्जूर कर कच्चा माल तथा अवयवों को, प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। जब फर्म आर्डर को एक बार हाथ में ले लेती है तो निरीक्षणालय हर चरण में मार्गदर्शन करता है जैसे विकास, कम उत्पादन और प्रचुर उत्पादन। वास्तव में जटिल मदों के मामले में, अनुसंधान और विकास संगठन के अधीन, चुनी हुई फर्म द्वारा विकास परियोजनाएं चलाई जाती हैं।

4. यह देखा जा सकता है कि रक्षा मदों का देशीकरण करने के लिए विभाग काफी उद्यमकर्ताओं को आकर्षित करने हेतु सतत प्रयत्न कर रहा है। रक्षा सेवाओं द्वारा जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनका दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में कार्य कर रहे नमूना कक्षों में प्रदर्शन किया जाता है। इन नमूना कक्षों में उद्यमकर्ताओं को आमन्त्रित किया जाता है जहां वे अपेक्षित वस्तुओं को केवल देख ही नहीं बल्कि ड्राइंग और विनिर्देशन तथा इस उद्देश्य के लिए वहां पर रखे गए अधिकारियों से वहीं पर मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। जब एक उद्यमकर्ता अपनी रूचि के अनुसार एक मद चुन लेता है तो वह इसके विकास तथा उत्पादन के लिए पेशकश करता है। इसी प्रकार का पेशकश अन्य पार्टियों से भी प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार की सभी पेशकशों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाता है जो वह प्राधिकारी उस फर्म को आर्डर देता है जिसकी पेशकश सर्वोत्तम समझता है।

5. हाल ही में रक्षा पूर्ति विभाग ने उन आयातीत वस्तुओं की एक सूची प्रकाशित की है जिनकी उसे आवश्यकता है। इस सूची की प्रतिलिपियां राज्य उद्योग निदेशकों, वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों, राज्य लघु उद्योग विकास बोर्डों, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और अन्य उद्योगिक संगठनों को भेज दी गई हैं। ऐसी आशा है कि यह सूची उद्यमकर्ताओं में प्रिय हो जाएगी और जिन मदों का स्वदेशीकरण करना है और जिन में वे भाग ले सकते हैं उनको चुनने में सहायता करेगी।

भविष्य निधि बचत पर ब्याज की दर

867. श्री पम्पन गौड़ा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की भविष्य निधि बचत पर ब्याज की दर बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधिन है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). मामलों पर राष्ट्रीय संयुक्त परामर्श-दात्री तन्त्र परिषद (नेशनल काउन्सिल आफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) के कर्मचारी पक्ष के साथ परामर्श कर के विचार किया जा रहा है ।

एयर इंडिया के एक विमान में एक बालक की मृत्यु

868. **श्री वयालार रवि :**

श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जून, 1972 के "ब्लिट्स" में "मर्डर इन दी स्काइज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त घटना के बारे में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी हां, एयर इण्डिया द्वारा इस मामले में एक विस्तृत जांच की गई थी ।

(ग) एक डाक्टर के अनुसार जो उसी उड़ान पर यात्रा कर रहा था और जिसने तुरन्त अपनी सेवाएं स्वेच्छा से प्रस्तुत कर दी थीं बच्चे की मृत्यु उसकी श्वास-प्रणाली के अवरोध एवं सांस घुट जाने के कारण हुई । एयर इण्डिया के प्रतिवेदन पर ब्लिट्ज ने बाद में अपने एक जुलाई, 1972 के अंक में तीन ऐसे यात्रियों से प्राप्त एक पत्र प्रकाशित किया जो उसी उड़ान से यात्रा कर रहे थे । इस पत्र में ब्लिट्ज में प्रकाशित पहली रिपोर्ट का खण्डन किया गया था । ब्लिट्ज के सम्पादक ने भी पत्र के अन्त में एक टिप्पणी दी जिसमें पत्र के विषय-वस्तु का पूर्ण समर्थन किया गया था । बच्चे की माता और उसकी बहन को एयर इण्डिया द्वारा सभी सम्भव सहायता दी गई तथा इस आशय की खास हिदायत जारी की गई कि उनके होटल बिल और उनकी अन्य आवश्यकताओं की लागत एयर इण्डिया को भुगतान के लिए बैरूत भज दिए जाए । बच्चे के माता पिता ने एयर इण्डिया के केबिन कार्मिकों और बैरूत स्थित कर्मचारियों द्वारा दिखाई गई सहानुभूति एवं सहयोग के लिए अपना आभार प्रकट किया है ।

सुपरसैनिक कनकोर्ड विमान की खरीद के लिए एयर इंडिया और ब्रिटिश विमान निगम के बीच करार

869. **श्री वयालार रवि :**

श्री वेकारिया :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवनिर्मित सुपरसोनिक कनकोर्ड विमान खरीदने के लिए एयर इण्डियन में ब्रिटिश विमान निगम के साथ कोई करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं और यह विमान एयर इण्डिया की सेवा में कब तक प्रयोग में लाया जाएगा; और

(ग) क्या करार करने से पूर्व इस विमान के कार्यकारण के बारे में सरकार और एयर इण्डिया पूर्णत: सन्तुष्ट थे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं। एयर इंडिया ने दो विमानों के लिए 'वितरण-स्थान' (डिलीवरी पोजीशन) आरक्षित किए हैं और उनके लिए ऐसे 'स-ब्याज' निक्षेप किये हैं जिन्हें बिना कोई दण्ड दिये किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। इस मामले में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

कोचीन (केरल) के निकट एदकत्तुवायल में हवाई अड्डे का निर्माण

870. श्री वयालार रवि :

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोचीन के निकट एदक्कतुवायल में हवाई अड्डे के निर्माण के बारे में सरकार ने निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या किसी अध्ययन दल ने प्रस्तावित स्थल का दौरा किया है ; और

(ग) यदि हां, तो अध्ययन दल की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). एक सिविल विमान क्षेत्र के सम्भावित विकास के लिए स्थान की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण प्रारम्भ किया जा रहा है।

भारत के विदेशी-मुद्रा रिजर्व पर 'स्टर्लिंग' संकट का प्रभाव

871. श्री वलायार रवि :

श्री के० बालतन्डायुतम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पौंड स्टर्लिंग के मूल्य में गिरावट आने का हमारी अर्थव्यवस्था, विदेशी मुद्रा रिजर्व और बकाया विदेशी ऋण पर क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या 'पौंड स्टर्लिंग' में रुपये का पुनर्मूल्यांकन करने का कोई प्रस्ताव है; और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़े पौंड स्टर्लिंग के दर मुक्त होने के प्रतिकुल प्रभाव को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) हमारी अर्थव्यवस्था पर पौंड स्टर्लिंग के मूल्य में कमी होने का अभी तक कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है।

हमारी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी प्रारक्षित राशियां विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं के रूप में रखी जाती हैं और उनके मूल्य में होने वाला कोई परिवर्तन अन्य आन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में ही हो सकता है। उनके मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव का पता तभी चलता है जब रुपान्तरण किया जाता है; और मूल्य में कमी या वृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि रूपान्तरण किस मुद्रा में किया गया है।

हमारे विदेशी ऋणों पर पड़ने वाला प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उनका परिशोधन किस मुद्रा में किया जाता है। पौंड स्टर्लिंग में की जाने वाली वापसी अदायगियों के सम्बन्ध में, रुपयों की निकासी थोड़ी सी में कमी होगी।

(ख) इस समय रुपयों का पुनर्मूल्यन करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। पौंड स्टर्लिंग की खरीद और बिक्री की दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित कर दी गयी है। ये दरें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा स्वीकृत सीमान्तों के अन्दर अन्दर हैं। ये दरें पौंड के खुला छोड़े जाने से पहले पौंड की दरों की अपेक्षा सामान्तिक रूप से नीची हैं।

(ग) पौण्ड स्टर्लिंग के खुला छोड़े जाने के प्रतिकूल प्रभावों को, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा स्वीकृत सीमान्तों का उपयोग रुपये के मूल्य में अनुचित रूप से होने वाली घटबढ़ को रोकने के उद्देश्य से करके कम कर दिया गया है।

भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में विश्व बैंक का प्रतिवेदन

872. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक में भारतीय अर्थव्यवस्था सम्बन्धी अपने प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया है कि भारत को आत्म निर्भरता के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए और आयात प्रतिस्थापन की नीति पर इतना जोर नहीं देना चाहिए जिससे कि विकास पर कुप्रभाव पड़े ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की अन्य बातें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या भारतीय अर्थव्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन पर 12 और 13 जून को पैरिस में हुई भारत सहायता संघ की बैठक में विचार किया गया था ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) रिपोर्ट में यह बताया गया है कि आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए, आयात-प्रतिस्थापन की अपेक्षा निर्यात-वृद्धि की भूमिका अधिक महत्व-पूर्ण है।

(ख) रिपोर्ट में, एक विशेष रूप से कठिन वर्ष के दौरान भारत की आर्थिक उपलब्धियों की सराहना की गई। इसमें यह बात नोट की गई कि कृषि के क्षेत्र में वृद्धि की दर निरन्तर संतोषजनक रही और भारतीय निर्यात में वृद्धि हुई। इसमें औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की धीमी गति को नोट किया गया और विभिन्न उद्योगों के समक्ष उपस्थित समस्याओं का उल्लेख किया गया। रिपोर्ट में आर्थिक विकास को सामाजिक न्याय के साथ जोडने की भारत सरकार की उत्कंठा के प्रति जो विकास के बारे में भारतीय चिन्तन की एक विशेषता है, कुल मिलाकर संतोष प्रकट किया गया।

भारत सरकार आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए आयात-प्रतिस्थापन और निर्यात-प्रोत्साहन दोनों पर बल देती रही है। सरकार औद्योगिक विकास की गति को तेज करने और निर्यात-वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए भी कदम उठा रही है।

(ग) जी, हां।

पेट्रोलियम उत्पादों संबंधी मूल्य निर्धारण नीति का मद्रास तेलशोधक कारखाने पर प्रतिकूल प्रभाव

873. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

श्री आर० आर० सिंह देव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों संबंधी मूल्य निर्धारण नीति मद्रास स्थित सरकारी क्षेत्र के तेल-शोधक कारखाने पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी सरकारी नीति सभी कम्पनियों पर बराबर लागू होती है और, इसलिए, मद्रास स्थित शोधन शाला के प्रति कोई भेदभाव नहीं बरता गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तानी सेना द्वारा सीमा उल्लंघन

874. श्री शशि भूषण :
श्री अर्जुन सेठी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1972 को समाप्त होने वाले गत छः महीनों के दौरान पाकिस्तानी सेना ने कितने सीमा उल्लंघन किये और इसके परिणामस्वरूप उसने कितनी चौकियों पर फिर से कब्जा कर लिया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पाकिस्तानी सेना के साथ हुई मुठभेड़ों में भारतीय सीमा सुरक्षा दल और भारतीय सेना के कुल कितने जवान मारे गए अथवा घायल हुए ; और

(ग) क्या पाकिस्तानी सेना द्वारा कुछ भारतीयों को पकड़ने की कुछ घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं; और यदि हां, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और उन्हें रिहा कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 30 जून 1972 को समाप्त छः मास की अवधि में पाकिस्तान ने 1648 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया। जम्मू और काश्मीर में टिथवाल क्षेत्र में हमारी दो चौकियों को पाकिस्तान ने पुनः अपने कबजे में लिया।

(ख) सीमा सुरक्षा दल के 10 कार्मिकों और 89 सेना कार्मिकों ने अपनी जान गंवाई; इस अवधि के दौरान पाकिस्तान के साथ संघर्ष में सीमा सुरक्षा दल के 20 कार्मिक और 287 सेना कार्मिक जख्मी हुए।

(ग) जी हां, श्रीमान। 4/5 मई 1972 को टिथवाल कार्रवाई में सेना का एक अन्य रैंक और 1-1-72 को पंजाब क्षेत्र में पहरा दे रहे सीमा सुरक्षा दल का एक सिपाही पाकिस्तानी सेना द्वारा पकड़ा गया। रेड क्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति के माध्यम से पाकिस्तानी अधिकारियों से उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

देश के हवाई अड्डों पर स्थित शुल्क मुक्त दुकानों का नवीकरण करने का प्रस्ताव

875. श्री वी० मायावन :
[श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के हवाई अड्डों पर स्थित शुल्क मुक्त दुकानों का नवीकरण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन दुकानों के नवीकरण पर प्रत्येक हवाई अड्डे पर संभावित कितना-कितना व्यय होगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री कर्ण सिंह) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम ने, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर शुल्क-मुक्त दुकाने चलाता है, दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास में तीन दुकानों का पहले ही नवीकरण कर दिया है ; कलकत्ता की दुकान का 1970 में पुनर्निर्माण किया गया था और इसीलिए इसके नवीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है ।

(ख) यह नवीकरण इन्हें और अधिक आकर्षक बनाने तथा माल की अधिक मदें स्टॉक करने हेतु अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था करने के लिय भी आवश्यक समझा गया ।

(ग) दुकानों के नवीकरण पर किया गया व्यय निम्न प्रकार है :

1. दिल्ली . . .	25,000/- रुपये
2. बम्बई .	110,450/- रुपये
3. मद्रास	26,000/- रुपये

स्वर्णकारों को फिर से बसाना

876. श्री वी० मायावन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्णकारों को फिर से बसाने सम्बन्धी योजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए 1963 में लागू किए गए स्वर्ण नियंत्रण से लेकर अब तक राज्यों को दिये गये 1478.56 लाख रुपये का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : 1963 में स्वर्ण नियन्त्रण के लागू होने की तारीख से लगा कर 31-3-1972 तक राज्यों को/संघ राज्य क्षेत्रों को सरकारों को 1482.86 लाख रुपये की रकम ऋण के रूप में दी गई है। इस रकम के राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

1963 में स्वर्ण नियन्त्रण के लागू होने की तारीख से लगाकर 31-3-1972 तक स्वर्णकारों/छोटे स्वर्ण व्यापारियों / छोटे स्वर्ण परिशोधकों को पुनर्वास-ऋण देने के लिए राज्यों की/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को केन्द्र द्वारा दिये गये ऋणों का राज्यवार ब्यौरा ।

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1963 से लगाकर 31-3-1972 तक स्वीकृत ऋणों की रकम (रुपये लाखों में)
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	161.19
2	असम	57.68
3	बिहार	43.50
4	गुजरात .	150.12
5	जम्मू व कश्मीर	44.00
6	केरल	14.50

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1963 से लगाकर 31-3-1972 तक स्वीकृत ऋणों की रकम (रुपये लाखों में)
1	2	3
7	मध्य प्रदेश	135.00
8	तमिल नाड़	251.53
9	महाराष्ट्र	64.00
10	मैसूर	87.50
11	उड़ीसा	62.00
12	पंजाब	32.19
13	हरियाणा	3.00
14	राजस्थात	118.50
15	उत्तर प्रदेश	156.75
16	पश्चिम बंगाल	56.00
17	हिमाचल प्रदेश	4.50
18	दिल्ली	29.60
19	गोवा, दमन और दीव	..
20	मणिपुर	3.00
21	त्रिपुरा	5.60 (1.46 निकाले गये)
22	पाण्डिचेरि	2.50
	जोड़ :	1482.86 लगभग 483 लाख

गैर-सरकारी क्षेत्र में जीवन बीमा निगम का पूंजी निवेश

877. **श्री वी० मायावन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1971 को गैर-सरकारी क्षेत्र में जीवन बीमा निगम के पूंजी-निवेश के राज्य-वार आंकड़े क्या हैं ;

(ख) 31 मार्च, 1971 को सरकारी क्षेत्र में जीवन बीमा निगम के पूंजी-निवेश के राज्य-वार आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) उन गैर-सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों में जीवन बीमा निगम से ऋण प्राप्त हुआ है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख). 31 मार्च, 1971 को गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र में जीवन बीमा निगम के निवेशों का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिये अनुसार है :

राज्य	गैर-सरकारी क्षेत्र (खाता मूल्य/ बकाया रकम) (रुपये लाखों में)	सहकारी क्षेत्र (खाता मूल्य/ बकाया रकम)
आन्ध्र प्रदेश	4,66.85	13,86.00
असम	76.30	..
बिहार	22,77.51	1,02.71
दिल्ली	4,95.96	1.83
गोवा	74.70	30.00
गुजरात	17,86.58	46,94.83
हरियाणा	37.20	1,93.68
हिमाचल प्रदेश	18.49	9.49
जम्मू व कश्मीर	..	19.10
केरल	3,39.01	1,70.31
मध्य प्रदेश	5,20.70	2,04.25
महाराष्ट्र	75,15.58	49,70.42
मैसूर	3,85.35	6,19.11
उड़ीसा	2,92.29	2,53.28
पाण्डिचेरी	2.92	6.33
पंजाब	30.10	4,50.90
राजस्थान	1,65.82	1,74.04
तमिल नाडु	18,45.63	16,46.43
उत्तर प्रदेश	10,37.25	8,01.08
पश्चिम बंगाल	65,79.30	1,98.73
	2,39,47.54	1,59,32.52

टिप्पणी : वर्गीकरण, राज्य में मुख्य परियोजना / कारखाना / निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति पर आधारित है। जिन मामलों में परियोजना / कारखाने आदि एक से अधिक राज्यों में स्थित हैं और उनमें से यदि किसी को भी मुख्य परियोजना / कारखाना / निर्माण कार्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, तो उन मामलों में निवेशों को उस राज्य में दिखाया गया है जहां कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

(ग) आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सभापटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के बारे में योजना वित्त प्रभाग के सुझाव

878. **श्री वी० मायावन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की क्रियान्विति में विलम्ब के कारणों के बारे में प्रधान मंत्री ने क्या निदेश दिया है ;

(ख) योजना वित्त प्रभाग ने पूंजी-निवेश संबंधी जांच के मामले में किन प्रक्रिया संबंधी सुधारों का सुझाव दिया है ;

(ग) औद्योगिक तथा अन्य परियोजनाओं संबंधी मूल्यांकन प्रतिवेदनों की उपयोगिता में वृद्धि करने हेतु कौन से आधुनिक तकनीकों का सुझाव दिया जा रहा है ; और

(घ) इन सुझाओं को कब क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क). प्रधान मंत्री ने यह चाहा है कि आयोजना संबंधी योजनाओं की निरंतर समीक्षा की जानी चाहिए और सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में होने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रक्रियाओं में संशोधन करना चाहिए और उन्हें सरल बनाना चाहिए।

(ख) वित्त मंत्रालय ने पूंजी-निवेश संबंधी जांच कार्य में सुधार करने के लिए निम्न सुझाव दिए हैं :

(i) व्यय वित्त समिति संबंधी व्यवस्था की इस दृष्टि से समीक्षा की जा सकती है जिससे की जांच की किस्म में सुधार किया जा सके और प्रशासनिक मन्त्रालय से प्रस्ताव प्राप्त होने और व्यय वित्त समिति की बैठक से इसकी निकासी में विलम्ब, यदि कोई होता हो तो, उसे दूर किया जा सके।

(ii) एक स्थायी उच्च स्तरीय मंच जिसका नाम "सरकारी निदेश मण्डल" हो उसे सरकारी क्षेत्र में पूंजी–निवेश की सभाव्यता संबंधी प्रतिवेदनाओं पर विचार करना चाहिये और पूंजी–निवेश के संबंध में निर्णय लेने चाहिए। इस मण्डल की बैठकें समय–समय पर होनी चाहिए और पूंजी–निवेश संबंधी प्रस्ताव के सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और बुनियादी विषयों पर विचार करना चाहिए।

(ग) सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं का मूल्यांकन करने का 'सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण' एक आधुनिक तरीका (टेकनिक) है। इसका अध्ययन किया जा रहा और परीक्षण के तौर पर सरकारी क्षेत्र की कुछ परियोजनाओं में इसे व्यवहार में लाया जा रहा है।

(घ) व्यय वित्त समिति की प्रक्रिया में शीघ्र ही सुधार किया जायगा। सरकार ने "सरकारी निवेश मण्डल" का गठन करने का निश्चय कर लिया है। परियोजना का मूल्यांकन करने के आधुनिक तरीकों को, उनके प्रयोगात्मक क्रियान्विति का पूरी तरह से अध्ययन करने के पश्चात् यथा समय प्रयोग में लाया जायगा।

ऋणों को बट्टे खाते डालने के लिये बिहार सरकार से अनुरोध

879. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि उस राज्य को दिये गये सभी ऋणों को बट्टे खाते डाल दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क). पिछले वर्ष राज्य सरकार ने "अनुत्पादक ऋणों" को बट्टे खाते डालने और शेष केन्द्रीय ऋणों को चुकाने का कार्यक्रम फिर से निर्धारित करने का सुझाव दिया था।

(ख). केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को दिए गए ऋणों के परिशोधन का प्रश्न छठे वित्त आयोग को सौंप दिया गया है। आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने तक राज्य सरकार के अनुरोध पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का अनुरोध

880. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
डा० एच० पी० शर्मा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां।

(ख) देश के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र एक परिष्करणशाला स्थापित करने के लिये तकनीकी आर्थिक परिस्थितियों तथा अन्य संबंद्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों, जिन में राजस्थान के स्थान भी शामिल हैं, के गुणावगुणों का मल्यांकन किया गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मथुरा एक अति उपयुक्त स्थान पाया गया था, सरकार ने वहां पर परिष्करणशाला स्थापित करने का निर्णय लिया है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में भारत का योगदान

881. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का प्रशासक उनसे हाल ही में मिला था;

(ख) यदि हां, तो क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने भारत से अनुरोध किया है कि वह विशेषज्ञों और "फैलोशिपों" के संबंध में दी जाने वाली वार्षिक निधि के योगदान में और अधिक वृद्धि करे; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) मामला विचाराधीन है।

आय में असमानता

882. **श्री डी० के० पण्डा :**
श्री बी० बी० नायक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में निम्नतम तथा उच्चतम आय के बीच इस समय क्या अनुपात है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : देश के अन्दर निम्नतम और उच्चतम आमदनियों के बीच विद्यमान मौजूदा अनुपात को जानकारी देने वाले आंकड़े आदि उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार के अनुपात का कुछ मोटा-सा अनुमान केवल उन व्यक्तियों के बारे में लगाया जा सकता है जो केन्द्रीय आयकर देते हैं। आयकर संबंधी आंकड़ों पर आधारित सबसे हाल की आधारभूत सामग्री के अनसार, जिसका संबंध 1967-68 से है, उच्चतम आय वर्ग (अर्थात् 5,00,000 रुपये) के किसी निर्धारित की औसत वार्षिक आय 10,78,000 रुपया बैठती है जो निम्नतम आय वर्ग (अर्थात् 4,000 रुपये से 5,000 रुपये तक) के किसी निर्धारिती की 4118 रुपये की औसत वार्षिक आय से 262 गुणा थी। करपश्चात आमदनियों के अनुसार (अर्थात् आयकर की अदायगी करने के बाद) उच्चतम आय वर्ग के किसी निर्धारिती की औसत आय निम्नतम आय वर्ग के किसी निर्धारिती की औसत आय से 80 गुणा बैठती है।

बाजोरिया और जालान एकाधिकार गृहों द्वारा किए गए करापवंचन के बारे में जांच

883. **श्री डी० के० पंडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "मिस्ट्री आफ बाजोरियास एंड जालान हाउस" शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक में किये गये रहस्योद्घाटन के प्रकाश में, बाजोरिया और जालान उद्योग समूह द्वारा किये गये करापंवचन और एकाधिकार के बारे में आगे जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) : "मिस्ट्री आफ बाजोरिया जालान हाउस" नामक पुस्तक की अंशतः जांच कर ली गयी है। इस समूह की 99 कंपनियों में से 38 के बारे में पुस्तक में ऐसी कोई नई सूचना नहीं दी गई है, जो पहले से ही आयकर विभाग के पास नहीं हो। आयकर जांच आयोग, 1947 के समय से ही इस समूह की लगातार जांच पड़ताल चल रही है। बाजोरिया जालान गृह सहित बड़े बड़े औद्योगिक गृहों पर निगरानी रखने के लिए निरीक्षण निदेशालय (जांच पड़ताल) में एक नया "कक्ष" बनाया जा रहा है।

नई दिल्ली स्थित अशोका होटल में कमरों के नवीकरण पर खर्च की गई राशि

884. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोका होटल के छटी तथी सातवीं मंजिल पर स्थित कमरों का 1970 में किया नवीकरण किया गया था और अब फिर उनका नवीकरण जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो नवीकरण पर 1970 में कितनी राशि खर्च की गई थी ; और

(ग) उन्हीं कमरों के पुनः नवीकरण करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ग) : अशोक होटल, [नई दिल्ली], के छठे और सातवें फ्लोर पर 126 कमरों का नवीकरण 1969 में किया गया और ये कमरे जनवरी, 1970 में चालू कर दिये गये। और अधिक सुधार एवं संवारण का काम मई-जून, 1972 में किया गया।

(ख) वर्ष 1969-70 में नवीकरण पर 17.26 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

पश्चिम बंगाल में ऋणों के लिए अनिर्णित पड़े आवेदन पत्र

885. श्री डी० के० पंडा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा दिये गये ऋण-आवेदनपत्रों की जाँच-पड़ताल तथा उनका निपटान करने में बहुत समय ले रहे हैं ; और

(ख) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास अब ऐसे कितने आवेदन पत्र अनिर्णित पड़े हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) राष्ट्रीयकरण के समय से बैंकों ने छोटे पैमाने के उद्योगों को शीघ्रता से ऋण देने के लिये कई कदम उठाए हैं। ये हैं :— फार्मों का सरलीकरण, स्थानीय भाषा में फार्मों की उपलब्धता, फार्म भरने में सहायता, अनिर्णित मामलों की समय समय पर समीक्षा संबंधित अधिकारियों को वैधकिक शक्तियों का प्रत्यायोजन, आदि। इन उपायों के बावजद भी कुछ मामलों में देरी हो ही जाती है जिसका मुख्य कारण आवेदनकर्ताओं से आवश्यक जानकारी लेने में कठिनाइयां। अनुचित देरी के मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संबंधित बैंकों के मुख्यालयों द्वारा जांच-पड़ताल की जाती है और उपचारात्मक समुचित कार्रवाई की जाती है।

(ख) यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और वह संभव सीमा तक इकट्ठी कर के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Five-Year Plan for the exploration and production of Oil

886. Shri Phool Chand Verma :

Shri Prasannbhai Mehta :

Will the Minister of **Petroleum & Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Oil and Natural Gas Commission is formulating a five-year plan for the exploration and production of oil ; and

(b) if so, the quantity of oil in tons estimated to be produced under the Plan ?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale) : (a) Yes, Sir. This plan was developed on the basis of a detailed Techno-economic Study of the country's oil and gas potential conducted last year jointly by a team of ONGC and Soviet oil experts.

(b) About 30.35 million tonnes would be produced, in aggregate, during the plan period 1973-74 to 1977-78. Of this, about 10 million tonnes would be produced as a result of this plan.

पाकिस्तान को चीनी हथियार

887. श्री अर्जुन सेठी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 जून 1972 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि चीन ने पाकिस्तान को पर्याप्त मात्रा में नया सैनिक साजो सामान भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) हमारी सुरक्षा पर ऐसी सप्लाई के संघात का और हमारी रक्षा तैयारी का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है।

कम्पनियों को ऋण देने पर नियंत्रण

888. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रदत्त अथवा शेयर पूंजी से ऋणकी राशि के अधिक होने पर सरकार का प्रत्यक्ष रूप से अथवा राष्ट्रीकृत बैंकों के द्वारा कम्पनियों को दिये जाने वाले ऋण पर कोई नियन्त्रण है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों में किस प्रकार का नियंत्रण रखा जाता है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : सरकार आम तौर पर निजी क्षेत्र की कंपनियों को ऋण नही देती । किसी कंपनी को ऋण देते समय, चाहे ऋणों की राशि चुकता पूंजी और मुक्त प्रारक्षित राशियों के जोड़ से अधिक हो या नहीं, सरकार और राष्ट्रीयकृत बैंक समग्र परियोजना की सक्षमता के अलावा अनेक प्रकार के भिन्न-भिन्न और संगत तथ्यों की जाँच करते हैं जिनमें "सामान्य शेयर पूंजी" और "ऋण" का पारस्परिक अनुपात और ऋण -परिशोधन की संभावनाएँ शामिल हैं।

जहां तक सरकार द्वारा अपने ऋणों पर नियंत्रण रखने का संबंध है, वह उन कंपनियों के बोर्डों में अपने निदेशक नामित करती है जिन कंपनियों को वह सहायता देती है।

बैंक ऋणों की राशियों के प्रभावोत्पादक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त शर्तें निर्धारित करते हैं और उचित अनुवर्ती तरीकों से ऋणों की वसूली करते हैं।

इसके अलावा, बड़े ऋण मंजूर करने से पहले अर्थात् 1 करोड रु० या उससे अधिक की समग्र ऋण सीमाओं की और 25 लाख या उससे अधिक के सावधिक ऋणों को मंजूर करने से पहले राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को, ऋण प्राधिकार योजना के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व-प्राधिकार प्राप्त करना पड़ता है।

लेखापरीक्षा कार्य का जमाव

889. **श्री जे० एम० गौडर** : क्या कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेखा परीक्षा कार्य को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की कुछ फर्मों के हाथों में एकीकृत हो जाने के बारे में कम्पनी कार्य विभाग द्वारा किया जाने वाला अध्ययन पूरा हो गया है, और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं, और

(ख) इस दोषयुक्त प्रथा की वृद्धि को रोकने के लिए इस अध्ययन के प्रकाश में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) कम्पनी कार्य विभाग द्वारा किया जाने वाला अध्ययन अभी प्रगति पर है।

(ख) अध्ययन के पूर्ण हो जाने के पश्चात् उचित कार्यवाही पर विचार किया जायेगा तथापि संसद के वर्तमान सत्र में प्रस्तावित, पुरस्थापित किये जाने वाले कम्पनी अधिनियम संशोधनार्थ विधेयक के कुछ संशोधन पहले ही सम्मिलित कर दिये गये हैं।

राज्य सरकारों को कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का पालन न करना

890. **श्री जे० एम० गौडर :** क्या **कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों की उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने वर्ष 1971–72 में कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों का पालन नहीं किया था ; और

(ख) कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का पालन न करने के कारण विभाग ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख) : सूचना संग्रहित की जा रही है और सभा के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

आयकर की बकाया राशि को बट्टे खाते में डालना

891. **श्री जे० एम० गौडर :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1971 तक 499 करोड़ रुपये की आयकर की बकाया राशि में से ऐसी राशि कितनी है जिसकी वसूली नहीं हो सकती तथा जिसको किसी समय बट्टे खाते में डालना पड़ेगा ;

(ख) सरकार ने यह निष्कर्ष कैसे निकाला है कि अधिकांश बकाया राशि अब वसूल नहीं की जा सकती है और किसी समय उसको बट्टे खाते में डालना पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो अधिकांश बकाया राशि को अभी तक बट्टे खाते में न डालने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 31 मार्च 1971 को 499.68 करोड़ रुपये की बकाया मांग में, उन मांगों के अतिरिक्त जिनमें कर–वसूली प्रमाण–पत्रों के अनुसरण में वसूली की जा रही है, ऐसी मांग भी शामिल है जो निम्नलिखित में से एक या अधिक कारणों से वसूल होनी बाकी हैं :—

(i) दोहरे आयकर अथवा अन्य राहत संबंधी दावों के अनिर्णीत मामलों में अन्तर्ग्रस्त रकम ।

(ii) बट्टे–खाते डालने/मांग कम करने संबंधी याचिकाओं पर विचार होने तक के लिए पड़ी रकम ।

(iii) परिसमापनाधीन कम्पनियों की तरफ बकाया रकम ।

(iv) ऐसे व्यक्तियों की तरफ बकाया रकम जो भारत छोड़ चुके हैं और / अथवा लापता हैं और / अथवा जिनके पास कोई ज्ञात परिसम्पत्तियां नहीं हैं और / अथवा परिसम्पत्तियां निष्क्रांत सम्पत्ति अभिरक्षक के पास निहित हैं और/अथवा / जो दिवालिया कार्यवाही में अन्तर्ग्रस्त हैं ।

(v) ऐसी रकमें जिनके बारे में अपीलें/संदर्भ याचिकाएं की गई हैं किन्तु जो स्थान अथवा किस्तों के अन्तर्गत नहीं आतीं ।

(vi) प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के शेयरों के लिए अथवा अचल सम्पत्तियों के लिए बोली लगाने वालों का अभाव ।

(vii) परिसम्पत्तियों के स्वामित्व के संबंध में विवाद और मुकदमेबाजी।

हालांकि, वसूली नहीं होने योग्य बकाया का ठीक-ठीक परिमाण बताना संभव नहीं है, फिर भी, उपर्युक्त वर्गों के अन्तर्गत आने वाली बकाया के अधिकांश भाग की वसूली में बहुत अधिक कठिनाइयां उपस्थित होने की संभावना है।

(ख) माननीय सदस्य किस वक्तव्य का हवाला दे रहे हैं, यह स्पष्ट नहीं है। यदि अतिरिक्त ब्यौरे दिये जायं तो स्थिति स्पष्ट की जा सकती है।

(ग) बकाया मांग को तभी बट्टे-खाते डाला जाता है जब वसूली के हर संभव उपाय कर लिये गये हों। मांग के अधिकांश भाग को बट्टे-खाते नहीं डाला गया है क्योंकि अभी तक यह नहीं पाया गया है कि मांग अन्ततः वसूली होने योग्य नहीं है।

आयकर अधिकारियों द्वारा आयकर का अधिक निर्धारण और कम निर्धारण किया जाना

892. **श्री जे० एम० गौडर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन आयकर अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने वर्ष 1969-70 में आयकर संबंधी 16,997 मामलों में 858.92 लाख रुपये का कम निर्धारण किया है अथवा 6,004 मामलों में 194.41 लाख रुपये का अधिक निर्धारण किया है ; और

(ख) आयकर के अधिक निर्धारण के मामलों की तुलना में कम निर्धारण के मामलों की अपेक्षाकृत अधिक संख्या होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) माननीय सदस्य ने राजस्व प्राप्तियों पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक की वर्ष 1969-70 की रिपोर्ट से ये आंकड़े उद्धृत किये हैं, नियंत्रक तथा महा-लेखापरीक्षक द्वारा प्रत्यक्ष-कर के मामलों की लेखा परीक्षा किये जाते समय न्यून/अधि-कर-निर्धारणों के उल्लिखित मामलों का पता चला था। आयकर विभाग ने, छान-बीन करने के बाद लेखा परीक्षा विभाग द्वारा बताये गये सभी न्यून-कर-निर्धारण के 16,997 मामलों और अधि-कर-निर्धारण के 6004 मामलों में गलतियां होने की बात नहीं मानी है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार, जिस सीमा तक ये गलतियां मान ली गई हैं उनके लिए जिम्मेदार अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगना और उचित कार्यवाही करना विभागाध्यक्ष के लिए आवश्यक है। अनुभव से पता चलता है कि आयकर अधिकारियों से होने वाली गलतियों के मुख्य कारण ये हैं : (क) काम अधिक होना (ख) अनजाने में और (ग) कानून के संबंधित उपबंधों के अर्थनिरूपण में यथार्थ मतभेद होना। इन परिस्थितियों में होने वाली गलतियों के लिए संबंधित अधिकारियों को आमतौर पर सचेत कर दिया जाता है अथवा औपचारिक चेतावनी दी जाती है (जिसकी प्रतिलिपि चरित्र पंजी में रखी जाती है)।

(ख) मुख्य कारण नीचे दिये गये हैं :

(i) अधि-कर-निर्धारण की गलतियों के मामले आमतौर पर आय की गलत संगणना अथवा कर का गलत हिसाब लगाने के कारण होते हैं, किन्तु न्यून-कर-निर्धारण के मामले कर दण्ड स्वरूप ब्याज/दण्ड संबंधी निर्धारणों की देनदारियों के अन्य कारणों से भी हो सकते हैं।

(ii) अधि-कर-निर्धारणों के मामलों में निर्धारिती, कर-निर्धारण आदेशों की प्रति प्राप्त होते ही संबंधित गलतियों को आयकर अधिकारी से ठीक करवा लेते हैं ; न्यून-कर-निर्धारण के मामलों में भूल-सुधार संबंधी इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं की जाती और इस प्रकार ये गलतियां अधिकांशतः रह जाती हैं जो लेखा-परीक्षा विभाग द्वारा पकड़ी जाती हैं।

राज्यों द्वारा जमा राशि से अधिक धन निकालना

893. श्री प्रसन्नभाई मेहता :

श्री के० लकप्पा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने जमा राशि से अधिक धन निकालने के मामले में केन्द्रीय सरकार के निर्णय के विरुद्ध अभियान कर दिया है ;

(ख) जमा राशि से अधिक धन निकालने के मामले में केन्द्र के निर्णय के बारे में राज्यों की क्या शिकायतें हैं और इस निर्णय से उन पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) उन राज्यों की सहायता करने हेतु सरकार आगे क्या उपाय करने के लिए सहमत हो गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग): सम्भवतः यह संकेत सरकार के उस निर्णय की ओर है जिसमें सरकार ने यह कहा था कि राज्यों को भारतीय रिजर्व बैंक से जमा राशि से अधिक लिये गये धन (ओवर ड्राफ्ट) को एक प्रकार का बजट संबंधी साधन मानने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि चालू वर्ष के लिए राज्यीय आयोजना परिव्यय, राज्य सरकारों के साथ विस्तार पूर्वक परामर्श करने के बाद, पूर्णतः वित्त पोषित आधार पर निश्चित किये गये हैं। इस लिए सभी भावी कार्य आत्म-वित्त पोषण के आधार पर करने होंगे और साधनों की पूर्ति और व्यय के बीच सन्तुलन बनाये रखना पड़ेगा । उस प्रक्रिया के अन्तर्गत, जो योजना आयोग और रिजर्व बैंक के साथ बातचीत कर के तैयार की गयी है और जो 1 मई, 1972 से लागू हुई है, यदि किसी राज्य के पास लगातार सात दिन से अधिक समय के लिए ओवर ड्राफ्ट रहेगा तो रिजर्व बैंक स्वतः अदायगियां बन्द कर देगा और उन्हें अदायगियां तभी शरू की जायेगी जब उनका ओवर ड्राफ्ट समाप्त हो जायें। राज्य सरकारों को इस संबंध में भारत सरकार के विचारों से लगातार अवगत कराया जाता रहा था। ओवर ड्राफ्ट के बजट संबंधी साधनों के रूप में अनियमित रुप से इस्तेमाल को रोकने से संबंधित निर्णय के विरुद्ध किसी राज्य से कोई शिकायत नहीं मिली है ।

भारत की आर्थिक प्रगति के लिए अधिकाधिक सहायता

894. श्री प्रसन्नभाई मेहता :

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को अपनी आर्थिक प्रगति में तेजी लाने के लिए पर्याप्त नई सहायता की आवश्यकता है ; और

(ख) क्या भारत सार्थ संघ इसके लिए सहमत हो गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : जन, 1972 में पेरिस में हुई भारत सहायता संघ की बैठक में संघ के सदस्य विश्व बैंक के इस मूल्यांकन हि से सहमत थे की आर्थिक प्रगति की रफ्तार बढाने के उद्देश्य से सरकार के प्रयत्नों को तेज करने और भारत को अन्तरित किये जाने वाले साधनों में तेजी से होने वाली कमी को रोकने के लिए भारत को सहायता के काफी नए वचनों की आवश्यकता है ।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स में तालाबन्दी के कारण हुई हानि

895. श्री जगन्नाथ मिश्र :

श्री डी० के० पण्डा :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दूस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड में श्रमिक असंतोष के परिणामस्वरुप प्रबन्धकों ने जून, 1972 में कम्पनी में तालाबंदी की घोषणा की थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तालाबंदी के परिणामस्वरुप कुल कितनी हानि हुई ; और

(ग) तालाबन्दी किन शर्तों पर उठाई गई है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) : हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि०, पिम्परी में कोई तालाबन्दी नहीं हुई थी किन्तु भारतीय औषध एवं भेषजीय लि० के ऋषिकेश में एण्टोबायोटिक्स प्लांट में तालाबन्दी घोषित की गई थी। 19-6-1972 को ऋषिकेश में श्रमिकों ने उस समय अचानक ही तत्काल कारखाना बन्द एवं हाजरी हड़ताल प्रारम्भ कर दी, जब कि लगभग 30 लाख रुपये के मूल्य की प्रक्रिया सामग्री फैमण्टर्ज तथा रिक्वरी एवं शोधनबब्लाकों में थी। क्योंकि हड़ताल करने वाले श्रमिकों की लगातार हाजरी के कारण इस इन-प्रोसैस सामग्री की पुनः प्राप्ति कठिन थी। 22-6-72 को प्रबन्धकों को बाध्य होकर तालाबन्दी घोषित करनी पड़ी ; किन्तु इस कार्यवाही के कारण सम्पूर्ण प्रक्रिया सामग्री की अप्राप्यता समाप्त हो चुकी थी। तात्कालिक हड़ताल एवं तालाबन्दी के परिणामस्वरुप उत्पादन में हानि का अनुमान 90 लाख रुपये है।

सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध को स्थापित करने के लिए प्रबन्धकों ने यूनियन के साथ एक करार पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् 29-6-72 को सवेरे 8 बजे से तालाबंदी उठा दी गई। प्रबन्धकों एवं श्रमिकों के बीच हस्ताक्षरित शर्तों की एक प्रति संलग्न है।

विवरण

समझौते की शर्तें

1. दोनों दलो के बीच यह सहमति हुई है कि 6 श्रमिकों, जो निलम्बित किये गए हैं, को काम पर वापिस बुलाया जायेगा और उनके निलम्बन आदेशों को रद्द किया जायेगा बशर्ते कि वे अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा याचना लिखित रूप में दें तथा भविष्य में इस प्रकार दुर्व्यवहारन करने के लिए सहमत हों। प्रबन्धक भी सद्भावना के रूप में उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही न करने के लिए सहमत हों।

2. 10 अप्रेल, 1972 के मांगों के चार्टर में निहत 40 मांगों में से तीन मांगे माननीय मन्त्री महोदय को भेंजी गई थी तथा इनके संबंध में उनके द्वारा निर्णय लिया जायेगा। जैसा कि यूनियन ने अपने विभिन्न पत्रों में सूचित किया था कि यूनियन के प्रधान ने आश्वासन दिलाया था कि ये तीनों मांगे हड़ताल के प्रश्न का रूप धारण नहीं करेंगी।

3. शेष 37 मांगों में से, वे मांगे, जो द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से तय हुई है तथा ज्योंहि सामान्य तौर पर प्रवृत्त होंगी, यथाशीघ्र प्रबन्धकों द्वारा कार्यान्वित की जायगी तथा वे मांगे, जिन पर अभी निर्णय नही हुआ है, गोलमेज कान्फ्रेन्स पर आपसी बातचीत द्वारा तय की जायेंगी।

4. हड़ताल/तालाबन्दी की अवधि को श्रमिकों की अद्यतन से अर्जित छुट्टी में समजित किया जायेगा। उन श्रमिकों, जिनके पास अर्जित छुट्टी नहीं है की यह अवधि, बिना वेतन की छुट्टी के रुप में मानी जायेगी।

5. हड़ताल करने वाले श्रमिकों की ओर से, यूनियन हड़ताल के लिए क्षमा याचना प्रस्तुत करेगी तथा सद्भावना के रूप में प्रबन्धक इस क्षमा याचना को स्वीकार करेंगे तथा वे कदाचारी श्रमिकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए सहमत होंगे क्योंकि प्रबन्धक हड़ताल कार्य को कदाचार के रूप में मान सकते हैं।

कार्यवाही 29-6-72 से सवेरे 8 बजे से तालाबन्दी को उठाने का आधार बनेगी तथा वर्कचार्टर्ड एवं मास्टर रोल सहित श्रमिक अपने कार्य को शान्तिपूर्ण सम्पन्न करेंगे।

6. इस समझौते की तारीख के बाद, श्रमिक अवैध हड़ताल अथवा कार्य में ढिलाई के किसी रूप को नहीं अपनायेंगे; जो कम्पनी के प्रशासनिक ढांचे एवं इस समझौते द्वारा विवाद के विषयों में इसके कार्य पर प्रत्यक्ष, व अप्रत्यक्ष रूप में प्रभाव डाल सकते हैं। श्रमिक यह भी आश्वासन दिलाते हैं कि वे तीन वर्षों की अवधि के लिए किसी अन्य विषयों में अवैध हड़ताल या काम में ढिलाई के रूप को नहीं अपनायेंगे। यूनियन की ओर से इस आश्वासन को विचार में रखते हुए प्रबन्धक सहमत होते हैं कि उन केसों, जहां श्रमिकों ने अवैध हड़ताल की है, के सिवाए प्रबन्धक तीन वर्षों की अवधि के लिए प्लांट एवं प्रशासन की तालाबन्दी नहीं करेंगें।

7. यह समझौता पूर्णतया एवं अन्तिम रूप में उक्त विवाद को हल करता है तथा श्रमिकों को किसी प्रकार दण्ड नहीं दिया जायेगा।

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा दुर्गापुर में चावल उत्पादन प्रशिक्षण संस्था की स्थापना

896. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम ने दुर्गापुर में चावल उत्पादन प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संस्था के उद्देश्य क्या हैं?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी, हां।

(ख) यह संस्थान, भारतीय उर्वरक निगम के उर्वरक प्रोसाहन (विस्तार) कार्यकर्ताओं को जो कि धान में, विशेषकर उच्च पैदावार वाली किस्मो में, उर्वरक के व्यवहार को बढ़ावा देने में लगे हैं, सेवा के दौरान प्रशिक्षण देगा। प्रशिक्षुओं को बुवाई से लेकर कटाई तक सारे ही कार्य खेतों पर स्वयं करने होंगे। इस प्रशिक्षण के साथ-साथ यह आशा की जाती है कि वे, उर्वरकों के अत्यन्त कम खर्चीले प्रयोग और सही पसन्द के विशेष संदर्भ में, उच्च पैदावार वाली किस्मों के धान की वैज्ञानिक ढंग से खेती के तरीकों को अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षित करने में उपयुक्त रूप से सज्जित होंगे।

शहरी और ग्रामीण आय की अधिकतम सीमा

897. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**

श्री अरविन्द नेताभ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शहरी तथा ग्रामीण आय की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूप-रेखा क्या है और उसे किस रूप में क्रियान्वित करने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : सरकार का, शहरी और ग्रामीण आमदनियों की सीमा कानून द्वारा निर्धारित करने का कोई विचार नहीं। लेकिन सरकार ने हाल के वर्षों में जो विभिन्न कदम उठाये हैं जैसे व्यक्तिगत कराधान की दरों में प्रगामी वृद्धि, सम्पत्ति कर और शहरी जमीनों और इमारतों पर अतिरिक्त सम्पत्ति कर का लागू किया जाना और राज्य सरकारों द्वारा शहरीसम्पत्ती और कृषि भूमि की सीमा निर्धारित करने के संबंध में हाल में किये गये नीति संबंधी निश्चय, इन सबसे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनियों पर वस्तुतः सीमा लागू हो जायेगी।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा टेलीविजन रिसीवर के प्रोटोटाइप के निर्माण का प्रस्ताव

898. श्री जगन्नाथ :

श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दूस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने टेलीविजन रिसीवर के प्रोटोटाइप के निर्माण के लिए सरकार से लाइसेंस मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) हिन्दूस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने घरेलू टेलीविजन रिसीवर बनाने के लिए लाइसेंस देने के लिए सरकार के पास आवेदन किया है।

(ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा जीवन बीमा निगम द्वारा बड़े व्यापार गृहों को दिये गये ऋणों को इक्विटी शेयरों में बदलना

899. श्री सतपाल कपूर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या इस आशय का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि गत तीन वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों और जीवन बीमा निगम द्वारा देश में बड़े व्यापार गृहों को दिये गये ऋणों को इक्विटी शेयरों में बदल दिया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी रुपरेखा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : सरकार ने 18 फरवरी, 1970 को अपना यह निर्णय घोषित किया था कि अखिल भारतीय दीर्घावधिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा भविष्य में मंजूर किए जाने वाले सावधिक ऋणों के करार में साधारणतया एक ऐसा खण्ड भी शामिल होना चाहिए जिसमें संस्थाओं को यह विकल्पाधिकार दिया गया हो कि वे समस्त ऋण की राशिया उसके किसी भाग को सामान्य शेयरों

में बदल सकते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम सहित अखिल भारतीय दीर्घावधिक वित्तीय संस्थाओं को इस संबंध में जारी किए गए मार्ग-निर्देशों की एक प्रति 2 जुलाई, 1971 को लोक-सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3765 के उत्तर में सभा-पटल पर रख दी गई थी। संपरिवर्तनीयता-खण्ड में लिखने के प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता का हिसाब लगाने समय, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को पहले दी गई सहायता को भी हिसाब में ले लिया जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम सहित सावधिक वित्तीय संस्थाएँ उपर्युक्त मामलों में संपरिवर्तनीयता-खण्डों को ऋण करारों में लिखने लगी हैं। ऋणों को, पूर्णत: या अंशत:, सामान्य शेयरों में बदलने के वास्तविक विकल्पाधिकार का प्रयोग संस्थाओं द्वारा बाद में, उचित समय आने पर, ऋण करारों में लिखे गये संपरिवर्तनीयता खण्ड की शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

मार्ग-निर्देशों के अनुसार, ऋणों को सामान्य शेयरों में बदलने का निर्णय, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर लागू नहीं किया गया।

Printing of Hundred and Five Rupees Notes by R. B. I.

900. SHRI LAMBODAR BALIYAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether hundred-rupee and five-rupee notes being printed by the Reserve Bank of India lose their colour if washed in soap water and then the Reserve Bank does not exchange them;

(b) if so the number of such cases brought to the bank during the last one year and the bank's re action thereto; and

(c) the reasons for not exchanging the faded currency notes?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) Bank notes are printed for the Reserve Bank by the India Security Press, Nasik. Ordinarily washing in soap water does not affect the colour of the hundred rupee and five rupee notes, or for that matter of notes in other denominations also. Only if they are subjected to prolonged boiling (or cooking) in bleaching powder, they might get bleached. Even such bleached notes are exchanged by the Reserve Bank provided traces of original printing are available to clearly indicate the denomination, Serial Number, Signature etc.

(b) & (c) During 1971—72,52,960 pieces of bleached/partially bleached notes were received by the Reserve Bank of India, out of which 43, 635 pieces have been exchanged so far. 2633 pieces have been rejected because they had absolutely no traces left of printing. The remaining cases are still under scrutiny.

भारत को अमरीकी सहायता का फिर से मिलना

901. **श्री पी० के० देव :**

श्री पीलू मोदी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जून, 1972 के "हिन्दूस्तान टाइम्स" में "रिजन्पशन आफ यू० एस० एड अनलाइकली" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार के वाशिंगटन स्थित हमारे मिशन से अमरीकी आर्थिक सहायता के बारे में कोई रिपोर्ट मिली है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मोटी रुप-रेखा क्या है तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के वित्तपोषण के लिए अमरीकी आर्थिक सहायता के बन्द होने से पैदा होने वाली कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : भारत को अमेरिका से आर्थिक सहायता मिलने के बारे में भारत सरकार को हमारे वाशिंगटन-स्थित राजदूतावास से समय-समय पर रिपोर्टें मिलती रहती है। 6 दिसम्बर 1971 से, जब से अमेरिका ने भारत को सहायता देना स्थगित करने की घोषणा की थी, तब से अमेरिका की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और कहा जाता है कि यह प्रश्न अभी 'विचाराधीन' है। अमेरिका के राजस्व वर्ष 1972 के बजट में भारत की विकास संबंधी सहायता देनेके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अमेरिका के राजस्व वर्ष 1973के लिए अस्थायी रुप से 9 करोड़ डालर की रकम निर्धारिण की गई है। 1973 के राजस्व वर्ष के अस्थायी निर्धारिण के साथ शर्त यह है कि यह निर्धारण कांग्रेस द्वारा किये जाने वाले विनियोजन और भारत को सहायता देने के बारे में अमरीकी सरकार के नीति विषयक निर्णय पर निर्भर करेगा।

चौथी आयोजना के वित्तपोषण के लिए अमरिकी आर्थिक सहायता के बन्द हो जाने के परिणामस्वरुप होने वाली कमी को पूरा करने के उद्देश्य से भारत सरकार देश में उत्पादन बढ़ाने, आयात प्रतिस्थापित को बढ़ावा देने और निर्यात बढाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। आयात के संबंध में, अन्य देशों से उपलब्ध ऋणों के अंतर्गत या रुपया अदायेगी क्षेत्रों से या मुक्त विदेशी मुद्रा से सामान की उपलब्धि के वैकल्पिक स्रोतों की व्यवस्था की जा रही है।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान की पश्चिम भारतीय क्षेत्रीय परिषद

902. श्री पी० के० देव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थान की पश्चिम भारतीय क्षेत्रीय परिषद द्वारा हाल ही में बम्बई में एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी ;

(ख) विचार गोष्ठी में व्यक्त विचारों का सारांश क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां, समाचार-पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार।

(ख) विचार-गोष्ठी में व्यक्त किए गए अभिमतों के बारे में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेन्टस् की पश्चिम भारतीय क्षेत्रीय परिषद् से सरकार को कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमी कमान का विभाजन

903. श्री पी० के० देव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 जून 1972 के "स्टेटस्मैन" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम कमान को पश्चिमी कमान और उत्तरी कमान में विभाजित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह नई कमान हमारे पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं की रक्षा कराने में कैसे सहायक सिद्ध होगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) कमान को सरल और कारगर बनाने तथा सुदृढ करने के लिए।

(ग) इस से इन क्षेत्रों में कमान में सुधार करने और हमारी विरचनाओं को नियंत्रण करने में सहायता मिलेगी।

मिसाइल नौकाओं का निर्माण

904. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल के भारत पाकिस्तान संघर्ष में रूस की बनी मिसाइल-नौकाओं की कारगरता को देखते हुए क्या ऐसी नौकाओं के स्वदेश में निर्माण की सरकार की कोई योजना है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : इस विषय पर सूचना प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

एच० एस-748 विमान के इंजन में किये गये सुधार

905. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एच० एस-748 विमान के इंजन में किस प्रकार के सुधार किये गये हैं;

(ख) उक्त परिवर्तन किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सुधारा गया इंजन अब अच्छा कार्य कर रहा है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) : एच० एस-748 विमान में लगाए गए और आर० डी० ए० 7 डार्ट इंजन में किया गया परिवर्तन केवल वाटर मेथानल चेक फ्लो में वृद्धि करने की दृष्टि से है जिससे एयरफ्रेम के साथ इंजिन के उचित प्रकार से मेल का सुनिश्चित हो जाए।

(ग) इण्डियन एयरलाइंस को दिये जानेवाले सभी विमानों के इंजनों की निष्पादनता की पूरी जांच उन्हें दिये जाने से पूर्व की जाती है तथा उनके उत्पादन परीक्षणों के दौरान इण्डियन एयर लाइंस को उसके निष्पादन का प्रदर्शन भी कराया जाता है। वाटर मेथानल चेक फ्लों में किये गए संशोधनों के परिणामों का अध्ययन किया जा रहा है।

युद्ध से पूर्व पाकिस्तान द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन में सुरंगें बिछाना

906. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान गत वर्ष 3 दिसम्बर, 1971 को आरम्भ हुए युद्ध से पूर्व विशाखापत्तनम पत्तन में सुरंगे बिछाने में सफल हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त तथ्य के प्रकाश में हमारी समुद्रतटीय रक्षा व्यवस्था में कमियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लम्बी दूरी तक मार करने वाले विमान लेने के लिए प्रयास

907. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लम्बी दूरी तक मार करने वाले विमान लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : अभी प्राथमिक मूल्यांकन किया जा रहा है।

कच्चे तेल के स्वामित्व को दूगुना करने के लिए गुजरात सरकार का अनुरोध

908. **श्री प्रभुदास पटेल :**

श्री अरविन्द नेताम :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि राज्य में उत्पादित कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अदा किया जाने वाला स्वामित्व दुगुना कर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) : गुजरात सरकार ने कच्चे तेल की रायल्टी की दर में पर्याप्त वृद्धि के लिए निवेदन किया है । इस संबंध में अभी तक कोई अंन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

बैंकों की सेवाओं में गिरावट

909. **श्री प्रभुदास पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात वाणिज्य और उद्योग मंडल के सदस्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीयीकरण के पश्चात् बैंकों की सेवाओं में आई गिरावट की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होनें कर्मचारियों द्वारा अक्सर हडताल करने और धीरे-काम करो के तर्ज के अपनाये जाने की शिकायत की है जिन से व्यापार और उद्योग को बहुत कठिनाई होती है, और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : जी हां ।

(ग) सरकार को यह विदित है कि राष्ट्रीयीकृत बैंकों द्वारा की जा रही सेवाओं में सुधार की गुंजाइश है और सरकार की निरंतर यह कोशिश रही है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों और प्रबंधकों क बीच बेहतर संबंधी और औद्योगिक शान्ति को बढावा देकर यह सुधार किया जाए ।

संखादा में स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा खरादी कारीगरों को ऋण

910. **श्री प्रभुदास पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया ने बडोदा में संखादी नगर के खरादी कारीगरों को उदारता से ऋण देने तथा विपणन संबंधी मार्ग दर्शन कराने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कारीगर को कुल कितना ऋण दिये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) : स्टेट बैंक आफ इंडिया ने संखादा के लेकर वेयर निर्माताओं को उदारतापूर्वक ऋण की सुविधाएं देने की एक विशेष योजना बनाई है। महीने में 1000 रु० से 2000 रु० तक की बिक्री करने वाले कारीगरों को बिजली की मोटरें खरीदने के लिए ऋण दिए जा रहे हैं जो सरल किस्तों में वापस लिए जाएंगे। महीने में 1000 रु० से कम की बिक्री करने वाले कारीगरों को उनकी कार्यचालन पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 500 रु० तक की ऋण सुविधाएं दी जा रही हैं। स्टेट बैंक आफ इंडिया ने अब तक 15 एककों को कुल मिलाकर 19,000 रु० का ऋण दिया है। इन ऋणों के अन्तरगत इस समय 16,000 रू० की राशि बकाया है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा त्रिपुरा और कच्छ में खुदाई करना

911. **श्री प्रभुदास पटेल :**

श्री दशरथ देव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल की खोज के लिये पूर्व में त्रिपुरा तथा पश्चिम में कच्छ में खुदाई कार्य आरंभ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह आयोग द्वारा तैयार की गई तेल की खोज और उत्पादन की परिचालन योजना का एक अंग है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) :

(क) जी हां ।

(ख) यह तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की वार्षिक परिचालन योजना का एक अंग है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का तेल की खोज के लिए ईरान में उद्यम

912. **श्री प्रभुदास पटेल :**

श्री बनमाली पटनायक :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल की खोज का कार्य करने के लिये ईरान के साथ बातचीत पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं, और इस संबंध में अबतक कितनी प्रगति हुई है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) : ईरान के साथ तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उस देश में तेल की खोज करने के लिए कोई बात चीत नहीं की जा रही थी। तथापि, नेशनल ईरानियन आयल कंपनी, अमरीका के फिल्लिप्स पेट्रोलियम तथा इटली के ए० जी० आई० पी० के साथ फारस की खाडी में एमीनोको नामक अतटीय अन्वषण उद्यम 1/6 में शेयर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पास है। इस उद्यम की स्थापना 1965 में की गई थी और

इसने रोस्तम तथा रकश नामक दो तेल क्षेत्र ढूंढ लिये है। इस संयुक्त उद्यम के रियायती क्षेत्रों में नये तेल क्षेत्र मालूम करने की दृष्टि से अन्वेषण का काम अभी भी जारी है। इस उद्यम द्वारा जून 1972 तक उत्पादित लगभग 63.5 लिलियन बैरल कच्चे तेल से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अभी तक 12.9 मिलियन बैरल लिये और बेचे है।

पाकिस्तानी युद्ध बंदियों का फरार होना।

913. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी :**

श्री श्याम सुन्दर महापात्र :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने पाकिस्तानी युद्ध बंदियों ने जनवरी से जुलाई, 1972 के बीच की अवधि में शिबिरों से तथा अन्य फरार होने का प्रयास किया;

(ख) कितने युद्ध बंदी गिरफ्तार किये गये, मारे गये तथा फरार हुए और उन युद्ध बन्दियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई जिन्होनें फरार होने का प्रयास किया परन्तु गिरफ्तार कर लिये गये; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाये गये है जिस से वे भविष्य में फरार न हो सकेंगे?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) :

(क)	32
(ख) बन्दी बनाए गए	21
फरार होने का प्रयास करते समय मारे गए	3
अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए	8

फरार होने का प्रयास करने के उपरांत गिरफ्तार किए गए युद्धबन्दियों के विरुद्ध जिनेवा संमेलन के अनुसार कार्यवाही की गई है।

(ग) सब कैम्पों में सुरक्षा के समुचित उपाय किए गए है।

कृषि आय पर कर

914. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या कृषि आय कर के बारे में कोई निर्णय किया गया है तथा राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक श्री भूतलिंगम द्वारा 1 जुलाई, 1972 को दिये गये सुझावों पर विचार किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) : भारत सरकार ने पहले ही कृषि संपत्ति और आय पर कर लगाने से संबंधित सभी मामलों का अध्ययन करने के लिए डा० के० एन० राज की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी है। समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह इस विषय पर मिलने वाले विभिन्न सुझावों पर विचार करेगी। समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

बम्बई के फ्री प्रेस जर्नल में कुप्रशासन

915. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बंबई के फ्री प्रेस जर्नल के प्रशासन के बारे में जानकारी है, और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसमें हस्तक्षेप करने का है ?

(ख) क्या फ्री प्रेस जर्नल के निदेशक को अवैध रूप से उनके पद से हटा दिया गया था, और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) : इण्डियन नेशनल प्रेस (बंबई) लिमिटेड, बंबई के प्रबंध के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन के परिणाम स्वरूप, कम्पनी विधि बोर्ड ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 408 के उपबंधो के अन्तर्गत उसको प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त कम्पनी के निदेशकों के मंडल में दो सरकारी निदेशकों को नियुक्त किया। सरकारी निदेशकों का कार्यकाल 14 जुलाई 1972 को समाप्त हुआ । सरकार की जानकारी में आया है कि कंपनी का कार्यभारी निदेशक कंपनी की पिछली महा सभा जो 5 फरवरी, 1972 को सम्पन्न हुई थी, उसमें पुनः निदेशक नहीं चुने गये। कम्पनी ने बंबई उच्च न्यायालय में कंपनी विधि बोर्ड के धारा 408 के अन्तर्गत आदेश को चुनौती देते हुए, सरकारी निदेशक के कार्यकाल को बढाने के विरुद्ध एक याचिका प्रस्तुत की है । यह मामला उच्च न्यायालय, बंबई मे लंबित है कि जिसने कंपनी विधि बोर्ड को आगे कोई कार्यवाही न करने का अन्तरिम आदेश दिया है, जो निर्णयाधीन है।

भारत-पाक युद्ध के पश्चात् अमेरीका से पर्यटक यातायात में कमी

916. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या पयटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत–पाक युद्ध के पश्चात अमरीका से पर्यटक यातायात में गिरावट आई है, और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

पर्यटन और नागरी विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी हां। दिसम्बर 1971 से जून 1972 तक की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में संयुक्त राज्य अमरीका से आने वाले पर्यटकों की संख्या में 3,578 की गिरावट हुई।

काले धन तथा कर अपवंचन के बारे में वांचू समिति की सिफारिशें

917. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल में अर्थशास्त्रियों के एक दल से वांचू समिति के प्रतिवेदन के बारे में चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो मुख्य रूप से किन बातों पर चर्चा की गई; और

(ग) इस चर्चा के फलस्वरूप दी गई सलाह के अनुसार सरकार द्वारा देश में काले धन को निकालने तथा कर अपवंचन से निपटने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) दिल्ली में 3 और 4 जून 1972 को प्रमुख अर्थशास्त्रियों की एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। गोष्ठी में वित्त मंत्री ने एक दिन भाग लिया और विचार विमर्श सुना।

(ख) अर्थशास्त्रियों के समूह में विचार विमर्श की मुख्य मुख्य बातें ये थीं :—

(i) कर-अपवंचन और कर-परिहार की समस्याएं;

(ii) कर नीतियां और आर्थिक तथा सामाजिक न्याय की आवश्तकताएं; और

(iii) बचत, निवेश रोजगार तथा उत्पादन के लिए प्रोत्साहन।

(ग) गोष्ठी में दिये गये सुझावों को, वांचू समिति की सिफारिशों पर विचार करते समय सरकार ध्यान में रख रही है।

छटा वित्त आयोग

918. श्री नवल किशोर शर्मा :
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में छटे वित्त आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निदेश पद क्या है और यह अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगा; और

(ग) आयोग के सदस्यों के क्या नाम हैं तथा आयोग के अध्यक्ष को क्या दर्जा दिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिनांक 28 जून, 1972 की अधिसूचना की एक प्रति, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है, सभा पटल पर रख दी गई है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3263/72**] आयोग के अध्यक्ष का दर्जा मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री का होगा।

जयपुर स्थित जयपुर मेटल्स पर सीमाशुल्क विभाग द्वारा छापे

919. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क विभाग ने जयपुर स्थित जयपुर मेटल्स पर छापा मारा तथा ऐसे बीस हजार मीटर पकडे जिनका हिसाब किताब इस कंपनी की किताबों में नहीं था;

(ख) यदि हां, तो इन मीटरों की अनुमानित कीमत कितनी है;

(ग) क्या इस मामले में इस कंपनी के विरुद्ध कोई जांच कराई गयी है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) मैसर्स जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, जयपुर, के यहां ऐसा कोई छापा नहीं मारा गया था। इस कारखाने ने बिजली के मीटरों का निर्माण करने के लिए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लाइसेंस प्राप्त किया हुआ है। उत्पादन शुल्क लगने योग्य माल को रखने के निमित्त अतिरिक्त गोदाम की स्वीकृति के लिए निरीक्षण करने हेतु अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, जयपुर रेंज II, ने 7-6-1972 को इस कारखाने का मुआइना किया। इस मुआयने के दौरान अधीक्षक ने यह देखा कि कंपनी ने इस गोदाम में बिजली के मीटर पहले से ही रखे हुए थे। स्वीकृति मिलने से पूर्व इस प्रकार माल को गोदाम में रखना केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम के अन्तर्गत एक अपराध है और चूंकि केन्द्रिय उत्पादन शुल्क नियमों के अंतर्गत निर्धारित रजिस्टरी में इन मीटरों का हिसाब नहीं रखा गया था, इसलिए अधीक्षक ने बिजली के 21,275 मीटर पकड़ लिये।

(ख) इन मीटरों का अनुमानित मूल्य 12,49,550 रुपये है।

(ग) जी, हां।

(घ) आगे की जांच पडताल का कार्य सहायक समाहर्ता, जयपुर प्रभाग द्वारा तत्काल किया गया जिसको कारखाने के प्रबंधकों ने यह बताया कि :—

(i) उन्होंने 4-5-72 को अतिरिक्त गोदाम के स्थान के लिए आवेदन किया था और इसके बारे में अधीक्षक को स्मरण भी कराया था;

(ii) स्वीकृति नहीं मिले गोदाम में जो मीटर रखे गये थे, उनकी प्रविष्टि उत्पादन पर्चियों में और कंपनी के अन्य दैनिक खातों में विधिवत् की गयी थी;

(iii) प्रबंधकों ने यह भी बताया कि उनको यह धारणा थी कि निर्धारित उत्पादन शुल्क रजिस्टरों में प्रविष्टियां गोदाम के स्वीकृत हो जाने के पश्चात हो, की जानी थी।

यह मानते हुए कि यह एक तकनीकी किस्म की चूक है और इसमें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के राजस्व का चोरी करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया था, इस लिए उक्त माल विभाग द्वारा छोड़ दिया गया है और इन निदेशों के साथ कारखाने को सौंप दिया गया है कि माल के ब्यौरे केन्द्रीय उत्पादन शुल्क रजिस्टरों में दर्ज किये जाये। अब गोदाम को स्वीकृति दे दी गयी है।

बम्बई में फिल्मी सितारों के निवासों पर मारे गये छापों के फलस्वरूप पकड़ा गया काला धन

920. श्री नवल किशोर शर्मा :

श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काला धन पकड़ने हेतु बंबई में फिल्मी सितारों के निवासों की ली गई तलाशियां निष्फल सिद्ध हुई क्यों कि फिल्मी सितारों के पास से पकड़े गये काले धन की राशि आयकर विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों को यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के रूप में दी गई राशि से कम रही;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि काला धन पकड़ने के प्रयास में आयकर विभाग की असफलता की जांच करने हेतु एक जांच समिति नियुक्त की जाये ; और

(ग) यदि हां, तो कब; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी नहीं । अदा किया गया यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता केवल 1633 रु० है, जबकि लेखा बाह्य परिसंपत्तियों का मूल्य 24.9 लाख रु० है। इसके अलावा, पकड़ी गयी खाता-बहियों और दस्तावेजों से पर्याप्त छिपे धन का पता लगने की आशा है।

(ख) और (ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

भारत को सहायता देने के लिए "भारत सहायता संघ" की सिफारिशें

921. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'भारत सहायता संघ' भारत को 125 करोड डालर की सहायता का लक्ष्य पूरा करने के लिए विश्व बैंक से सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक के अधिकारियों के दल ने इस संबंध में नई दिल्ली सहित विभिन्न देशों की राजधानियों का दौरा किया है;

(ग) विश्व बैंक के दल ने भारत को अपेक्षित धन देने के लिए क्या सिफारिशें की हैं, और

(घ) भारत को यह सहायता कब प्राप्त होगी और यह किस रूप में होगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारत सहायता संघ के सदस्य विश्व बैंक के इस मूल्यांकन से सहमत थे कि भारत को साधनों के अन्तरण में होने वाली भारी कमी को रोकने के लिए यह जरुरी है कि भारत को 125 करोड़ डालर की सहायता (70 करोड डालर की प्रायोजना—भिन्न सहायता और 55 करोड़ डालर की प्रायोजना—सहायता) के नये वचन दिये जाये । संघ के सदस्यों ने सामान्य रूप से इस कार्यक्रम का समर्थन किया था।

(ख) ऋण राहत की व्यवस्था करने के संबंध में विश्व बैंक द्वारा नियुक्त एक सलाहकार ने विभिन्न देशों की राजधानियों की, जिनमें नयी दिल्ली भी शामिल है, यात्रा की थी।

(ग) और (घ) फ्रांस, कनाडा, डेन्मार्क, नेदरलैंड, स्वीडन और अन्तरराष्ट्रीय विकास संघ के साथ लगभग 1410 लाख डालर के करार पहले ही किए जा चुके हैं जो इस प्रकार हैं :—

	(लाख डालर)		
	प्रायोजना	प्रायोजना-भिन्न (ऋण-राहत सहित)	जोड़
1 कनाडा (10-6-72) . .	—	462.5	462.5
2 डेन्मार्क (24-4-72) . .	—	57	57
3 स्वीडन (14-6-72) . .	106	—	106
4 अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (14-6-72) .	212	—	212
5 नीदरलैंड (19-7-72) .	—	209.2	209.2
6 फ्रांस (20-3-72) . .	244.3	117.3	361.6
जोड़ .	562.3	846.0	1408.3

अन्य सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत के बाद करार किए जायेंगे । इसलिए अभी यह बताना संभव नहीं कि कितनी सहायता प्राप्त होगी और उसमें प्रायोजना-सहायता तथा प्रायोजना-भिन्न सहायता कितनी होगी ।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशि में वृद्धि

922. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि में चालू वर्ष के पहले 6 महीनों में 9.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) क्या चालू वर्ष के पहले 6 महीनों में बैंक जमा राशि में उक्त वृद्धि के अनुपातानुसार बैंक की ऋण राशि में वृद्धि नहीं हुई है; और

(ग) यदि हां, तो बैंक की जमा राशि में वृद्धि तथा बैंक की ऋण राशि में वृद्धि में इतना बड़ा अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) (क) और (ख) : कैलेण्डर वर्ष 1972 के प्रथम 6 महीनों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा रकम 6937 करोड रुपये से बढ़ कर 7524 करोड रुपये हो गयी अर्थात् 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इसी अवधि म बैंक अग्रिमों की बकाया रकम 5051 करोड रुपये से बढ कर 5377 करोड रुपया हो गयी अर्थात् 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

(ग) जमा रकमों में वृद्धि की उंची दर, मुद्रा जमा अनुपात के, बैंक संबंधी आदतों में तेजी से विस्तार के परिणामस्वरूप जमा रकमों के हक में परिवर्तन की द्योतक है। दूसरी ओर बैंक ऋण में, जमा रकमों में वृद्धि के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है। जिसका कारण ऋण की मांग में कुछ मंदी का होना है।

भारत को ऋण में राहत देने का निर्णय

923. **श्री जगदीश भट्टाचार्य :**

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "भारत सहायता संघ" ने हाल ही में आयोजित अपनी बैठक में चालू तथा आगामी वित्तीय वर्ष में भारत को दी जाने वाली ऋण-राहत की राशि के बारे में निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) इस बैठक में विभिन्न देशों ने कुल कितना ऋण देने का वचन दिया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता।

(ग) भारत को अन्तरिक किए जाने वाले साधनों में तेजी से होने वाली कमी को रोकने के लिए आवश्यक प्रयोजना-भिन्न और प्रयोजना सहायता के कुल वचनों के विषय में, विश्व बैंक की रिपोर्ट के संदर्भ में, अधिकांश सदस्यों ने उनकी सरकारों द्वारा आवश्यक स्वीकृति दिए जाने की शर्त के अधीन अपने-अपने द्वारा किए जाने वाले अंशदानों का संकेत दिया और अन्य सदस्यों ने यह आशा व्यक्त की कि वे वर्ष के दौरान बाद में अपने-अपने अंशदानों के बारे में बता सकेंगे।

पश्चिम बंगाल में सूखे की स्थिति के बारे में अध्ययन दल की सिफारिशें

924. **श्री जगदीश भट्टाचार्य :**

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में सूखे की स्थिति का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किये गये केन्द्रीय दल के प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) केन्द्रीय दल ने सूखा सहायता कार्यों के लिए चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सहायता के लिए कृषि के काम आने वाली वस्तुओं के लिए 2.18 करोड रुपये के अल्पावधिक ऋण सहित 6.85 करोड रुपये के व्यय की अधिकतम सीमा की सिफारिश की है। दल द्वारा की गयी अधिकतम सीमा संबंधी सिफारिश को मान लिया गया है और

उसकी सूचना राज्य सरकार को दे दी गयी है। धन की तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को वित्त मंत्रालय ने एक करोड रुपये की मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त कृषि के काम आने वाली वस्तुओं के लिए अल्पावधिक ऋण के रूप में केन्द्रीय कृषि विभाग ने एक करोड रुपये की धनराशी मंजूर की है। और सहायता, राज्य सरकार द्वारा सूचित किये जाने वाले व्यय की प्रगति के आधार पर दी जायगी।

सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारियों द्वारा सैनिक कार्यों पर पुस्तकें लिखना

925. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :**

श्री धनशाह प्रधान :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा सेनाओं के उच्च अधिकारी सेवानिवृत्ति के पश्चात सरकार से पूर्व अनुमति लिए बिना सैनिक कार्यों के बारे में पुस्तकें लिखने के लिए स्वतंत्र हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश के हितों की रक्षा के लिए इस बारे में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए कोई आचरण संबंधी नियम बनाने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकारी गोपनीयता अधिनियम के उपबन्धों की शर्तों के साथ प्रश्न का उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों द्वारा "धीरे काम करो" अथवा नियमानुसार काम करो की प्रणाली का अपनाया जाना

926. **श्री धर्म राव अफजलपुरकर :**

श्री रण बहादुर सिंह :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस महीनों में इंडियन एयरलाईंस के कर्मचारियों ने कितनी बार हडताल की अथवा 'धीरे काम करो' तथा 'नियमानुसार कार्य करे' प्रणाली अपनाई;

(ख) क्या सरकार ने इस गंभीर समस्या का हल निकाल लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) यद्यपि पिछले दस महीनों के दौरान इंडियन एयरलाईंस में कोई हडताल नहीं हुई है, तथापि कुछ संधारण इंजीनियरों ने वेतनों तथा सेवा की शर्तों से संबंधित अपने ऐसोसिएशन के मांग पत्र को मनवाने के लिये प्रबंधकवर्ग पर दबाव डालने के लिये इस वर्ष मार्च के प्रारंभ से कुछ सप्ताह के लिए 'धीमे कार्य करो' की नीति अपनाई अब स्थिति में सुधार हो गया है। तीन और भी हुई जिनमें कर्मचारियों के छोटे छोटे समूहों ने थोडी थोडी अवधियों के लिये कार्य ठप्प करने तथा ओवर टाइम पर काम करने से इन्कार करने जैसे आन्दोलनात्मक तरीके अपनाए।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइंस का प्रबंधक वर्ग औद्योगिक संबंधों में सुधार करने के लगातार प्रयत्न कर रहा है तथा यूनियनों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। एक संयुक्त परिषद का गठन करने के प्रयत्न किये जा रहे है जिसमें यूनियनों तथा प्रबंधक वर्ग के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। निम्नलिखित न्यायाधिकरण पहले ही मौजूद है :—

(1) अखिल भारतीय आधार पर एक श्रम संपर्क समिति जिसमें प्रबंधक वर्ग तथा श्रमिकों के बराबर बराबर प्रतिनिधि सम्मिलित है।

(2) क्षेत्रीय आधार पर श्रमिक समितियां।

(3) मालिक मजदूर संबंध समिति जिसमें मुख्यालयों तथा क्षेत्रिय मुख्यालयों के कर्मचारी सम्मिलित है। क्षेत्रिय संबंध विद्यमान है। कैन्टीन, आवास आदि जैसे कल्याणकारी क्रियापालपों पर अधिक बल दिया जा रहा है।

सैनिकों तथा उनके परिवारों को दी गई पेंशन तथा अन्य लाभ

927. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कितने सैनिक पेंशन तथा अन्य सुविधाओं के अधिकारी हैं और उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने उनको वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) राज्यवार कितने परिवारों को पेंशन तथा अन्य लाभ मिल रहे हैं और कितनी विधवाओं को पेंशने तथा लाभ अभी दिया जाना शेष है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) यह अनुमान है कि सूचना फरवरी 1972 में युद्ध विधवाओं तथा अपंग सैनिकों को उदार पेंशनरी लाभ तथा मंजूर किए गये अन्य हितों के संबंध में मांगी गई है। सूचना इस प्रकार है :—

(1) हाल ही के भारत-पाकिस्तान संघर्ष में जख्मी हुए सशस्त्र सेना अधिकारियों और अफसर पद से नीचे के कार्मिकों में से अभी तक कोई असशक्त नहीं किया गया है। अतः उनमें से इस समय कोई भी युद्ध आहत वेतन (असशक्तता पेंशन) तथा इस योजना के अधीन मंजूर की गई अन्य सुविधाओं को पाने का अधिकारी नहीं है। आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, मैसूर, नागालैंड, उडीसा, पंजाब, राजस्थान, तामिल नाडू, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य ने उन को जो हाल ही के भारत-पाकिस्तान संघर्ष में जखमी हो जाने के परिणामस्वरूप पूर्णतया अशक्त हो गये, 1,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का सहायतार्थ अनुदान मंजूर किया है।

(2) 20 जुलाई 1972 तक 209 अफसरों तथा 3038 व्यक्तियों के परिवार विशेष परिवार पेंशन अथवा आश्रित पेंशन पा रहें थे। कार्रवाई में मारे गये 20 सैनिकों के बारे में दावों को नहीं माना गया है क्योंकि कोई पात्र उत्तराधिकारी नहीं थे; 4 अफसरों तथा 598 सैनिकों के मामलों को अभी निपटाना है। तथापि ऐसे मामलों में जांच-पड़ताल की अवधि के दौरान अवार्ड (विशेष परिवार पेंशन के बराबर) मंजूर कर दिए गये हैं।

नौसेना और वायु सेना के मारे गये सभी अफसरों तथा सैनिकों के परिवार विशेष परिवार पेंशन अथवा आश्रित पेंशन पा रहे है। उनकी राज्यवार संख्या इस प्रकार है :—

राज्य	पेंशन पा रहे परिवारों की संख्या (अफसर)	(सैनिक)
आन्ध्र प्रदेश	4	1
असम	1	शून्य
बिहार	शून्य	8
दिल्ली	6	11
गुजरात	शून्य	2
हरियाणा	3	12
हिमाचल प्रदेश	शून्य	22
जम्मू और कश्मीर	शून्य	2
केरल	2	33
महाराष्ट्र	9	8
मैसूर	1	5
उडीसा	1	1
पंजाब	4	21
राजस्थान	2	12
तमिल नाडू	1	12
उत्तर प्रदेश	8	26
पश्चिम बंगाल	5	11
	47	187

तथापि, सेना के अफसरों और सैनिकों के परिवारों के संबंध में इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

दिल्ली के निकट जापान एयरलाईंस के विमान की दुर्घटना

928. श्री धर्मराव अफजलपुरकर :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान एयरलाईंस का एक विमान हाल में दिल्ली के निकट दुर्घटना-ग्रस्त हो गया था और यदि हां, तो इस दुर्घटना के फलस्वरूप कितने व्यक्ति मारे गये ?

(ख) क्या दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए जापानी विशेषज्ञों के एक दल ने भारत का दौरा किया था और यदि हां, तो सरकार ने उनको क्या सहायता दी;

(ग) क्या जापानी और भारतीय विशेषज्ञों द्वारा की गई जांच के प्रतिवेदन भारत सरकार को प्राप्त हो गये हैं और यदि हां; तो इनके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) क्या दुर्घटना के फलस्वरूप मरने वाले भारतीय ग्रामीणों को भारत/जापान सरकारने कोई वित्तीय सहायता दी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। विमान में सवार 89 व्यक्तियों में से 75 यात्री और 11 विमान कार्मिक मारे गये। इनके अतिरिक्त दुर्घटनास्थल के निकट काम करने वाले चार व्यक्ति भी मारे गये।

(ख) जी, हां। नागर विमानन विभाग द्वारा शुरू की गई जांच में तकनीकी विशेषज्ञों सहित अपने को सम्मिलित करने के लिये जापान सरकार के अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि को पूरी सुविधाएं प्रदान की गई।

(ग) दुर्घटना की जांच उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच अदालत द्वारा की जा रही है। नागर विमानन विभाग के अन्वेषकों द्वारा एकत्रित आंकडे जांच अदालत को सौप दिये गये हैं।

(घ) इस संबंध में जापान सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। परन्तु कुछ प्रेस रिपोर्टों के अनुसार दुर्घटनास्थल के निकट काम कर रहे मारे गये मजदूरों के परिवारों को मुआवजा देने तथा मुआवजे की राशि के निर्धारण करने के प्रश्न जापान एयरलाइन के प्राधिकारियों के विचाराधीन है।

गुलमर्ग (काश्मीर) में बर्फ पर फिसलने वालों को प्रशिक्षण

929. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शरद ऋतु में गुलमर्ग (काश्मीर) में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये वहां बर्फ पर फिसलने की व्यवस्था कर दी गई है;

(ख) क्या वहां बर्फ पर फिसलने वालों को स्थानीय रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रशिक्षण को देने वाले संस्थान का नाम क्या है तथा कितनी अवधि तक प्रशिक्षण दिया जाता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) प्रशिक्षकों को भारतीय स्कीइंग तथा पर्वतारोहण संस्थान में प्रशिक्षित किया गया है जिसकी कि स्थापना जनवरी, 1969 में गुलमर्ग में केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा की गयी थी।

उर्वरक उद्योगों में बेकार पडी क्षमता तथा बिजली कम सप्लाई करने के कारण उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि

930. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक उद्योगों में बेकार पड़ी क्षमता तथा उनको बिजली की कम सप्लाई देश में उर्वरक मूल्यों में वृद्धि का कारण है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बेकार क्षमता तथा बिजली की कम सप्लाई के लिए जिम्मेदार कारणों का विश्लेषण किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस बात को सुनिश्चित करने का है कि इस मूल्यवृद्धि के रूप में किसानों को अधिक राशि न देनी पड़े क्योंकि ये कारण उनके नियंत्रण में नहीं थे?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) जहां कुछ मामलों में निर्धारित क्षमताओं की अप्राप्ति एवं बिजली की बाधाओं का उत्पादन लागत पर कुप्रभाव पड़ा है ; वहां मशीनरी के कच्चे माल आदि के अधिक मूल्य जैसे अन्य तथ्यों ने भी उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि की है । उन तथ्यों, जिन्हें निर्धारित क्षमताओं की अप्राप्ति पर प्रभाव डालने वाला पाया गया है, को पता लगा लिया गया है और अनकूलतम उत्पादन को प्राप्त करने के विचार से, वहां कहीं आवश्यक समझा गया है, उचित औपचारिक उपाय अपनाए गए हैं अथवा अपनाए जा रहे हैं ।

किसानों को उचित मूल्यों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु सरकार ने उर्वरक नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत मुख्य नाइट्रोजनी उर्वरकों अर्थात् यूरिया, अमोनिया सल्फेट और कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट का अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित किया है ।

देश में तेल शोधक कारखानों द्वारा अपेक्षित पेराफिन मोम के बनाने के लिए अपेक्षित उप-उत्पाद

931. श्री राजदेव सिंह : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असाम स्थित डिगबोई तेल शोधक कारखाना ही मैच-मोम सहित पैराफिन मोम बनाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में अन्य तेल शोधक कारखाने उस उप-उत्पाद की उपेक्षा करते हैं जिससे पैराफीन मोम साफ किया जाता है तथा बनाया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या तेल शोधक कारखानों के आयोजक अथवा सरकार में कोई अन्य एजेन्सी इस उपेक्षा के लिए जिम्मेदार है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां । इस समय केवल दिग्बोई परिष्करण शाला ही पैराफीन वैक्स तथा मैच वैक्स का उत्पादन करती हैं ।

(ख) पैराफिन वैक्स के उत्पादन के लिये कच्चा माल स्लैक वैक्स है जो कि लूब बैस तेल के उत्पादन में सह-उत्पादन के रूप में उत्पादित किया जाता है । स्लैक वैक्स केवल बरौनी तथा मद्रास परिष्करणशालाओं तथा लूब इंडिया लि० लूब प्लांट (आसाम आयल कम्पनी की दिग्बोई परिष्करणशाला के अतिरिक्त) में उत्पादित किया जाता है । बरौनी, मद्रास तथा लूब इंडिया की परिष्करणशालाओं में स्लैक वैक्स से पराफिन वैक्स के उत्पादन के लिए संभाव्य अध्ययन किये जा रहे हैं । पांचवी योजना अवधि में इन योजनाओं के लागू किये जाने पर विचार किया जायेगा । इसी बीच वास्तविक उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बरौनी तथा मद्रास परिष्करणशालाओं द्वारा स्लैक वैक्स बेचा जा रहा है । उपलब्ध सीमा तक स्लैक वक्स लघु उद्योग क्षेत्र के पैराफिन वैक्स के निर्माताओं जो जौरहट प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित किये गये डिजाइन के आधार पर इस प्रयोजन के लिये संयंत्रों की स्थापना कर रहे हैं, को भी दिया जायगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मूल्य सूचकांक में वृद्धि

932. श्री के० बालतण्डायुतम :

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य सूचकांक में निरंतर तथा चौंका देने वाली वृद्धि होती जा रही है, यदि हां तो गत तीन वर्षों की तुलना में वर्ष 1972 में मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ;

(ख) मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(ग) मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 17 जुलाई 1971, 18 जुलाई 1970 और 19 जुलाई 1969 को समाप्त सप्ताहों की तुलना में 15 जुलाई, 1972 को समाप्त सप्ताह में थोक मूल्यों के सूचक-अंक में (1961-62--100) क्रमशः 7.3 प्रतिशत, 11.4 प्रतिशत और 15.5 प्रतिशत की वृद्धि का पता चलता है । सभी बातों पर विचार करने के पश्चात तीन वर्षों में 15.5 प्रतिशत की वृद्धि को सरकार चौंका देने वाली वृद्धि नहीं समझती ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में मूल्यों में जो वृद्धि हुई है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण कुछ कृषि-जन्य वस्तुओं की उपज में कमी-बेशी होना है । उदाहरण के लिए, 1967-68 की तुलना में 1968-69 और 1969-70 में तेलहनों की उपज में कमी हो गई । 1968-69 में देश में कच्चे जूट के उत्पादन में और 1970-71 में कपास के उत्पादन में तेजी से कमी हुई । बढ़ती हुई मांग को देखते हुए दालों की उपज में वृद्धि रुक-सी गई है । 1971-72 में मोटे अनाज की उपज में भारी कमी हो गई और गन्ने की उपज भी कम हो गई । इन महत्वपूर्ण वस्तुओं की कमी के अलावा पिछले वर्ष देश को बंगला देश से भारी संख्या में आने वाले शरणार्थियों के और पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाई का भार वहन करना पड़ा जिस पर सरकार का भारी खर्च हुआ । औद्योगिक उत्पादन भी चौथी आयोजना में परिकल्पित स्तरों से कम रहा है ।

(ग) मूल्यों में अनावश्यक वृद्धि को रोकने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है । एक ओर सरकार की राजस्व विषयक नीति का उद्देश्य मुद्रास्फीति-भिन्न ढंग से विकास के लिए साधन जुटाना है तो दूसरी ओर, मुद्रा सम्बन्धी नीति का उद्देश्य सट्टेबाजी के प्रयोजनों के लिए बैंक-ऋण के अपव्यय को रोकना है । समय-समय पर मूल्यों और वितरण पर नियंत्रण का सहारा भी लिया जाता है । सट्टेबाजी को रोकने के लिए वायदे के सौदों का कड़ाई से विनियमन किया जाता है । तेलहनों, खाद्य तेलों, कपास, उर्वरकों, लोहे और इस्पात जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी को इन चीजों का अधिक मात्रा में आयात करके पूरा किया जाता है । जनसाधारण के लिए मुख्य अनाजों को पर्याप्त उपलब्धि की सुनिश्चित व्यवस्था करने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनायी गयी है और इसके क्षेत्र का और विस्तार करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

बड़े व्यापार गृहों के धन कर का निर्धारण

933. श्री के० बालदण्डायुत्तम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा और बिड़ला जैसे बड़े बड़े औद्योगिक गृहों का नियंत्रण करने वाले किसी भी बड़े व्यापारी पर धन कर का निर्धारण नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी नहीं । यह सच नहीं है कि बड़े बड़े औद्योगिक गृहों पर नियंत्रण रखने वाले टाटा तथा बिड़ला जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों में से किसी पर भी धन-कर नहीं लगाया जाता ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है ।

भारतीय नौसेना की समस्यायें

934. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 मई, 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में मैनी नेवल शिप्स स्टोपिंग आन बोरोड टाइम" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) हमारी नौसेना के पुराने और जीर्ण जहाजों को बदलने की आवश्यकता के बारे में सरकार पूर्णतया सजग है । नए जहाज प्रतिष्ठित युद्धपोतों के स्वदेशी निर्माण को तीव्र करने तथा उनका विस्तार करने और जहां सम्भव हो नए अधिग्रहण द्वारा इस कमी को पूरा करने का एक कार्यक्रम बना लिया है । वित्तीय स्रोतों के नियंत्रण और युद्धपोत निर्माण के लिए स्वदेशी क्षमता के अनुसार हमारी नौसेना को विकसित करने तथा समर्थ बनाने के लिए हर प्रयत्न किया जा रहा है ।

विवियन बोस आयोग की सिफारिश

935. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवियन बोस आयोग के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार ने विचार कर लिया है, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और सरकार ने अब तक क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) विवियन बोस आयोग द्वारा रिपोर्ट के प्रस्तुत होने पर, सरकार ने आयोग द्वारा की गई शिफारिशों के आधार पर कम्पनी अधिनियम के संशोधन पर विचार किया, एवं उस समय के सोलिसिटर जनरल श्री सी० के० दफ्तरी व मद्रास उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश स्वर्गीय श्री ए० वी० विश्वनाथ शास्त्री से इस रिपोर्ट की कानूनी दृष्टिकोण से तथा जनता के हित को अधिक महत्व देने की दृष्टि से विचार करने की प्रार्थना की । आयोग तथा दफ्तरी शास्त्री समिति की अधिकांश सिफारिशों को कम्पनी अधिनियम 1956 को 1963 व 1965 में संशोधित करके प्रभावी बनाया था ।

2. आयोग द्वारा की गई लाभदायक स्वामित्व के प्रकटीकरण की शिफारिशों की बाबत कम्पनी (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1964 में एक खंड जोड़ा गया था । तथापि कम्पनी (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1964 के लिये बनाई गई संयुक्त समिति ने सम्बन्धित खंड (42) को निकाल दिया क्योंकि समिति ने यह अनुभव किया कि कम्पनियों के लिये साम्य हिस्सा पूंजी के पांच-प्रतिशत से अधिक की हितकारी धारीता को ध्यान में रखना जब तक कठिन होगा तब तक कि सम्बन्धित हिस्सेदारी इस प्रकार की धारीता को स्वयं न बतायें । कम्पनी (संशोधन) विधेयक 1972 में उचित उपबन्धों का उल्लेख कर दिया गया है । यह संसद के वर्तमान सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा ।

3. जांच आयोग के संस्थापित होने से पहले दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन ने डालमिया जैन एअरवेज लिमिटेड के मामले में जांच-पड़ताल प्रारंभ कर दी थीं जो आगे न बढ़ सकी क्योंकि इस विषय से सम्बन्धित दस्तावेज विवियन बोस आयोग ने अपनी जांच के लिये ले लिये । आयोग

द्वारा जांच पूर्ण कर लिये जाने पर, विशेष पुलिस स्थापन द्वारा जांच-पड़ताल पुनः आरंभ कर दी गई थी एवं अपराधी पुरुष, सर्वश्री रामकृष्ण डालमिया अजीत प्रसाद जैन, जय दयाल डालमिया, वामनहारी डालमिया एवं बीस अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 467 व 477 के साथ पठित धारा 409, 471 के साथ पठित धारा 120 ख के अन्तगत दिल्ली जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत कर दिये गय थे । अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दिल्ली, जिसे यह मामला जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हस्तांतरित किया गया था, के न्यायालय में इस मामले की सेशन न्यायालय में उपार्षण करने के लिये कायवाहियां प्रारंभ की गई थी । अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के स्थानान्तरण हो जाने के कारण, इस अभियोग से सम्बन्धित बहस दोबारा करनी पड़ी एवं यह 25 अक्तूबर, 1967 को केन्द्रीय जांच विभाग के अतिरिक्त कानूनी सलाहकार द्वारा अन्ततः पूण कर ली गई । उपाषण कार्यवाहियों को समाप्ति के पश्चात् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 20 सितम्बर, 1969 को पारित आदेश द्वारा 22 व्यक्तियों को, सेशन न्यायालय को अन्वीक्षा के लिये उपार्षित कर दिया गया था । उपार्षण कायवाहियों के अनिर्णीत रहने तक दो अपराधियों का स्वर्गवास हो गया एवं एक अपराधी को, उपाषण आदेश पारित होने के पश्चात् मृत्यु हो गई । उपार्षण आदेश के पारित होने पर अनेक अपराधियों ने उपार्षण आदेश के अभिखंडन के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिकायें दायर कर दी । ये पुनरीक्षण याचिकायें कुल सातवें एवं ये सभी उच्च न्यायालय के दिनांक 20 अक्तूबर 1971 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी । यह मामला सत्र-न्यायालय में जांच के लिये लम्बित है ।

तीसरे वेतन आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना

936. श्री बीरेन्द्र सिंह राव :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरे वेतन आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) यह आयोग सरकार को अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) तृतीय वेतन आयोग के काम की प्रगति, इस सदन में 17 मार्च, 1972 को अतारांकित प्रश्न संख्या 561 के उत्तर में बताई गयी थी । तब से, आयोग ने सरकारी साक्षियों की जांच अभी जुलाई मध्य तक पूरी कर ली है और अब आयोग राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों/वित्त मंत्रियों से चर्चा कर रहा है । तृतीय वेतन आयोग के निदश पद पूर्ववर्ती वेतन आयोग के निर्देश पदों से अत्यधिक व्यापक हैं । फिर भी आयोग अपने काम को जितनी जल्दी हो सक रहा है उतनी जल्दी पूरा करन की कोशिश कर रहा है ।

कारीपुर में कालीकट हवाई अड्डे के निर्माण कार्य में प्रगति

937. श्री के० मालन्ना :
श्री सी० जनार्दनन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारीपुर में कालीकट हवाई अड्डे के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) हवाई अड्डे के कब तक पूरा हो जाने तथा चालू हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस पर कितना खर्च आ जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) भूमि का अभिग्रहण किया जा चुका है और उस पर बाड़ लगायी जा चुकी है । राज्य सरकार द्वारा विमानक्षेत्र के स्थल को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली एक सड़क बनायी जा रही है तथा पूरी होने वाली है ।

(ख) और (ग) : विमान क्षेत्र के निर्माण के लिये एक 1.11 करोड़ रुपये के व्यय अनुमान पर कार्यवाही की जा रही है । निर्माण कार्य को जैसे ही व्यय अनुमान स्वीकृत हो जाता है प्रारंभ कर देने तथा यथा संभव शीघ्रतम पूरा कर देने का प्रस्ताव है ।

छोटे सिक्कों की कमी

938. श्री के० मालन्ना :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये ढले सिक्कों के परिचालन के बावजूद भी देश में छोटे सिक्कों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में छोटे सिक्कों की कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) (क) यह सच है कि यह समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई है और विभिन्न इलाकों में छोटे सिक्कों की कमी समय-समय पर पैदा हो जाती है, हालांकि टकसालों में सिक्कों के उत्पादन में वृद्धि हो जाने से सिक्कों की उपलब्धि में काफी सुधार हो गया है ।

(ख) टकसालों द्वारा सिक्कों की जो पूर्ति की जा रही है उससे अभी तक, पुरानी मिश्रधातुओं के सिक्कों, जिनका धातु-मूल्य अंकित मूल्य से अधिक है, गलाने के प्रयोजन से किए जाने वाले उपयोग से पड़ने वाले प्रभाव को समाप्त नहीं किया जा सकता है । एक गौण कारण सिक्कों की कमी के मनोवैज्ञानिक वातावरण के कारण की जाने वाली जमाखोरी है ।

(ग) सरकार ने टंकसालों में छोटे सिक्कों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं, जिनमें सिक्कों की मिश्र धातुओं में परिवर्तन किया जाना भी शामिल है ताकि इससे उत्पादन की दर में वृद्धि हो और इसके अलावा भविष्य में गलाने के प्रयोजन से सिक्कों का उपयोग किए जाने की संभावना को समाप्त किया जा सके । छोटे सिक्के (अपराध), अधिनियम, 1971 भी लागू कर दिया गया है, जिसके जरिये सिक्कों को गलाना और गलाने के प्रयोजन से उनकी जमाखोरी करना, कानून की दृष्टि से अपराध बना दिया गया है । रिजर्व बैंक के काउंटरों से जारी किए जाने वाले सिक्कों की मात्रा को भी कम कर दिया गया है ताकि उन व्यक्तियों के क्रियाकलापों पर रोक लगायी जा सके जो सिक्कों की जमाखोरी करने और उन्हें मुनाफे पर बेचने के लिये सिक्के इकट्ठे करते हुए पाये जाते हैं । दूसरी ओर बैंकों, सरकारी विभागों, परिवहन उपक्रमों, मिलों, होटलों, कम्पनियों जैसी संस्थाओं और अन्य संगठनों को प्रामाणिक कारोबारी प्रयोजनों के लिए सिक्कों का दिया जाना काफी उदार बना दिया गया है । किसी विशेष केन्द्र से शिकायत प्राप्त होते ही, रिजर्व बैंक से जांच करने के लिए और बैंक की स्टाक संबंधी स्थिति को देखते हुए, उचित और अनुमत सीमातक अतिरिक्त मात्रा में सिक्के भेजने के लिए कहा जाता है ।

नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के भवन में आग लगना

939. श्री के० मालन्ना : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के तहखाने में हालही में लगी आग के बारे में जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के निष्कर्ष क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नही । पुलिस द्वारा मामले की जांच अभी भी की जा रही है ।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है ।

फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, त्रावनकोर लिमिटेड में श्रमिकों की हड़ताल

940. श्री के० मालन्ना :

श्री सी० जनार्दनन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मई-जून के दौरान केरल स्थित फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स, त्रावनकोर लिमिटेड में श्रमिकों द्वारा कोई हड़ताल की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं;

(ग) यह उपक्रम कितने दिन बन्द रहा और इस के बन्द होने के कारण कुल कितनी हानि हुई; और

(घ) मामलों का निपटान करने तथा भविष्य में श्रमिक गडबडी रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) जी हां । उत्पादन बोनस, चौथे चरण संयंत्रों में स्टाफ भरने, वार्षिक बोनस, पदोन्नति तथा कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती आदि मामलों में प्रबन्धकों के विरुद्ध मुख्य रूप से अपनी मांगों को प्रवर्तित करने की दृष्टि से कर्मचारियों ने हड़ताल की थी । कर्मचारियों की यूनियनों की इस मांग कि उन व्यक्तियों, जिन्हों ने बिना अधिकार के चौथे चरण अमोनिया संयंत्र को बन्द कर दिया था, के विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जाये, को स्वीकार करने में प्रबन्धकों की असमर्थता हड़ताल का तुरंत कारण थी ।

(ग) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स, त्रावनकोर लिमिटेड के उद्योगमण्डल प्रभाग 9-5-72 से 2-7-72 अर्थात 55 दिनों के लिये बन्द रहा और इस से उत्पादन में अनुमानतः 4.5 करोड़ रुपये की हानि हुई ।

(घ) झगड़े न्यायनिर्णय के लिये औद्योगिक न्यायधिकरण के पास भेज दिये गये हैं । साथ ही साथ, समझौता करने तथा इस प्रकार की हड़ताल की पुनरावृत्ति रोकने के लिये कोई तरीका ढूंढने के लिए प्रबंधकों, यूनियनों तथा राज्य सरकार के बीच विचारविमर्श हो रहा है ।

विदेशों से लिए गए ऋण की वापसी संबंधी नई समयावली

941. **श्री श्रीकृष्ण मोदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत मित्र देशों से लिए गए ऋणों की अदायगी के सम्बन्ध में कोई न्यायोचित समझौता करने में सफल हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऋण की अदायगी के रास्ते में क्या मुख्य अड़चने हैं; और

(ग) इतनी अधिक अदायगियां क्यों कर हुई ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) (क) और (ख) भारत ने विश्व बैंक और भारत सहायता संघ के सदस्य देशों का ध्यान ऋण-शोधन सम्बन्धी अदायगियों के समूचे भार और इसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास के लिए उपलब्ध साधनों में होने वाली कमी की ओर आकृष्ट किया है । 1972-73 और 1973-74 के वर्षों के लिए ऋण-राहत के प्रश्न पर भारत सहायता संघ के सदस्यों से बराबर बातचीत की जाती है ।

(ग) ऋण-परिशोधन सम्बन्धी अदायगियां अधिक होने का कारण यह है कि पहले के वर्षों में बहुत कड़ी शर्तों पर सहायता उपलब्ध की गई थी ।

स्थायी वित्त आयोग

942. **श्री चौधरी राम प्रकाश** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छठे वित्त आयोग की अवधि पूरी हो जाने के पश्चात् स्थायी रूप से वित्त आयोग की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) सरकार एक स्थायी वित्त आयोग की स्थापना करना आवश्यक नहीं समझती ।

निर्धन देशों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के बारे में विश्व बैंक का निर्णय

943. **श्री एम० कतामुटु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धन देशों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के अपने प्रयास में विश्व बैंक दल ने नये कार्य करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इस नीति से भारत को सहायता मिलेगी और यदि हां, तो कहां तक?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) विश्व बैंक दल ने विचार किया है कि विश्व बैंक दल द्वारा निम्नलिखित चार बड़े क्षेत्रों में काफी अधिक संगठित संवर्धनात्मक प्रयत्न किए जाने से बैंक के सदस्यों के औद्योगिक विकास में वास्तविक योगदान मिल सकता है :—

(क) "विकास ग्रुपों" का संवर्धन;

(ख) प्रादेशिक विकास;

(ग) लघु उद्योग;

(घ) प्रौद्योगिकी में सुधार ।

(ग) भारत विश्व बैंक दल द्वारा सुझाए गए क्रियाकलापों के नए क्षेत्र में सहायता का लाभ उस सीमा तक उठाएगा जहां तक कि वह आत्मनिर्भरता और समन्याय के साथ विकास करने के हमारे अपने उद्देश्यों के अनुकूल होगा ।

इंडियन एयरलाइंस में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के विमान चालकों की संख्या

944. श्री वेकारिया : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय इंडियन एयरलाइन्स में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने विमान चालक हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार उनके कोटे में वृद्धि करने का है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : दो ।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा ऐसे विमानचालकों की संख्या की अभिवृद्धि के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं और अनुसूचित जाति तथा अनसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये विमान-चालकों की भर्ती की अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष बढ़ा दी गई है ।

इंडियन एयरलाइंस में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित विमान परिचारिकाओं की संख्या

945. श्री वेकारिया : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विमान परिचारिकाओं की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या प्रशिक्षण के दौरान कुछ अनुसूचित जाति की विमान परिचारिकाओं की सेवायें समाप्त कर दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) ग्यारह ।

(ख) और (ग): एक उम्मीदवार की सेवायें प्रशिक्षण के दौरान उसकी निरन्तर असंतोषजनक प्रगति के कारण समाप्त कर दी गई ।

पर्यटक होटलों के निर्माण हेतु भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा गुजरात राज्य को ऋण

946. श्री वेकारिया : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70, वर्ष 1970-71 और वर्ष 1971-72 में पर्यटक होटलों के निर्माण हेतु भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा गुजरात राज्य को कितना ऋण दिया गया ; और

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इन होटलों का निर्माण हो रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : भारत पर्यटन विकास निगम पर्यटक होटलों के निर्माण के लिये कोई ऋण नहीं देता। परन्तु बड़ोदा में एक होटल प्रायोजना के लिये होटल विकास ऋण योजना के अन्तर्गत 10 लाख रुपये के एक ऋण का अनुमोदन कर दिया गया है।

नीदरलेण्ड से विकास-ऋण

947. श्री एम० एस० संजीवी राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीदरलैंड सरकार ने भारत सरकार को भारत के लिये विकास ऋण की राशि को बढ़ाकर कुल 62 करोड़ रुपये कर देने के अपने प्रस्तावों के बारे में सूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारें में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) नीदरलैंड सरकार द्वारा 1972 के लिये 15.25 करोड़ रुपये (6.8 करोड़ डच गिल्डर) की सहायता का वचन दिया गया है जो 1971 के लिये 10.36 करोड़ रुपये (5 करोड़ डच गिल्डर) की सहायता के वचनों से अधिक है।

(ख) 1972 के लिये नीदरलैंड द्वारा दी जाने वाली सहायता के वचन की औपचारिक सूचना, भारत सहायता संघ की जून 1972 में हुई बैठक में दी गई थी। इस नये ऋण पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा और यह 8 वर्ष की रियायती अवधि सहित 30 वर्षों में चुकाया जाना है। ऋण की राशि, भारत को विकास आयोजनाओं के लिये आवश्यक पूंजीगत उपकरणों और वस्तुओं के, नीदरलैंड से किये जानेवाले आयात के वित्तपोषण के लिये उपलब्ध होगी।

(ग) भारत सरकार ने नीदरलैंड सरकार की पेशकश स्वीकार कर ली है और इस बीच 19 जुलाई, 1972 को इस सम्बन्ध में एक करार पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

कनाडा के साथ ऋण सम्बन्धी करार

948. श्री एम० एस० संजीवी राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून 1972 में कनाडा के साथ 36 करोड़ रुपये का ऋण संबंधी एक करार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस ऋण को किन उद्योगों पर प्रयुक्त किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : जी, हां। कनाडा के साथ 5 करोड़ कनाडी डालर (35.7 करोड़ रुपये) के एक ऋण-करार पर 10 जून 1972 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस ऋण से 1972 से लेकर 1974 तक दो वर्ष की अवधि के समय में औद्योगिक वस्तुओं और उर्वरकों, उर्वरकों संबंधी सामग्री के आयात का वित्त पोषण किया जायगा। यह ऋण ब्याज, सेवा या वचनबद्धता प्रभार से मुक्त है और 10 वर्ष की प्रारम्भिक रियायती अवधि सहित इसे 50 वर्षों में चुकाया जाना है। इस ऋण का उपयोग एसबेसटास, तांबे, लौह मिश्र धातुएं, जिंक, अखबारी कागज, निकल, रबड़, गन्धक, लकड़ी की लुगदी और उर्वरक संबंधी सामग्री का उपयोग करने वाले कई उद्योगों की आयात संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जायगा।

ब्रिटेन द्वारा भारत को सहायता देने के लिये वचन बद्धता

949. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के बाकी दो वर्षों के लिये ब्रिटेन सरकार ने भारत को सहायता देने का कोई वचन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस वचनबद्ध राशि को किन परियोजनाओं और उद्योगों पर खर्च किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) ब्रिटेन से प्राप्त होने वाली सहायता की घोषणा और उसका वितरण वार्षिक आधार पर होता है । भारत सहायता संघ की प्रत्येक वर्ष होने वाली बैठक में ब्रिटेन की सरकार अपने वचनों की घोषणा करती है । चालू वर्ष के लिए ब्रिटेन ने 6.3 करोड पौण्ड की आर्थिक सहायता का वचन दिया है । 1971 में संघ की बैठक में दिए गए 5.45 करोड़ पौण्ड के वचन की तुलना में यह रकम काफी अधिक है ।

ब्रिटेन से प्राप्त होने वाली सहायता को मोटे तौर पर तीन वर्गों में बांटा जा सकता है :

1. सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों की अनुरक्षण सम्बन्धी सहायता के लिए परियोजना-भिन्न सहायता ;
2. बड़े-बड़े मूल्य की परियोजनाओं की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी तथा मशीनों और उपकरणों के आयात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परियोजना सहायता ; और
3. ऋण पुनर्वित्त सहायता, जो उपर्युक्त दोनों प्रकार की सहायता के विपरीत नकद अनुदान के रुप में होती है ।

चालू वर्ष में ब्रिटेन से प्राप्त होने वाली सहायता से जिन बड़ी परियोजनाओं का वित्त-पोषण किया जायगा उनमें ये शामिल हैं : भारतीय नौवहन निगम के लिए दो मालवाहक जहाज, सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड के लिए एक मालवाहक जहाज, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी के लिए एक तेलवाहक जहाज (टैंकर) और इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-आपरेटिव लि०, सदर्न पैट्रो-कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि० और मंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० की तीन उर्वरक परियोजनाएं ।

भारत को उर्वरक संयंत्र सप्लाई करने हेतु भारत और जापान के बीच करार

950. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत को तीन उर्वरक संयंत्र सप्लाई करने हेतु भारत तथा जापान के बीच करार हो चुका है ;

(ख) यदि हाँ, तो इन संयंत्रों का अनुमानित मूल्य तथा क्षमता क्या होगी; और

(ग) ये संयंत्र किन-किन स्थानों पर लगाये जायेंगे ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) भारत को तीन उर्वरक संयंत्रों की सप्लाई के लिए भारत और जापान के बीच कोई करार नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

हल्दिया-बरौनी-कानपुर पाइप लाइन के नये सिरे से मार्ग निर्धारण के बारे में पश्चिम बंगाल का अनुरोध

951. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने, वहां पर रानीगंज कोयला क्षेत्रों को छोड़ कर हल्दिया-बरौनी-कानपुर पाइप लाइन का नये सिरे से मार्ग निर्धारण करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने, विभिन्न कठिनाइयों एवं खतरों तथा कोयले की बहुत बड़ी मात्राओं में अवरुद्ध हो जाने के कारण होने वाली पूर्वानुमानित हानि के आधार पर हल्दिया-बरौनी-कानपुर पाइपलाइन का नये सिरे से मार्ग-निर्धारण करने के लिए प्रार्थना की है ।

एक ओर पाइप लाइन विशेषज्ञों तथा दूसरी ओर खान विशेषज्ञों के कोयला क्षेत्रों से पाइप-लाइन के मार्ग निर्धारण के विषय पर विभिन्न विचार थे । सरकारी उपक्रमों की समिति ने अपने 66वीं रिपोर्ट में भारतीय तेल निगमन (पाइपलाइन प्रभाग) पर आलोचना की थी कि स्वतन्त्र विचार के तीसरे समूह को प्राप्त नहीं किया गया था । भूतपूर्व सतर्कता अधिकारी श्री एन० एस० राव, जिन्हें कोयला-क्षेत्रों से पाइपलाइन के सरेपण के विषय में जांच करने के लिए कहा गया था, ने भी अवलोकन किया था कि इस विषय के तकनीकी पहलुओं पर अलग से विचार करने की आवश्यकता थी । इसे दृष्टि में रखते हुए, सरकार ने, इस विषय में निहित तकनीकी पहलु पर परामर्श देने और किस प्रकार के पुर्नसंरेषण संशोधन की आवश्यकता है, के सम्बन्ध में विशेषज्ञों के एक कार्यकारी दल को गठन किया । विशेषज्ञ-दल के रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

मुख्य कार्यालय व्यय के नाम पर विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा का बाहर भेजना

952. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में कार्य कर रही विदेशी तेल कम्पनियों को निदेश दिया कि मुख्य कार्यालय व्यय और बाद में तकनीकी सेवा और शुल्क जैसी कुछ अन्य मदोंके नाम पर विदेशी मुद्रा को बाहर न भेजें ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में इन कम्पनियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख): एक ऐसी पद्धति, जिसके द्वारा निम्नलिखित शीर्षकों, अर्थात्—

(i) इंजीनियरिंग एवं तकनीकी सेवाओं ;

(ii) रायल्टीज ;

(iii) लाइसैन्स फीस ;

(iv) उनके कार्यालय का व्यय ; और

(v) विविध

के अन्तर्गत प्रत्येक सेवाओं आदि के लिए धनराशियों के (देश) प्रत्यावर्तन हेतु दावे के औचित्य अथवा अन्यथा की जानकारी की जा सके, की खोज करने के प्रश्न पर तेल कम्पनियों के साथ बात चीत हो रही है ।

"नेशनल आयल कम्पनीज आफ दी ईस्ट" का गठन

953. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका के राजकीय पैट्रोलियम निगम ने भारत सरकार से "नैशनल आयल कम्पनीज आफ दी इस्ट" का एक संगठन बनाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) सरकार का उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखल) : (क) से (ग) : सीलोन (श्रीलंका) पैट्रोलियम निगम ने भारतीय तेल निगम को अन्य बातों के साथ साथ यह सुझाव दिया है कि तेल उद्योग के विभिन्न समेकित अवस्थाओं में व्यस्त नेशनल आयल कम्पनियों को सुदृढ बनाने तथा राष्ट्रीय हित में देशीय विपणन परिचालन केन्द्रों पर पूर्ण नियन्त्रण करने में उन्हें समर्थ बनाने के विचार से इस्ट एवं मिडिल ईस्ट में नेशनल आयल कम्पनियों का एक संगठन स्थापित किया जाना चाहिए । संगठन अन्य बातों के साथ साथ आर्थिक एवं तकनीकी विकास के लिए पारस्परिक तकनीकी तथा वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने, अनुसंधान कार्य को बढावा देने और सदस्य कम्पनियों के बीच किये गये अनुसंधान परिणामों पर विचार विनिमय के लिए भी प्रयास करेगा । इस प्रकार के संगठन की स्थापना तथा इस संगठन के कार्यों की गुंजायश से सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नों के स्पष्टीकरणों के लिए भारतीय तेल निगम सीलोन पेट्रोलियम कारपोरेशन के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं । जब इसके पूर्ण ब्यौरे प्राप्त होंगे तब भारत सरकार के लिए इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया दिखाना सम्भव हो सकेगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के विमानों का कलकत्ता हवाई अड्डे पर न उतरना

954. **डा० रानेन सेन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवायें अपने विमानों को कलकत्ता हवाइ अड्ड पर न उतारने का प्रयास कर रही हैं जिसके परिणामस्वरूप पूर्वी भारत में पर्यटकों की संख्या कम हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कलकत्ता हवाइ अड्डे पर विमानों को उतारने के लिए विदेशी विमान सेवाओं को सहमत करने हेतु कौन से कदम उठाये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : पिछले बारह महीनों के दौरान, तीन विदेशी अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों ने कलकत्ता के लिये अपनी अनुसूचित सेवाए अपनी मर्जी से बंद कर दी हैं । तथापि, सरकार ऐसी विदेशी एयरलाइनों द्वारा सेवाए पुन: प्रारम्भ करने का स्वागत करेगी जो कि परिचालन करने की अधिकारी हैं ।

दुर्गापुर में उर्वरक संयंत्र का चालू किया जाना

955. **डा० रानन सेन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर में उर्वरक संयंत्र को शीघ्रता से चालू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) इसमें देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) यह कारखाना कब तक उद्पादन प्रारम्भ कर देगा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) दुर्गापुर उर्वरक कारखाने का प्रारंभ निर्धारित समय से पीछे पड़ गया है जिसके लिए बहुत सारे तथा उत्तर दायी हैं :-

(अ) देशीय उपरकणों की सप्लाई में देरी ।

(ब) चालू होते समय कुछ उपकरणों का फेल हो जाना ।

(स) राष्ट्रीय आपात कालीन स्थिति की घोषणा के कारण विदेशी विशेषज्ञों, जो कुछ प्रारभिक कार्यों में लगे हुए थे, का लौट जाना । ये विदेशी विशेषज्ञ प्रायोजना स्थल पर वापिस आ गए हैं ।

प्रायोजना को जल्दी से प्रारंभ करने के उद्देश्य से भारतीय उर्वरक निगम ने कुछ मशीनों/पुर्जों जिन की दुर्गापुर कारखाने को आवश्यकता थी, का अन्य स्थानों से स्थानान्तरण किया है और परोक्षण उत्पादन इस समय प्रगति पर है । निगम द्वारा शीघ्र ही खराब उपकरणों/पुर्जों की मरम्मत/प्रत्यास्थापन भी किया जा रहा है ।

(ग) वर्तमान संकेतों के अनुसार 1972 के अंत तक उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा । वाणिज्यिक उत्पादन के 1973 तक प्रारंभ होने की आशा है ।

पश्चिम बंगाल के दो जिलों में छिद्रण कार्य

956. डा० रानेन सेन : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल के दो जिलों, 24-परगना तथा मिदनापुर में, छिद्रण कार्य आरंभ करने का है जो कि कुछ वर्ष पूर्व रोक दिया गया था; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) अभी नहीं ।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अब तक एकत्रित तथा मूल्यांकित किए गए भूकम्पीय ब्यौरे से अनुकूल नये ट्रैप, जो व्यधन द्वारा परीक्षण के योग्य हो सकते हैं, की विद्यमानता का पता नहीं लगा है । जब ऐसे अनुकूल ट्रैप की विद्यमानता का पता लग जायेगा तो व्यधन कार्य के फिर से शुरु करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

ऐसे अनुकूल ट्रैप ढूंढने की दष्टि से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग क्षेत्र में जटिल डिजिटल भूकम्पीय उपकरणों से युक्त भूकम्पीय क्षेत्र पार्टियां भेज रहा है ।

खालरा क्षेत्र में पाकिस्तानी फौजों द्वारा गोली चलाया जाना

957. श्री के० लकप्पा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी सेना ने 6-7 जून, 1972 के खालरा क्षेत्र में ढालो से भरे भारतीय चौकी पर गोली चलाई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार गोली चलाये जाने से बहुत से भारतीय नागरिक तथा सीमा सुरक्षा दल के जवान मारे गये थे ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं श्रीमन ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

देश में एक पर्यटन संस्थान की स्थापना

958. श्री नरेन्द्र सिंह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सयुक्त राष्ट्र विकास निधि तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सहायता से देश में एक पर्यटन संस्थान की स्थापना की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस संस्थान की स्थापना कब तक हो जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) :एक पर्यटन प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है, तथा एक प्रायोजना प्रस्ताव तयार करने के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशषज्ञ की सेवाएं मांगी गयी हैं । उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही, विभाग उक्त प्रायोजना के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय से सहायता लेने पर विचार करेगा

(ग) अगले दो वर्षों के अन्दर ।

विदेशी तेल कम्पनियों के लाभ का नई कम्पनियां स्थापित करने के लिए उपयोग

959. श्री अजित कुमार साहा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सरकार का विचार विदेशी तेल कम्पनियों को इस बात के लिए बाध्य करने का है कि वे अपने अर्जित लाभ का उपयोग भारत में नई कम्पनियां स्थापित करने के लिए करें और अपने लाभ को भारत से बाहर न ले जायें ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : अधिक लाभांश घोषित करने के उद्देश्य से संचय निधि से रकम लेने पर प्रतिबंध लगाने के अतिरिक्त, इस समय अन्य किन्हीं उपायों के प्रस्ताव नहीं हैं ।

तेल कम्पनियों द्वारा अपने अधीनस्थ कम्पनियों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना

960. श्री राम कंवर : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 जून, 1972 के "स्टेट्समन" में 'आयल कम्बाइन्स कर्बस आन सबसिडियरीज' (तेल कम्पनियों द्वारा अपने अधीनस्थ कम्पनियों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के अलिखित नियमों से भी भारत स्थित शाखायें किस सीमा तक प्रभावित होती हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) सरकार ने प्रैस रिर्पोट देखी है ।

(ख) भारत में स्थित विदेशी तेल कम्पनियों की सहायक कम्पनियां आम तौर पर एक ही ढंग से कार्य करती हैं ।

(ग) विशिष्ट प्रयोजनों के लिये अपेक्षित लुब्रीकैन्टस की विशेष तथा स्वाम्य किस्मों, जिनका यह तेल कम्पनियां अपने मालिकों अथवा साझेदारों की मार्फत आयात करती हैं, के सिवाये सरकार तेल के उत्पादों का सभी आयात पहले ही भारतीय तेल निगम की मार्फत करती है। जहां तक कच्चे तेल के आयात का प्रश्न है, शोधनशाला करार के अन्तर्गत, 3 विदेशी तेल कम्पनियों को अपने संसाधनों से प्रचलित विश्व मूल्यों पर इस का आयात करने की स्वतंत्रता है।

भारत में पी० एल० 480 निधियों का उपयोग

961. **श्री रण बहार सिंह :**

श्री प्रभुदास पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने ऐसी व्यवस्था को पूर्णतया समाप्त कर दिया है जिसके द्वारा अमरीका ने तीसरे देशों में उनके कार्यक्रमों के लिये भारत में एकत्रित पी० एल० 480 रुपया निधियों से धन देने हेतू धन के स्थानान्तरण किये थे ;

(ख) क्या सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि एशियाई क्षेत्र में कुछ देशों से आये व्यक्तियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थानीय लागत को पूरा करने के लिये पी० एल० 480 निधियों का प्रयोग बन्द कर दिया जाये; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त निर्णयों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) पी० एल० 480 रुपया राशियां अन्य देशों को अन्तरित नहीं की जा सकतीं, सिवाय उस सीमा तक के, जहां तक भारत सरकार इसके लिए विशिष्ठ रूप से सहमत हो। अब तक भारत सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका के उनकी अपनी पी० एल० 480 रुपया-राशियों के एक छोटे से भाग (लगभग 6 करोड़ रुपया वार्षिक) का उपयोग नेपाल में विकास कार्यक्रमों के वित्त पोषण के लिए करने की अनुमति देती रही है। हाल में, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को सूचित किया गया कि उसे अब भविष्य में यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और उसे नेपाल को सहायता देने के लिए अपनी डालर-राशियों का इस्तेमाल करना चाहिए। अमेरिकी सरकार ने हमारे इस निश्चय को नोट कर लिया है।

(ख) और (ग) : संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तरराष्ट्रीय विकास अभिकरण को भारत में तृतीय देश प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए दी जाने वाली सुविधाओं को भी बंद कर देने का निश्चय किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अमेरिका के विकास अभिकरण द्वारा अन्य देशों के राष्ट्रीकों को भारत में प्रशिक्षण-सुविधाएं दी जाती थीं और इस कार्यक्रम का वित्त-पोषण पी० एल० 480 रुपया निधियों द्वारा किया जाता था।

तस्करी के माल का पकड़ा जाना

962. **श्री आर० आर० सिंह देव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का ध्यान 'स्टेट्समैन' दिनांक 29 मई, 1972 में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि तस्करों ने भारत में सोने के स्थान पर संस्लिष्ट कपड़, धागा और घड़ियों का लाना प्रारम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों में सीमाशुल्क विभाग तथा प्रवर्तन प्राधिकारियों ने तस्करों का कितना सोना और अन्य सामान जब्त किया है ; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सरकार ने 29 मई, 1972 के स्टेट्समैन में एक रिपोर्ट देखी है जिसमें यह कहा गया है कि भारत में तस्कर व्यापारियों ने सोने की बजाय संश्लिष्ट वस्त्रों, धागा तथा घड़ियों को तरजीह देनी शुरू कर दी है ।

(ख) पिछले तीन महीनों (अप्रैल से जून 1972) के दौरान भारत में तस्कर आयात करते समय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारीयों द्वारा पकड़े गये सोने, घडियों, संश्लिष्ट वस्त्रों तथा धागे एवं अन्य वस्तुओं की मात्रा तथा मूल्य नीचे बताये हैं :—

वस्तु	मात्रा	मूल्य (लाख रुपयों में) भारतीय बाजार दर पर
सोना	578 किलोग्राम	126.58
घड़ियां	68694 नग	70.24
संश्लिष्ट वस्त्र तथा धागा . .		225.00
अन्य वस्तुएं	..	161.00

(ग) इन मामलों में तस्कर आयात किये गये सोने और घड़ियों को जब्त करने तथा सम्बन्धित व्यक्तियों पर दण्ड लगाने के लिये, सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत न्याय निर्णय की कार्यवाही के अलावा अदालत में मुकदमा चलाने पर भी विचार किया जायगा ।

पेट्रोलियम उत्पादों के लिए मूल्य निर्धारण का पुनरीक्षण

963. श्री आर० आर० सिंह देव : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में अपनी मल्य नीति बदल दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बदली हुई नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) और (ख) जी नहीं । किन्तु सरकार ने हाल ही में युक्ति मूलक आधार पर एल० पी० गैस के अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित किए हैं ।

बड़े व्यापारिक गृहों की ओर करों की बकाया राशि

964. श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े व्यापारिक तथा एकाधिकार गृहों के रूप में वर्गीकृत 75 बड़े व्यापारिक गृहों की ओर करों की कितनी राशि बकाया है ; और

(ख) दोषी व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनकी बकाया राशि पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से वर्ष 1968 से बट्टे खाते डाल दी गई थी तथा प्रत्येक मामले में ऐसी राशि कितनी थी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) एकाधिकार जांच आयोग, 1965 की रिपोर्ट के अनुसार बड़े व्यापार और एकाधिकार गृहों के रूप में वर्गीकृत 75 बड़े व्यापार गृह पृथक कर योग्य एकक नहीं हैं। इन व्यापार गृहों में से प्रत्येक में काफी बड़ी संख्या में कम्पनियां और व्यक्ति

शामिल हैं। 1965 की रिपोर्ट के अनुसार इन व्यापार गृहों के अन्तर्गत कम्पनियों की कुल संख्या 1536 है। आय कर विभाग में पृथक रजिस्टर नहीं है, जिन में इन 1536 कम्पनियों के बारे में तथ्य दर्ज किए जाते हैं। फिर भी, माननीय सदस्य इन व्यापार गृहों से सम्बन्धित किसी खास कम्पनी या कम्पनियों के बारे में सूचना चाहते हों, तो वह दी जा सकती है।

(ख) अप्रैल, 1968 से अब तक 26 कम्पनियों के मामले में एक लाख रु० और उससे अधिक के बकाया की रकम बट्टे खाते डाली गयी, लेकिन इन कम्पनियों में से कोई भी उक्त 75 बड़े व्यापार गृहों में समाविष्ट कम्पनियों की सूची में शामिल नहीं है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उद्योगों को प्राथमिकता देना

965. श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने हाल ही में प्राथमिकता वाले क्षेत्र तथा दुर्बल वर्ग के लोगों को प्राथमिकता देने के बजाय बड़े उद्योगों का वित्तीय पोषण करना आरम्भ कर दिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : जी, नहीं। राष्ट्रीयकरण किये जाने के समय से लेकर बैंकों द्वारा कृषि और दूसरे अब तक उपेक्षित रहे क्षेत्रों को अपने ऋण देने में प्राथमिकता दी जाती है। 30 जून, 1969 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने इन क्षेत्रों को अपने कुल ऋणों में से 14.54 प्रतिशत ऋण दे रखे थे जब कि 31 दिसम्बर, 1971 को यह प्रतिशत बढ़कर 23 प्रतिशत हो गया। बैंक बड़े पैमाने के उद्योगों की उत्पादक और वितरणात्मक प्रयोजनों की उचित आवश्यकताओं की पूर्ति भी लगातार करते जा रहे हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋण की वसूली

966. श्री श्यामनंदन मिश्र : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 14 व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण से जिन विशिष्ट समूहों को ऋण दिया गया उसमें से कितना प्रतिशत ऋण वसूल कर लिया गया है; और

(ख) राष्ट्रीयकरण से पूर्व के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) : यह समझा जाता है कि "विशिष्ट समूह" शब्दावली का प्रयोग कृषि और अब तक उपेक्षित रहे क्षेत्रों के ऋणकर्ताओं के लिए किया गया है।

कार्यचालन पूंजी और अन्य अल्पवधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण मांग पर वापस अदा करने पड़ते हैं। ये ऋण आमतौर पर नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट या सीमित हुण्डियों के रूप में दिए जाते हैं और संबंधित खातों की शेष राशियों में, ऋणकर्ता द्वारा खातों के माध्यम से किए गए कुल कारबार के आधार पर, घटा बढ़ी होती रहती है। ऋणों की वसूली का प्रश्न उन्हीं सूरतों में उपस्थित होता है जबकि खाते के असन्तोषजनक संचालन के कारण, बकाया राशि की वापसी अदायगी के लिये ऋणकर्ता को कहा जाता है। जहां तक सावधिक ऋणों का संबन्ध है, ऐसे ऋणों की शर्तें आमतौर पर परियोजनाओं की सक्षमता की जांच कर लेने के बाद निर्धारित की जाती हैं। वसूली का कार्यक्रम परियोजना के कार्यान्वयन के बाद प्रत्याशित नकद प्राप्तियों के अनुसार बनाया जाता है। समय पर ऋण की वापसी अदायगी न करने के मामले भी, दैवी विपत्तियों के कारण या कारबार को प्रभावित करने वाली अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण, उपस्थित हो जाते हैं।

अनुमान है कि राष्ट्रीयकरण के बाद पहले वर्ष में यानी 30 जून, 1970 को समाप्त हुए वर्ष में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए कृषि ऋणों की वसूली, मांग की लगभग 64 प्रतिशत थी और जून 1971 में समाप्त हुए वर्ष में वह लगभग 58 प्रतिशत थी। राष्ट्रीयकरण से पहले कितनी वसूली हुआ करती थी, उसका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

मध्य प्रदेश में सिंधी जिले के विकास के लिये विश्व बैंक से ऋण

967. श्री अरविन्द नेताम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने मध्य प्रदेश के सिंधी जिले में विकास योजनाओं के लिये 4 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

राज्यों में सम्पत्ति का अर्जन

968. श्री अरविन्द नेताम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसा विधान बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है जिसके अनुसार काले धन के प्रसारण को रोकने हेतु राज्य सरकारों को कानूनी दस्तावेजों में उल्लिखित मूल्य पर जायदाद अर्जित करने की शक्ति दी जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा विधान कब तक पुर स्थापित किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) : प्रत्यक्ष कर जांच समिति (वांचू समिति) ने अपनी अंतिम रिपोर्ट के पैराग्राफ 2.198 में इस विषय पर कुछ सिफारिशें की हैं । समिति की सिफारिशों की, जिनमें उपर्युक्त पैराग्राफ में निहित सिफारिशें भी शामिल हैं, सरकार आज कल जांच कर रही है ।

महाराष्ट्र में विकास परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन से ऋण

969. श्री अरविन्द नेताम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में विकास परियोजनाओं के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन से 22.56 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त होने की आशा है; और

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र की विकास परियोजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारत सरकार ने 29 मार्च 1972 को महाराष्ट्र कृषि ऋण परियोजना के लिए 3 करोड़ अमरीकी डालर (लगभग 21.34 करोड़ रुपये के बराबर) के एक ऋण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए थे ।

(ख) इस परियोजना में छोटी सिंचाई के लिए ऋण की व्यवस्था, जिसमें मौजूद कुओं पर पंप सेट लगाना शामिल है, भूमि विकास, भूमि सुधार और कुआ-बंधने के उपकरणों की व्यवस्था और विस्तृत भूवैज्ञानिक तथा जल-वैज्ञानिक विश्लेषणों के लिए भूमिगत जल के सर्वेक्षणो एवं कार्किकोंके प्रशिक्षण के लिए वित्त की व्यवस्था करने का कार्यक्रम शामिल है । छोटी सिंचाई के निवेशो में लगभग 300 नलकूप लगाना, 175 लिफ्ट सिंचाई की योजनाएं और कुओं की खुदाइ, खुदे हुए कुओं का सुधार और कुओं में बिजली लगाना (लगभग 11,000 नए बिजली चालित खुदे हुए कुओं के बराबर) शामिल होगा । भूमि विकास के अन्तर्गत निवेश के द्वारा 11,000 हैक्टर भूमि को समदत्त किया जाएगा, 24,000 हैक्टेर भूमि का दर्जा निर्धारित किया जाएगा और छः बड़ी सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत 1,15,000 हैक्टेर भूमि पर पानी देने के लिए नाले-नलियां बनाई जाएगी और खेतों से फालतू जल की निकासी की व्यवस्था की जाएगी ।

बंगला देश को वित्तीय सहायता

970. **श्री पीलू मोदी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के योजना तथा वित्त मंत्रियों ने हाल ही में भारत का दौरा किया था तथा भारत सरकार के प्रतिनिधियों से बात की थी ;

(ख) क्या बंगला देश सरकार ने अपनी योजनायों के वित्तीय पोषण के लिए भारत से अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ग) उन्होंने कितनी सहायता मांगी है तथा भारत सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्तमंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : यह यात्रा भारत और बंगलादेश के प्रधान मंत्रियों के उस निश्चय के अनुसरण में हुई थी जिसके अनुसार यह तय किया गया था कि दोनों देशों के योजना आयोगों के प्रतिनिधियों को दोनों देशों के विकास कार्यों में परस्पर सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए समय-समय पर मिलना चाहिए । बंगला देश के योजना मंत्री की हाल की यात्रा के दौरान जो बातचीत हुई थी वह बंगला देश की वार्षिक आयोजना के वित्तपोषण के लिए भारत से अतिरिक्त सहायता की व्यवस्था के सम्बन्ध में नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच निकट आर्थिक सहयोग के विकास और इस सहयोग को और सुदृढ़ करने के उपायों की समीक्षा करना था ।

Seizure of black Money

971 **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Finance** pleased to state :

(a) the amount of black money seized by Government during the last 6 months ; and

(b) the names of the persons and companies from whom the black money was seized in the raids and also the amount of black money seized from each of them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Shushila Rohatgi) : (a) The value of assets believed to be unaccounted seized b. the In come-tax Department during the period first January to 30th June, 1972 is Rs 1.14 crores.

(b) A statement is annexed. [*Placed in the Library. See No. L. T.* 3264/72]

Fire in Vehicle Factory Jabalpur

972. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the Vehicle Factory at Jabalpur was completely destroyed in a fire which broke out there during the month of June ;

(b) if so, the extent of loss suffered in this sudden fires incident ; and

(c) whether Government have enquired into it and if so, the outcome thereof ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shr Vidhyacharan Shukla) : (a) No, Sir.

(*b*) *and* (*c*) A Court of Enquiry has been appointed to investigate into the incident Its report has not yet been received. The extent of loss causes by the fire will be known only when the report is received.

Seizure of Gold from a trader in Itarsi

973. Nathu Ram Ahiwar : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether gold worth Rs, 20,000 was seized in June, 1972 from a trader of Itarsi, Madhya Pradesh by the Excise Department;

(b) whether the said gold is missing from the Excise Department ; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard and the names of the persons responsible therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) : After the formalities of seizure of the gold in question were completed the sealed packet containing the seizued gold was found missing. The theft of the gold was immediately reported to the local Police. Preliminary enquiries in the case were immediately conducted by the Assistant Collector of Central Excise, Jabalpur, and on receipt of his report, the Collector of Central Excise, Nagpur has handed over the matter for investigation to the Superintendent of Police, Special Police Establishment, Central Bureau of Investigation, Jabalpur. Action in the matter will be taken on the basis of the investigation report of the C.B.I., when it is received.

Setting up of and oil Refinery in Morena (M. P.)

974. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether a team of the Indian Oil Corporation had visited Morena for setting up an Oil Refinery in the North Madhya Pradesh ;

(b) whether the said Study Team submitted its report in favour of setting up an Oil Refinery in Morena District; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard?

The Minister of Law and Justtice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale) : (a) A team of the Indian Oil Corporation visited Madhya Pradesh to study the possibility of locating the proposed North-West Refinery at or near Gwalior.

(b) No, Sir.

(c) The Government has decided after taking into account all techno-economic and other relevant factors that the North-West refinery should be located at Mathura.

Increase in Price of Kerosene oil

975. Shri Nathuram Ahirwar :

Shri D. Bhattacharya :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the price of Kerosene Oil for domestic use has registered a sharp increase during last three months ;

(b) the prices of Kerosene oil in the various tates prevalent during the said period; and

(c) the effective steps taken by Government to arrest the increasing price of Kerosene oil and if not taken the reasons therefor ?

The Minister of law and Justice and Petroleum and Chemicals (H. R. Gokhale) : (a) No, Sir.

(b) A statement showing retail prices of Kerosene Superior during May-July 1972 at some important stations is attached.

(c) Does not arise.

STATEMENT

Retail selling prices of Kerosene Superior in Rupees per litre as on

Stations	1-5-1972	1-6-1972	1-7-1972
Bangalore	0.66	0.66	0.66
Ahmedabad	0.63	0.63	0.63
Delhi	0.65	0.65	0.65
Bombay	0.61	0.61	0.61
Lucknow	0.77	0.77	0.77
Hyderabad	0.67	0.67	0.67
Calcutta	0.65	0.65	0.65
Jaipur	0.68	0.68	0.68
Madras*	0.63	0.65	0.65
Chandigarh	0.72	0.72	0.72

*NOTE.—The increase in price by 2 paise per litre at Madras is due to the levy of surcharge authorised by the Central Government.

Rules Regarding Replacement of damaged Currency Notes

976. Shri Atal Bihari Vajpayee : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the rules governing rejection, passing and replacement of the damaged currency notes by the Reserve Bank of India ;

(b) the number of cases in which replacement of damaged currency notes received from the commercial banks took more than nine months and eight months respectively during the last three years ; and

(c) the action taken and proposed to be taken to avoid delay in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) Claims for payment of exchange value of damaged and mutilated notes are adjudicated by the Currency Officers of the Reserve Bank of India in accordance with the procedure laid down under Reserve Bank of India (Note Refund) Rules, 1935. Slightly mutilated notes which are identifiable as genuine notes are also exchanged at the Branches of the State Bank of India and its subsidiaries and treasuries having currency chests in accordance with the procedure laid down in Note 1 to Rule 83 of Executive Instructions, Part XIV of the Central Treasury Rules, Vol. I.

(b) The information is being collected from the various branches of the Reserve Bank of India and will be laid on the table of the House as soon as received.

(c) The state of work in the claims branches of the Reserve Bank of India is constantly reviewed and appropriate steps, including sanction of additional staff, where necessary are taken to speed up the disposals.

Facilities provided to the Victims of Japanese Aircraft crashed near Delhi

977. Shri Atal Bihari Vajpaee : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether every action was taken and all possible facilities provided to the victims of the ill-fated Japanese aircraft which crashed near Delhi on the 14th June, 1972 and their friends and relatives ; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) Yes, Sir. Relatives of the victims, who came to Delhi, were permitted to visit the site of the crash and were guided to the mortuary where the bodies of the victims had been kept for identification. The identified bodies were handed over to them in accordance with the procedures laid down in this regard. Survivors were also rendered all possible facilities.

एयर इंडिया को कलकत्ता से अथवा कलकत्ता तक अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन

978. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री एस० सी० सामन्त :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया को इस समय एक भी अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान कलकत्ता हवाई अड्डे से न तो प्रारम्भ होती है अथवा न समाप्त होती है ;

(ख) क्या एयर इंडिया अन्य हवाई अड्डों से चार्टर उड़ानों का तो संचालन करता है लेकिन कलकत्ता से नहीं ;

(ग) क्या एयर इंडिया कलकत्ता से होते हुए एक भी मालवाहक सेवा नहीं चलाता है; और

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय एयरलाइन को इसकी अनुमति देने के क्या कारण हैं कि वह कलकत्ता हवाई अड्डे की बिगड़ती हुई स्थिति के साथ इस प्रकार का विभेद पूर्ण व्यवहार करे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इस समय एयर-इंडिया कलकत्ता विमान क्षेत्र से पांच अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन करती है, सप्ताह में तीन सेवायें टोकियो को और दो सेवायें टोकियो से कलकत्ता को। ये उड़ाने बम्बई से की जाती हैं और एयर-इंडिया की पश्चिम को जाने वाली उड़ानों से सम्बन्ध प्रदान करती है ।

(ख) एयर-इंडिया चार्टर्ज लिमिटेड भारत तथा यूरोप यू० के० के बीच चार्टर उडानों का परीचालन करती है। क्योंकि अधिकांश यातायात दिल्ली और बम्बई का होता है, चार्टर उड़ानें बम्बई से प्रारंभ होती हैं और दिल्ली होकर जाती हैं। किन्तु जब एयर-इंडिया के पास चार्टर उड़ानों पर कलकत्ता से अथवा कलकत्ता के लिये काफी यातायात होता है तो इनका विस्तार कलकत्ता तक किया जाता है।

(ग) एयर-इंडिया अनुसूचित मालवाही सेवाओं का परिचालन नहीं करता है ।

(घ) भेदभाव की अनुमति का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

पश्चिम बंगाल में तेल की खोज का कार्य आरंभ करना

979. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालवीय समिति तथा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की तकनीकी समिति (1966 ने पश्चिम बंगाल बेसिन तेल की गहन खुदाई के लिए कतिपय क्षेत्रों की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो बूरा कुंआ संख्या 1 के बाद खुदाई का काम आरंभ न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस क्षेत्र में तेल के उज्जवल भविष्य के बारे में रुसी विशेषज्ञों के मूल्यांकन को दृष्टि गत रखते हुए क्या अब तक पश्चिम बंगाल में तेल की खोज का कार्य आरंभ किया जायेगा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) मालवीय समिति ने सिफारिश की है कि पश्चिमी बंगाल क्षेत्र के लिए (अ) श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए और प्रयोग (ब) डिजिटल तरीकों से सतत भूभौतिकीय सर्वेक्षण (स) हाल में अर्जित भूभौतिकीय ब्यौरे का एकीकरण तथा उसका उत्तरोत्तर पुनरीक्षण (द) विस्तृत फोटो-जियोमो-रोफेलोजिकल अध्ययन तथा (य) एक बहुत विस्तृत मूल मूल्यांकन मुख्य कार्य होगा ।

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि शोध्र अवतलन के क्षेत्र के साथ मियो-प्लोसीनों खण्डों एवं अवसादों की मोटाई तथा कार्बोनिट बैंक्स (यदि विद्यमान हों) का डिसाइघर करने में स्व टल स्ट्रैटीग्राफिक ट्रप्स ड्रैम्स की संभावनाओं को इकट्ठा करने के लिए समेकित अध्ययन करने तथा अधिक भूगर्भीय दित्ता को प्राप्त करने की सिफारिश की है। प्लेटफार्म क्षेत्र के एवं अवतलन क्षेत्र दोनों में कम से कम कुछ अन्वेषी कुंए व्यधित किए जाने चाहिए। 1966 में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की तकनीकी समिति ने बोडरा संरचना, जिस पर पहले भी एक स्थान दे दिया गया था, पर व्यधन के लिए एक दूसरा स्थान दे देने की सिफारिश की थी। तो भी, प्रथम स्थान में खोदे गए बोडरा कुआं संख्या I पर प्राप्त परिणामों के प्रकाश में दूसरे स्थान पर व्यधन न करने का निर्णय किया गया था।

(ख) और (ग) : बोड़रा कुआं संख्या I के व्यधन के पश्चात् पश्चिमी बंगाल में बन्द किए गए व्यधन कार्य पुनः चालू नहीं किए गए, क्योंकि उस क्षेत्र में किए गए भूकम्पीय सर्वेक्षणों से सर्वेक्षित क्षेत्र में तेल/गैस भंडारों के लिए अनुकूल ट्रैप की विद्यमानता का पता नहीं चला तो भी, तेल अन्वेषण कार्य बन्द नहीं किया गया है ।

अनुकूल ट्रैप्स, जो व्यधन द्वारा परीक्षण किए जाने के योग्य होंगे, खोजने के लिए अन्वेषण भूकम्पीय सर्वेक्षण के रूप में किया जा रहा है। पिछले वर्ष से, जटिल डिजिटल भूकम्पीय रिकार्डिंग यूनिटों के प्रयोग से यह सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। रुसी विशेषज्ञों ने परामर्श दिया है कि बोडरा कुआं संख्या I के निकट दूसरा कुआं खोदने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने यह भी परामर्श दिया है कि क्षेत्र में दूसरा गहरा जोखिमी कुआं खोदने से पहले, अनुकूल ट्रैप का पता लगाने के लिए जटिल टेकनीक के प्रयोग से विस्तृत भूकम्पीय सर्वेक्षण करने चाहिएं ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इन क्षेत्रों में इस समय किया जा रहा अन्वेषण कार्य रुसी विशेषज्ञों द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार है ।

एलेम्बिक केमिकल वर्क्स लिमिटेड, बड़ौदा के डिवीजनल कार्यालयों का बन्द होना

980. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि मैसर्स एलेम्बिक कैमिकल वर्क्स लिमिटेड, बड़ौदा ने पूरे देश के अपने वर्तमान डिवीजन कार्यालयों को बन्द करने और अपने मार्केटिंग एजंटों के रूप में चार नई कम्पनियों को प्रारम्भ करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या सरकार ने आवश्यक जांच की है कि इस पुनर्गठन से कम्पनी के लेखे तथा लाभ के हेर फेर को कोई बढ़ावा नहीं मिलेगा ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) विभाग को सूचित किया गया है कि पुनरावर्ती प्रदेश में इस कम्पनी के उत्पादन के वितरकों के रुप में कार्य करने के लिये निम्नलिखित चार कम्पनियां विनियमित की गई है :—

		विनियमन की तिथि
1	मै० पारान लि०, बम्बई	15 अप्रैल, 1972
2	मै० दर्शक लि०, बंगलौर	6 मई, 1972
3	मै० पूरक विनिमय लि०, कलकत्ता	26 जून, 1972
4	मै० उज्जवल लि०, दिल्ली	16 मई, 1972

यह भी सूचित किया गया है कि यह चारों कम्पनियां, उनके उन्हीं प्रतिबन्धों एवं निबन्धनों पर इनके कर्मचारियों सहित, सम्पूर्ण देश में फैली हुई इसकी सभी शाखाओं को अपने अधिकार ले लेगीं।

(ख) इस कम्पनी को लेखा-बहियों के निरीक्षण के आदेश दिये गये हैं।

Seizure of smuggled goods by Central Checkposts in Bihar

982. Shri M. S. Purty : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the quantity and value of smuggled goods, including charas, nylon sarees, yarn, Japanese toys, Chinese lighters, Swiss and Japanese watches, transistors and Russian cameras seized by the Central Checkposts in Bihar during the last two years;

(b) the number of Indians and foreigners arrested for this offence; and

(c) the steps taken by Government to tackle this serious problem ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi) : (a) The total values of the smuggled goods including charas, nylon sarees, yarn, Japanese toys, Chinese lighters, Swiss and Japanese watches, transistors and Russian cameras, seized during the last two years is as follows :—

1970	Rs. 35,46,295/-
1971	Rs. 47,99,577/-

A statement showing the quantity and value of some of the major articles seized, is enclosed,

(b) the number of Indians and foreigners arrested for this offence during the last two years is as follows :—

	Indians	Foreigners	Total
1970 . .	87	2	89
1971 . .	78	12	90

(c) The following steps have been taken by the Government of India to tackle this problem :

(i) Several mobile preventive parties have been set up on the Indo-Nepal border to check smuggling of goods from Nepal to India and *vice versa* ;

(ii) A number of jeeps have been provided to make the staff more mobile and effective;

(iii) Services of a company of Home guards are being requisitioned in the Forebesgan sub-division of the Patna Collectorate for prevention of Jute smuggling to Nepal;

(iv) The man-power in the Preventive parties has been increased. The staff is being armed to resist the armed smugglers operating on the Indo-Nepal border ;

(v) Close liasion is being maintained with the State authorities on the Indo-Nepal border to check smuggling of goods to Nepal;

(vi) Cooperation of HMG of Nepal has also been sought repeatedly in this connection.

STATEMENT

Statement showing seizures of goods made by the Central Checkposts in Bihar during 1970 *and* 1971.

Name of smuggled goods	Seized in 1970		Seized in 1971	
	Qty.	Value	Qty.	Value
Transistors	140	42,635	144	32,903
Tape recorders	33	23,806	24	15,031
Watches & Clocks	815	48,131	653	71,224
Fountain-pens, ball-points and refills.	4839	35,264	2122	13,157
Cameras	462	20,468	958	37,008
Radiant Yarn	11466 reels	2,29,349	2335 reels	75,126
Nylon yarn	544 reels	5,149	..	..
Nylon socks	185 pairs	1,088	88 pairs	688
Nylon fabrics	32197 metres & 3039 yds	5,89,176	56894 metres	8,78,975
Mechanical lighters	1474 pcs	7,359	4692 nos	34,433
Mechanical lighter Flints	133 Kgs	23,849	40 Kgs	7,277
Charas	10·3 Kgs	3,000	36·8 Kgs	10,238

अगरतला (त्रिपुरा) में एक पर्यटक होटल की स्थापना

983. श्री दशरथ देव : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला, त्रिपुरा में एक पर्यटक होस्टल स्थापित करने के लिये त्रिपुरा सरकार को कोई धन राशि स्वीकृत की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

खोवाई हवाई अड्डे (त्रिपुरा) पर शौच/स्नान सुविधायें प्रदान करने का प्रस्ताव

984. **श्री दशरथ देव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि खोवाई हवाई अड्डे (त्रिपुरा) पर शौचालय/स्नान-गृह आदि का प्रबन्ध न होने के कारण यात्रियों को कठिनाई का अनुभव हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार खोवाई हवाई अड्डे पर उक्त सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु तुरन्त कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। शौचालय विमान यातायात नियंत्रण स्थान से, जहां कि यात्रियों को इस समय ठहराया जाता है, थोड़ी दूरी पर स्थित है।

(ख) चालू योजनावधि के दौरान उपयुक्त सुविधाओं सहि एक नये टर्मिनल भवन के निर्माण का प्रस्ताव है।

सिटी टर्मिनल तथा अगरतला हवाई अड्डे के बीच कोच सेवा के लिये अतिरिक्त भाड़ा समाप्त करने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन

985. **श्री दशरथ देव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसा अभ्यावेदन मिला है जिसमें सिटी टर्मिनल तथा अगरतला हवाई अड्डे के बीच इन्डियन एयरलाइन्स की गाड़ियों का उपयोग करने वाले यात्रियों से इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा इन गाड़ियों के उपयोग के लिये लिए जाने वाले अतिरिक्त भाड़े को समाप्त करने की मांग की गई है; और

(ख) क्या सरकार का विचार त्रिपुरा के इस अनुरोध को एक विशेष मामला समझकर इस पर विचार करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी, हां। विशेष रियायत की मांग को ध्यान में रखते हुए, इंडियन एयरलाइंस ने अगरतला पर भू-परिवहन प्रभारों को प्रति व्यक्ति घटाकर 3 रुपये कर देने का निर्णय किया है ।

डमडम हवाई अड्डे पर अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल बिल्डिंग का उपयोग न किया जाना

986. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि डम डम हवाई अड्डे पर अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल बिल्डिंग का बहुत समय से उपयोग नहीं किया जा रहा है ;

(ख) इस टर्मिनल के निर्माण में कितनी धन राशि व्यय हुई थी; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) कलकत्ता विमानक्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय टर्मीनल भवन 1970 के प्रारंभ से प्रयोग में लाया जा रहा है।

(ख) लगभग 2.00 करोड़ रुपये। इसके अतिरिक्त, नये नियंत्रण टावर पर 43 लाख से भी अधिक रुपये व्यय किये जा चुके हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में एक आयुध कारखाने की स्थापना

987. श्री समर मुखर्जी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश में एक आयुध कारखाने की स्थापना कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना पर कितना धन खर्च होगा और उसमें किन किन चीजों का निर्माण किया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) मोटे अनुमानों के अनुसार, परियोजना पर कुल व्यय 67 करोड़ रुपये होगा, और यह फैक्ट्री रक्षा की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रणोदक बनायेगी ।

दमदम हवाई अड्डे का अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकास

988. श्री समर मुखर्जी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दमदम हवाई अड्डे का एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकास करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मोटी-मोटी बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : कलकत्ता पहले ही एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र है । यहां हाल ही में एक नये अंतर्राष्ट्रीय टर्मीनल भवन का लगभग दो करोड़ रुपये की लागत से निर्माण किया जा चुका है और यह विमानक्षेत्र दूर संचार एवं दिक्चालन सुविधाओं से सज्जित है । एक "श्रेणी II उपकरण अवतरण प्रणाली" लगा दी गयी है तथा संचार केन्द्र पर परिचालन संबंधी संदेशों के शीघ्र निपटान के लिये अर्ध-स्वचालित उपकरणों की व्यवस्था की जा रही है । एक उच्च-शक्ति-सम्पन्न हवाई मार्ग निगरानी राडार स्थापित किया जा रहा है तथा धावन-पथ को और बढ़ाया एवं मज़बूत किया जा रहा है ।

Filling up of Posts in the office of Controller of Deputy Accounts, Patna

989. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the posts in the office of the Controller of Defence Accounts, Patna are filled by making recruitment in Orissa and Assam instead of at Patna :

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the total number of persons so recruited during the last one year.

The Deputy Minister in Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) In addition to making recruitment of Patna posts are also filled up to very small extent in Orissa and Assam.

(b) Apart from the main office in Patna, the organisation of C. D. A., Patna has its sub-offices located in the States of West Bengal, Orissa, Assam, Meghalaya, Nagaland, NEFA, Tripura, etc. Therefore, some recruitment is made in these states also. The deployment of staff in different stations depends upon the exigencies of Service.

(c) Six persons from Assam and one from Orissa were recruited and posted to the Office at Patna during the last one year.

Of the Total strength of about 2,000 men in the organisation of C. D. A., Patna, about 1,500 belong to Bihar.

रक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालय, पटना का स्थानान्तरित किया जाना

990. श्री रामावतार शास्त्री :

श्री भोला माझी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा लेखा नियंत्रक के कार्यालय को पटना से बिहार राज्य के बाहर किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आल इंडिया डिफेंस अकाऊंटस एम्पलाईज एसोसिएशन की पटना शाखा ने इस का विरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) पटना स्थित रक्षा लेखा के नियंत्रक के कार्यालय को बिहार से बाहर किसी अन्य स्थान पर ले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु शिलांग स्थित उप-कार्यालय में कार्मिक-शक्ति बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

(ख) पर्याप्त संचार व्यवस्था की खामी के कारण प्रायः माल की सप्लाई तथा सेवा के लिए और व्यक्तियों को भुगतान करने में विलम्ब हुए हैं। शिलांग स्थित कार्यालय में कार्मिक-शक्ति बढ़ाने से विलम्ब को टाला जा सकेगा ।

(ग) जी, हां ।

(घ) सरकार ने उस निवेदन पर सम्यक् विचार किया है परंतु शिलांग स्थित कार्यालय में कार्मिक शक्ति बढ़ाना आवश्यक पाया है ।

प्रत्यक्ष कर जांच समिति का अन्तरिम प्रतिवेदन

991. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यक्ष कर जांच समिति (वांचू समिति) ने 1970 के अन्त में अपना अन्तरिम प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या काले धन को समाप्त करने के लिए समिति ने अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में बड़े करन्सी नोटों का पुनर्मुद्रीकरण करने की सिफारिश की थी ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अन्तरिम प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखें जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) ऐसा महसूस किया गया है कि इस समय ऐसा करना लोक हित में नहीं होगा ।

अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा आनन्द बाजार पत्रिका (प्राइवेट) लिमिटेड को दिया गया ऋण

992. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित व्यापारिक बैंकों ने आनन्द बाजार पत्रिका (प्राइवेट) लिमिटेड को कितने रुपयों का ऋण दिया, और यह ऋण कब दिया गया ;

(ख) एक जुलाई, 1972 को कितना ऋण बकाया था ;

(ग) इस कम्पनी को किन शर्तों पर ऋण दिया गया था; और

(घ) क्या कम्पनी ने किसी व्यापारिक बैंक से जमा की गई राशि से अधिक धन निकाला था ; और यदि हां, तो कितना धन निकाला था ; और बकाया राशि को वसूल करने के लिए कोई कदम उठाए गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं तो वे क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना बैंक के अलग-अलग खातेदारों के खातों के बारे में माँगी गई है, और बैंक-वर्ग में प्रचालित रुढ़ियों और परिपाटियों के अनुसार और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 तथा बैंककारी कंपनियाँ (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के उपबन्धों के अनुरूप ऐसी सूचना प्रकट नहीं की जाया करती ।

कलकत्ता के बियरिंग व्यापारियों के यहां सीमाशुल्क अधिकारियों के छापे

994. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1972 में कलकत्ता सीमाशुल्क अधिकारियों ने बियरिंग व्यापारियों की दुकानों पर छापे मारे थे ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बम्बई, दिल्ली और मद्रास के बाजारों में चोरी छिपे लाये गये बियरिंग आ गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) : जी, हां । कलकत्ता में सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा 3 जून, 1972 से 5 जून 1972 के बीच, सात दूकानों पर छापे मारे गये तथा उसके परिणामतः (भारतीय बाजार दर पर) लगभग 2.4 लाख रुपये मूल्य के विदेशी बाल बियरिंग तथा कुछ दस्तावेज पकड़े गए जिनका आयात प्रतिबंधित तथा/अथवा निषिद्ध है ।

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

लेखापरीक्षा कर्मचारियों द्वारा दी गयी याचिका

995. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महालेखापाल, केरल, त्रिवेंद्रम के कार्यालय के 30,000 लेखापरीक्षा कर्मचारियों के हस्ताक्षरयुक्त एक याचिका राष्ट्रपति को दी गयी थी जिसमें अराजपत्रित कर्मचारी संघ के नेता श्री त्रिविक्रम पिल्ले के नौकरी से निकालने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया था; और

(ख) क्या सरकार का विचार उसके नौकरी से निकालने के आदेश पर संविधान के अनुच्छेद 331 (2)(ग) के अंतर्गत पुनर्विचार करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) : एक अपील प्राप्त हुई है, जो राष्ट्रपति जी के नाम है और जिसपर, कहा जाता है, लेखापरीक्षा विभाग के लगभग 22,000 कर्मचारियों के हस्ताक्षर हैं । श्री पिल्लै द्वारा राष्ट्रपति जी के नाम भेजी दरखास्त भी मिली है, जिस पर विचार किया जा रहा है ।

250 सीटों वाले 3 डगलस डी०सी०-10 मीडियम रेंज के विमान खरीदने का प्रस्ताव

996. **श्री ई० वी० विख पाटिल :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 250 सीटों वाले 3 डगलस डी०सी०-10 मीडियम रेंज विमान खरीदने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय कर लिये जाने की आशा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं । तथापि, इंडियन एयर लाइन्स अपने विमान बेड़े के संबंध में अपनी भावी आवश्यकताओं का अध्ययन कर रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रारम्भ किये गये तथा पूरे किये गये छिद्रण कार्य

997. **श्री बी० बी० नायक :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितने स्थानों पर तेल छिद्रण कार्य किया गया और उस पर कितना रुपया खर्च हुआ; और

(ख) इस वर्ष कितने छिद्रण कार्य हाथ में लेने का विचार है तथा उनमें किस-किस को प्रारम्भ किया गया है ।

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख): एक विवरण पत्र संलग्न है ।

विवरण-पत्र

1969-70 से 1971-72 तक व्यधन सक्रियायें (कार्य)

गत तीन वर्षों में (1969-70 से 1971-72) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने गजरात, असम, तामिलनाडु में कावरी बेसिन (क्षेत्र) पांडिचेरी, राजस्थान एवं जम्मू और काश्मीर में अपने व्यधन कार्य जारी रखे । इन तीन वर्षों में 265 कुओं का व्यधन कार्य पूरे किये गये, इस सम्बन्ध में राज्य वार एवं वर्ष-वार विवरण इस प्रकार हैं :—

	1969–70	1970–71	1971–72
गुजरात	76	68	52
असम .	28	19	10
कावेरी क्षेत्र	2	1	2
राजस्थान	3	2	2
	109	90	66

इन आंकड़ों में तेल एवं प्राकृतिक गस आयोग द्वारा नये एवं पुराने संरचनाओं के आंकड़े सम्मिलित हैं ।

इन तीन वर्षों के दौरान आयोग ने 41 नये संरचनाओं में व्यधन कार्य किया। इसके अतिरिक्त आयोग ने इससे पूर्व वर्षों के दौरान लिये व्यधन कार्य जारी रखे। इन तीन वर्षों में व्यधन कार्य के लिए इन नये संरचनाओं को लिया गया :—

	1969–70	1970–71	1971–72
गुजरात . .	1. वालोड	1. धिनोज	1. इन्द्रोरा
	2. डुमास	2. बाद	2. उत्तरी बलोज
	3. थाड	3. सन्जिवाडा	3. लिन्च
	4. वासो पर्व	4. बारामैन	4. देवला
	5. महसानी शहर	5. देवका	5. थोल
	6. कावा	6. वरसोदा	6. पश्चिमी अटाली
	7. सेरु पर्व	7. सन्थोल	
	8. महमदीबाद	8. कनवारा	
	9. बलोल	9. व्योला	
		10. दयोदार	
		11. रतनपुर	
		12. अम्बिलयाला	
		13. देलबोडा	
		14. दसवारा	
		15. चवलासी	
		16. कौका	
असम . .	1. बोहोला	1. अमगुरी	..
	2. बागमारा	2. बानायली	..
कावरी बेसिन .	..	1. सालियामंगलम	1. पन्डानालुर
		2. चिदामरम	2. काटूयनार कोली
जम्मू एवं कश्मीर .	1. सुरीनसर	..	..
अपतट . .	1. पश्चिमी अलीबेट	..	..
कुल .	13	20	8

इन तीन वर्षों के दौरान व्यधन कार्यों में कुल खर्च 94.68 करोड़ रुपया हुआ।

1972-73 के लिए योजित व्यधन कार्य

चालू वर्ष (1972-73) के दौरान आयोग ने 92 कुओं–गुजरात में 71, असम में 18, कावेरी बेसिन में 2, बाम्बे-हाइ स्ट्रक्चर पर एक अपतट कुआ, के व्यधन कार्य का आयोजन किया। निम्नलिखित 10 नये संरचनाओं पर व्यधन कार्य करने का प्रस्ताव है :—

गुजरात	1. डुगरी, 2. बलुली, 3. वन्नी, 4. झलोरा, 5. विथलपुर, 6. बेवा, 7. सोनो खुर्द
त्रिपुरा	8. बारमुरा
कावेरी बेसिन	9. मयावरम
अपतट	10. बम्बे-हाई

व्यधन कार्य 4 नये संरचनाओं अर्थात् कच्छ में बन्नी संरचना गुजरात में डुगरी एवं बलुत्री संरचनाओं तथा त्रिपुरा में बारमुरा पर व्यधन कार्य प्रारम्भ हो गया है। चालू वर्ष के प्रथम तीन महीनों के दौरान 20 कुओं पर व्यधन कार्य (गुजरात में 18, असम में 2) पूर्ण हो गया है।

Interim Relief to Central Government Employees

998. Shri Hari Singh :

Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the prices index has gone up by five points since the interim relief was last given to Government employees ;

(b) if so, whether any further interim relief is proposed to be announced by Government ; and

(c) if so, when and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) Yes Sir. The Index average has gone up by more than five points.

(b) & (c) : On the recommendations of the Third Pay Commission, additional interim relief was sanctioned when the 12 monthly average of the All India Working Class Consumer Price Index reached 228. In terms of the recommendations of the Commission, the question of any further review can arise when the 12-monthly average of the index reaches 238. This level has not yet reached.

Proposal to Construct an Airport in Kerala

999. Shri Hari Singh :

Shri Ishwar Choudhry :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to construct an airport in Kerala State in near future;

(b) if so, the time by which survey will be undertaken; and

(c) the time by which the construction work of the airport is likely to be started and completed ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) In addition to the aerodrome at Trivandrum and Cochin which are already being used by Indian Airlines an aerodrome will be constructed near Calicut.

(b) The site at Karipur for the construction of an aerodrome to serve Calicut has already been selected.

(c) An estimate of expenditure amounting to Rs. 1·11 Crores for the Karipur aerodrome is being processed and the construction work will commence as soon as sanction is received. The work will be completed as soon as possible thereafter.

यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा इक्विटियों में निधियों का निवेश

1000. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया की निवेश नीतियों के शीघ्र ही पुनर्निरुपण तथा निवेश संविभाग का ओवरहाल करने का विचार कर रही है ;

(ख) क्या अब उस बात पर आपको जोर दिया जायेगा कि यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया वृद्धि-इक्विटियों में अपनी निधियों का निवेश करें; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उक्त पुनर्निरुपण तथा ओवरहाल गैर-उत्पादनक निवेशों के लिए कहां तक सहायक होंगे ?

वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट एक स्वायत्त शासी सांविधिक निगम है और इसकी निवेश-नीतियों का फैसला इसके अपने न्यासियों के बोर्ड द्वारा किया जाता है ।

(ख) और (ग) : अपना निवेश करते समय भारतीय यूनिट ट्रस्ट को अपनी निधियों की सुरक्षा और नकदीकरण (लिक्विडिटी) की सुनिश्चित व्यवस्था करने की आवश्यकता और निवेशों से पर्याप्त लाभ प्राप्त करने की आवश्यकता को ध्यान में रखना पड़ता है । अपने कार्य-चालन के प्रारम्भिक वर्षों में ट्रस्ट ने पूंजी की सुरक्षा पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया और इसलिए इसकी निधियों के एक प्रमुख भाग का निवेश निश्चित आमदनी वाली प्रतिभूतियों जैसे तरजीही शेयरों और ऋणपत्रों में किया गया और निवेश में सामान्य शेयरों आदि का हिस्सा अपेक्षाकृत कम था । अब जबकि ट्रस्ट की निवेशयोग्य निधियों की राशि 100 करोड़ रुपये से अधिक हो गयी है और संतोषजनक आय-वितरण की आवश्यकता है, ट्रस्ट का विचार है कि अधिक जोर सामान्य शेयरों पर दिया जाय ताकि जब कभी संभव हो, विवेकपूर्ण ढंग से लाभ अर्जित करके आय को बढ़ाया जा सके ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों में असंतोष के समाचार

श्री बक्शी नायक (फूलबनी) : मैं **शिक्षा तथा समाज कल्याण** मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें ।

"महाविद्यालय परिषदों के गठन के संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों में असंतोष के समाचार"

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (प्रो० नुरुल हसन) : यह सूचित किया गया है कि अभी हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश द्वारा संशोधित किये गये दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किय गये कानूनों में

की गयी व्यवस्था के अनुसार कालेज परिषदों की स्थापना के विरोध में दिल्ली कालेजों के अध्यापकों ने दिनांक 2 अगस्त 1972 को सांकेतिक हडताल की थी। अध्यापकों में इस बात की आशंका है कि कालेज परिषदों की स्थापना करना कालेजों को दिल्ली विश्वविद्यालय से पृथक करने की दिशा में एक चाल है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने शैक्षिक परिषद की 4 जुलाई, 1972 की आयोजित बैठक में पहले से ही स्पष्ट रूप से यह आश्वासन दिया है कि इस अध्यादेश से विश्वविद्यालय तथा कालेजों के बीच वर्तमान संबंध, और कालेज अध्यापकों तथा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किये गये अध्यापकों की सेवा शर्तों और वेतनमानों में समानता से संबंधित स्थिति यथापूर्व बनी रहेगी। बैठक में कुलपति ने यह भी बताया कि कालेज परिषदों की स्थापना का उद्देश कालेजों में बेहत्तर पर्यवेक्षण और प्रशासन तथा विश्वविद्यालय से और अधिक निकट संबंध स्थापित करना तथा विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के कुछ प्रशासनिक कार्यकलापों का विकेन्द्रीकरण करना था। कुलपति ने मुझ को लिखे अपने पत्र में निम्नलिखित शब्दों में कालेज परिषदों की योजना का उल्लेख किया था :– "मेरा सुझाव है कि जुलाई में नए शैक्षणिक सत्र के चालू होने से पूर्व हमें शीघ्र ही दो तीन कालेज परिषदें बना लेनी चाहिए, जो कालेजों के वर्गों की देखभाल करेंगी। योजना यह है कि कालेजों के प्रत्येक समूह में अध्यापकों तथा छात्रों को परीक्षा रूप में और सार्थक विधि से शामिल करते हुए हमें अपने साधनों की व्यवस्था आनर्स स्तर पर सहकारी अध्ययन का प्रबन्ध, पर्याप्त पुस्तकालय की व्यवस्था, प्रयोगशाला, खेल कूद और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करे। समस्याओं का समाधान करते हुए हम कालेज के जीवन का सामान्य स्तर में सुधार करने का प्रयत्न करते है। उन प्रबंधों को जिन्हें मैं यहां सुझा रहा हूं उनका समर्थन दिल्ली विश्वविद्यालय की समस्याओं की देखभाल के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई समिति द्वारा भी किया गया है।" उस समिति ने जिसकी अध्यक्षता कुलपति ने की थी यह स्पष्ट कर दिया है कि कालेज अध्यापकों का उत्तर स्नातक अध्ययन में (व्याख्यानों तथा शैक्षिकीय दोनों में) केवल भाग लेना ही जारी नहीं रहना चाहिए अपितु आने वाले वर्षों में इस में वृद्धि भी होनी चाहिए। इसके बावजूद अध्यापक समुदाय के कुछ वर्गों ने इस बारे में कुछ भ्रांति उत्पन्न हो गये है। मैं, इस अवसर पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कालेजों को विश्वविद्यालय से पृथक करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। वास्तव में इस प्रकार के प्रस्ताव को भारत सरकार एक प्रतिगामी कदम समझेगी।

2. दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम में समाविष्ट की गई, "अध्यापकों" की परिभाषा के अनुसार, "अध्यापकों" में प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर और विश्वविद्यालय अथवा किसी कालेज या हाल में शिक्षा देने वाले अन्य व्यक्ति शामिल है। इसके साथ ही "विश्वविद्यालय के अध्यापकों" का तात्पर्य विश्वविद्यालय अथवा किसी कालेज में शिक्षा देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा नियुक्त किए गए व्यक्तियों से है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि सरकार का इन परिभाषाओं में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है।

श्री बक्शी नायक : दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक एसोसिएशन पिछले कुछ समय से कालेज परिषदों के गठन के विरुद्ध आंदोलन कर रही है। बुधवार को उन्होंने हडताल की थी। प्रदर्शन के दौरान अध्यापकों ने उप-कुलपति के विरुद्ध गन्दी भाषा का प्रयोग किया था। यह उनके लिए उचित नहीं है। क्यों कि उनको ही विश्वविद्यालय में अनुशासन रखना होता हो मैं जानना चाहता हूं कि परिषदों के गठन के विरुद्ध अध्यापकों को क्या आपत्ति है। क्या सरकार ने उन आपत्तियों पर विचार किया है। यदि यह आपत्तियां वैध्य नही है और वह आंदोलन कुछ ऐसे अध्यापको द्वारा शुरु किया गया है जो कभी नही करते तो सरकार का विचार ऐसे अध्यापकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है? मैं समझता हूं कि उनके आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि प्रस्तावित परिषदों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व क्या है? क्या अध्यादेश जाहीर करने से पूर्व अध्यापकों से

[श्री बक्शी नायक]

परामर्श किया गया था ? क्या दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक एसोसिएशन से परामर्श किया गया था ? उप–कुलपति द्वारा अध्यापकों के साथ बातचीत करने से इन्कार कर दिये जाने के क्या कारण है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को चाहिए कि वह सभी प्रश्नों को एक ही प्रश्न में पूछे ।

प्रो० नुरुल हसन : अध्यापकों द्वारा किये गये प्रदर्शन पर मैं गहरी चिन्ता व्यक्त करता हूं । अध्यापकों से यह आशा की जाती है कि वे विद्यार्थियों के लिए आदर्श स्थापित करे सरकार को उप-कुलपति तथा उनके नीतियां में पूरा विश्वास है । उन्होनें एसोसिएशन को भेजे गये एक पत्र में अपनी स्थितीयां स्पष्ट करके बताया है। उन्होनें पत्र में यह भी लिखा था कि सरकार द्वारा जारी किये गये अध्यादेश से अध्यापक वर्ग में जो गलतफहमी उत्पन्न हो गई है उसपर उन्हे दुःख है। उन्होनें पत्र में यह भी लिखा है कि विश्वविद्यालय विभागों को कुछ स्वायतत्ता देना अनिवार्य है जिससे कि वे अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सके ।

परिषदों में कालेजों के प्राध्यापकों को वरिष्ठता के अनुसार बारी बारी लिया जायेगा । इसमें एकेडमिक परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों का मनोनीत किया जायेगा और उन शिक्षा शिक्षा विज्ञों को इस में लिया जायेगा जो विश्व-विद्यालय के कर्मचारी नही होंगे । अध्यापकों को भी वरिष्ठता के आधारपर बारी बारी लिया जायेगा । किसी एक कालेज से एक समय पर एकही अध्यापक को लिया जायेगा।

कालेजों पर विश्वविद्यालय के नियंत्रण संबंधी सभी मामलों को कार्यकारी परिषद को सोंपा जायेगा । इस परिषद में अध्यापकों की असोसिएशन को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नही है। इस समय मेरे पास पूरा ब्योरा नही है।

कालेज परिषद में पाच प्राध्यापक तथा पाच अध्यापक होंगे । वे सभी कालेजों में अध्यापन के हितों का ध्यान रखेंगे । अतः यदि कोई गलतफहमी है तो उसको दूर कर लिया जाना चाहिए ।

उप-कुलपति ने पत्र लिखने के पूर्व 'डीन' तथा अनेक वरिष्ठ अध्यापकों से परामर्श किया था। अध्यापकों के साथ परामर्श करने के पश्चात ही उन्होनें मुझे 9 जून को पत्र लिखा था ।

Shri Sarjoo Pandey (Gazipur) : The teachers have the right to hold demonstration. May I know the necessity for constituting the Councils ? May I also know whether the Hon. Minister has visited the teacher, to redress their grievances.

Prof. S. Nurul Hasan : I admit that they have the right to criticize the policies of Government and hold demonstration.

I gave time to the President of the Association for a meeting but unfortunately at that time they decided to hold demonstration. I shall again try to meet him and dispel their doubts,

Shri M. C. Daga (Pali) : The Government wants to discriminate between the teachers of the campus colleges and those of the non campus colleges. The Vice-chancellor is sticking to his position. In a democracy these things cannot be tolerated. He should hold negotiations with the teachers. There should also be no difference in the working hours of the campus and non campus college teachers.

Prof. S. Nurul Hasan : The teachers have not made any mention about the discrimination in their representations. The pay scales of the Campus and non-Campus teachers are the same. The appointment of the senior teacher is also made on the same lines in Campus and non-Campus Colleges.

The policy of the Government is to associate more and more teachers in the post-graduates teaching. I personally feel that they should be provided more and more opportunities for research.

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : Not only in Delhi but all over India there is a great discontentment amongst the teachers. If this position is allowed to continue then it will not be possible to achieve the targets.

May I know whether Government is going to give guarantee to the teachers that their services will be secured and that they will be kept in the running payscales? May I also know whether teachers will have a secured place in the administrative bodies ? May I further know the steps taken by Government for promoting democratisation and enlisting cooperation both of the teachers and the students.

Research is going on in several fields with the American aid. May I know whether Government have examined as to how this research is useful for the nation ?

Prof. S. Nurul Hasan : Government will try to ensure that the services of the teachers are secured. I will bring forward a comprehensive Bill in this House at a later stage. So far as the conditions of service and promotion of teacher is concerned we are awaiting the report of the Committee of University Grants Commission.

Shri K. M. Madhukar : Please tell us in detail about the representation of the teachers and students in those councils.

प्रो० नुरुल हसन : इन के प्रतिनिधित्व के बारे में गजेंद्रगडकर समिति की सिफारिशों को सभा में रखा जा चुका है। सरकार ने इनको स्वीकार कर लिया है। सरकार द्वारा लाये जाने वाले व्यापक विधेयक में इन सिफारिशों को सम्मिलित किया जायेगा।

कालेजों में सभी मूल तथा मुख्य निर्णय कालेज परिषदों के परामर्श से ही लिये जाते है। जहांतक संभव हो हम चाहते है कि किसी भी बारे में निर्णय लेने से पूर्व अधिक से अधिक अध्यापकों से परामर्श किया जाये इसी का दूसरा नाम मेरे विचार में प्रजातंत्रवाद है।

Shri Ram Kanwar (Imka) : The fear of the teachers is that their link with the University will be severed. This fear should be allayed.

सभा की कार्यवाही के बारे में

Re : PROCEEDINGS OF THE HOUSE

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे (बेतूल) : समाचार पत्रों में कुछ ऐसे समाचार प्रकाशित हुए है जिनसे सभा की गरिमा आघात होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सभा की कार्यवाही में एसी बात कह दी जाती है जो दुर्भाग्यपूर्ण होती है, जिसे हम शांत क्षणों में नही कह सकते और हमें जिसके लिए सभा से क्षमा याचना तक करनी पडे। (व्यवधान) इस बारे में मेरा यह सुझाव है कि यदि सभा में ऐसी कोई दुर्भाग्यिपूर्ण घटना घटती है तो सभा की कार्यवाही की पूरी जांच की जानी चाहिये और सभा की कार्यवाही से ऐसी आपत्तिजनक बातों को निकाल दिया जाना चाहिये जिनके समाचार पत्रों में प्रकाशित होने से सभा की गरिमा पर आघात होता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मुझे इसमें कोई भी बात आपत्तिजनक नजर नहीं आती। माननीय सदस्यों द्वारा जो भी कहा जाये वह प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमों के अनुसार कहा जाना चाहिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : यदि कोई बात आपत्तिजनक हो जाती है तो उसको बाद में सैंसर करने का कोई प्रश्न नहीं। उस गलती को उसी समय ठीक किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : कभी कभी आवेश में आकर बहुत सी बातें कह दी जाती है। चाहें जो भी हो, वे कार्यवाही में शामिल रहेगी जब तक कोई बहुत ही असंसदीय बात न हो ऐसा नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार हमें बोलने की स्वतंत्रता है उसी प्रकार प्रेस को भी प्रकाशन की स्वतंत्रता है।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : यदि कोई असंसदीय बात कही जाये तभी उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाला जाना चाहिए, अन्यथा नहीं।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : 'हाऊस आफ कामन्स' के एक सदस्य ने एक बार उस हाऊस को "ईडियाटिक सर्कस' कह दिया था परन्तु इन शब्दों को कार्यवाही से निकाला नहीं गया था। इसी तरह यहां भी सभा में भी सभा से बाहर जो कुछ इसके बारे में कहा जाय हमें उससे चिन्तित नहीं होना चाहिए। सभा की समूची कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा जाना चाहिए।

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे : कभी कभी हम ऐसी बातें आवेश में कह जाते हैं जो हम शांत होने पर कहना पसन्द नहीं करते। यदि ऐसी बातें समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है तो यह बात बहुत दुर्भाग्य पूर्ण होगी और उनसे सभा की गरिमा घटेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पूर्ण वाक् स्वातंत्र्य में ही सभा की गरिमा रहेगी। प्रेस ने आज ईमानदारी से समाचार प्रकाशित कर प्रशंसनीय कार्य किया है।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : इसका अभिप्राय सदस्यों द्वारा सभा में दिये गये भाषणों को कार्यवाही वृतांत से निकालना नहीं है। कुछ लोग आपके बारे मे कहते है कि आप पुलिसमैन की भांति कार्य करते है। **(व्यवधान)** ऐसा प्रेस में भी समाचार प्रकाशित हुआ है।

श्री एच० एन० पटेल (ढंढुका) : सभा में जो भी कहा गया हो उसे रिकार्ड में शामिल किया जाना चाहिये। यदि कोई अनुचित बात कही गई हो तो उस सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : कल जो भी कहा गया था उसे रिकार्ड कर लिया गया है। केवल उसी कार्यवाही को रिकार्ड नहीं किया गया है जिसे असंसदीय घोषित किया गया था।

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : विपक्षी सदस्यों को कल की बात से अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिये। हम सभा में कटुता का वातावरण उत्पन्न नही होने देना चाहते।

यह बहुत मामूली बाते थी जिसने एक दुर्भाग्यपूर्ण मोड ले लिया। एक बार अध्यक्ष महोदय जब पीठासीन हो जाते है तो वह किसी एक अथवा दूसरे दल के अध्यक्ष नही जाते। अतः अध्यक्ष का कर्तव्य हम सब को संरक्षण देना है।

अध्यक्ष महोदय : अब इस मामले को यहीं समाप्त किया जाना चाहिये । मैं किसी माननीय सदस्य को बोलने से रोकना नहीं चाहता । सामान्यतया सदस्य सभा में शांत वातावरण बनाये रखते है लेकिन 'जीरो अवर' के दौरान ऐसी नहीं करते। मैं सदस्यों से कडवी बाते सहन करने का अनुरोध करुंगा। हमे सभा में कभी कभी मजाक और तर्क को सहन करना पडता है। कटु बातों का कटुतापूर्वक जबाब दिया जा सकता है। यदि हम ही अपना संतुलन खो बैठेंगे तो युवक पीढी का क्या होगा ?

नियम 377 के बारे में

Re : RULE 377

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने 31 जुलाई 1972 को नियम 377 के अन्तर्गत नोटिस दिया था और मुझे दो दिन प्रतीक्षा करने के लिये कहा गया था।

अध्यक्ष महोदय : मुझे दुःख है कि हमने नियम 377 के बारे में गलती की है। आरंभ में इन नियम का उद्देश अल्प सूचना प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जैसे विषयों के अन्तर्गत न आने वाले विषयों को उठाना था ।

व्यवस्था के प्रश्न और अन्य मामलों के बीच बहुत कम भेद है। इस नियम का उपयोग एक सदस्य द्वारा सप्ताह में एक बार किया जा सकता है। आवश्यकता पडने पर सदस्य अन्य प्रक्रियाओं जैसे अल्प सूचना प्रश्न, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के रुप में प्रस्ताव रख सकते है। लेकिन इस नियम का दुरुपयोग नही किया जाना चाहिये।

श्री एस० एम० बानर्जी (कानपूर) : तारांकित प्रश्नों की संख्या 50 से 60 से घट कर 20 हो जाने से सदस्यों के प्रश्न पूछने के अधिकारों में कमी हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रश्न को नियम समिति में उठा सकते है और इस विषय पर मेरा ध्यान दिला सकते है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sometimes a matter should be allowed to be raised under Rule 377. Sugar has not been made available at ration shops in Delhi for the last fifteen days.

Those Mills which were supplying sugar to Delhi had stopped their supply. I request that a Calling Attention Motion should be admitted in this connection.

Mr. Speaker : I have no objection if a motion regarding Delhi comes. But the same matter should not be brought for discussion in the House under Rule 377 again and again.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वित्त अधिनियम आदि के अधीन अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं श्री के० आर० गणेश की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :–

(1) वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1971 की धारा 51 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 273 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 मई, 1972 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 3247/72]

(2) वित्त अधिनियम, 1972 की धारा 62 की उपधारा (5) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 294 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 मई, 1972 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 3248/72]

(3) वित्त अधिनियम, 1972 की धारा 65 की उपधारा (5) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 290 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 28 मई, 1972 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 3249/72]

(4) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 10 जून, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 685 में प्रकाशित हुये थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 3250/72]

(5) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(1) डाकघर बचत बैंक (पांचवां संशोधन) नियम, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 20 मई, 1972 में अधिसूचनाओं संख्या जी० एस० आर० 566 में प्रकाशित हुए थे।

(2) मैसूर सरकार बचत बैंक (संशोधन) नियम, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 17 जून 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 750 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 3251/72]

(6) आपात संकट (माल) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 5 की उपधारा (6) के अन्तर्गत आपात संकट (माल) बीमा (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1972 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 जून, 1972 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 422 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 3252/72]

(7) आपात संकट (उपक्रम) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 3 की उपधारा (7) के अन्तर्गत आपात संकट (उपक्रम) बीमा (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1972 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 जून, 1972 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 423 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 3253/72]

(8) अन्तर्देशिय हवाई यात्रा कर अधिनियम 1971 की धारा 5 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 272 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 4 मई, 1972 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3254/72]

(9) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी (संशोधन) नियम, 1972 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 10 जून 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 694 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3255/72]**

(10) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(1) जी० एस० आर० 283 (ङ), जो भारत के राजपत्र दिनांक 22 मई, 1972 में प्रकाशित हूए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) जी० एस० आर० 284 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 मई, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) जी० एस० आर० 295 (ङ) से 298 (ङ) तक जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 मई, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) जी० एस० आर० 303 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 जून, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) जी० एस० आर० 643, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 जून 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) जी० एस० आर० 661, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 जून, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) जी० एस० आर० 686, तथा जी एस० आर० 687, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 जून, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) जी० एस० आर० 688 तथा जी० एस० आर० 689, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 जून, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(9) जी० एस० आर०, 690 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 जून, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) जी० एस० आर० 691, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 जून, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 3256/72]**

(11) केन्द्रीय उत्पाद-नियम 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(1) जी० एस० आर० 291 (ङ) से जी० एस० आर० 293(ङ) तक, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 मई, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) जी० एस० आर० 306 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 जून, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) जी० एस० आर० 308 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 जून, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) जी० एस० आर० 328 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) जी० एस० आर० 339 (ङ), जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 जुलाई, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) जी० एस० आर० 613, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 मई, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) जी० एस० आर० 625, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 मई, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) जी० एस० आर० 644, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 जून, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(9) जी० एस० आर० 645, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 जून, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) जी० एस० आर० 646, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 जून, 1972 में प्रकाशित] हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(11) जी० एस० आर० 693, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 जून, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(12) जी० एस० आर० 751, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 जून, 1972 म प्रकाशित हुए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(13) जी० एस० आर० 752, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 जून, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(14) जी० एस० आर० 753, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 जून, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(15) जी० एस० आर० 807, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(16) जी० एस० आर० 808, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(17) जी० एस० आर० 809, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 3257/72]

(12) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम, की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (आठवां संशोधन) नियम, 1972 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 जुलाई, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 836 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3258/72]

(13) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(1) जी० एस० आर० 325 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 जून, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) जी० एस० आर० 784, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 जून, 1972 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 3259/72]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन अधिसूचना

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) करोसिन (अधिकतम कीमत निर्धारण) चौथा संशोधन आदेश, 1972 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 330 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) रोसिन (अधिकतम कीमत निर्धारण) पांचवां संशोधन आदेश 1972 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 331 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(3) पेट्रोलियम उत्पाद (पूर्ती और वितरण) आदेश 1972 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 825 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 3260/72]

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर): मैं आपकी अनुमती से घोषणा करता हूं कि सोमवार, 7 अगस्त 1972, से आरंभ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायगा :—

(1) कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1971 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, पर **(विचार तथा पास करना)**।

(2) आज की कार्य सूची की किसी ऐसी सहकारी कार्य की मद पर विचार जो आज समाप्त न हुई हो।

(3) भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) विधेयक 1972 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, पर **(विचार तथा पास करना)**।

(4) (i) आय-कर (संशोधन) विधेयक, 1972 पर **(विचार तथा पास करना)**।

(ii) लोक ऋण (संशोधन) विधेयक, 1972 पर **(विचार तथा पास करना)**।

(5) (i) धान-कुट्टन उद्योग (विनियमन) संशोधन विधेयक 1972, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, पर **(विचार तथा पास करना)**।

(ii) दन्तचिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 1972 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, पर **(विचार तथा पास करना)**।

[श्री राज बहादूर]

(6) शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री द्वारा पेश किये जाने वाले प्रस्ताव पर वर्ष 1970-71 के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा।

(7) दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1972 के निरनुमोदन संबंधी संविधिक संकल्प पर चर्चा और दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, **(विचार तथा पास करना)**।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : कार्य यंत्रणा समिति की पिछली बैठक में यह निर्णय किया गया था कि नियम 193 के अन्तर्गत हमें दो बार चर्चा करने का अवसर मिला करेगा। इस सप्ताह हमें केवल एक बार अवसर मिला और अगले सप्ताह हमें एक बार ही समय नहीं मिलगा।

अध्यक्ष महोदय : अनेक बार कार्ययंत्रणा समिति द्वारा निर्धारित समय में वृद्धि की जा चुकी है।

श्री राज बहादूर : कार्य यंत्रणा समिति में हमने संख्या निर्धारित नहीं की थी। हमने कहा था कि विषय के महत्व को दखते हुए चर्चा की जायेगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं माननीय वित्त मंत्री से निर्वाह सूचकांक के बारे में वक्तव्य देने का अनुरोध करूंगा। निर्वाह सूचकांक 239 तक पहुंच गयी है। अब केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप इस विषय को नियम 377 के अन्तर्गत न उठाकर इस विषय के बार में मुझे लिख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen hours of the clock

लोकसभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् 2 बजकर 5 मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled at five minutes past fourteen of the clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

कोकवारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) विधेयक
COKING COAL MINES (NATIONALIZATION) BILL

उपाध्यक्ष महोदय अब हम कोकवारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) विधेयक के खंड 17 पर चर्चा करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मैंने कहा अपने दो संशोधन संख्या 19 तथा 20 प्रस्तुत कर दिये थे, आज उन्हीके बारे में मुझे कुछ कहना है।

मंत्री महोदय को खंड 17 सम्बन्धी मेरे संशोधनों को स्वीकार कर लेना चाहिये। इसमें सेवा-की शर्तों में परिवर्तन करने का उपबन्ध है। हमें यह स्पष्ट कह देना चाहिये कि यह परिवर्तन कर्मचारियों के लिय अलाभप्रद नही होगा। मैंने अपने संशोधन संख्या 20 में इस बात का उल्लख किया है कि खण्ड 17 (5) पहले मालिक पर नहीं बल्कि केन्द्रीय सरकार पर लागू हो। बाद में सर-

कार पहले मालिक के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है। यदि सरकार 6 महीने या एक वर्ष के बाद खण्ड 17(2) लागू करती है और वह किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त कर देती है तो उस समय खण्ड 23 और 24 के अधीन मुआवजे की राशि का भुगतान किया जा चुका होगा, इसका परिणाम यह होगा कि वह कर्मचारी नौकरी से हाथ धो बैठेगा और उपदान अथवा सेवानिवृत्ति का लाभ नहीं उठा सकेगा, मेरा सुझाव यह है कि ऐसे कर्मचारियों की सरकार भुगतान कर दे और बाद में सरकार पहले मालिक से यथासंभव वह राशि वसूल कर ले।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : मंत्री महोदय ने अगले दिन अपने भाषण में कहा था कि सुरक्षित लेनदारों (सिक्योर्ड क्रेडिटर्स) को पहले भुगतान किया जायेगा।

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे खण्ड 23 के संबंध में तब अपने विचार व्यक्त करें, जब उस पर विचार किया जाये। जहां तक खण्ड 19 पर संशोधनों का संबंध है, मैं उसे स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हूं। हमें इन सभी उपक्रमों में सेवा शर्तों को समान बनाना है। इस समय विभिन्न उपक्रमों में सेवा शर्तें भिन्न भिन्न हैं। जो स्थायी कर्मचारी हैं, वे नये संगठन में भी स्थायी रहेंगे और जो अस्थायी है वे अस्थायी रहेंगे। सामान्य प्रक्रिया के बाद उनकी बारी आने पर उन्हें स्थायी बनाया जायेगा। खण्ड 17 के उप-खण्ड (5) पर दूसरे संशोधन को भी मैं स्वीकार नहीं कर सकता। हमें पहले मालिक के सभी दायित्वों के बारे में कर्मचारियों को गारंटी नहीं दे सकते। जहां तक खण्ड 17 (1) का संबंध है मैं इस बात का आश्वासन देता हूँ कि किसी भी व्यक्ति की सेवा समाप्त नहीं की जायेगी, जहां तक काफी अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों का संबंध है, इनके साथ उनके भविष्य के बारे में कोई समझौता करने के संबंध में कठिनाई पैदा नहीं हो सकती है। हम प्रत्येक ठेके के लिये दायित्व की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लना चाहते। पहले भी राष्ट्रीयकरण किया जाता रहा है। कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार के दुर्व्यवहार करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। यदि इस प्रकार का व्यापक खण्ड स्वीकार कर लिया जाता है तो माननीय सदस्य सरकार को मजबूर कर देते है ।क वह अधिक वेतन पाने वाले व्यक्तियों को जो नई कंपनियों के लिये काम करने से इन्कार करते है, लाखों रुपये दें। इसी लिये हम यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकते। माननीय सदस्यों को सरकार का यह आश्वासन स्वीकार कर लेना चाहिये कि हम उनको उपदान अथवा सेवानिवृत्ति के लाभों से जिनके वे हकदार है, वंचित नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 19, 20 और 21 सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 17 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 18 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 18 was added to the Bill.

खण्ड 19 से 21 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 19 to 21 were added to the Bill.

खण्ड 22

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 10, पंक्ति 25,—

"vested in it" (इसमें निहित) शब्दों के स्थान पर "under the Coking Coal Mines (Emergency Provisions) Act, 1971" (कोककारी कोयला खान (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1971 के अधीन) अन्त:स्थापित किया जाये ।

[संख्या 7]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 10, पंक्ति 25,—

"vested in it" (इसमें निहित) शब्दों के स्थान पर "under the Coking Coal Mines (Emergency Provisions) Act, 1971 (कोककारी कोयला खान (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1971 के अधीन अन्त:स्थापित किया जाये ।

[संख्या 7]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 22, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 22, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 22 as amended was added to the Bill.

खण्ड 23

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं संशोधन संख्या 22, 23, 24 और 25 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री बालदन्डायुतम (कोयम्बटूर) : मैं संशोधन संख्या 27 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शाहनवाज खां : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 12, —

पंक्ति 28 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़िये :

"(7A) The Commissioner shall have the power to regulate his own procedure in all matters arising out of the discharge of his functions including the place or places at which he will hold his sittings and shall, for the purpose of making any investigation under this Act, have the same powers as are vested in
5 of 1908 a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908, while trying a suit, in respect of the following matters namely :—

(a) the summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath ;

(b) the discovery and production of any document or other material object producible as evidence ;

(c) the reception of evidence on affidavits ;

(d) the issuing of any commission for the examination of witnesses.

(7B) Any investigation before the Commissioner shall be deemed to be a judicial pro-
45 of 1860 ceeding within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code and the Commissioner shall be deemed to be a civil court for the
5 of 1898. purposes of section 195 and Chapter XXV of the Code of Criminal Procedure, 1898."

"(7क) आयुक्त को, अपने कृत्यों के निर्वहन के उद्भूत होने वाले समस्त मामलों में, जिनमें वह या वे स्थान भी सम्मिलित हैं जहां वह अपनी बैठक करेगा, अपनी प्रक्रिया को विनियमित
1908 करने की शक्ति होगी, और इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण करने के लिये वही
का 5 शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन, सिविल न्यायालय में, वाद का विचारण करते समय निम्नलिखित विषयों की बाबत निहित होती हैं, अर्थात्:—

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) साक्ष्य के रूप में पेश की जा सकने वाली किसी दस्तावेज या अन्य सामग्री का प्रकटीकरण और पेश किया जाना ;

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण;

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना ।

(7ख) आयुक्त के समक्ष प्रत्येक अन्वेषण भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा
1860 का 45 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और खण्ड
1898 का 51 प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 195 और अध्याय 25 के प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय समझा जाएगा । [संख्या 20]

श्री सोमनाथ चटर्जी : संशोधन संख्या 22 खंड 23 के उप-खंड (3) के सम्बन्ध में है। खण्ड 23 में लिखा है कि प्रतिभूत ऋणदाताओं का भुगतान किये जाने के बाद अप्रतिभूत ऋणदाताओं का भुगतान किया जायेगा। परन्तु उप-खंड 3 में लिखा है : "उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सभी ऋण आपस में एक ही पंक्ति में होंगे और पूर्णतः संदाय किये जायेंगे जब तक कि आस्ति उन्हें चुकाने के लिये अपर्याप्त हों, उस दशा से वे समानुपात से कम कर दिये जायेंगे और तदनुसार संदाय किया जायेगा।"

हमारा निवेदन यह है कि जहां तक श्रमिक के सांविधिक अधिकारों का सम्बन्ध है, उन्हें ऐसी स्थिति में क्यों रखा जाये कि यदि प्रतिभूत ऋणदाताओं का भुगतान करने के लिये सरकार के पास पर्याप्त राशि न हो, तो अप्रतिभूत ऋणदाताओं को, जिनमें राज्य सरकार भी सम्मिलित है, कुछ भी न मिले। राज्य

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

सरकार की रायल्टी और श्रमिकों के अधिकारों को एक साथ रखा जायेगा । रायल्टी और किराये के रूप में सरकार को बहुत-सी बकाया राशि होगी और यदि इसको श्रमिकों के अधिकारों से मिला दिया गया, तो उन्हें कुछ भी न मिल सकेगा । मुझे पता चला है कि देयताएं इतनी अधिक है कि प्रतिभूत ऋणदाताओं का भुगतान ही कठिन है और फिर अप्रतिभूत लेनदारों की बात ही क्या है। मेरा निवेदन यह है कि सरकारी कर्मचारियों को सांविधिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिये । उनकी कोई हानि नहीं होनी चाहिये । यदि सरकार को पता चला है कि किसी कोयला खान ने अत्यधिक ऋण देना है तो सरकार को इस सम्बन्ध में हमें जानकारी देनी चाहिये । मुझे आशा है कि सरकार संशोधन संख्या 22 के सम्बन्ध में अनुकूल रवया अपनायेगी ।

जहां तक अन्य तीन संशोधनों का प्रश्न है, वे सुझावों के रूप में हैं । हमारा सुझाव है कि प्रत्येक दावेदार द्वारा अपना दावा साबित करने के लिये कोई तिथि निर्धारित नहीं की जानी चाहिये क्योंकि इस से कुछ प्रशासनिक कठिनाइया पैदा हो सकती है । यदि कोई कर्मचारी दावा पेश करता है और उसका सबूत भी पेश करता है यह बात आयुक्त पर निर्भर करती है कि वह सबूत माना जाता है या नहीं । अतः इस सम्बन्ध में कोई समय सीमा निर्धारित नही की जानी चाहिये । इसी प्रकार उपखण्ड 6 में लिखा है कि "प्रत्येक दावेदार जो आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपने दावे का सबूत पेश करने में असफल रहता है, आयुक्त द्वारा किये जाने वाले वितरण से अपवर्जित किया जायेगा "।

हमने यह सुझाव दिया है कि "दावे का सबूत पेश करने में" के स्थान पर "दावे पेश करने में" शब्द रख दिये जायें ।

संशोधन संख्या 25 आनुषंगिक है । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह संशोधन संख्या 22 को स्वीकार कर ले:

श्री के० बालदण्डापुतम : मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि वह ऐसे उपाय करें जिसमें श्रमिकों की बकाया राशि उनको मिल सके । इस कार्य को प्राथमिकता मिलनी चाहिये जिससे श्रमिकों को कोई हानि न रहे ।

डा० रानेन सेन : मंत्री महोदय ने बताया है कि "सीक्योर्ड क्रेडिटरों" को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि उनका खान मालिकों द्वारा लिये गये ऋण में कोई दोष नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि इस में श्रमिकों का भी क्या दोष है । मेरे विचार से श्रमिकों की बकाया राशि का भुगतान कराने के लिये सरकार को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिये क्योंकि उत्पादन में उनका सबसे प्रमुख हाथ रहता है । हालत यह है कि श्रमिकों की मजूरी, और भविष्य निधि की राशि का भुगतान नहीं किया गया । स्वामित्व आदि से सम्बन्धित पश्चिम बंगाल सरकार की 3 करोड़ रुपये की राशि इन खानमालिकों की और बकाया है जबकि वहाँ केवल 4–5 ऐसी खानें हैं । अतः बिहार सरकार का दावा बहुत अधिक होगा क्योंकि वहाँ ऐसी खानों की संख्या बहुत है । किन्तु उपखण्ड 3 से विदित होता है कि श्रमिकों के साथ अन्याय किया जा रहा है । उनको प्राथमिकता नहीं दी जा रही है । मेरा अनुरोध है कि श्रमिकों के साथ पूरा पूरा न्याय किया जाना चाहिये ।

श्री वसंत साठे (अकोला) : मैं संशोधन का समर्थन करता हूं तथा सुझाव देता हूं कि यदि आवश्यक हो तो कम्पनी अधिनियम की धारा 317 में संशोधन कर के श्रमिकों की मजूरी के भी दावों के अन्तर्गत रखना चाहिये जिससे श्रमिकों की मजूरी के भुगतान में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो सके ।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : इन संशोधनों को स्वीकार करने में कुछ कानूनी कठिनाइयाँ हैं । सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 73 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को, यदि वह जमानत पर ऋण देता है, कुछ अधिकार प्राप्त हैं । अतः श्रमिकों के दावे उन व्यक्तियों के दावों के अन्तर्गत आते हैं जिन्होंने जमानत के बिना ऋण दिया है ।

व्यापारिक सम्बन्धों को ध्यान में रखकर सरकार इन कानूनों में संशोधन करना उचित नहीं समझती। फिर भी हमने यह उचित समझा है कि श्रमिकों के दावों को अन्य ऐसे दावों की तुलना में प्राथमिकता दी जाए। साथ ही सरकार यह भी समझाती है कि राज्य को स्वामित्व आदि के रूप में मिलने वाली राशि की भी उपेक्षा न की जाए क्योंकि उसके दावे भी न्यायसंगत है।

दूसरा प्रश्न यह है कि यदि परिसम्पत्तियां इतनी नहीं है कि ऋणों का पूरा-पूरा भुगतान किया जा सके तो उस स्थिति में ऋणों में कटौती की जायगी तथा उनका उसी अनुपात में भुगतान किया जाएगा। एक माननीय सदस्य ने मांग की है कि ऐसी स्थिति में सरकार को भुगतान करना चाहिये किंतु मेरे विचार में सरकार पर इतना भार डालना अनुचित है। यदि कोई उद्योग घाटे के कारण बन्द हो जाता है तो सरकार का यह दायित्व नहीं है कि वह सभी देय राशि का भुगतान करे।

माननीय सदस्यों का यह कहना सच नहीं है कि श्रमिकों के साथ अन्याय किया जा रहा है। वास्तव में सरकार ने उनके हितों की पर्याप्त सुरक्षा की है तथा उन्हें जमानत रहित दावेदारों की सूची में सबसे पहले रखा है। जो कुछ नहीं किया जा सका उसका मुख्य कारण यह है कि उससे सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम का उल्लंघन होता है तथा उससे अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होती है। इन्ही कारणों से इन संशोधनों को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

माननीय सदस्य द्वारा उपखण्ड (6) के लिये प्रस्तुत किये गये संशोधन को मैं स्वीकार करने के लिये तैयार हूं यदि वे उसके शब्दों में कुछ परिवर्तन करने को तैयार हों। यदि वह अपने संशोधन की भाषा इस प्रकार कर दें कि यदि कोई दावेदार निर्धारित अवधि में अपने दावे का प्रमाण देने में असफल होता है.." तो मैं समझता हूं सभा उसे स्वीकार कर लेगी। खण्ड 23(6) के लिये प्रस्तुत किया गया संशोधन मुझे स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वह 23(1) के अन्तरित आ जाता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे स्वीकार है।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : जहाँ तक दावों का निपटान करने के लिये आयुक्त के लिये समय सीमा निर्धारित करने का प्रश्न है मेरे विचार से हम विधेयक में इस प्रकार का आदेशात्मक उपबन्ध नहीं होना चाहिये। सरकार आयुक्त नियक्त करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखेगी कि ऐसी ही व्यक्ति को आयुक्त बनाया जाए जो दावों को शीघ्र निपटाने में रुचि रखता हो।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य बहुत से संशोधनों के साथ एक सरकारी संशोधन है तथा एक संशोधन को मंत्री महोदय ने स्वीकार करने के लिये कहा है अब इसकी संख्या 30 हो जाएगी अतः उनको अलग से रखा जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 22, 23, 24, 25 और 27 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 22, 23, 24, 25 and 27 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री शाहनवाज खां द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 28 मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 12, पंक्ति 28 के पश्चात निम्नलिखित जोड़िए :

(7A) The Commissioner shall have the power to regulate his own procedure in all matters arising out of the discharge of his functions including the place or places at which he will hold his sittings and shall, for the purpose of making any investigation under this Act, have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908, (5 of 1908) while trying a suit, in respect of the following matters, namely :—

(a) the summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath ;

[उपाध्यक्ष महोदय]

(b) the discovery and production of any document or other material object producible as evidence ;

(c) the reception of evidence on affidavits ;

(d) the issuing of any commission for the examination of witnesses.

(7B) Any investigation before the Commissioner shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code (45 of 1860) and the Commissioner shall be deemed to be civil court for the purposes of section 195 and Chapter XXXV of the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898).

"(7क) आयुक्त को, अपने कृत्यों के निर्वहन के उद्भत होते समस्त मामलों में, जिनमें वह या व स्थान भी सम्मिलित है जहाँ वह अपनी बैठक करेगा, अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी, और इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण करने के लिये वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन, सिविल न्यायालय में, बाद का विचारणा करते समय निम्नलिखित विषयों बाबत निहित होती हैं, अर्थात् :--

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) साक्ष्य के रूप में पेश की जा सकने वाली किसी दस्तावेज या अन्य सामग्री का प्रकटीकरण और पेश किया जाना;

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण;

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना।

(7ख) आयुक्त के समक्ष प्रत्येक अन्वेषण भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 195 और अध्याय 25 के प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय समझा जाएगा।" [संख्या 28]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : महोदय, यदि खण्ड 23(6) को संशोधित करना है तो हमें खण्ड 23(4) को भी संशोधित करना होगा जिसका पाठ इस प्रकार होगा :

"आयुक्त एक निश्चित तारीख नियत करेगा जिसको या जिसके पहले प्रत्येक दावेदार अपने दावे का सबूत पेश करेगा ।"

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 12, पंक्ति 13 :

'Prove' (साबित करने), शब्द के स्थान पर 'File the proof of' (सबूत पेश करने) शब्द रखे जाएं । [संख्या 30]

पृष्ठ 12, पंक्ति 21 :

'Prove' (साबित करने), शब्द के स्थान पर 'File the proof of' (सबूत पेश करने) शब्द

रखे जाएं । [संख्या 31]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 12, पंक्ति 13 :

'Prove' (साबित करने), शब्द के स्थान पर 'File the proof of' (सबूत पेश करने) शब्द रखे जाएं । [संख्या 30]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 12, पंक्ति 21 :--

'Prove' (साबित करने) शब्द के स्थान पर 'file the proof of' (सबूत पेश करने) शब्द रखे जाएं । [संख्या 31]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खण्ड 23, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 23 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 23 as amended was added to the Bill.

खण्ड 24

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपना संशोधन सं० 26 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 26 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
Amendment No. 26 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 24 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 24 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 24 was added to the Bill.

खण्ड 25 से 29 तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clauses 25 to 29 were added to the Bill.

खण्ड 30

श्री शाहनवाज खाँ : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

पृष्ठ 14, पंक्ति 7 :—

'Central Government' (केन्द्रीय सरकार) के बाद 'or Government company' (अथवा सरकारी कम्पनी) शब्द अन्त:स्थापित किया जाये । [सं० 8]

पृष्ठ 14, पंक्ति 23 :—

'he' (वह) शब्द हटा दिया जाय । [सं० 29]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 14, पंक्ति 7 :—

'Central Government' (केन्द्रीय सरकार) के बाद or Government company' (अथवा सरकारी कम्पनी) शब्द अन्त:स्थापित किया जाये । [सं० 8]

पृष्ठ 14, पंक्ति 23 :—

'he' (वह) शब्द हटा दिया जाय । [सं० 29]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 30, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 30, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 30, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 31 से 36 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 31 to 36 were added to the Bill.

खण्ड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

The first Schedule, the Second Schedule, Clause, 1 the enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्री शाहनवाज खाँ : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये" ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर): इस विधेयक से खानमालिकों को फायदा होगा । इस विधेयक से श्री मोहन कुमार मंगलम ने मजदूरों का गला काट दिया है । सरकार समाजवाद और गरीबी हटाओ को सिर्फ बातें ही करती हैं । इस विधेयक से खानमालिकों को पूरा संरक्षण दिया गया है ।

मंत्री महोदय एक ऐसी पार्टी में शामिल हो गये हैं, जिसका उद्देश्य ही सम्पन्न व्यक्तियों का संरक्षण करना है । गरीब कर्मचारियों को भविष्य निधि और अन्य बकाया राशि नहीं मिल सकेंगी । इस विधेयक से स्पष्ट पता चलता है कि यह सरकार दलित वर्ग को सुरक्षा प्रदान नहीं करना चाहती । इसलिए सभी मंत्री महोदय को विधेयक में समुचित संशोधन करने चाहिए ।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : श्री भट्टाचार्य ने कहा कि मन्त्री महोदय ने कर्मचारियों के गले पर छरी फेर दी है, परन्तु मेरे विचार में मंत्री महोदय ने खानमालिकों के गले पर छुरी फेर दी है ।

मन्त्री महोदय ने यह तो बताया कि आस्तियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया गया है, परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि आस्तियों के मूल्यांकन करने में किन सिद्धान्तों को अपनाया गया है और न यही स्पष्ट किया गया है कि किन किन आस्तियों को हिसाब में लिया गया है । विस्तृत आँकड़ों का अध्ययन करने से पता चलता है कि खान मालिकों को आस्तियों का एक तिहाई मूल्य भी नहीं मिलेगा ।

संविधान में 25 वें संशोधन के समय भी यह कहा गया था कि उचितआवजा दिया जायगा । आस्तियों का मूल्यांकन करते समय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह होना चाहिए कि कोयला खानों में कितना कोयला बाकी रहता है । उसके बाद अन्य जो परिसम्पत्तियाँ हैं । उनका भी मूल्यांकन होना चाहिए था । देन-दारियों की राशि को मूल्यांकन करते समय नहीं घटाया गया है । इन सब बातों को ध्यान में रखकर मूल्यांकन होना चाहिए, जिससे खान मालिकों को उचित मुआवजा मिल सके ।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : The workers interest should be safeguarded. The members from allsides, have stated that all the dues of workers must be paid to them. The compensation should not be paid to the mine-owners who have stolen the property and have destroyed and damaged the mines.

Even after take over of the coking coal mines, transfers and harassment of the workers is going on. This type of harassment must be stopped.

I would have been happy if all the remaining private collieries could have been nationalised. The workers of these collieries are kept in concentration camps. Their wages are reduced sometimes. The exploitation of workers in private collieries must be stopped and labour laws should be implemented fully. The mine-owners who have the coal and put forward insurance claims, should be stopped from indulging in such unpatriotic activities.

Bird and company has deceived Central as well as State Government. Five workers have been shot dead and four hundred others have been sent to jail. The strike is going on for the last one and a half month causing national loss. The private collieries must therefore be nationalised.

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : मैं गम्भीरतापूर्वक सोचता हूं कि इस विधेयक से कर्मचारियों के प्रति न्याय होगा, क्योंकि 1,20,000 के प्रति पहली बार न्यायपूर्ण व्यवहार होगा । मजूरी बोर्ड के पंचाट के अनुसार इन्हें मजूरी मिलेगी । भविष्य निधि, उपदान आदि से सम्बन्धित श्रम-कानूनों को उनके हित में क्रियान्वित किया जा रहा है ।

कमचारियों की सेवा-शर्तों में सुधार और राष्ट्रीय पुनर्गठन की दृष्टि से यह विधेयक कोककारी कोयला-खानों के विकास में सहायक सिद्ध होगा । जिन सदस्यों ने विधेयक की आलोचना की है, उन्होंने भी यह स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और भारत कोकेंग कोल पिछले नौ महीनों से मजूरी बोर्ड के पंचाटों का पालन कर रहा है । इस विधेयक से कर्मचारियों की कठिनाइयों और अनि-श्चितताओं का अन्त हो रहा है ।

[श्री एस० मोहन कुमार मंगलम्]

श्री एच० एम० पटेल मुआवजे देने के बारे में अपनाये जाने वाले सिद्धांतों के बारे में चिन्तित थे। संविधान के अन्तर्गत हमें राशि का मूल्यांकन करने का हक है। विधेयक पेश करते समय मैंने मूल्यांकन की प्रक्रिया का उल्लेख किया था। 214 कोककारी कोयलाखानों की आस्तियों का मूल्यांकन करने में 9 महीने का समय लगा। आस्तियों के मूल्यांकन के पश्चात् हमने इस बात को भी ध्यान में रखा कि किन किन कोयला खानों ने राष्ट्रीय के विकास में योग दिया है, उसके बाद उचित राशि की गणना की गई।

कोककारी कोयला खानों के प्राइवेट स्वामित्व का ऋण समाप्त होने पर शायद बहुत कम व्यक्ति ही दुखी होंगे। सामान्यतः कोयलाखानों और विशेषकर कोककारी कोयला खानों के मालिकों ने कर्मचारियों का शोषण किया। झरिया जिले के पूंजीपतियों ने उस प्रत्येक व्यक्ति को खरीदा, जिसे वे खरीद सकते थे।

श्री मधुकर ने कहा कि प्रबन्धकों द्वारा कर्मचारियों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि अब यह एक राष्ट्रीयकृत संगठन है और कुछ गलतफहमियाँ हो सकती हैं। राष्ट्रीयकरण के बाद औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार होना चाहिये। भारत कोकिंग कोल में 1,20,000 कर्मचारी हैं और कलकत्ता स्थित विभिन्न मुख्यालयों में 210 कर्मचारी हैं जिनमें 110 कर्मचारियों को धनबाद भेजा जा रहा है।

कुल 214 कोककर कोयला खानों, जिन्हें हमने अपने नियंत्रण में लिया, में से 211 झरीया में है। अतः कोककर कोयले की संस्था का मुख्य कार्यालय झरिया तथा धनबाद, जो बिहार में है, में ही होना चाहिये। कलकत्ता में क्रय और विक्रय सम्बन्धी संस्था की भी आवश्यकता है। इस संस्था के अधिकांश कर्मचारियों की नियुक्ति कलकत्ता में की गयी है और शेष धनबाद में लगाये गये हैं। हम इसे बिहारी-बंगाली मामला नहीं बनाना चाहते। मेरे विचार में हमने इस दिशा में उचित कदम उठाये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

राजनायिक सम्बन्ध (वियना कन्वेंशन) विधेयक

DIPLOMATIC RELATIONS (VIENNA CONVENTION) BILL

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हुँ "कि राजनयिक सम्बन्धो पर वियना कन्वेंशन, 1961, को प्रभावी करने और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक, पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

यह विधेयक लोकसभा में 25 नवम्बर, 1971 को पुरःस्थापित किया गया था जिसके बाद इसे लोकसभा की एक प्रवर समिति को सौंपा गया था। इस विधेयक से राजनयिक सम्बन्धों पर वियना कन्वेन्शन 1961, लागू हो जायेगा। प्रवर समिति द्वारा किया गया मुख्य परिवर्तन खंड 4 में है। यह खंड राजनयिक मिशनों अथवा इनके सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों पर लगाये गये प्रतिबन्धों से सम्बन्धित है जो कि भारत सरकार किसी अन्य देश पर जवाबी कार्यवाही के रूप में इस लिए लगा सकती है क्यों कि उस देश द्वारा ऐसे ही प्रतिबन्ध विदेश में भारतीय मिशन और उसके सदस्यों पर लगाये गये हैं। मूल विधेयक में ऐसे मामलों का कोई उल्लेख नही था जहां किसी अन्य देश द्वारा वियना कन्वेन्शन का उल्लंघन किया गया हो। इस त्रुटि को दूर करने के लिये एक अन्य वाक्य जोड़ दिया गया है जिसका उद्देश्य वियना कन्वेन्शन को सीमित रूप से लागू करना ही नहीं अपितु कन्वेन्शन के उल्लंघन को भी सम्मिलित करना है ताकि भारत सरकार किसी भी प्रकार के मामले में उपयुक्त कार्यवाही कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राजयनिक सम्बन्धों पर वियना कन्वेशन, 1961, को प्रभावी करने और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : इस विधेयक का उद्देश्य उन विशेषाधिकारों तथा उन्मक्तियों को संविधिक के पुस्तक पर उतारना है जो कि राजनयिकों को प्राप्त हैं और जो वियना कन्वेन्शन द्वारा स्वीकृत की गई है। वियना कन्वेन्शन द्वारा ये उपबंध बनाये जाने से पूर्व ये विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों मुख्य रूप से किसी उल्लिखित आचार संहिता तथा अनौपचारिक कन्वेंशनों पर आधारित थी, इस कन्वेन्शन द्वारा उपबन्ध बनाये जाने के पश्चात यह आवश्यक है कि इन्हें भी देश के कानून का अंग बना दिया जाये। राजयनिकों द्वारा अपने कार्य तथा कर्तव्य उचित ढंग से निभाये जाने के लिये यह आवश्यक है कि वह स्वीकारी राज्य के नियंत्रण से मुक्त हो। उसके कार्यकलाप स्वीकारी राज्य (रिसीविंग स्टेट) के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने चाहिये और वह स्वीकारी राज्य के, जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय बिल में कहा गया है, अधिकार क्षेत्र तथा नियंत्रण से मुक्त होना चाहिये। अत: 1961 में हुई वियना कन्वेन्शन को जिसमें 1965 में भारत भी एक पक्ष बन गया था, उपबन्धों को देश के कानून में बहुत पहले से शामिल कर लिया जाना चाहिये था क्योंकि इसकी स्वीकृति देश के कानून से ली जाती है न कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून से।

विधेयक के खण्ड 3 में उचित उपबन्ध किया गया है कि ऐसे देशों के साथ, जो वियना कन्वेन्शन में, पक्ष नहीं हैं किन्तु वे राजनयिक सम्बन्धों के साधारण तरीकों का अनुगमन करते हैं और वे सभी दूतों को राजनयिक उन्मुक्ति और विशेषाधिकार दे रहे हैं, ऐसा हमे व्यवहार किया जाना चाहिये यद्यपि वे पूरी तरह से वियना कन्वेन्शन में एक पक्ष नहीं हैं।

जहां तक इन कर्तव्यो को निभाने का प्रश्न है, इस देश को इन उन्मुक्तियों और विशेषाधिकारों का सम्मान करना चाहिये। मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री मोहनराज कलिंगारायर (पोलाची) : वियना कन्वेन्शन अप्रैल, 1961 में अपनाई गई और इसके चार वर्ष बाद 1965 में हम भी इसमें शामिल हो गये और इसके सात वर्ष बाद इसे कानूनी रूप देने के लिये यह विधेयक पेश किया गया है। पहले हमने इसका सदस्य बनने में 5 वर्ष बेकार किये और फिर इसे कानून का रुप देने में हमने 7 वर्ष और गंवाये सरकार द्वारा इन अर्न्तराष्ट्रीय कन्वेन्शनों पर भी इस प्रकार कार्यवाही करने से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। विदेश मंत्री हमें बतायें कि वियना कन्वेन्शन को कानूनी रूप देने में इतना अधिक विलम्ब क्यों हुआ और हमारी सरकार उन देशों के साथ कैसा व्यवहार करेगी जो कि इस कन्वेन्शन के सदस्य नहीं हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : वियना कन्वेन्शन का पालन करने वाले 130 देशों में से लगभग 43 देशों की सरकार ने इसे अपने अपने देश की संविधिक पुस्तक में शामिल कर लिया है और इसका कारण यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्वरूप इस प्रकार का है कि कभी कभी इस प्रकार की लचीली स्थिति लाभदायक सिद्ध होती है। वियना कन्वेन्शन की स्वीकार्यता को संविधिक पुस्तक में शामिल करने का मैं स्वागत करता हूं और यह चाहता हूँ कि इस विधान में उल्लिखित पारस्परिकता की स्थिति ऐसी है, जिसे हम अपनी विदेश नीति को ठीक ढंग से चलाने द्वारा ही अन्य देशों से मनवा सकते हैं। हमें यह बात स्पष्ट करनी चाहिये कि इस देश का अपना एक दृष्टिकोण है और इस देश को ऐसे ही नहीं समझ लिया जाना चाहिये। इस देश के प्रतिनिधियों के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये। उदाहरण के लिये 1956 में उच्चायोग भवन की जो अपमानजनक तलाशी ली गयी, वह पाकिस्तान द्वारा हमारे प्रति अभद्र व्यवहार का सबूत था, जो किसी भी कन्वेन्शन और अन्तर्राष्ट्रीय आचरण के सिद्धान्तों के बिल्कुल ही विपरीत था। पिछले वर्ष बंगला देश संघर्ष के दौरान भी एक राजनयिक, जिनके साथ पाकिस्तानी अधिकारी थे, और भी अधिक भद्दे रूप से भारतीय उच्चायोग की तलाशी लेना चाहता था। उस समय हमारी सरकार द्वारा किये गये विनंति और विनम्र व्यवहार की उस समय आवश्यकता नहीं थी। मैंने स्वयं

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

पाकिस्तान में उच्चायुक्त से इस अपमान की कहानी सुनी है। हमारे ध्वज का निरादर किया गया और उस देश में हमारे राजनयिक कर्मचारियों के सभी तरह के अपमान सहने पड़े। जहां तक राजनयिक उन्मुक्तियों और विशेषाधिकारों और एक देश से दूसरे देश को दिये जाने वाले सम्मान के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शनों का सम्बन्ध है, मैंने भारत सरकार अथवा विदेश मंत्रालय द्वारा किये गये कुछ काम के बारे में कभी भी एक शब्द नहीं सुना है।

हमें इन सभी अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शनों का पालन करना चाहिये ताकि एक श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय जीवन लाया जा सके। इसके साथ ही हमें अपनी शक्ति का उचित रूप से उपयोग करना चाहिये और इस देश के आत्म सम्मान पर भी बल देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखें।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 15 वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : FIFTEENTH REPORT OF THE COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILL AND RESOLUTIONS

प्रो० नारायणचन्द पाराशर (हमीरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के, 15वें प्रतिवेदन से, जो 2 अगस्त, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 15 वें प्रतिवेदन से, जो 2 अगस्त, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

बिहार परमाणु प्राधिकार विधेयक

BIHAR ATOMIC AUTHORITY BILL

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं, श्री रामावतार शास्त्री की ओर से, प्रस्ताव करता हूं :

"कि बिहार में एक परमाणु शक्ति संयंत्र स्थापित करने के प्रयोजनार्थ एक प्राधिकारी बनाये जाने का तथा तत्सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बिहार में एक परमाणु शक्ति संयंत्र स्थापित करने के प्रयोजनार्थ एक प्राधिकारी बनाये जाने का तथा तत्सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

जाति पद्धति (उत्सादन) विधेयक
CASTE SYSTEM (ABOLITION) BILL

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) : I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the abolition of caste system and to put a ban on expression of caste after the name"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि जाति पद्धति का उत्सादन करने का तथा नाम के पश्चात् जाति अभिव्यक्त करने पर रोक लगाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri Yamuna Prasad Mandal ; I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक (नवम अनुसूची का संशोधन) (1972 का विधेयक संख्या 68)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—(AMENDMENT OF NINTH SCHEDULE) (BILL NO. 68 OF 1972)

श्री सी०के० चन्द्रप्पन (तेल्ली चेरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक के पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक (नवम अनुसूची का संशोधन) (1972 का विधेयक संख्या 70)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—(AMENDMENT OF NINTH SCHEDULE) (BILL NO. 70 OF 1972)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये"

श्री वरके जार्ज (कोट्टायम) : इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों को भंग करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी तो प्रश्न यह है कि क्या विधेयक पुरःस्थापित हो सकता है या नहीं।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : इस समय संविधान की दृष्टि से किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० मुकर्जी ठीक कहते हैं। सदन विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिये सहमत हो गया है। अब आप इसका विरोध नही कर सकते। (**व्यवधान**)

श्री एस०एम० बनर्जी (कानपुर) : माननीय सदस्य इस समय इस विधेयक का विरोध नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज को यदि कोई नई बात नही कहनी है तो मैं प्रस्ताव को सभा के सामने रखता हूं।

श्री बरके जार्ज : मैं प्रस्ताव का विरोध इस आधार पर करता हूं कि संसद इस पर चर्चा करने में सक्षम नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 74 का संशोधन)—जारी

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 74)—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम डा० कर्ण सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये संविधान (संशोधन) विधेयक पर आगे चर्चा करते हैं। श्री भंडारे, जिन्होंने पिछली बार 5 मिनट लिये थे, अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री आर० डी० भंडारे (बम्बई-मध्य) : संविधान के अन्तर्गत हमारी सरकार संसदीय ढंग की है, फिर भी यहां केन्द्रीय राजतंत्र है। यदि यह विधेयक स्वीकृत हो जाता है तो इससे देश का वर्तमान राजतंत्र, परिवर्तित हो जायेगा। भविष्य के खतरे से देश को बचाने के लिये प्रस्तावक महोदय राष्ट्रपतीय ढंग की सरकार लागू करके बिना सोचे समझे एक भारी खतरा मोल लेना चाहते हैं। इस विधेयक द्वारा केवल राष्ट्रपति को न्यायाधिशों की नियुक्ति करने हेतु शक्ति प्रदान करने के लिये अनुच्छेद 74 का संशोधन करने का प्रयास किया गया है। अब संविधान की हमारी योजना यह है कि राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष होंगे और अनुच्छेद 74 के अधीन मंत्री-परिषद् होनी चाहिये जो राष्ट्रपति को परामर्श देगी। किन्तु वह मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श के बिना उस शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता।

डा० कर्णी सिंह के संशोधन का निष्कर्ष यह है कि न्यायाधिशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से परामर्श नहीं लेना चाहिये।

इस संशोधन के द्वारा उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को देने की बात है पर शायद प्रस्तावक को नहीं पता कि यह अधिकार उन्हें पहले ही से प्राप्त है पर वह उसका उपयोग मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना नहीं कर सकता। अतः संविधान के औचित्य को देखते हुए उनका विधेयक को वापिस लेना ठीक होगा।

प्रस्तावक को अपने मन से यह भय निकाल देना चाहिए कि न्यायपालिका प्रति-न्यायपालिका हो जायेगी। उन्हें यह भय उपयुक्त संविधानिक स्थिति, संघीय राजतन्त्र और संसदीय लोक तंत्र को, जिन्हें हम स्वीकार कर चुके हैं, समझ कर मन से निकाल देना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं श्रीमती गोडफ्रे से विधेयक वापिस लेने का अनुरोध करता हूं।

*श्री माधुर्य हालवार (मथुरापुर) : डा० कर्णीसिंह द्वारा प्रस्तुत किए गये विधेयक को तभी समर्थन दिया जा सकता है जब कि विधेयक में वर्णित आज्ञाएं पूरी हो जाएं। उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति सत्तारूढ दल एक पारिपोषिक के रूप में करता रहा है और उससे अपने हितों को साधता रहा है। यदि हम निश्चित रूप से सत्तारूढ दल को मिलने वाली इस अप्रत्यक्ष सहायता को समाप्त करना चाहते हैं तो उस दिशा में यह एक कदम अवश्य है पर इससे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता क्यों संविधान में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा और वह सलाह सदैव गुप्त रहती है। तथा इसे न्यायालय में चनौती भी नहीं दी जा सकती।

राष्ट्रपति नाम का प्रमुख है। यदि उसकी शक्तियों को कुछ बढ़ा दिया गया तो न्यायाधिशों की नियुक्ति में मंत्रिपरिषद किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी। इससे यही एक मात्र लाभ होगा। और यदि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहती है तो मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : मैं इस विधेयक का घोर विरोध करता हूं। यह विधेयक इस भय के कारण लाया गया है कि प्रधान मंत्री के परामर्श से न्यायाधीशों की नियुक्ति करने पर न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं रह सकती। पर यह भय न्यायाधीशों के सम्बन्ध में ही क्यों, अन्य क्षेत्रों में भी क्यों नहीं। वास्तविकता यह है कि हमें विभिन्न उपबन्धों पर ध्यान न दे कर उसे कार्यरूप देने की भावना की ओर ध्यान देना चाहिये।

संसार के दो बड़े प्रजातंत्र देशों का उदाहरण हमारे सामने है। इंग्लैंड में न्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर होती है। वहाँ न्याय पालिका बिल्कुल पृथक अस्तित्व रखती है। दूसरे प्रजातंत्र अमरीका में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति स्वयं करता है, और वह आवश्यकतानुसार उनकी संख्या बढ़ा सकता है।

हमारे देश में दोनों देशों की मिली जुली व्यवस्था है। भारत का प्रजातंत्र संघीय नहीं है क्योंकि अन्ततः संसद सभी अंगों पर नियंत्रण रखती है। और वह यह नियंत्रण केन्द्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा रखती है तथा मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है।

अतः मेरा कहना यह है कि प्रधान मंत्री देश में होनेवाली प्रत्येक घटना के लिए उत्तरदायी है, फिर वह चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो। अतः इस विधेयक के प्रस्तुतकर्ता ने जो भय व्यक्त किया है वह निराधार है। अतः मेरा कहना यह है कि डा० कर्णी सिंह यह विधेयक वापिस ले लें।

†श्री जे० एम० गौड़ा (नीलगिरि) : गत 25 वर्षों में सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियक्ति राष्ट्रपति प्रधान मंत्री के परामर्श से करता रहा है और कभी भी उनका फैसला प्रधान मंत्री की नीतियों से प्रभावित नहीं हुआ तथा उसे स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता से कार्य करने का पूरा-पूरा अवसर दिया गया है। इसके दो बड़े उदाहरण, निजी थैलियों का मामला तथा गोलकनाथ का मामला, हमारे सामने हैं। यदि प्रधान मंत्री ने न्यायपालिका पर दबाव डाला होता अथवा उसने निष्कक्ष और स्वतंत्र निर्णय न दिया होता तो उसका निर्णय कुछ और ही होता, और सरकार के पक्ष में होता।

---

*बंगला में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

* Summarised translated version based on the English Translation of the speech delivered in Bangla.

†तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

† Summarised translated version based on the English Translation of the speech delivered in Tamil.

[श्री जे० एम० गौड़ा]

इसी प्रकार संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, और सेना के तीनों अंगों के सेनाध्यक्षों की नियुक्ति भी प्रधान मंत्री के परामर्श पर होती हैं, पर वे सभी अपने कार्यकरण में स्वतंत्र हैं।

अतः यह कहना कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, क्योंकि उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाती है, निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्णय देने वाले नहीं होंगे, गलत है।

अतः मैं डा० कर्णी सिंह से इस विधेयक को वापिस लेने का अनुरोध करता हूं।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : मैं इस विधेयक का विरोध तीन कारणों से करता हूं। पहले तो यह संविधान की भावना के विरुद्ध है।

दूसरे न्यायाधीश संसद के प्रभाव से स्वतंत्र हैं। उनके कार्यकलापों पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। वे अपना निर्णय देने में स्वतंत्र हैं। इस सभा के तीन विशिष्ट विधेयकों, जिन से सरकार की प्रतिष्ठा बंधी थी, को सर्वोच्च न्यायालय ने नामंजूर कर दिया। इस विधेयक से न्यायपालिका और अधिक स्वतंत्र हो जायेगी पर इससे कुछ खतरनाक परम्परा पड़ जायेगी।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करता है। यद्यपि उसे अधिकार है कि वह उसका परामर्श करने या न करने, पर उसे परामर्श लेना आवश्यक पड़ता है।

हमने न्यायपालिका के सत्तारूढ़ दल अथवा प्रधान मंत्री के प्रति प्रतिबद्ध रहने की बात नहीं कही है वरन् हमारा कहना यह है कि न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या वर्तमान विचारों के अनुसार करनी चाहिए। संविधान एक जड़ वस्तु नहीं है। वरन् एक सप्राण वस्तु है और उसकी व्याख्या उसी रूप में की जानी चाहिए।

यह सही है कि अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को विभिन्न सरकारी और अर्धसरकारी उपक्रमों में उच्च पदों पर नियुक्त किया गया है तथा त्यागपत्र देने के पश्चात् उन्हें मंत्री भी बनाया गया है। यह सब उनके लम्बे अनुभव और उच्च ज्ञान का लाभ उठाने के लिए किया गया है। और यदि इस प्रकार किसी को उसके ज्ञान का लाभ उठाने के लिए यहाँ लाया जाता है तो इसमें सरकार ने क्या गलत काम किया है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The fear, on account of which this bill has been brought is not only in the mind of Dr. Karni Singh but it is in the minds of people in this House as well as outside the House.

If the Judiciary is committed as has been explained by my friend then no body has to say any thing.

But these days the appointments of judges are made on the basis of ideologies, religion and caste.

The fear, out of which this bill has been brought should be removed and I hope Hon. Minister will give a befitting reply.

When Supreme Court give judgment in favour of the government, then it is said to be good but when it gives a judgment against the government then it is called reactionary. This sort of ideology should be given up. It should always remain impartial and independent.

It is a very important question as to whether judges should be given appointments after retirement or not.

Now the question is whether a retired judge should be appointed to head a Commission. Surely we should derive benefit from his wisdom and experience. But such assignments are usually offered to judges who are favourites of the ruling party. I would like to suggest that a panel of retired judges should be constituted and a judge should receive an assignment in his turn. If the Government do not agree to this suggestion then they should be paid so much pension after retirement as would enable them to live in comfort without running after jobs.

विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि इस विधेयक के प्रस्तावक आज सदन में उपस्थित नहीं हैं। उन्हें संविधान के अनुच्छेद 74 और 121 में कुछ संदिग्धता प्रतीत हुई थी। अतः इस कारण उन्होंने इस विधेयक को पुरा स्थापित किया था;

माननीय सदस्य अनुच्छेद 74 के साथ एक स्पष्टीकरण जोड़ना चाहते हैं और इसका उद्देश्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श देने का अधिकार छीनना है। वास्तव में प्रस्तावक यह चाहते हैं कि इस देश की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों, जिन्हें सरकार चलानी चाहिए के अधिकार को छीनकर कुछ सीमित लोगों को दे दिया जाए।

विश्व के सभी लोकतंत्रों में कार्यकारिणी ही राज्य अध्यक्ष को परामर्श देती है और यह परामर्श उसे समय एवं स्थिति को देखकर देना होता है यदि वह ऐसा नहीं करती तो उसे जनता निकाल बाहर करती है। विश्व में हमेशा ऐसा होता आया है और होता रहेगा भी अतः वर्तमान सरकार और कार्यकारिणी पर किसी प्रकार का संदेह करना ठीक नहीं।

माननीय सदस्य का कहना कि प्रजातंत्र में आस्था रखने वाले सभी लोग यह चाहते हैं कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सलाह दी जानी चाहिए परन्तु उनका ऐसा कहना उचित नहीं। यह उनका विचार हो सकता है सब का नहीं। कई माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध किया है यदि माननीय सदस्य सदन में आज उपस्थित होते तो उन्हें पता लगता कि जो कुछ उन्होंने कहा वह बिलकुल गलत था। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती रही है। उच्चतम न्यायालय के मामले में मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुझाव दिए जाते हैं और उच्च न्यायालयों के संबंध में संबंधित मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुझाव दिए जाते हैं। उच्च न्यायालयो के संबंध में ये सुझाव सम्बन्धित राज्य सरकार से उस राज्य सरकार की सिफारिशों सहित आते हैं। उच्चतम न्यायालय के मामले में मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में अपने सहयोगियों के साथ परामर्श करने के पश्चात अपनी सिफारिशें सरकार के पास भेजता है और सरकार इन पर कार्यवाही करती है। यही प्रक्रिया अपनाई जाती रही है और सरकार इसे बदलना नहीं चाहती अतः यह कहना, न्यायाधीशों की नियुक्ति के बीच में राजनीति को लाया गया है, बिल्कुल गलत है।

माननीय सदस्य ने यह भी आरोप लगाया है कि गत कुछ वर्षों से सरकार तथा संसद दोनों मे असहनशीलता की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यदि उनका आशय यह है कि वह संसद के बहुमत में विश्वास नहीं रखते तो दोष इसमें उन्ही का है किसी अन्य का नहीं। प्रजातंत्र में बहुमत स्वीकार किया जाता है और सरकार तदनुरुप कार्यवाही करती है। हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र है और भविष्य में भी यह प्रणाली विद्यमान रहेगी जनता की इच्छा ही हमारा मार्गदर्शन करेगी।

माननीय सदस्य ने गांधीजी तथा नेहरूजी के उपदेशों का उल्लेख किया है। जब वह उनकी शिक्षाओं में आस्था नहीं रखते तो उनका उल्लेख क्यों करते हैं।

एक स्थान पर माननीय सदस्य ने कहा कि 'जनसाधारण के बहुमत से लोकतंत्र को कार्य नहीं करना चाहिये' ऐसा कह कर माननीय सदस्य ने इस जनता का अपमान किया है। इस देश की जनता ने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर यहां भेजा है अतः उनका ऐसा कहना ठीक नहीं।

[श्री नीतिराज सिंह चौधरी]

इन्ही कारणों से मैं विधेयक का विरोध करता हूं और उनकी प्रतिनिधि श्रीमती गोड़फ्रे से अनुरोध करता हूं कि वह विधेयक को वापिस लें ले ।

श्रीमती एम० गोडफ्रे (नामनिर्देशित-आंग्ल भारतीय) : मझे खेद है कि डा० कर्णी सिंह यहाँ उपस्थित नहीं हैं और नियम 109 के अधीन मैं विधेयक को वापिस नही ले सकती । सभापतिजी, मैं प्रस्ताव करती हूं कि इस विधेयक को इसके प्रस्तावक के वापिस आने तक स्थगित कर दिया जाए ।

मैं नहीं समझती कि डा० कर्णी सिंह ने यह कहकर कि, न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दिया जाए, जनता का कोई अपमान किया है । मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि न्यायाधीशों के चयन में विरोधी दलों के नेताओं को भी जो देश में काफी संख्या में लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाए ।

जहाँ तक विधेयक का विषय वस्तु का संबंध है मैं इस बात से इन्कार नही करती कि मंत्रिपरिषद न्यायाधीशों का चयन करने के लिए सर्वोच्च शक्ति है और उनका चयन सर्वोच्च शक्ति द्वारा ही होना चाहिए पर विरोधी दलों के नेताओ को भी उनके चयन में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए ।

सभापति महोदय : नियम 109 के अधीन श्रीमती गोड़फ्रे विधेयक वापिस नही ले सकती इसलिए वह विधेयक का स्थगन चाहती हैं । मैं मामले को सदन के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ ।

प्रश्न यह है कि :

"डा० कर्णी सिंह द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर वाद विवाद स्थगित किया जाए" ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

सभापति महोदय इससे पूर्व कि मैं विधेयक को सभा में मतदान के लिए रखूं मैं आदेश देता हूँ कि लॉबी खालीकर दी जाए क्योंकि यह एक संविधान संशोधन विधेयक है और मतदान विभाजन के आधार पर होगा ।

प्रश्न यह है कि :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए" ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में : 0	विपक्ष में : 99
Ayes : 0	Noes : 99

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

कारखाना (संशोधक) विधेयक

FACTORIES (AMENDMENT) BILL

नई धारा 9 क का अन्तःस्थापन

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : इससे पूर्व कि मैं अपना विधेयक प्रस्तुत करूं, मैं मंत्री महोदय को स्मरण कराना चाहता हूं कि 11 मई 1962 को इस सभा में इसी विधेयक पर पूर्णरूपेण चर्चा की गई थी । अतः सर्वप्रथम मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि मेरे इस प्रस्ताव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : सरकार जानती है कि माननीय सदस्य ने कुछ वर्ष पूर्व एक विधेयक पुर:स्थापित किया था और उस समय सभा में किसी प्रकार का आश्वासन दिया गया था। कुछ विलम्ब हुआ है। सरकार ने इस पर विचार कर लिया है और शीघ्र ही हम सभा के समक्ष विधेयक प्रस्तुत करने जा रहे हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : आश्वासन को ध्यान में रखते हुए मैं सभा से विधेयक वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्री एस० सी० सामन्त को कारखाना अधिनियम 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक को वापिस लेने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री एस० सी० सामन्त : मैं विधेयक को वापिस लेता हूँ।

संविधान (संशोधक) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

[नए अनुच्छेद 23क, 23ख और 23घ का अन्त:स्थापन]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

इस विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो कतिपय मूलभूत उपबंध मौलिक अधिकारों में नहीं है उन्हे उन में रखा जाए। सभी नागरिकों के लिए कार्य और जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधन जुटाए जाएं। कार्य की ऐसी व्यवस्था और जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधन न दिये जाने की दशा में बेरोजगारो को किसी न किसी प्रकार का बेरोजगार भत्ता दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिन लोगों ने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या जो काफी देर से रोगी है या अपंग है उन्हें भी वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए और 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए।

मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब संविधान का 24 का संशोधन स्वीकार किया जा रहा था तो यह कहा गया कि इस विधेयक द्वारा संसद और सशक्त होगी तथा वह ऐसे उपाय अपनाने में समर्थ होगी जिससे समाज में आमूल परिवर्तन होगा।

कुछ ऐसे सिद्धान्त हैं जोकि पहले ही राज्य नीति के निदेशक तत्वों में आते है। किन्तु ये सिद्धान्त सही नही हैं और इसलिए उनमें कुछ ऐसी अस्पष्ट बातें हैं जिन्हें कार्यान्वित नही किया जा सकता। यदि इन सिद्धांतो को व्यवहारिक रूप से कार्यान्वित नहीं किया जाता है तो साधारण व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकेगा। और न ही न्याय प्राप्त कर सकेगा अत: इस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मैं जो प्रस्ताव पेश कर रहा हूं वह सम्पत्ति के उसी मूल अधिकार के समान है जो संविधान द्वारा स्वीकृत हुआ है और एक अधिक आधारभूत अधिकार को अर्थात कार्य करने का और जीवन निर्वाह और पर्याप्त साधनो के अधिकार को भी स्वीकृत किया जाना चाहिये।

सरकार ने सदन में बार बार यह कहा है कि वह समाजवाद की स्थापना करना चाहती है और वह इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। गरीबी हटाने के नारे लगाए जा रहे है। लेकिन लोगों को जहां एक ओर सम्पत्ति रखने का अधिकार दिया जा रहा है वहां दूसरी ओर लोगों को काम तथा रोजगार के पर्याप्त अवसर भी जुटाए जाएं।

श्री आर० डी० भंडारे (बम्बई-मध्य) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है जहाँ तक विधेयक के उद्देश्यों का सम्बन्ध है मेरा उनसे कोई मतभेद नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य ने संविधान के जिस अनुच्छेद और अध्याय के अन्तर्गत यह विधयक पेश किया है वह उसके अनुरूप नहीं है ।

श्री नरेन्द्रकुमार सालवे (बेतूल): माननीय सदस्य ने इस बात पर आपत्ति उठाई है कि वह विशेष उपबन्ध जो प्रस्तावक संविधान मे संशोधन करवा के लाना चाहते है इस कारण नही लाया जा सकता क्योंकि वह इसके शीर्षक के अन्तर्गत नही आता लेकिन इस कारण प्रस्तावक का प्रश्न वैधानिक सीमा से बाहर नहीं होता । यह वैध है ।

श्री के० नारायण राव (बोबिली) : इस विधेयक के प्रस्तावक का उद्देश्य अध्याय 4 के राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों को अध्याय 3 के अन्तर्गत लाकर उन्हे न्यायालयों के परिधि मे लाना है । श्री भंडारे के इस सुझाव में कोई तर्क नही है कि अमुक विषय को अनुच्छेद 41 के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये ।

जहाँ तक श्री सालवे के प्रश्न का सम्बन्ध है मेरा विचार है कि शीर्षक की कोई अधिक महत्ता नहीं है। अतः इस व्यवस्था के प्रश्न में कोई सार नहीं ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : आज बेरोज़गारी की समस्या बड़ी शोचनीय है और इस सम्बन्ध में दिए गए आंकड़ों से वास्तविक स्थिति का ज्ञान नही हो सकता । क्योकि आंकड़ो का आकलन रोजगार कार्यालयो में दर्ज नामो के आधार पर किया जाता है जबकि सभी बेरोज़गार लोग रोज़गार कार्यालयो में अपना नाम दर्ज नहीं कराते क्योंकि वह जानते हैं कि यह रोज़गार कार्यालय उनकी बेरोज़गारी को दूर नही कर सकते अतः इस प्रकार छिपी बेरोज़गारी सामने नही आती । साथ ही बेरोज़गारी के आंकड़ों में उन लोगों को भी शामिल नहीं किया जाता जिन्हे अपूर्ण रोजगार मिला हुआ है विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोगों की संख्या काफी है अतः यह आकड़े काफी भ्रामक हैं ।

रोजगार कार्यालयों में दर्ज आकड़ों को लिया जाए तो पता लगेगा 1968 में बेरोज़गारों की संख्या 30,11,642, 1969 में 34,23,385, 1970 में 40,68,554 और 1971 में 50,99,999 थी । जसा कि मैंने पहले भी कहा इस संख्या में वह बेरोज़गार लोग जिनके नाम रोजगार केन्द्रों में दर्ज नही है ।

नियोजकों द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार प्रथम योजना के अन्त में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 53 लाख थी । दूसरी योजना के अन्त तक 90 लाख थी और तीसरी योजना के अन्त में 120 लाख थी तथा चौथी योजना के अन्त में यह संख्या 140 लाख हो जाएगी । इन आंकड़ों में ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त बेरोज़गारी को नही लिया गया । गरीबी की समस्या बड़ी भयानक समस्या है और इसे सुलझाने के लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे बजट में रोजगार के अवसर जुटाने हेतु काफी धन की व्यवस्था की गई है किन्तु उचित क्रियान्वयन न होने से उस धन का अभी उपयोग नहीं हो पाया अतः शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों वर्गों में बेरोज़गारी बढ़ रही है ।

प्रायः सभी कल्याणकारी देशों में उन लोगो को वृद्धावस्था भत्ता देने की व्यवस्था है जो या तो रोगी है या अपंग या जो कार्य करने में समर्थ नही है । जो लोग 60 वर्ष की आयु के हो गए हैं उन्हे किसी न किसी प्रकार की गारंटी दी जानी चाहिए । इसके साथ किसी कल्याणकारी राज्य में यदि बहुत नागरिक बेरोज़गार हो तो उन्हे कुछ न कुछ बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाना चाहिए ।

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में कहा गया है कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी यह निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जोकि राज्य के नीति के निदेशक सिद्धान्तों में विनिर्दिष्ट है, केवल योजना बनकर रह गई है। वैसे 6 वर्ष से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चो को निशुल्क शिक्षा में काफी प्रगति हुई है। किन्तु 11 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को नि शुल्क शिक्षा प्रदान करने में प्रगति नहीं हुई है ।

1946–47 में 6 से 11 वर्ष तक के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 140 लाख थी। वर्ष 1950–51 में 191.50 लाख, वर्ष 1960–61 में 349.90 लाख, 1965–66 में 497.20 लाख, 1968–69 में 554.90 लाख तथा 1970–71 में 601.10 लाख तथा 1971–72 में 680 लाख थी। यह प्रसन्नता का विषय है कि इस आयु वर्ग के अधिकाधिक बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है और ऐसे बच्चों की नि शुल्क शिक्षा में काफी प्रगति हुई है।

11 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को नि शुल्क शिक्षा प्रदान करने में कोई विशेष प्रगति नही हुई है। वर्ष 1950–51 में ऐसे स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 31.20 लाख थी जो कि इस आयु के समस्त बच्चों का 12.7 प्रतिशत है इसी प्रकार यह संख्या वर्ष 1960–61 में 67 लाख थी। वर्ष 1965–66 में 103.40 लाख, वर्ष 1968–69 में 122.70 लाख, 1969–70 में 133.60 लाख, 1970–71 में 138.20 लाख तथा 1971–72 में 150 लाख हो गई जो कि इस आयु के समस्त बच्चों का 37 प्रतिशत है। इसका अर्थ यह है कि हमारी नि शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की योजना केवल कागजी कार्यवाही बनकर हो रह गई है और वह भी विशेषकर इस आयु के बच्चों के सम्बन्ध में अत: यह नितान्त आवश्यक है कि हम अपनी समूची शिक्षण प्रणाली को नया रूप दें और फिर यह सुनिश्चित करें कि 11 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को नि शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का यह विशेष सिद्धान्त कार्यान्वित हो।

शिक्षा को राज्य का विषय रखा गया है। समस्या की गंभीरता को देखते हुए यदि हम उसे मात्र राज्य सरकारों के सहारे छोड़ देगें तो समस्या हल नही हो पाएगी किन्तु मेरा आशय यह नही कि इसे केन्द्र के हवाले कर दिया जाए विशेषकर शिक्षा के मामले में केन्द्र पर अत्यधिक निर्भर करना कम खतरनाक नही। अत: मेरा सुझाव है कि इसे समवर्ती विषय बनाया जाए इससे दोनों राज्य तथा केन्द्र सरकार न केवल योजनाओं का पुनर्नवीकरण कर पाएंगी अपितु इसके लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में भी समर्थ होगीं।

मैंने यहाँ जितनी भी समस्याओ, जैसे बेरोजगारी भत्ता तथा बच्चों को नि शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने आदि, को लिया है वह यद्यपि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतो में विनिर्दिष्ट हैं फिर भी उन्हे विस्तृत रूप से क्रियान्वित नही किया गया यदि इन्ह संविधान के भाग 3 के अन्तर्गत ले लिया जाएगा तो इन अधिकारों से वंचित रहने वाला व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकेगा तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार पर एक प्रकार दबाव रहेगा।

सिद्धांत रूप में हम बहुत कुछ कहते हैं कि यह भी होना चाहिए और वह भी किन्तु जब उन्हे ठोस रूप से क्रियान्वित करने की बात आती है तो हम उसे पूरा नही कर पाते।

इसके लिए संविधान के 24 वें संशोधन द्वारा पहले ही से आधार तैयार किया जा चुका है। इस विधेयक को लाने का मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा हमें जो शक्तियां प्राप्त हुई है उन्हें इस विधेयक के माध्यम से प्रयोग में लाया जाये।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जब भी कोई गैर-सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तभी यह कहा जाता है कि "विधेयक की भावना से हम सहमत हैं"। परंतु बाद में बता दिया जाता है कि इस के रास्ते में बहुत सी कठिनाइयां हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे विधेयक के साथ भी यही व्यवहार नही किया जायेगा और बाद में मुझे इसे वापस लेने को नहीं कहा जायेगा। अत: सभा को विधेयक पर समुचित ध्यान देना चाहिये।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं विधेयक के साथ पूर्णतया सहमत हूं। केवल दिल्ली में ही 85,000 शिक्षित बेरोज़गार हैं। लगभग यही स्थिति सभी राज्यों की है। बंगाल में बेरोज़गारी की समस्या तो इतनी गंभीर रूप धारण कर चुकी है कि एक वर्ष में बेरोज़गारों की संख्या में 41 प्रतिशत वृद्धि हुई है। परंतु इस बारे में गंभीरता से कुछ भी सोचा नहीं जा रहा है। समाजवाद और योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा अन्य प्रकार की बातें तो की जाती है परंतु देश में 70,000 से अधिक इंजीनियर बेरोज़गार हैं। कांग्रेस द्वारा बेरोज़गारी के मामले को साम्प्रदायिक रूप दिया जा रहा है। इस प्रांतीयता और संकीर्ण क्षेत्रीयता की भावनाओं को इस समस्या के साथ सम्बद्ध किया जा रहा है। बिहार के मंत्री कहते हैं कि बिहार के कारखानों में बिहार के लोगों को नौकरी दी जाये और बंगाल के मंत्री कहते हैं कि बंगाल के कारखानों में बंगालियों को नौकरी मिलनी चाहिये। इस प्रकार की भावनाएं फैलाई जा रही है। क्या बेरोज़गारी को खत्म करने का यही तरीका है। यह तो जनता के साथ धोखा है। स्मरण रखना चाहिये कि युवा वर्ग इस बात को समझ जायेगा। युवा वर्ग में यह भावना फैलती जा रही है कि कांग्रेस शासन देश में पूंजीवाद को आश्रय देता है। समाजवाद को बात केवल मात्र दिखावा है। यह वर्ग यह समझ गया है कि बेरोज़गारी की समस्या हल नहीं होगी और यह और भी गंभीर रूप धारण कर लेगी। चालू बजट में बेरोज़गारी के संबंध में एक "क्रेश" कार्यक्रम के लिए धन राशि नियुक्त की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वह कार्यक्रम हो 'क्रेश' हो गया है। यदि बेरोज़गारी की समस्या को हल करने का सरकार का कोई इरादा होता तो कुछ ठोस उपाय किए गए होते।

यदि लोगों को रोज़गार उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता तो जैसा कि प्रो० मधु दंडवते ने सुझाव दिया है उन्हें बेरोज़गारी भत्ता दिया जाए। चीन और सोवियत रूस में काम का अधिकार मौलिक अधिकार युरोप के देशों में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। अतः शासक दल को बेरोज़गारों को भुखमरी से बचाने का उत्तरदायित्व लेना चाहिये।

शासक दल के लिए यह शर्म की बात है कि चार पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान करोड़ो रुपये व्यय करने के पश्चात भी साक्षरता 29 प्रतिशत तक नहीं पहुंच सकी है। श्री दंडवते ने सुझाव दिया है कि शिक्षा के विषय को केन्द्र को अपने अधिकार में लिया जाय। परंतु मेरा मत इससे भिन्न है। मेरा मत यह है कि बेरोज़गारी और प्राथमिक शिक्षा की समस्या के बारे में यदि कुछ करने का इरादा हो तो इन्हें हल करने के रास्ते निकाले जा सकते हैं। यदि सारा सदन इन समस्याओं के प्रतिचिंतित हो तो केन्द्र तथा राज्य सरकारों को कार्यवाही करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। परंतु यदि कुछ करने का इरादा ही नहीं होगा तो समस्याएं इसी प्रकार बनी रहेगी।

अंतिम बात वृद्धावस्था तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यवस्था करने की है। मैं इस बात के साथ पूर्णतया सहमत हूं कि राज्य को यह उत्तरदायित्व ग्रहण करना चाहिये। यूरोपियन तथा अन्य समाजवादी देशों में राज्य वृद्ध लोगों का उत्तरदायित्व ग्रहण करता है।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : It is very strange that even after 25 years of Independence we have not been able to provide education to all. It is also a fact that unemployment is increasing in the country. But responsibility for this lies more on the opposition. There have been unnecessary agitations in the country. The Government had to spent all its energies to control these agitations.

श्री एस० बी० गिरि (वारंगल) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य जो बातें कह रहे हैं उनका विधेयक के साथ कोई संबंध नहीं है।

Shri M. Ram Gopal Reddy : I am coming to that. All the resources of Government are being spent on controlling these agitations and opposition parties are responsible for this wasteful expenditure.

Government is spending 3-4 thousand crores of rupees and all the details about this expenditure come before Parliament. Even then it is being said that education should be made free and compulsory, old age pension should be given and employment should be provided. Our country is a poor country. Therefore we should try to raise the income so that we could spend on these items.

Mr. Chairman : Do you agree with the points mentioned about un-employment and illiteracy or not ?

Shri M. Ram Gopal Reddy : We should set up more factories to check unemployment. Workers should be persuaded not to resort to strikes so that more profits could be earned and utilized profitability.

सभापति महोदय : श्री० रेड्डी से मेरा अनुरोध है कि वह विधेयक तक ही सिमित रहें फालतु विषयो पर न बोलें ।

Shri Ram Gopal Reddy : I mean to say that the Government is not being allowed by the opposition parties to work properly. If the opposition parties do not take recourse to agitational approach our country can achieve more progress and then everybody would get food, cloth and employment and also opportunity to get educated.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) **:** Our Constitution guarantees Right to work. But in actual practice the position is otherwise. Post-independent India produces two different images in one's mind. Rich people have become more richer in our country after independence, whereas poor people have become more poorer. One side of the coin is affluent society and the other an object poverty.

If our Government is serious about 'Garibi Hatao' Programme and solving the problem of unemployment it should not have any hesitation in accepting this Bill. Not only in the Socialist Countries, unemployment dole is provided in Capitalist Countries also.

At one time it was stated that 8 million new jobs would be generated during the period of Second Five Year Plan. It raised the hopes of the unemployed. But what actually happened was that there were 120 thousand unemployed persons at the beginning of Third five year Plan. These persons were registered with the Employment Exchanges.

I request that from a humanitarian point of view we should agree to the provision of unemployment allowance to be paid by the State. If there is any legal difficulty in the way we should try to over come that also.

Though it is a non-official Bill even then it is very important. It would have been better if the Planning Minister and the Prime Minister were present in the House during this debate. Planning Minister should announce in the House short term and long term policy in this regard. Unemployment is increasing day by day in the country. Even after passing B.Sc., M.Sc. or qualifying in Engineering one does not get employment. This makes him an extremist. If this Bill is rejected by the ruling party it would be taken as a rejection of Election Manifesto of the ruling party. No doubt you have come with a missive mandate but you should fulfil the promises made to the public. So long as Capitalistic policies are being persued unemployment would not end. It would end with the end of Capitalism.

डा० जी० एस० मेलकोटे (हैदराबाद) : मैं इस विधयक को प्रस्तुत करने पर श्री मधु दंडवते को बधाई देता हूं . . .

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले अवसर पर जारी रख सकते हैं ।

अब सभा सोमवार 7 अगस्त 1972 के 11 बजे तक के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोकसभा सोमवार 7 अगस्त, 1972/16 श्रावण, 1894 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, August 7, 1972/ Sravana 16, 1894 (Saka)

भारत सरकार मुद्रणालय—विभाग 8—9 लोक सभा/72—20-10-72—490